खण्ड-439, अंक-1
मंगलवार, 1 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(22 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
तेहरवी विधान सभा के सदस्यों की सूची	ङ-ट
महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	ड-थ
उपस्थित सदस्य	ध-न
वाराणसी में किसानों पर गोली एवं लाठी चलाये जाने विषयक नियम 311 की सूचना को पहले लिए जाने की माँग (जारी)	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	
वाराणसी में किसानों पर गोली एवं लाठी चलाये जाने विषयक नियम 311 की सूचना को पहले लिए जाने की मांग	2
प्रश्नोत्तर	2-67
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	67
जनपद बांदा के ग्राम अनथुआ में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित किसानों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67-68
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा मंझारी के पास एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद उन्नाव के ग्राम सरैया तथा मझरिया के मध्य सई नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद बाँदा के ग्राम रामपुर मजरा उजमरा डेरा में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण में धांधली की जाँच कराकर दोषीजनो से सरकारी धन वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद एटा के नौरी करमपुर आदि ग्रामों में इन्दिरा आवास में की गई व्यापक अनियमितता की जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
प्रश्नों के उत्तर बार-बार टाले जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70
शासकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-73
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	73-74
दिनांक 25-4-2000 को श्री रामसिंह सैनी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 43 (2) के अन्तर्गत आबकारी मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	74-75
दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या- 1 के अनुपूरक उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या-44 (1) के अन्तर्गत वन मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	75-76

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76-95
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	95-140
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	140-163
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	163-165
जनपद चित्रकूट के मानिकपुर थानान्तर्गत सड़क दुर्घटना में 20 लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा दिनांक 14-5-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	165-166
जनपद मिर्जापुर में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के धन का दुरूपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 सरजीत सिंह डंग द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य	166-167
प्रदेश में सी0बी0एस0ई0 की प्रीडेन्टल/प्रीमेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं से लाखों छात्र/छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय होने के संबंध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	167
जनपद फैजाबाद की नगर पालिका रूदौली तथा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से बीमार पशुओं के मांस की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आचार्य राम देव वैश्य द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	168
शारदा सहायक खण्ड-28 हैदरगढ़, बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच व कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री तेजभान सिंह द्वारा दि0 14-5-01 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	168-169
जनपद जालौन में वर्ष 1999-2000 में बाढ़ के कारण बाँधों के टूटे तटबन्धों एवं ध्वस्त सड़कों की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री श्रीराम पाल द्वारा दिनांक 14-5-01 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	169
जनपद एटा के कासगंज क्षेत्रान्तर्गत 33 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन बिलराम को चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नेत राम सिंह द्वारा दिनांक 14-5-01 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	169-170
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के टाउन एरिया में भदोही रेलवे फीडर मार्ग की नाली ऊँची करने तथा दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी पंकज द्वारा दिनांक 14-5-01 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	170

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1985 से 2000 तक जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों पर लेपन कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दिनांक 14-5-01 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	170-171
डा0 प्रमोद कुमार तिवारी,उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ की विशेष परिस्थितियों में मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 14-5-01 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	171
प्रदेश में बिजली देयों के दस मुख्य बकायेदारों से धनराशि की वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी 'ख' के सम्बन्ध में श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	171
दिनांक 9 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या-10 नत्थी 'ग' के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (निरस्त)	171-172
नत्थियॉ	173-177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1-अब्दुल सलाम, श्री	प्रतापगढ़	28-अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा
2-अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	29-अरूण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
3-अक्षयवर लाल,श्री	बहराइच	30-अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
4-अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	31-अवधेश प्रसाद,श्री	फैजाबाद
5-अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	32-अशफाक अहमद, श्री	बरेली
6-अजय प्रताप सिंह उर्फ		33-अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	34-अशोक कुमार सिंह,श्री	रायबरेली
7- अजय राय, श्री	वाराणसी	35-अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
8- अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर	36-अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
9-अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	37-आचार्य रामदेव वैश्य	बाराबंकी
10-अतुल कुमार, श्री	मेरठ	38-आनन्द प्रकाश,श्री	पडरौना
11-अनिल कुमार, श्री	बलिया	39-आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
12-अनिल कुमार यादव, श्री	मैनपुरी	40-आर0के0सिंह पटेल श्री	बॉदा
13-अनीस खां,श्री	पीलीभीत	41-आर्य राम शरन, श्री	हाथरस
14-अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	42-आलमबदी, श्री	आजमगढ़
15-अफजाल अहमद,श्री	जौनपुर	43-इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
16-अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	44-इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
17-अब्दुल कलाम श्री	बस्ती	45-इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
18-अब्दुल कलाम श्री	वाराणसी	46-इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
19-अब्दुल खालिक,श्री	अलीगढ़	47-उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
20-अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	48-उमाकान्त यादव,श्री	जौनपुर
21-अमर मणि, श्री	महराजगंज	49-उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
22-अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	50-उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
23-अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	51-ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
24-अम्मार रिजवी, डा0	सीतापुर	52-ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
25-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	53-ओम प्रकाश, श्री	एटा
26-अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	54-ओम प्रकाश गुप्त श्री	सीतापुर
27-अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	55-ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
		56-कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी

57-कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
58-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
59-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
60-कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
61-काशीनाथ,श्री — सुल्तानपुर
62-काशी राम, श्री — रामपुर
63-किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
64-कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
65-कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
66-कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
67-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
68-केशो मेहरा, श्री — आगरा
69-कैलाश, श्री — गाजीपुर
70-कैलाश सिंह राजपूत, श्री — फर्रूखाबाद
71-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
72-कौकब हमीद, श्री — मेरठ
73-कौशल किशोर, डा0 — खीरी
74-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
75-गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
76-गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
77-गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
78-गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
79-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
80-गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
81-गोमती यादव, श्री — लखनऊ
82-गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
83-गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
84-गौरी शंकर एडवोकेट,श्री — लखनऊ
85-चन्द्र किशोर,श्री — महराजगंज
86-चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
87-चन्द्रमणि कान्त सिंह,श्री — बहराइच
88-चन्द्रेश पासवान,श्री — गोरखपुर
89-चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
90-चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
91-चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
92-चौधरी मस्तराम, श्री — उन्नाव
93-चौधरी लक्ष्मी नारायण,श्री — मथुरा
94-छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
95-छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
96-छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
97-छोटे लाल वर्मा, डा0 — महोबा
98-छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रूखाबाद
99-जगपाल, श्री — सहारनपुर
100-जगत पाल सिंह,मेजर — मुरादाबाद
101- जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
102- जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
103-जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
104-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
105-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
106-जटा शंकर, श्री — बहराइच
107-जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
108- जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
109- जयनारायण तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
110-जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
111-जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
112- जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
113-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
114-जयवीर सिंह भदौरिया. श्री — इटावा
115- जितेद्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर

116-जोखू लाल यादव, श्री इलाहाब द
117-ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
118- ज्ञानवती सिंह, डा0 उ लौगढ़
119- ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
120-तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल,श्री गोरखपुर
121-तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
122-तोताराम, श्री मुरादाबाद
123-तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
124-दद्दू प्रसाद, श्री बांदा
125- दयाशंकर, श्री जालौन
126- दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
127-दलवीर सिंह,श्री अलीगढ़
128-दिलीप कुमार, श्री बहराइच
129- दिवाकर बिक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
130-दीप लाल भारती, श्री पडरौना
131-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
132-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री एटा
133-देवेन्द्र सिंह, उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात
134- धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
135-धनीराम वर्मा, श्री इटावा
136- धर्मज्ञ मिश्र,डा0 हरदोई
137-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
138-धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
139- नन्द राम, श्री बरेली
140-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
141- नरेन्द्र सिंह, श्री आजमगढ़
142-नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
143-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रूखाबाद
144-नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
145-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
146-नवाब सिंह नागर, श्री गाजियाबाद
147-नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
148-नेतराम सिंह,श्री एटा
149-"पटेल" रामकुमार वर्मा,श्री खीरी
150-परवेज हलीम खां, श्री मेरठ
151-पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित सदस्य
152-पीतम राम, श्री पीलीभीत
153-पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
154-पूर्णमासी पंकज,डा0 भदोही
155-प्रदीप कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
156- प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
157- प्रदीप कुमार यादव, श्री इटावा
158-प्रभा द्विवेदी, श्रीमती फर्रूखाबाद
159-प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वाराणसी
160-प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
161-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
162- प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
163-प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
164- प्रेम स्वरूप पाठक, श्री बदायूँ
165-फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
166-फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
167-फागू, श्री मऊ
168-बंश नारायण सिंह, श्री भदोही
169-बचनूराम पटेल, श्री वाराणसी
170-बच्चा पाठक,श्री बलिया
171-बनवारी लाल दोहरे,श्री फर्रूखाबाद
172-बांके लाल सोनकर, श्री जौनपुर
173-बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
174-बाबू खां, श्री हरदोई

175-बाबू राम, श्री — जालौन
176-बाबू लाल कुरील,श्री — उन्नाव
177-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
178-बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
179-बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
180-बावन सिंह, श्री — गोण्डा
181-बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
182-बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
183-बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
184-बी0आर0वर्मा, श्री — जौनपुर
185-बी0के0 गुप्ता, श्री — पीलीभीत
186-बुनियादी हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
187-बेचन राम,श्री — गोरखपुर
188-ब्रजेन्द्र पाल सिंह,श्री — मुरादाबाद
189-भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
190-भगवान सिंह शाक्य,श्री — बदायूं
191-भरत सिंह, श्री — बलिया
192-भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
193-भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकर नगर
194-भोनू राम सोनकर, श्री — गाजीपुर
195-भोला शंकर मौर्य,श्री — बदायूं
196-मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
197-मंजू,श्रीमती — बलिया
198-मंडलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
199-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
200-मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
201-मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
202-महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
203-महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
204-महेन्द्र कुमार सिंह — उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
205-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0 — वाराणसी
206-महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
207-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
208-मानिक चन्द यादव,श्री — मैनपुरी
209-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
210-मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
211-मिथिलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
212-मुख्तार अंसारी,श्री — मऊ
213-मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
214-मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
215-मुरादलारी,श्री — देवरिया
216-मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
217-मुस्लिम, डा0 — रायबरेली
218-मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
219-मूल चन्द,श्री — बिजनौर
220-मोती लाल, श्री — खीरी
221-मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
222-यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
223-यशवन्त, श्री — आजमगढ़
224-योगेन्द्र कुमार सिंह, श्री — बदायूं
225-योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
226-रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
227-रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
228 -रघुराज प्रताप सिंह, "राजा भइया" कुंवर — प्रतापगढ़
229-रघुबर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
230-रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
231-रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
232-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर — पडरौना

233-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
234-रमेश राही, श्री सीतापुर
235-रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
336-रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
237-रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
238-राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
239-राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
240-राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
241- राघव, श्री सहारनपुर
242-राजधारी, श्री बलिया
243- राजनाथ सिंह, श्री बाराबंकी
244-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
245- राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
246-राजा गजनफर अली खां, श्री बिजनौर
247-राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
248-राजाराम पाल, श्री कानपुर देहात
249-राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
250-राजेन्द्र यादव, श्री गाजीपुर
251-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
252-राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
253- राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
254-राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
255- राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
256-राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
257-राधेश्याम जायसवाल,श्री सीतापुर
258-राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
259-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
260-राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
261- रामआसरे पासवान, श्री बस्ती
262- राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0 कानपुर नगर
263- राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
264-राम कुमार एडवोकेट, श्री उन्नाव
265-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
266- राम खिलाड़ी, श्री बदायूँ
267-राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
268- रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
269-रामजग, श्री आजमगढ़
270-रामतेज यादव एडवोकेट, श्री बहराइच
271-राम नक्षत्र, श्री पडरौना
272- रामनरेश रावत, श्री गाजियाबाद
273-राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
274- रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
275- रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
276-रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
277-राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
278-राम प्यारे सिंह, श्री आमजगढ़
279-राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
280- राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
281-राम बाबू हरित, डा0 आगरा
282- राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
283- राम लखन , श्री सुल्तानपुर
284- राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
285- राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
286- रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
287- रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
288- राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
289- राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
290- राम सिंह, डा0 अलीगढ़

291- राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
292-राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
293- राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
294- राम स्वरूप शर्मा,श्री मथुरा
295-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
296-राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
297-रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
298-रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
299-रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300-रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
301-रूप चौधरी, श्री मेरठ
302-रेवती रमण, कुंवर सिंह, इलाहाबाद
303-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी,डा0 मेरठ
304- लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
305-लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
306-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
307-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
308-लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
309-लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
310-लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
311-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
312-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313-वहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
314-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
315-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
316-विजय कुमार, श्री गाजीपुर
317-विजय पाल सिंह, श्री आगरा
318-विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
319-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
320-विद्या सागर गुप्ता ,श्री लखनऊ
321-विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
322-विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
323-विनोद मणि, श्री महराजगंज
324-विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
325-विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
326-विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
327-विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
328-विवेक कुमार सिंह, श्री बाँदा
329-विश्वनाथ, श्री पडरौना
330-वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
331-वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
332-वेद प्रकाश, श्री बस्ती
333-वेद प्रकाश सिंह, एम0एस0डा0, बिजनौर
334- शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
335- शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
336-शिव गणेश लोधी एडवोकेट, श्री रायबरेली
337-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
338-शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
339-शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
340-शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
341-शिव प्रसाद,श्री हरदोई
342-शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
343-शिव शंकर, श्री बांदा
344-शिव सिंह चक, श्री फिरोजाबाद
345-शिवाकान्त, श्री प्रतापगढ़
346-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू , श्री महराजगंज
347-शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा

348-शेर बहादुर, श्री अम्बेडकर नगर
349-श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
350-श्यामदेव राय चौधरी (दादा),श्री वाराणसी
351- श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
352- श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
353-श्याम सुन्दर, श्री, रायबरेली
354-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
355-श्रीराम, श्री मऊ
356-श्रीराम पाल, श्री जालौन
357-श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
358-संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
359-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
360-संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
361-संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
362-सतीश जतारिया, श्री झांसी
363-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364-सतीश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
365-सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
366-सन्त, श्री गोरखपुर
367-सन्त राम सिंह, श्री जालौन
368-समरपाल सिंह, श्री मेरठ
369-सरजीत सिंह डंग, डा0 मिर्जापुर
370-सरदार सिंह, श्री मथुरा
371-सरवर अली खां, श्री बाराबंकी
372-सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
373-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
374-सिंहासन सिंह, श्री गाजीपुर
375-सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
376-सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
377-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
378-सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
379-सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री सहारनपुर
380-सुधाकर सिंह, श्री मऊ
381-सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
382-सुन्दर लाल वर्मा, श्री मेरठ
383-सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
384-सुरेन्द्र प्रताप सिंह,श्री बरेली
385-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
386-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
387-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
388-सुशील शाक्य, श्री फर्रूखाबाद
389-सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
390-सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
391-सूर्य भान सिंह, श्री सुल्तानपुर
392-सौलत अली एडवोकेट, श्री मुरादाबाद
393-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
394-हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
395-हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
396-हरिनारायण, श्री बलिया
397-हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र
398-हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
399-हरि शंकर माहौर, श्री अलीगढ
400-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
401-हरीश चन्द्र गंगवार, श्री बरेली
402-हीरालाल गौतम, श्री आजमगढ़
403-हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
404-होराम सिंह, श्री बुलन्दशहर

सत्यमेव जयते

महामहिम राज्यपाल
श्री विष्णु कान्त शास्त्री

मन्त्रि-परिषद्

क्र0सं0	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1.	श्री राजनाथ सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, संस्कृति, पूर्त धर्मस्व एवं प्रोटोकाल।
2.	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वित्त
3.	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण।
5.	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
6.	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
7.	डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा।
8.	चौधरी नरेन्द्र सिंह	खाद्य एवं रसद
9.	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
10.	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई
11.	श्री राजधारी सिंह	वन
12.	डा0 नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
13.	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
14.	श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा	सहकारिता
15.	श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
16.	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा।

17.	श्री सरदार सिंह	मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण।
18.	श्री राधेश्याम गुप्ता	न्याय
19.	श्री बाबू राम, एम0काम0	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर।
20.	श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर।
21.	श्री शिव प्रताप शुक्ल	ग्राम्य विकास
22.	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा।
23.	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
24.	श्री हरिशंकर तिवारी	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
25.	श्री मण्डलेश्वर सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास।
26.	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
27.	चौधरी लक्ष्मी नारायण	कारागार
28.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा।
29.	श्री धनराज यादव	उद्यान
30.	श्री शिवाकान्त ओझा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स।
31.	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	लघु उद्योग
32.	श्री फागू चौहान	पशुधन एवं मत्स्य
33.	श्री राजाराम पाण्डे	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
34.	कुंवर रघुराज प्रताप सिंह	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल।
35.	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र0सं0	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	पंचायती राज
2.	श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
3.	श्री जयपाल सिंह	दुग्ध विकास

4.	श्री अशोक यादव	पर्यटन
5.	श्री राधेश्याम	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन।
6.	श्री राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज।
7.	श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
8.	श्री भगवान सिंह शाक्य	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन।
9.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	नियोजन

राज्य मंत्री

क्र0सं0	नाम	विभाग या विषय
1.	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
2.	श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
3.	श्री रंगनाथ मिश्र	गृह
4.	श्री मंगल सिंह सैनी	सिंचाई
5.	श्री सतीश शर्मा	ऊर्जा
6.	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
7.	श्री राकेश त्यागी	सहकारिता
8.	श्री सतीश महाना	नगर विकास
9.	श्री शिव शंकर सिंह	सिंचाई
10.	श्री राकेश धर त्रिपाठी	लोक निर्माण
11.	श्री लल्लू सिंह	ऊर्जा
12.	श्री बीरेन्द्र सिंह	परिवहन
13.	श्री विवेक कुमार सिंह	कृषि
14.	श्री संग्राम सिंह	कृषि
15.	श्री वंश नारायण पटेल	खाद्य एवं रसद
16.	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
17.	श्री हरि नारायण राजभर	ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई
18.	डा0 राम बाबू हरित	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
19.	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
20.	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम्य विकास

21.	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
22.	श्री यशवन्त सिंह	आबकारी
23.	श्री दलवीर सिंह	गन्ना विकास
24.	श्री रामचन्द्र बाल्मीकी	गन्ना विकास
25.	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
26.	श्री विक्रमाजीत मौर्य	ऊर्जा
27.	सुश्री डा0 शीमा रिजवी	चिकित्सा शिक्षा
28.	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
29.	श्री गंगा बख्श सिंह	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
30.	श्री राम आसरे कुशवाहा	वन
31.	श्री रामपाल राजवंशी	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
32.	श्री बहोरन लाल मौर्य	राजस्व
33.	श्री बिहारी लाल आर्य	खाद्य एवं रसद
34.	श्री राम लखन पासी	समाज कल्याण
35.	श्री श्रीराम सोनकर	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
36.	श्री विनय कुमार पाण्डेय	कारागार
37.	श्री वेद प्रकाश	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा
38.	डा0 अरविन्द कुमार जैन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
39.	श्री अमरमणि त्रिपाठी	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
40.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	सहकारिता
41.	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल
42.	श्री मुन्ना लाल मौर्य	खाद्य एवं रसद

नेता विरोधी दल
श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1- डा0 सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर)

2- श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर)

3- श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (झांसी)

4- श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह, सदस्य, विधान सभा (बहराइच)

5- डा0 अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई)

6- श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा (मैनपुरी)

7- श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर)

8- डा0 अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)

9- श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर)

10- श्री कौकब हमीद, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 22-5-2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

1-अजय राय, श्री — वाराणसी
2- अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3- अनिल कुमार, श्री — बलिया
4- अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
5- अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
6- अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
7- अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
8- अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
9- उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
10-ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
11-ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
12-कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
13-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
14-कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
15-काशी राम, श्री — रामपुर
16-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
17-गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
18-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
19-चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
20-जगदम्बिका पाल, श्री — बंस्ती
21-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
22-जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
23-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भय्या, श्री — गोरखपुर
24-तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
25-दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
26-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
27-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
28-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
29-प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
30-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
31-बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
32-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
33-बाबू राम, श्री — जालौन
34-बी0के0 गुप्ता, श्री — पीलीभीत
35-भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
36-मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
37-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0 — वाराणसी
38-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
39-मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
40-मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
41-यशवन्त, श्री — आजमगढ़
42-रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
43-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
44-रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
45-राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
46-राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर

47- राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
48- राजाराम पाल, श्री — कानपुर देहात
49- राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
50- राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
51- राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
52- राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0 — कानपुर नगर
53- राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
54- राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
55- राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
56- राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
57- रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
58- रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
59- राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
60- राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
61- राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
62- लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
63- लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
64- लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
65- विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
66- विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
67- विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
68- विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
69- वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
70- वेद प्रकाश सिंह, एम0एस0, डा0 — बिजनौर
71- शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
72- शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
73- शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
74- शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
75- शिव शंकर, श्री — बांदा
76- शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
77- श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
78- संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
79- सरदार सिंह, श्री — मथुरा
80- सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
81- सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
82- हरि प्रसाद, उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
83- हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर

मंगलवार, दिनांक 22 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 मिनट बिलम्ब से आरम्भ हुई।)

वाराणसी में किसानों पर लाठी एवं गोली चलाये जाने विषयक नियम 311 की सूचना को पहले लिए जाने के माँग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने नियम 311 में सूचना दी है। यह गंभीर मामला है। किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर नियम-56 में सूचना आयी है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

किसानों पर बर्बर अत्याचार किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर नियम-56 की सूचना आयी है। आपने जो सूचना दी है वह उसी समय ली जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, किसानों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। उनकी जान के लाले पड़े हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

किसानों पर गोलियां चलायी जा रही हैं। अत्याचार किये जा रहे हैं।

(शोर)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री उदयराज यादव, श्री रामविशुन आजाद, श्री वसीम अहमद, श्री दद्दू प्रसाद, श्री राम अचल राजभर तथा श्री मुराद लारी आदि विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में आ कर नारे लगाने लगे।)

(शोरगुल के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं अभी सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित कर रहा हूँ। उसके बाद अगर सदन में इसी प्रकार की स्थिति चलती रही तो आप बजट पास करायें।

मैं सदन को 11.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री कौकब हमीद आदि विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

(नत्थी "क" अल्पसूचित तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों से निपटने की कार्य योजना

**1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए क्या सरकार ने कोई विशेष नीति/कार्ययोजना बनाई, है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

जी हॉ।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग प्रश्न काल चलने दें।

वाराणसी में किसानों पर लाठी एवं गोली चलाये जाने विषयक नियम 311 की सूचना को पहले लिए जाने की मांग (क्रमागत)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लगातार किसानों की हत्या हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग प्रश्नकाल चलने दें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग इसी प्रकार अवरोध उत्पन्न करेंगे तो हमें दुखद निर्णय लेना पड़ेगा।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

न मैंने ऐसी विधान सभा देखी, न मैने ऐसे सदस्य देखे यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जाइए आप लोग छुट्टी मनाइए। मैं सदन को 12.20 तक स्थगित करता हूॅ पूरी निन्दा के साथ। इस प्रकार के आचरण की पूरी निन्दा करते हुए मैं सदन को 12.20मिनट तक से स्थगित करता हूँ।)

(श्री अध्यक्ष ने सदस्यों के आचरण की निन्दा करते हुए 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए पुन: स्थगित कर दी। 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

(क्रमागत)

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में पेयजल संकट दूर करने हेतु प्रभावी कार्यवाही

**2-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अचानक तापमान बढ़ने से पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने हेतु सरकार ने क्या कोई ठोस उपाय किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)-

ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ने से पेयजल संकट होना स्वाभाविक है।

शासन द्वारा ग्रीष्म काल में पेयजल संकट से निपटने हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 173 पर।

नोट:-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

कर्मचारियों के दो प्रतिशत पदों को समाप्त करने का नीतिगत निर्णय

*1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के 10 हजार पदों को समाप्त करने तथा वर्ष 2000-2001 से राज्य के कुल पदों की संख्या के 2 प्रतिशत पदों को प्रतिवर्ष समाप्त करने का नीतिगत निर्णय माह दिसम्बर, 2000 में लिया गया है? यदि हां, तो शिक्षित बेरोजगारी की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस निर्णय का क्या औचित्य है? क्या कार्मिकों की वर्तमान संख्या में कटौती का उक्त निर्णय आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0 तथा पी0सी0एस0, आदि संवर्गों पर भी लागू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

राज्य सरकार द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 1998 के पूर्व से रिक्त अनुपयोगी तथा निष्क्रिय पदों को चिन्हित कर ऐसे पदों को तथा प्रोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली न्यूनतम स्तर की रिक्तियों को बिना भरे रखकर पदों में 2% तक कमी करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्नगत निर्णय विकास कार्यो हेतु अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लिया है। अत: विकास की दृष्टि से इसका पूर्ण रूपेण औचित्य है।

जी नहीं। क्योंकि पदों की संख्या में 2% तक की कमी रिक्त अनुपयोगी एवं अनावश्यक पदों को समाप्त कर तथा सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली परिणामी न्यूनतम स्तर की रिक्ति को बिना भरे रखकर की जानी है न कि किसी संवर्ग विशेष के पदों को समाप्त कर। यह निर्णय संवर्ग के आधार पर लागू नहीं है।

प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने हेतु विकास नीति की रूपरेखा

*2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने हेतु कोई सड़क नीति बनाई गई है? यदि हां तो उसकी रूपरेखा एवं उनके उद्देश्य क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार प्रदेश के पूर्ण विकास हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य के मार्गो से ग्रामों का संयोजन करने का विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां।

शासन द्वारा घोषित मार्ग विकास नीति की रूपरेखा/उद्देश्य निम्नवत हैं:-

1-प्रदेश के समस्त मार्गो को सतत प्रयासों के द्वारा निरन्तर गड्ढा मुक्त रखना

2-ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का निर्माण

3-राष्ट्रीय मार्गो, राज्य मार्गो, मुख्य जिला मार्गो, अन्य जिला मार्गो एवं ग्रामीण मार्गो के अनुरक्षण एवं विकास की व्यवस्था

4-सेतुओं/रेल उपरिगामी/अधोगामी, सेतुओं फ्लाई ओवर्स का नव निर्माण एवं पुनर्निर्माण की व्यवस्था

5-बाईपासों, रिंग मार्गो एवं एक्सप्रेसवेज के निर्माण की व्यवस्था

6-शहरी क्षेत्रों में मार्गो के विकास की व्यवस्था

7-उल्लिखित कार्यो हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था

8-निर्माण कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना

9-निर्माण/अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

10-निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन, डिलीवरी एवं डबटेलिंग सुनिश्चित करना

11-रिबन डेवलमेन्ट, अतिक्रमणों को रोकने एवं मार्ग सुरक्षा की व्यवस्था

12-लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन करना

13-पर्यावरण की सुरक्षा करना

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर ग्रामों का संयोजन अन्य जिला मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों आदि से किया जा रहा है, जिससे स्वतः ही ग्रामों का संयोजन राष्ट्रीय एवं राज्य के मार्गों से हो जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बुन्देलखण्ड व मिर्जापुर मण्डल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों हेतु योजनाएं

*1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं मिर्जापुर मण्डल के सूखाग्रस्त क्षेत्र को नियमित सिंचाई सुविधा दिये जाने हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा हेतु एक योजना नहीं है बल्कि अनेक योजनाएं निर्माणाधीन व प्रस्तावित है।

1-क-बुन्देलखंड क्षेत्र की निर्माणाधीन योजनाएं निम्नवत् हैः-

योजना का नाम	जनपद
1-मोदहा बांध	हमीरपुर
2-गुन्टा नाला बांध	चित्रकूट
3-चरखारी पम्प नहर	महोबा
4-पथरई बांध परि0	झांसी
5-जाखलोन पंप नहर	ललितपुर
6-राजघाट परि0	ललितपुर

ख-बुन्देलखंड क्षेत्र की नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित नई परियोजनाओं का विवरणः-

योजना का नाम	जनपद
1-सिजार बांध	झांसी
2-कुरार बांध	झांसी
3-लखेरी बांध	झांसी
4-रसिन बांध	बांदा
5-आगासी पंप नहर का आधुनिकीकरण	बांदा
6-जहचूरा बांध	झांसी

ग-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित नई परियोजनाओं का विवरण:-

योजना का नाम	जनपद
1-भौरटउटारी बांध परि0	ललितपुर
2-कचनादा बांध परियोजना	ललितपुर

घ-चेक डेम तथा जलाशय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोट-छोटे नालों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 11 चेक डेम तथा 15 जलाशयों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से 1 जलाशय का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा 2 चेक डेम एवं 3 जलाशयों का कार्य प्रगति में है। उपरोक्त 11 चेक डैम की कुल लागत 655.50 लाख है, जिससे 1170 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी,तथा 15 जलाशयों की कुल लागत 659.00 लाख है, जिससे 4043 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान की जायेगी।

2-मिर्जापुर मण्डल

मिर्जापुर मण्डल के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिये वाण सागर परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत धन उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर छोटी-छोटी बन्धियों एवं पंप नहरों का निर्माण कार्य कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठाता।

प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु योजना

*2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास के लिये बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)-

जी हॉ।

बाह्य सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत बौद्ध परिपथ का पर्यटन विकास (द्वितीय चरण) की योजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विचाराधीन है। इस परियोजना की प्रस्तावित लागत रू0 1020.60 करोड़ है। इसके अंतर्गत बौद्ध परिपथ के राष्ट्रीय एवं राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के अतिरिक्त, सड़क मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण, स्मारकों का संरक्षण, लैंड स्केपिंग, विद्युत, जल वितरण एवं नैवीगेशन सिस्टम का उच्चीकरण विजिटर सेंटर, संग्रहालय, मेडीटेशन सेंटर, एवं मार्गीय सुविधा का निर्माण तथा पर्यटक गांव का विकास सम्मिलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में सृजित प्रमुख सचिवों के पदों का प्रकरण

*3-श्री संजय गर्ग तथा श्री प्रदीप कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्रमुख सचिवों के 17 (सत्रह) पद सृजित हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान में 32 प्रमुख सचिव कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्र के मानकनुसार ही प्रमुख सचिवों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*4-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[विस्तीर्ण तथा विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेधावी छात्रों हेतु शिक्षण शुल्क में छूट की सुविधा

*5-श्री राम विशुन आजाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गरीब/निर्बल छात्र छात्राओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क दिलाने हेतु क्या कोई योजना शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना पूर्व से ही संचालित है।

(I) मेधावी छात्र जिनके माता-पिता निर्धनता के कारण पूरा शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं उन्हें शिक्षण शुल्क के भुगतान में महाविद्यालय की शुद्ध छात्र संख्या की 10 प्रतिशत की सीमा तक शिक्षण शुल्क से छूट की सुविधा प्राप्त है।

(II) ऐसे छात्र जिनके माता-पिता निर्धनता के कारण शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं उन्हें महाविद्यालय की शुद्ध छात्र संख्या के 15 प्रतिशत तक की सीमा तक अर्द्धशुल्क मुक्ति की सुविधा प्राप्त है।

(III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क मुक्त की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा भी इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(IV) उक्त शुल्क मुक्त सुविधा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि से मेधावी निर्धन छात्रों को जिन्होंने पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो, उन्हें छात्रवृत्ति की भी सुविधा प्राप्त है।

*6-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

[दिनांक 17-5-2001 को तारांकित प्र0 सं0-7 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के गरीब छात्रों को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने की योजना

*7-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रबन्ध तंत्र को बढ़ावा देने से हाई स्कूल व इण्टर के गरीब छात्रों के लिये शिक्षा मंहगी हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार गरीब छात्रों को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*8-श्री जगदम्बिका पाल-

[11वें सोमवार में तारा0 प्र0सं0-2के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*9-श्री राम ललित चौधरी-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद महोबा, क्षेत्र चरखारी में सिंचाई सुविधा हेतु नयी नहरें निकालने का प्रस्ताव

*10-डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी जहाँ कि 80 प्रतिशत असिंचित क्षेत्र है, किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु नहरें निकालने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

रैपुरा टैंक की क्षमता वृद्धि एवं निर्माणाधीन चरखारी पम्प नहर से चरखारी विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को कुल 1953 हे0 अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त जनपद महोवा के चरखारी क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु नई नहरें निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि इसके लिए जल उपलब्ध नहीं है।

जनपद कुशीनगर, बड़ी गण्डक नदी के बाढ़ से बचाव हेंतु कृत कार्यवाही

*11-श्री दीपलाल भारती-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बड़ी गण्डक-नदी के बाढ़ से बचाव हेतु कार्य समय से पूर्व कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ जिलाधिकारी जनपद कुशीनगर का पत्र सं0 275(1)/आपदा-2001, दिनांक 12 मार्च, 2001 मुख्य मंत्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम में सहायक लेखाकारों को पदोन्नति या सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा

*12-श्री गोमती यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी राज्य कर्मचारी/निगमकर्मी को अपने पूर्ण सेवाकाल में कम से कम दो पदोन्नति या प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार है? यदि हां, तो क्या राजकीय निर्माण निगम में चौबीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके सहायक लेखाकारों को अब तक एक भी पदोन्नति या सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त को नियमानुसार पदोन्नति/सेलेक्शन ग्रेड देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। फिलहाल राजकीय निर्माण निगम में चौबीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके ऐसा कोई सहायक लेखाकार नहीं है जिसकी पदोन्नति नहीं हुई हो।

प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नतियां नियमानुसार की गई हैं। सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं है।

सहायक लेखाकार का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 1986 के पूर्व रूपये 490-760 था और इस वेतनमान के पदधारकों को समता समिति, 1989 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 1230-2080 संस्तुत किया गया था जिस पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार करते हुए इस वेतनमान के पदधारकों को के लिए सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान की सुविधा समाप्त करते हुए वेतनमान रूपये 1230-2080 के स्थान पर रूपये 1350-2200 का वेतनमान स्वीकृत किया गया।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अम्बेडकर नगर के पिपरी चन्दौली मार्ग के निर्माण की माँग

1-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर में पिपरी चन्दौली मार्ग का निर्माण राज्य सेक्टर से वर्ष 1994-95 में स्वीकृत है और उक्त मार्ग के निर्माण हेतु मिट्टी ब्लैक ब्लास्ट का

संग्रह भी वर्ष 1999-2000 में करा लिया गया है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का अभी तक निर्माण करने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु आदेश प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

कि0मी एक एवं दो में मिट्टी का कार्य आंशिक रूप से हुआ है। पुनरीक्षित स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकर नगर के बरूआ जलाकी टाण्डा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य

2-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर में बरूआ जलाकी टाण्डा मार्ग के 4 थे एवं 5 वें कि0मी0 में लगभग 400 मी0 भाग अति जलभराव से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को ऊंचा करवाकर पुन: निर्मित कराने के आदेश प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत कार्य हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दिनांक 15-5-2001 को अता0प्र0सं0-17 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव,शारदा नहर की कतिपय रजबहो में टेल तक पानी पहॅुचाने की माँग

4-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर उन्नाव की पनहन, तेवरिया, तकिया, अकबरपुर माइनरों तथा पाटन रजबहा में क्या विगत पांच वर्षो से टेल तक पानी पहुंच पाया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उसकी टेल में पानी पहुंचाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

पनहन, तेवरिया, माइनर टीकर राजवहा से निकलती है। टीकर राजवाहा प्रणाली द्वारा प्रस्तावित सिंचाई की जा रही है। टीकर राजवाहा प्रणाली की नहरों का ऊपरी रींचो में प्रस्तावित से अधिक सिंचाई किये जाने के कारण टेल तक पानी पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है।

पाटन राजवाहा व उसमें निकलने वाली अकबरपुर व तकिया माइनर में इससे सम्बन्धित उन्नाव मुख्य शाखा में पानी की कमी रहने के कारण टेलो तक पानी पहुंचाना संभव नहीं है।

पानी की कमी के कारण टेलो तक पानी पहुंचाया जाना संभव नहीं है।

पानी की कमी के कारण।

जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को इण्टरमीडिएट तक की मान्यता दिये जाने की माँग

5-श्री राम विशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को जनहित में इण्टरमीडिएट तक की मान्यता देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हॉ।

मान्यता हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने के उपरान्त मान्यता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर में कतिपय नालों के कारण जल भराव रोकने हेतु नहर व नालों का प्रस्तावित निर्माण

6-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री`को जानकारी है कि तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में सजाई नाला बडबुरू नाला, जीरा भारी नाला तथा चा0 नाला की सफाई न होने से बरसात में जल भराव से कृषकों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों की सफाई करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी हाँ।

प्रथम चरण में नहर निर्माण एवं द्वितीय चरण में आवश्यकतानुसार नालों का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उत्तरांचल राज्य के लिए कार्य मुक्त आई0ए0एस0 अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रकरण

7-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 2000 से 27 जनवर, 2001 के मध्य कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों को उत्तरांचल राज्य के लिये कार्य मुक्त किया गया था? उक्त संवर्ग के कितने अधिकारियों को पुन: उत्तर प्रदेश में ही रिवर्स डैपुटेशन पर रख लिया गया है? क्या उत्तरांचल राज्य द्वारा उक्त अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में रखने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारियों को पदभार पुन: ग्रहण कराने का औचित्य क्या है?

श्री राजनाथ सिंह-

31।

14 अधिकारियों हेतु शासन ने दि0 11.1.2001 को रिवर्स डेप्यूटेशन के आदेश दिये थे। शासन के आदेश दि0 30.1.2001 द्वारा रिवर्स डेप्यूटेशन के आदेश वापस ले लिए गये।

जी नहीं।

रिवर्स डेप्यूटेशन के समस्त आदेश 31.1.2001 के पश्चात निरस्त है और इनके विपरीत वर्तमान में कोई पदभार ग्रहण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकर नगर ब्लाक अकबरपुर के ग्राम सिकन्दरपुर से कटुई सम्पर्क मार्ग के निर्माण की माँग

8-श्री दीप लाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर से कटुई तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग को 2 कि0मी0 को पिच कराने का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण करा लिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

9-श्री दीप लाल भारती-

[5 वें बुध के अ0प्र0स0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद मथुरा के किशोरी रमण इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में किशोरी रमण इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पंत्राक सी0एम0/वि0को0/एम-/34316/मथुरा/2000 दिनांक 24-5-2000 प्रमुख सचिव शिक्षा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मऊ के एम0एस0ई0 स्मारक प्रा0विद्यालय द्वारा अवैध मान्यता प्राप्त करने की जॉच

11-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मदरसा असगरियां मिफ्ताउल वलूम अतरसावां (योगीपुरा) जिला-मऊ के भवन को एम0एस0ई0 स्मारक प्राथमिक विद्यालय, अतरसावां जनपद मऊ के नाम से अवैध कब्जा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी/? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालेश्वर त्यागी-

मदरसा असगरियॉ मिफ्ताउल वलूम अतरसावॉ (योगीपुर) जिला-मऊ के भवन पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है बल्कि उक्त विद्यालय के भवन को दिखाकर एम0एस0ई0 स्मारक प्राथमिक विद्यालय, अतरसावॉ जनपद मऊ की अनियमित मान्यता प्राप्त की गयी है।

मान्यता समाप्त करने तथा जॉच हेतु आदेश दिए गये हैं। जॉचोपरांत दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, प्राइमरी पाठशाला मलसराय के सेवा निवृत्त प्रधान अध्यापक के पेंशन स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण

12-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राम देवी पत्नी स्व0 श्री चिरंजी लाल, सेवा निवृत्त प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला मलसराय मथुरा को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-34323/मथुरा/2000 दिनांक 24-5-2000 प्रमुख सचिव शिक्षा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हाँ।

राजाज्ञानुसार पारिवारिक पेंशन इनको देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव, निराला मार्ग के लोन नदी के ध्वस्त पुल के निर्माण की माँग

13-श्री कृपाशंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार निराला मार्ग उन्नाव पर लोन नदी का ध्वस्त पुल बनवाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव, इलाहाबाद, राजमार्ग के शेष भाग का चौड़ी करण करने की मांग

14-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिलग्राम उन्नाव इलाहाबाद राज मार्ग, लालकुआं से लेकर इन्द्रामऊ के मध्य अवशेष 6 कि0मी0 भाग को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त भाग को कब तक चौड़ा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के आवादी वाले गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की माँग

15-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोग निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2500 की आबादी वाले कितने गांवों को वर्ष 2000-2001 में मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु चयनित किया गया है? क्या ऐसे सभी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कुल छः ग्रामों को चयनित किया गया।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद शाहजहांपुर, नगर शिक्षा अधिकारी तिलहर के अधीनस्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मॉग

16-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगर शिक्षा अधिकारी तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अधीनस्थ स्वीकृत 74 शिक्षकों के पदों में से 30 पद इस समय रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों पर सरकार कब तक शिक्षकों की नियुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मथुरा, महर्षि दयानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोंख में पृथक से त्रिभाषा अध्यापक का पद सृजित किये जाने का औचित्य

17-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महर्षि दयानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोंख जनपद मथुरा में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पद सृजन करने एवं संस्कृत अध्यापक नियुक्त कराने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/ एम-/34205/मथुरा/2000 प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को दिनांक 21-5-2000 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हॉ।

शासनादेश संख्या-217/15-6-92-18-एस(7)/89 दिनांक 11 मई, 92 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय के मान्यता के समय स्वीकृत चार सहायक अध्यापकों के मूल पद में ही त्रिभाषा अध्यापक का एक पद भी मान्य किया गया है। पृथक से त्रिभाषा अध्यापक का अलग से पद सृजित किये जाने का कोई प्राविधान एवं औचित्य नहीं है।

जनपद हाथरस, क्षेत्र सिकन्दराराऊ के कतिपय ब्लाकों में सड़कों के मरम्मत हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

18-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ब्लाक-हंसायन और सिकन्दराराऊ में वर्ष 2000-2001 में सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया? उक्त धन से किन-किन सड़कों पर मरम्मत का कार्य कब-कब किया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु रुपये 43.56 लाख अवमुक्त किया गया।

उक्त धन से वर्ष 2000-2001 की अवधि में कुल रू0 42.23 लाख व्यय किया गया, जिसमें मार्गो पर किये गये नवीनीकरण का व्यय भी सम्मिलित है। उक्त धनराशि का व्यय निम्न सड़कों पर किया गया:-

ब्लाक सिकन्दराराऊ के मार्ग:-

1-देहली कानपुर मार्ग।

2-रतिभानपुर क़चौरा मार्ग।

3-अगसौली कचौरा।

4-पी0बी0 मार्ग गन्धरी शाहपुर महमूदपुर मार्ग।

5-पी0बी0 मार्ग नगला नाई ताहर।

6-अगसौली वाजिदपुर।

7-डी0के0 रोड से पीपलगांव से खुडआ मार्ग।

8-पीलीभीत-भरतपुर मार्ग।

ब्लाक हसायन के मार्ग:-

1-रतिभानपुर भैंकुरी मार्ग।

2-आगरा जलेसर सिकन्दराराऊ।
3-रति का नगला हसायन गडौला।
4-पीलीभीत-भरतपुर मार्ग।

जनपद रायबरेली, बछरावां / लालगंज में नहरों व रजबहों की पटरियों के सम्पर्क मार्गो को पक्का कराये जाने की मांग

19-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में नहर की पटरियों को पक्की कराये जाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या राजामऊ रजबहा जिला-रायबरेली की पटरी बछरावां लालगंज सम्पर्क मार्ग से कुन्दनगंज सम्पर्क मार्ग तक पक्की कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त नहर की पटरी पक्की करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत योजना वर्ष 1997-98 से प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 2000-2001 में समाप्त कर दी गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

चूँकि वित्तीय वर्ष 2000-2001 से योजना समाप्त कर दी गई है।

20-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[दिनांक 10.5.2001 को अता0प्र0सं0-1 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर श्री शिवमूर्ति दुबे बापू उपरोध महाविद्यालय लालगंज की मान्यता एवं वित्तीय सहायता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

21-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवमूर्ति दुबे बापू उपरोध महाविद्यालय, लालगंज, जनपद-मिर्जापुर की मान्यता/वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में कुलाधिपति/राज्यपाल के सचिव श्री जी0बी0 पटनायक का पत्र दिसम्बर, 1997 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में उक्त महाविद्यालय हेतु कुलाधिपति के विशेष सचिव का पत्र दिसम्बर, 1999 में प्राप्त हुआ था।

निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया पूरी न करने के कारण अनुदान नहीं दिया गया।

शासनादेश के अनुसार प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूलों के शिक्षकों/कर्मचारियों के संशोधित मकान किराये भत्ते के भुगतान की जानकारी

22-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के रिशक्षकों एवं कर्मचारियों को शासनादेश सं0-जी-1-526/दस-205-99/वित्त(सा0)/अनु0-1दिनांक 22.7.1999 के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई,मल्लावां क्षेत्र के ग्राम पंचायत के कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

23-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र जून,1999 के आधार पर 2500 की आबादी वाले सभी ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में मुख्य सड़क से जोड़े जाने के क्रम में क्या जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत करेहका चौगवां बिलग्राम छिबरामऊ रोड पर भ्योरा मोड़ से करेहका चौगवां तक रोड को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त मार्गो को मुख्य मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। करेहका चौगंवा ग्राम की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1479 है, जो 2500 से कम है।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के समस्त ग्रामों को वर्ष 2003 तक लेपित मार्ग से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़े जाने की योजना है।

जनपद उन्नाव, नवज्योति विद्या मन्दिर ग्राम दरेहटा के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा सम्बन्धी पत्र पर राज्यमंत्री, श्रम को सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24-श्री उदयराज यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बरखण्डी लाल वर्मा, प्रबन्धक नवज्योति विद्या मन्दिर, ग्राम दरहटा,मौरावां,जनपद-उन्नाव का विद्यालय भवन की सुरक्षा सम्बन्धी पत्र दिनांक 14.12.2000 माननीय राज्य मंत्री श्रम के पत्र संख्या-3084/रा0म0/ श्रम/2000 दिनांक 14-12-2000 के माध्यम से जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय राजस्व ग्रामों की वन भूमि पर हुये अवैध कब्जे को हटाये जाने की मॉग

25-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज वन क्षेत्र के पतुलकी, जैकर काढी भेड़ा केहुनिया सेमरी मगरदा, रानीवारी, अराजी सेमरा, सेमरा प्रताप बस्तरा, राजा डागरकेरी, धसड़ा आदि राजस्व ग्रामों में वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है? यदि हां, तो प्रश्नगत भूमि में किन-किन व्यक्तियों ने कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया है? क्या सरकार अतिक्रमण रोके जाने के लिये कोई उपाय कर रही है? क्या सरकार ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)-

जी हॉ।

प्रश्नगत क्षेत्र में कुल 53 व्यक्तियों ने 867 बीघा 19 विस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

जी हॉ। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक लालगंज के ग्राम पतुलकी में असेवित श्रीमती कुबेरा देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि की जानकारी

26-डा0 धमर्ज्ञ मिश्र-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के पतुलकी ग्राम में वित्तीय वर्ष 1996-1997 में असेवित श्रीमती कुबेरा देवी कन्या ऊच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? यदि हां, तो प्रश्नगत कन्या विद्यालय हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि अवमुक्त की

गयी? क्या यह सच है कि प्रश्नगत विद्यालय वर्ष 1997-98 से ही बन्द कर उसी भवन में कालीन बुनाई का कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय बन्द किये जाने के क्या कारण हैं? क्या अवमुक्त धन की रिकवरी की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

रूपया 5.00 (पांच) लाख।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में जैतीपुर तिलहर मार्ग के नवीनीकरण में की गयी अनियमितताओं की जॉच

27-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-6-2000 जो जनपद शाहजहांपुर में जैतीपुर तिलहर मार्ग के कि0मी0 2 व 3 पर कराये गये नवीनीकरण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-6-2000 उपलब्ध नहीं है किन्तु प्रश्न में उल्लिखित विषयगत शिकायत कर्त्ता का एक अन्य पत्र दिनांक 30-12-99 प्राप्त हुआ है, जिस पर मुख्य अभियंता, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बरेली से जॉच कराई गयी। जैतीपुर तिलहर मार्ग के कि0मी0 3 में लगभग 100 मी0 के कार्य के संबंध में संबधित अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है।

उ0प्र0 शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 में की जा रही अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मूलचन्द, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 28-9-2000 जो नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन में की जा रही अनियमितताओं की शिकायत से सम्बन्धित था सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

श्री अखिलेश अग्निहोत्री, अनुभाग अधिकारी का स्थानान्तरण नियुक्ति अनुभाग-3 से अन्यत्र कर दिया गया है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/1/97/का-1/1997, दिनांक 01.08.1997 में दी गयी व्यवस्थानुसार मा0 विधायक से उनके द्वारा की गयी शिकायतों की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा क्षेत्र मनकापुर के ऊंट घाट के पुल का पुनर्निर्माण कराने की मांग

29-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में उतरौला इलाहाबाद मार्ग के अंश मनकापुर नवाबगंज मार्ग पर किलोमीटर 46 पर बने ऊंट घाट का पुल

(लकड़ी) अत्यन्त जर्जर हो चुका है? क्या सरकार उक्त पुल का पुनर्निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। जर्जर पाइल लकड़ी के स्थान पर ईट का पक्का पोलर व एवमेंट बनाकर मरम्मत कराया गया है। ब्रिज की सामान्य स्थिति ठीक है। यातायात चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ब्रिज की सामान्य स्थिति ठीक है।

जनपद महराजगंज के राप्ती नदी के कतिपय तटबन्ध के कटान का कार्य शीघ्र कराने की मांग

30-विनोद मणि-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2000 में राप्ती नदी के कारमैनी रिगौली बेलसड तटबन्ध जनपद-महराजगंज में बेलसड गांव तथा ग्राम कानापार व धानी के पास तटबन्ध का कटान हो गया था? यदि हां, तो उक्त कटान को भरने तथा उसकी मरम्मत हेतु विभाग द्वारा कितने धन की मांग की गयी तथा कितनी धनराशि उवमुक्त की गयी? क्या शेष धन शीघ्र देकर सरकार बन्धे की कटानों को भरने का कार्य समय से पूरा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद महराजगंज में करमेनी रिगौली बेलसड नाम का कोई तटबन्ध नहीं है, बल्कि राप्ती नदी के बाँये किनारे पर बेलसड-रिगौली तटबंध नाम का एक 26.85 किमी0 लम्बा बाँध है, जिसके प्रारम्भ से 10.6 किमी0 तक का भाग जनपद महराजगंज में पड़ता है। उक्त बाँध वर्ष 2000 की बाढ़ में 3 स्थानों पर कट गया था।

उक्त कटान को भरने हेतु रू0 70.13 लाख की आवश्यकता के सापेक्ष रू0 6.00 लाख माह फरवरी, 2001 में अवमुक्त किया गया है।

शेष धन शीघ्र अवमुक्त कर कार्य समय से कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद, जौनपुर के राष्ट्रीय इण्टर कालेज सुजानगंज के प्रवक्ता श्री बैजनाथ श्रीवास्तव के सेवा निवृत्ति के पश्चात उनके अवशेषो का यथाशीघ्र भुगतान कराने की मांग

31-श्री तेज भान सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बैजनाथ श्रीवास्तव, प्रवक्ता-भूगोल, राष्ट्रीय इण्टर कालेज, सुजानगंज जौनपुर दिनांक 30 जून, 1988 को सेवानिवृत्त हुये थे? यदि हां, तो क्या उन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी या अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार उक्त भुगतान शीघ्र कराकर विलम्ब के कारणों की जांच कराकर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं।

आज तक नहीं।

श्री बैजनाथ श्रीवास्तव द्वारा विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में दिनांक 1.7.75 से 28.5.76 के कार्य काल में विद्यालय की विभिन्न मदों की रोकड़ बही वेतन बिल पंजिका एवं अभिदान की धनराशि सम्बन्धी अभिलेख विद्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण तथा श्री श्रीवास्तव द्वारा पेंशन

प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने एवं उनके द्वारा प्रबंन्धकीय अनुदान रूपया 4,556/= सम्बंन्धित मद में न जमा किये जाने के कारण। उपर्युक्त कारणो के निदानोपरान्त।

इस हेतु कोई कर्मचारी दोषी नहीं है अत: कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुराना विधायक निवास लखनऊ में आवास की सफाई सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

32-डा0 वेद प्रकाश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-2000 जो पुराना विधायक आवास सं0-1402 ए की कतिपय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

आवास संख्या-1402 की सफाई सम्बन्धी व्यवस्था को ठीक करा दिया गया है तथा श्री रामचन्दर, चौकीदार को वहां से हटा दिया गया एवं श्री विनोद, स्टोरकीपर को भविष्य के लिये सचेत कर दिया गय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर राम गंगा नदी पर पुल बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33-डा0 वेद प्रकाश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के स्यौहारा-जागीर ठाकुरदास मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार जनहित में उक्त पुल की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं,।

प्रश्न नहीं उठता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के किशनपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय रजबहों की सिल्ट सफ़ाई कराये जाने की जानकारी

34-श्री मुरलीधर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद-फतेहपुर में दरिया मऊ माइनर, भदोही माइनर, करारी माइनर, सरौलिया माइनर एवं कठेरिया माइनर की सिल्ट सफाई वर्ष 2000-2001 में करायी गयी है? क्या यह सही है कि उक्त की सफाई न कराकर फर्जी तौर पर सरकारी धन निकाला गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दरिया मऊ, भदौहा, सरोलिया एवं कठेरिया माइनरों पर वर्ष 2000-2001 में सिल्ट सफाई करायी गयी है। करारी माइनर (राजवाहा) पर सिल्ट का कार्य नहीं कराया गया।

यह सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि भौतिक सत्यापन माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है एवं टी0ए0 सी0 जांच हो चुकी है।

जनपद फतेहपुर, ब्लाक धाता में माइनरों की सिल्ट सफाई हेतु धन दुरूपयोग का कथित प्रकरण

35-श्री मुरलीधर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के ब्लाक धाता में धाता माइनर की सिल्ट सफाई वर्ष 2000-2001 में कितने किलोमीटर कराई गई है? क्या यह सही है कि लगभग 10 वर्षो से धाता माइनर में पानी ही नहीं गया है? क्या यह भी सही है कि सिल्ट सफाई के नाम पर फर्जी धन निकाला गया है? क्या सरकार उक्त की टी0ए0सी0 से जाँच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक धाता में धाता माइनर (राजवाहा) की सिल्ट सफाई वर्ष 2000-2001 में नहीं गयी करायी गयी।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ है।

जनपद, कौशाम्बी के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो का डामरीकरण

36-श्री इन्द्रजीत सरोज-

क्या सरकार को जानकारी है कि मूरतगंज राजापुर जिला कौशाम्बी का प्रमुख मार्ग है? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पी0डब्लू0डी0 द्वारा उपेक्षित होने के कारण टूट गया है? क्या सरकार कुम्हियावां से महेवा घाट तक उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक़? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश-

जी हां।

जी नहीं।

कि0मी0 25 से 31 तक (कुम्हियावां बाजार) का भाग सुधारा जा चुका है शेष भाग का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में दैनिक वेतन कर्मचारियों से चौकीदार का कार्य लिये जाने की शिकायत

37-श्री राम सेवक सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ0प्र0 में कितने चौकीदार के पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत सभी पदों पर चौकीदार कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि आयोग में चौकीदारों के होते हुये भी दैनिक वेतन कर्मचारियों से चौकीदारी का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है कि आयोग में 20-10-2000 को घटित आगजनी की तिथि को चौकीदारी पर दै0वे0 भोगी

कर्मचारी को तैनात किया गया था। यदि हां, तो अवधाता/केयर टेकर को आगजनी की सूचना किसके द्वारा तथा कब मिली? उनके द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में चौकीदार के कुल 07 पद स्वीकृत हैं।

जी हॉ।

जी हॉ।

लोक सेवा आयोग परिसर में 06 गेट, 04 बड़े भवन तथा 12 एकड़ भूमि में आवास स्थिति हैं, अत: मात्र 07 चौकीदारों से चौकीदारी का कार्य संभव न हो पाने के कारण आवश्यकतानुसार उनके साथ दैनिक-वृत्त कर्मचारियों को लगाया जाना अपरिहार्य है।

जी हॉ।

अवधाता को आगजनी की सूचना संबंधित भवन में तैनात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से प्रात: 5.05 बजे मिली।

अवधाता द्वारा सूचना प्राप्त होते ही सचिव को अवगत कराया गया तथा उपलब्ध संसाधनों में आग बुझाने की कार्यवाही की गयी। आगजनी की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के प्रोन्नति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-99 जो लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के 113 पदों पर प्रोन्नति करने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

चयन वर्ष 2000-2001 में विभाग में अधिशासी अभियन्ता की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति के संबंध में चयन की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, ब्लाक खीरों में सई नदी के भितरी घाट पर नया पुल निर्मित करवाने सम्बन्धी प्रकरण

39-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के ब्लाक खीरों के अन्तर्गत सई नदी के भितरी घाट पर बना पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घाट पर नया पुल निर्मित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। सई नदी के भितरी घाट पर कोई पुल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव, शारदा नहर खण्ड को गहरा कराने सम्बन्धी कथित प्रकरण

40-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1977 में शारदा नहर खण्ड उन्नाव को काफी गहरा कर देने के फलस्वरूप खेतों का लेवल ऊंचा हो गया है जिसके कारण लगभग 15000 हे0 भूमि असिंचित हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निदान हेतु कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1977 में शारदा नहर खण्ड, उन्नाव की किसी भी नहर को काफी गहरा नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, ब्लाक सतांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से बाधित आवागमन का कथित प्रकरण

41-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के ब्लाक सतांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें विगत तीन वर्षों के अन्दर बनाई गयी हैं उनमें जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन बाधित हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कब तक कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

42-श्री लालजी वर्मा

[दिनांक 22-3-2001 को अता0प्र0सं0-173 द्वारा उत्तरित]

जनपद फतेहपुर, विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में विगत वर्ष नहरों की सिल्ट सफाई में व्यय धनराशि

43-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर जनपद फतेहपुर में वर्ष 2000-2001 में कितने किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई करायी गयी तथा सफाई में कितनी धनराशि खर्च की गयी है? क्या यह सही है कि सफाई के नाम पर फर्जी तरीके से धन निकाला गया है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

74.007 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई कराई गयी तथा धनराशि रू0 8,59,613.00 खर्च की गयी है।

यह सही नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंकि प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ लखनऊ द्वारा जांच की जा चुकी है।

जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम झकही एवं दुबौली में बनी अपूर्ण पुलिया के निर्माण की माँग

44-श्री राम शंकर पाल-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के अन्तर्गत मुखलिसपुर पम्प कैनाल के बड़हलगंज माइनर पर ग्राम झकही एवं दुबौली के निवासियों के आवागमन हेतु बनी पुलिया जिसे दो वर्ष पूर्व

तोड़कर पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था, का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

उक्त अपूर्ण पुलिया का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण संतकबीर नगर से धन प्राप्त होने पर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, के ब्लाक सतांव के प्राइमरी स्कूलों में निर्धारित मानकों के अनुसार अध्यापक नियुक्त करने की माँग

45-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के ब्लाक सतांव में कितने प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं? क्या प्रत्येक स्कूल में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जनपद रायबरेली के ब्लाक सतांव में 76 प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें कुल 314 अध्यापक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रशिक्षित बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की कमी के कारण निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक नियुक्त नहीं किए जा सके हैं। इस कमी को दूर करने के लिए डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों के चयन की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद रायबरेली के ब्लाक सतांव में सई नदी पर लिफ्ट कैनाल योजना का कथित प्रकरण

46-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली के ब्लाक सतांव के अन्तर्गत सई नदी पर कोरिहर गांव के समीप लिफ्ट कैनाल बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है? और प्रश्नगत लिफ्ट कैनाल का निर्माण कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नं नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में लड़कियों की समुचित शिक्षा हेतु राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोलने की मांग

47-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव में कोई राजकीय कन्या डिग्री कालेज है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके कारण लड़कियों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक में एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोलेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांवा में कोई राजकीय कन्या डिग्री कालेज संचालित नहीं है।

रायबरेली में इन्दिरा गांधी राजकीय महिला डिग्री कालेज, डा0 भीमराव अम्बेदकर राजकीय महाविद्यालय, ऊँचाहार के अतिरिक्त 4 सहायता प्राप्त तथा 2 अनानुदानित महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं। अत: अन्य महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में सूख रहे शीशम के पेड़ों को काटने की अनुमति

48-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के सोलेहवा वन्यजीव प्रभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों द्वारा लगाये गये शीशम के वृक्ष सूख रहे हैं। यदि हां,तो क्या सरकार उक्त सूखे शीशम के पेड़ों को काटने हेतु छूट देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी हॉ।

वृक्ष संरक्षण, अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत शीशम वृक्षों को पातन अनुज्ञा प्राप्त कर काटने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर राप्ती नदी के कोड़रीघाट पुल को चालू कराने की माँग

49-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर स्थित राप्ती नदी के कोड़रीघाट पुल का शिलान्यास वर्ष 1991 में हुआ था? यदि हां, तो क्या वह पुल बनकर तैयार हो गया है? यदि हां, तो उक्त पुल यातायात के लिये कब तक चालू करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

निर्माण कार्य पुरा होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परीक्षा से वंचित हाई स्कूलों की सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षा

50-श्री तेजभान सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-3457/15-7-1(112)/2000 दि0 1 नवम्बर, 2000 द्वारा वर्ष 2000 में परीक्षा से वंचित रह गये छात्रों को धारा 9(4) के अधीन हाई स्कूल प्रयोगात्मक परीक्षा पुन: आयोजित किये जाने के निदेश सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को दिये गये थे? यदि हां, तो क्या प्रयोगात्मक परीक्षा करा ली गयी है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो उक्त प्रयोगात्मक परीक्षायें कब तक करा ली जायेगी?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

जी हॉ।

इन छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षायें इलाहाबाद में 25 तथा 26 फरवरी, 2001 को तथा लखनऊ में 26 फरवरी, 2001 को सम्पन्न करायी गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम पंचायत विरौरी में वन विभाग के पेड़ों की कथित बिक्री का प्रकरण

51-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विरौरी में वन विभाग द्वारा कितने हैक्टेयर में पेड़ लगाये गये थे? उनमें से कितने पेड़ों की बिक्री अब तक की जा चुकी है और कितने अवशेष हैं? क्या इस पुराने जंगल में छोटे मोटे पेड़ों को काट कर उसकी लकड़ी बेची जा रही है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर वन विभाग के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

ग्राम पंचायत विरौरी वन ब्लाक में वर्ष 1984 से 2000 तक कुल 66.50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया है।

उपरोक्त में से किसी भी पेड़ की बिक्री नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मथुरा की रबी फसल हेतु नहरों की सफाई सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की रबी फसल 1407 फसली (1999-2000) हेतु नहरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम/319/77/मथुरा/2000, दिनांक 10-3-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी, हाँ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से जाँच आख्या दिनांक 19.5.2001 को प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड रूदौली के ग्राम बरावा में ट्रंक ड्रेनों की सफाई की व्यवस्था

53-श्री मो0 मुकीम-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड रूदौली के ग्राम बरावा में स्थित हौदा तालाब गाटा संख्या 70 के जल निकासी हेतु लगभग पांच वर्ष पूर्व नाला का निर्माण कराया गया था? क्या यह सही है कि उक्त नाले की सफाई न कराये जाने के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल डूब जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। लगभग पांच वर्ष पूर्व एक लिंक ड्रेन का निर्माण कराया गया था। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पहले ट्रंक ड्रेनों की सफाई कराई जा रही है। इस सफाई कार्य से छोटी ड्रेनें भी लाभान्वित होंगी।

जनपद रायबरेली के राजामऊ रजबहा की सफाई हेतु आंवटित धनराशि के सत्यापन की जानकारी

54-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत राजामऊ रजबहा से निकलने वाले शब्जी माइनर जो कि इचौली तक जाता है, की विगत छ: वर्षो से सफाई नहीं करायी गयी है जिसके कारण नहर में अत्यधिक मिट्टी तथा अन्य सामग्री एकत्रित हो गयी है और जिससे प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जा रही है? क्या सरकार उक्त रजबहा की सफाई कराते हुये विगत छ: वर्ष में सफाई कार्य हेतु आवंटित किये गये धन की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, राजामऊ रजवाहा से निकलने वाली शब्जी माइनर जो कि इचौली तक जाती है, की सफाई विगत छ: वर्षो में वित्तीय वर्ष 97-98, 98-99, तथा 2000-2001 में कराई गयी है। वर्तमान में नहर में सिल्ट तथा अन्य कोई भी सामग्री एकत्रित नहीं है।

राजामऊ राजवहा की वर्तमान में सफाई की आवश्यकता नहीं है। आवंटित धनराशि के अन्तर्गत की गयी सफाई कार्यो का सत्यापन विभागीय मानको के अनुसार सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया गया है।

55-श्री अजय कुमार पोइया-

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में नियुक्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था

56-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत उप अभियन्ता (मास्टर रोल) की नियुक्ति/नियमितीकरण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के आरक्षण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक 20 सितम्बर, 1997 का पालन किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 1991 से अब तक निगम की वरीयता सूची संख्या-1831/एम-66/आर0एन0 एन0/94, दिनांक 17-9-94 में से कितने लोगों को उपर्युक्त कोटे के अन्तर्गत नियमित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में ज्ञानपुर मार्ग पर मार्ग निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

57-डा0 पूर्णमासी पंकज-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर के वि0ख0 भदोही में ज्ञानपुर भदोही मुख्य मार्ग पर पिपरिस से पचमहला बोल्डर तक 500 मी0 मार्ग लेपन हेतु वर्ष 1997-98 में एस0आर0वाई0 द्वारा लोक निर्माण विभाग को 1.50 लाख रूपया अवमुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 1.50 लाख की लागत के सापेक्ष केवल रू01.15 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी थी।

जी नहीं।

पूर्ण धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित सेतु निर्माण हेतु पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत पुलों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

59-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कालपी हमीरपुर राज्य मार्ग को ठीक कराने की मॉग

60-श्री श्रीराम पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कालपी हमीरपुर मार्ग एक प्रमुख जिला मार्ग है जो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पूरी तरह आवागमन के योग्य नहीं रह गया है? यदि हां, तो क्या इस मार्ग को स्टेट हाइवे में शामिल कर ठीक कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। मार्ग क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चालू है।

कालपी हमीरपुर मार्ग राज्य मार्ग घोषित किया जा चुका है। मार्ग को ठीक कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अवर अभियन्ताओं के चयन तथा नियुक्ति की माँग

61-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 जनवरी, 2000 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा 1665 अवर अभियन्ताओं (सिविल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल) का चयन किया गया है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति करके तैनाती की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

लोक सेवा आयोग से कुल 1057 अभ्यर्थियों (902 सिविल, 100 विद्युत एवं 55 यांत्रिक) की चयन सूची प्राप्त हुई है।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण सम्प्रति नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है।

जनपद बाराबंकी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेशों का पालन न करने विषयक पत्र पर जाँच कार्यवाही

62-श्री सरवर अली खां-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का फैक्स दिनांक 29-1-2001 जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा शिक्षा विभाग के नियमों तथा शासनादेशों का पालन न करने के सम्बन्ध में था, माननीय मुख्य मंत्री उ0प्र0 तथा उसकी एक प्रति जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हॉ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जॉच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक, एवं प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षा हेतु स्वीकृत पुस्तकों का विवरण

63-श्री सरवर अली खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित है? यदि हां, तो पाठ्यक्रम के अनुसार उक्त विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु कौन-कौन सी पुस्तकें स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हॉ।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस, श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज शेहई को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनवाने का प्रकरण

64-रामवीर उपाध्याय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हाथरस के श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज शेहई जनपद हाथरस को बिना जनपदीय शिक्षा समिति की सिफारिशों के इस वर्ष बोर्ड परीक्षा का परीक्षा केन्द्र बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिक संख्या-6247/2001 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19-2-2001 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, हाथरस द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार श्रीमती हरप्यारी देवी इ0का0 रोहई, हाथरस को वर्ष 2001 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र बनाया गया।

जनपद हाथरस, श्रीमती हरप्यारी देवी इ0का0 रोहई के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति विवरण के गबन की जॉच में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की माँग

65-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती हरप्यारी देवी इ0का0 रोहई हाथरस से प्रधानाचार्य द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में चार लाख उन्तालिस हजार एक सौ रूपये की छात्रवृत्ति की धनराशि का गबन किये जाने के प्रकरण में विगत छः माह पूर्व जांच करायी गयी है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट में प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया है? क्या सरकार दोषी प्रधानाचार्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

---

* (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ - 177 - पर।)

कराकर कार्यवाही करेगी? क्या इसी सम्बन्ध में श्री सुनहरी लाल सहायक अध्यापक का पत्र दिनांक 24-3-2000 सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली, ज्ञान भारती उ0मा0 विद्यालय पर परसदेवपुर में कार्यरत सभी वर्गो के कर्मचारियों को स्वीकृत वेतनमान का विवरण

66-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञान भारती उ0मा0 विद्यालय परसदेवपुर रायबरेली में मार्च 1989 में हाई स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक, शिक्षकों व कर्मचारियों के कितने पद किन-किन वेतनमानों में सृजित किये गये हैं? इन सृजित पदों के प्रति कितने शिक्षक कर्मचारी व प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल स्तर से कार्यरत थे जिन्हें हाई स्कूल स्तर का शिक्षक प्रधानाध्यापक व कर्मचारी मान्य किया गया था? उक्त विद्यालय में हाई स्कूल स्तर पर पद सृजन के पश्चात् कुल कितने शिक्षकों/कर्मचारियों को विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा रिक्त पदों के प्रति नियुक्त किये गये हैं? क्या इस प्रकार नियुक्त किये गये शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली द्वारा अनुमोदित/वित्तीय सहमति प्राप्त थी। यदि हां, तो नियुक्ति के कितने दिनों पश्चात् अनुमोदन/वित्तीय सहमति प्रदान की गयी थी?

डा0 नैपाल सिंह-

ज्ञान भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परशदेवपुर, रायबरेली में मार्च, 1989 में हाई स्कूल स्तर पर निम्नलिखित पद विभिन्न वेतनमानों में सृजित किये गये है:-

1-प्रधानाध्यापक-1	(वेतनमान रू0 6500-10500)
2-शिक्षक एल0टी0-2	(वेतनमान रू0 4500-7000)
3-शिक्षक सी0टी0-5	(वेतनमान रू0 4250-6400)
4-लिपिक-1	(वेतनमान रू0 3050-4590)
5-चतुर्थ श्रेणी-6	(वेतनमान रू0 2550-3200)

सृजित पदों के प्रति जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत 6 शिक्षक, 1लिपिक, 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 1 प्रधानाचार्य हाईस्कूल स्तर पर मान्य किया गया है।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में चौ0 गयादीन यादव उ0मा0 विद्यालय रैयापुर कुण्डा को जारी मान्यता की जाँच पर कृत कार्यवाही का विवरण

67-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक आई0वी0 मान्यता/536 दिनांक 23-6-98 द्वारा चौ0 गयादीन यादव उ0मा0 वि0 रैयापुर कुण्डा, प्रतापगढ़ को वित्तविहीन हाई स्कूल स्तर की मान्यता की प्रति जारी की गयी है? यदि हां, तो क्या संयुक्त शिक्षा

निदेशक इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद द्वारा 18-11-98 को इसकी जांच की गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच में मान्यता में दर्शाये गये सभी तथ्य फर्जी पाये गये थे? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हॉ।

जी हाँ।

जी हॉ।

प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी के ग्राम हरई के निवासियों द्वारा जल निकासी/ड्रेन निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

68-श्री कौकब हमीद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरई, स्माईपुर ब्लाक आजमगढ़ तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र, जो हरई इस्माइलपुर से सालेपुर पुसरी तक जल निकासी हेतु ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में था, श्री राम जग, सदस्य विधान सभा के उपरिपत्र के साथ माह दिसम्बर, 2000 में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त आख्या में बताया गया है कि जहां तक इन ग्रामों की जल निकासी का सम्बन्ध है, उसके लिए सुकहना ड्रेन पूर्व से ही निर्मित है।

शेष अन्य कार्य प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों से सम्बन्धित हैं। इसलिये सिंचाई विभाग से भिन्न कार्यो पर सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

69-श्री राम औतार शाक्य-

[6 ठे बुधवार में अता0प्र0सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी के देव भूमि विद्यालय बढ़ेसुर में अध्यापकों के पद पर योंगदान कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही के निर्देश

70-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देव भूमि विद्यालय बढ़ेसुर, सांडा जनपद मैनपुरी में अध्यपकों के पद पर योगदान कराने विषयक श्री कृष्ण कुमार एवं श्री फूलसिंह निवासी लहरा ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-2/41436/2001/दिनांक 16 जनवरी, 2001/मैनपुरी माध्यम से निदेशक बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हाँ।

सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के निर्णय दिनांक 24-9-99 के अनुपालन में परिषद के पत्र दिनांक 15-12-99 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी को निर्देश दिया गया है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा भी विद्यालय के प्रबंधक को निर्णय के अनुपालन हेतु निर्देश दिए गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के ज्ञान भारती उ0मा0 विद्यालय परसदेपुर में वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं की जॉच

71-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञान भारती उ0मा0 विद्यालय, परसदेपुर, रायबरेली द्वारा विद्यालय प्रबन्ध/प्रबन्ध तंत्र की वित्तीय व प्रशासनिक अनियमिताओं से सम्बन्धित ज्ञापन माह नवम्बर/दिसम्बर, 1999 में मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त की जांच करायी गयी? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

डा0 नैपाल सिंह-

प्रश्नगत ज्ञापन नहीं श्री सदन कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक ज्ञान भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परशदेपुर, रायबरेली का शिकायती पत्र दिनांक 11-11-99 प्राप्त हुआ है। जिस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ को जॉच करने के निर्देश दिये जा चुके है। जॉच आख्या गतिमान है।

जनपद मथुरा के श्री किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के समस्त शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

72-अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा के समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक सी0एम0/विको0/एम-/31222/मथुरा/2000, दिनांक 8-2-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हा, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हाँ।

अशासकीय सहायता प्राप्त एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एल0टी0 प्रशिक्षण समाप्त करके उक्त विद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद शासकीय सहायता तथा शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी मामलों ओर दावों का निपटारा किये जाने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु शासन स्तर पर सचिव एवं एकीकृत वित्तीय परामर्शदाता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दी है। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रि परिषद के आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं।

जिलाधिकारी आगरा के उटंगन नदी के धनौल कला घाट पर बांध निर्माण आदि के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र

73-श्री विजय पाल सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या अ-424210 दिनांक 19-1-2001 जो उटगन नदी के धनौला कलां घाट पर बांध निर्माण, खीरी नदी पर नया बांध बनाने तथा चंडीपुरा घाट पर बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था,जिलाधिकारी आगरा को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

खीरी नदी पर जल संचय बाधों की श्रृखंला बनाने की परियोजना प्रस्तावित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टांडा के0एस0टी0 इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक श्री रा0च0 लाल श्रीवास्तव के पत्र पर जॉच आख्या के अनुसार कार्यवाही की जानकारी

74-श्री विभूति प्रसाद निषाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा सितम्बर, 2000 को अपने पत्र संख्या 994/एस0टी0/द्वारा श्री रा0च0 लाल श्रीवास्तव सहायक अध्यापक, एस0टी0 इण्टर कालेज, टांडा के प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-2000 की जांच कर जांच आख्या उपनिदेशक शिक्षा फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को भेजी गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

जिलाधिकारी की आख्या पर संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद द्वारा तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर को चेतावनी दे दी गई है तथा सम्बन्धित अध्यापक को अपना आवेदन पत्र नियमानुसार पुन: प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बौद्ध परिपथ योजनान्तर्गत सड़कों के मानक के अनुरूप कार्य न कराने में दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही

75-श्री जय प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-4-94 से 31-3-1997 तक गोण्डा, बलरामपुर तथा बहराइच एवं श्रावस्ती जनपदों से होकर गुजरने वाले बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया था? क्या मानक के अनुरूप कार्य न कराने तथा शासन को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में तत्कालीन सहायक अभियन्ताओं के विरूद्ध सचिव लोक निर्माण द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जाँच समिति द्वारा बौद्ध परिपथ योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में अनियमितताओं, अधिकारियों के शिथिल पर्यवेक्षण एवं खराब गुणवत्ता के लिए 6 अधिशासी अभियंता, 12 सहायक अभियंता तथा 10 अवर अभियंता अन्तग्रस्त पाये गये, जिनमें से 03 सहायक अभियंता तथा 01 अवर अभियंता के सेवा निवृत्त होने एवं एक सहायक अभियंता की सेवा समाप्ति होने के कारण शेष 6 अधिशासी अभियंता, 08 सहायक अभियंता तथा 09 अवर अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। अनुशासनिक कार्यवाही में 2 अधिशासी अभियंताओं, तथा 4 सहायक अभियन्ताओं को दोषमुक्त पाते हुए उनके विरूद्ध प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

जनपद गाजीपुर, श्री शंकर बालिका इण्टर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत विषयक जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

76-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गौरी शंकर राम नवाब की फाटक, गायत्री नगर, गाजीपुर का पत्र दिनांक 14-2-2001 जो श्री शंकर बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी गाजीपुर, को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक श्री डी0सी0 पाण्डेय द्वारा उपरोक्त विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की

गयी है? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये कर्मियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा में गिरते भूगर्भीय जल स्तर को रोकने हेतु खारी / उटंगन नदी पर बांघों का निर्माण कराने विषयक प्रस्तावित परियोजना

77-श्री विजय पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में गिरते भूगर्भीय जल स्तर को रोके जाने हेतु खारी नदी व उटंगन नदी पर छः छोटे-छोटे बांघों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-2-2001 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

खारी नदी पर जल संचय बांधों की श्रृंखला बनाने की परियोजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में जिला योजना अन्तर्गत विगत वर्ष में व्यय धनराशि का विवरण

78-श्री विजयपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 2000-2001 जिला योजना के अन्तर्गत सड़क व पुलों के निर्माण हेतु शासन द्वारा लगभग 8 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी थी? यदि हां, तो क्या जिले के जनप्रतिनिधियों से निर्माण कार्य कराने हेतु मांगे गये प्रस्तावों के अनुसार निर्माण कार्य कराये गये? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद की विभिन्न विधान सभा क्षेत्रवार कितनी-कितनी धनराशि किन निर्माण कार्यों पर खर्च की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 2000-2001 में रू0 824.78 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया, इसमें अधिष्ठान व्यय निकालने के बाद रू0 648.26 लाख की बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू0 509.13 लाख की धनाशि दिनांक 1.4.2000 से पूर्व जिला योजना के स्वीकृत कार्यो हेतु तथा रू0 139.19 लाख की धनराशि नये कार्यो हेतु थी।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों में से 1000 से अधिक वाले ग्रामों के मार्गो के निर्माण कार्यो के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्मिलित किये जाने एवं 1000 से कम आबादी वाले कार्यो की स्वीकृति नाबार्ड-7 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

जनपद की विभिन्न विधान सभा क्षेत्रवार अधिनीत कार्यो पर धनराशि व्यय की गयी जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	व्यय की गई धनराशि
1-	बाह	62.40 लाख
2-	दयालबाग	72.20 लाख
3-	एतमादपुर	48.56 लाख

4-	फतेहाबाद	99.17 लाख
5-	आगरा पश्चिमी	8.33 लाख
6-	फतेहपुर सीकरी	90.88 लाख
7-	खेरा गढ़	118.13 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रूखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत विद्यालयों में बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को समायोजित करने सम्बन्धी कथित प्रकरण

79-श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद में कितने बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार हैं? उनमें से कितने को बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में समायोजित कर लिया गया है और कितने शेष हैं? शेष लोगों को समायोजित करने की शासन की क्या कोई नीति है? यदि हा, तो कब तक उन्हें समायोजित कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

बी0एड0 प्रशिक्षित अर्हताधारी अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय में नियुक्ति हेतु अर्ह, नहीं हैं। अत: समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फरूखाबाद में डा0 राम मनोहर लोहिया सेतु पर टोल टैक्स की वसूली का विवरण

80-श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया सेतु जनपद फर्रूखाबाद की लागत का कितना रूपया टोल टैक्स के रूप में वसूला जा चुका है और कितना शेष है? यदि शेष नहीं है, तो पुल पर अब तक कर की वसूली किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार वसूली रोकने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद फर्रूखाबाद के डा0 राममनोहर लोहिया सेतु की लागत का रूपया 368.10 लाख दिनांक 31-3-2001 तक टोल टैक्स के रूप में वसूल किया जा चुका है। दिनांक 1-4-2001 को सेतु पर रूपया 949.80 लाख की वसूली शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी सेतु की निर्माण लागत जब तक पूर्णरूप से वसूल नहीं हो जाती अथवा पथकर लगाने के प्रथम दिवस से 50 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती, तब तक पथकर वसूली समाप्त नहीं की जा सकती है। चूंकि प्रश्नगत सेतु की पथकर वसूली अभी पूर्णरूप से वसूल नहीं हुई है और न ही सेतु पर पथकर लगाने के प्रथम दिवस से 50 वर्ष की अवधि ही पूरी हुई है। अत: प्रश्नगत सेतु पर नियमानुसार पथकर वसूली समाप्त नहीं की जा सकती है।

जनपद फर्रूखाबाद में गड्डामुक्त सड़कों को ठीक कराने की माँग

81-श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नीति के अनुसार जनपद फर्रूखाबाद में कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है और कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना शेष है? क्या शेष सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद फर्रूखाबाद में मार्च, 2001 तक 28 सड़कों में 285.00 किमी0 लम्बाई में गड्डामुक्त कर दिया गया है। 230 सड़कों में से लगभग 457 किमी0 लम्बाई में गड्ढामुक्ति का कार्य शेष है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, पोस्ट बैरागल के ग्राम निलसी के श्री राम चन्द्र शुक्ल का गौरा सैफाबाद बांध में कृषकों की भूमि का मुआवजा सिंचाई विभाग से दिलाये जाने सम्बन्धी पत्र

82-श्री सुखबीर सिंह पुण्डीर तथा डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कृष्ण शुक्ल निलसी ग्राम शुकुलपुरा, पोस्ट बैरागल जिला बस्ती का शिकायती पत्र दिनांक 16-6-2000 जो गौरा सैफाबाद बांध में कृषकों की कृषि योग्य ली गयी भूमि का उचित मुआवजा भुगतान के संबंध में विशेष सचिव, सिंचाई विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में श्री राम कृष्ण शुक्ल के उक्त शिकायती पत्र की जांच करायी गयी। उपलब्ध जाँच आख्या के अनुसार श्री शुक्ल द्वारा देय प्रतिकर से अधिक के भुगतान की मांग न्यायोचित नहीं पायी गई क्योंकि उन्होंने वर्ष 1996 की दरों पर मुआवजा लेने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर में गढिया रंगीन मार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार की जाँच

83-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या लोक निमाण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-6-2000 या इसके आस पास प्रश्नकर्ता के क्षेत्र तिलहर शाहजहांपुर में फतेहगंज पूर्वी से गढिया रंगीन मार्ग को सही कराने में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर कया कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

प्रकरण की जॉच मुख्य अभियन्ता बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग से कराई गई है। जॉच में शिकायतें निराधार पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर के कतिपय मार्गो पर डाले गये पत्थर की जांच कराने विषयक शिकायती पत्र

84-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-4-2000 या इसके आसपास जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जौरा से टाटराबादवरी पसिद्धपुर मार्ग पर पड़े

पत्थर की जांच कराये जाने के विषय में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण की जॉच मुख्य अभियंता बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग से कराई गयी है। जॉच में शिकायतें निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सहायक अभियन्ता संघ परिमण्डल द्वारा मार्ग विकास नीति के अनुपालन विषयक शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र

85-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 14-12-2000 जोकि अध्यक्ष, सहायक अभियन्ता संघ परिमण्डल लखनऊ के संलग्न पत्र सहित मार्ग विकास नीति के अनुपालन विषयक शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

86-डा0 सरजीत सिंह डंग-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बलरामपुर में सूखे शीशम के पेड़ों को काटने की स्वीकृति

87-श्री बिन्दु लाल-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में शीशम के पेड़ काफी संख्या में सूख रहे हैं जिसको काटने के लिये परमिट न होने के कारण किसानों को बहुत परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्या किसानों के हित को देखते हुए इन सूखे पेडों को बिना परमिट के काटने के लिये सरकार विशेष सुविधा देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी हॉ। जनपद बलरामपुर में शीशम के पेड़ काफी संख्या में सूख रहे हैं। शीशम वृक्षों को काटने के लिये वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 यथा-संशोधित के अन्तर्गत पातन अनुज्ञा प्राप्त कर काटने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जी नहीं।

वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 यथा संशोधित के अन्तर्गत, पूर्वानुमति प्राप्त करके सूखे पेड़ों के पातन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जनपद बलरामपुर में, दो वर्षो में पौध रोपण हेतु उपलब्ध धनराशि का विवरण

88-श्री बिन्दु लाल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में गत दो वर्षो में वृक्ष लगाने के लिये किस-किस मद में कितना धन उपलब्ध हुआ है? उक्त धन से कितने पेड़ किस स्थान पर कितने क्षेत्र में लगाये गये तथा उस पर कितना धन खर्च हुआ? क्या उसका सत्यापन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जनपद बलरामपुर में गत दो वर्षो में पौध रोपण हेतु योजनावार उपलब्ध धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	योजना का नाम	उपलब्ध धनराशि (रू0 लाख में)
1998-99	सामाजिक वानिकी योजना	25.817
	औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण	34.735
	विश्व बैंक वानिकी परियोजना	4.00
1999-2000	सामाजिक वानिकी योजना	13.668
	औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण	21.967
	विश्व बैंक वानिकी परियोजना	4.800
	सुनिश्चित रोजगार योजना	4.12

उपरोक्त धनराशि में 916 हैक्टेयर क्षेत्र में 10,07,600 पौधे लगाये गये। स्थल का विवरण संलग्न+ है। उपरोक्तानुसार उपलब्ध धनराशि को ही वृक्षारोपण हेतु व्यय किया गया है।

उक्त वृक्षारोपणों का भौतिक सत्यापन समय-समय पर उपप्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकर के श्री भवानी भीख सिंह सार्वजनिक लघु माध्यमिक विद्यालय प्रीतपुर, में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच में दोषी अध्यापकों के विरूद्ध कार्यवाही

89-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भवानी भीख सिंह सार्वजनिक लघु माध्यमिक विद्यालय नरायणपुर, प्रीतपुर,(हीरापुर) जनपद-अम्बेडकर नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच श्री रियाज अहमद पुत्र श्री अयाज खां निवासी नरायणपुर प्रीतपुर के शिकायती-पत्र के आधार पर दिनांक 21-12-2000 को बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर एवं दिनांक 30-1-2001 को सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा की गयी है? यदि हां, तो जांच के आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

(क) जी हॉ।

(ख) दोषी पाये गये दो अध्यापकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर कटान भराई कार्य की जाँच में दोषी ठेकेदारों के देयकों से कटौती

90-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा गोरखपुर वाराणसी मार्ग के एकला कटान पर दिनांक 2-1-99 द्वारा कटान भराई कार्य की जांच में खराब व कटी-फटी बोरियों का प्रयोग किया जाना पाया गया था? क्या आयुक्त द्वारा उक्त जांच आख्या से अपने पत्रांक

+ छापा नही गया।

संख्या-2635-38 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को अवगत करा दिया गया है? यदि हां, तो दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

जी हॉ।

दोषी ठेकेदारों के देयकों से कटौती की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय मार्ग गोरखपुर के कार्य अधीक्षक द्वारा बिना टेण्डर सामानों की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

91-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-ए-1-2086/दस-96-15(I)86 वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक14 अक्टूबर, 1996 में निर्देश है कि निर्माण कार्य एवं मरम्मत से संबंधित सामान एवं अन्य सामान के क्रय हेतु रूपये 15,000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) के अधिक के सामान के क्रय के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या इसके विपरीत श्री उमाशंकर कार्य अधीक्षक, अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय मार्ग गोरखपुर ने अपने पत्रांक संख्या-1638/55 सी0 दिनांक 24-1098 द्वारा बिना टेण्डर कराये ही पचास हजार रूपये के आपूर्ति आदेश करने हेतु स्वयं को अधिकृत कर माह सितम्बर, 1998 व अक्टूबर, 1998 में कटानों की भराई के लिए ईटों के टुकड़े खाली बोरों, बांस, आलू, राबिस इत्यादि के सप्लाई आर्डर एक ही कटान पर एक ही आइटमों के लिये थे? यदि हां, तो टेण्डर के मूल्य स्टैम्प जमानत की धनराशि न मिलने से राज्य सरकार को कितने रूपये की क्षति उठानी पडी? क्या इसकी जांच महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ, किन्तु आपातकालीन स्थिति में शासनादेश सं0-392 एस0पी0(I)/18-7-76 (एस पी)/86 दिनांक 26-5-87 में सीधे क्रय हेतु रू0 50,000/- तक विभागाध्यक्ष को अनुमति देने का अधिकार है।

राप्ती नदी की भीषण बाढ़ से कटान रोकने एवं गोरखपुर शहर की सम्पर्क व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपातकालीन स्थिति में सक्षम अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) की अनुमति से आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ लोक निर्माण विभाग में, अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण का प्रकरण

92-श्री दीपलाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश संख्या-1-3-96 का-4/2000, दिनांक 30 जून, 2000 द्वारा स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित करने के बाद मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लगभग छः सौ अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश पारित किये थे? क्या उन अवर अभियन्ताओं की तैनाती भी कार्यकारी खण्डों में की गयी थी जिनके विरूद्ध विभागीय/टी0ए0सी0/सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच में वे दोषी पाये गये थे? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-9-2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

(क) जी हॉ।

(ख) ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है जिसमें किसी अवर अभियन्ताओं के जॉच में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यकारी खण्ड में तैनाती न किये जाने के आदेश के बावजूद स्थानान्तरण पर उसकी तैनाती कार्यकारी खण्ड में की गई हो।

(ग) जी हॉ, विभागीय जांच में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में अनियमितायें नहीं पायी गयी।

लोक निर्माण विभाग के कार्य अधीक्षक अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई (राष्ट्रीय मार्ग) गोरखपुर के लिए श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा के हुए स्थानान्तरण एवं उनके भ्रष्टाचार का कथित प्रकरण

93-श्री जय प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा का स्थानान्तरण कार्य अधीक्षक,अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई (राष्ट्रीय मार्ग) लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर जैसे कार्यकारी खण्ड में किया गया है? क्या इनके विरूद्ध विभागीय तथा सतर्कता जांच में यह टिप्पणी की गयी थी कि इन्हें गोरखपुर जनपद में पांच वर्षो तक नियुक्त न किया जाय ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद दिनांक 25-7-2000 को मार्ग कार्य के लिए विभागीय दर से कम दर पर प्राप्त हुई निविदाओं को निरस्त कर अखबारों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये बिना ही माह दिसम्बर, 2000 में उन्हीं कार्यो का ठेका टुकड़ों-टुकड़ों में टेण्डर नोटिस बनवाकर विभागीय दरों से कम दर पर अन्य ठेकेदारों को दिया गया जिससे शासन को लाखों रूपये की क्षति हुई? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता की जांच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

सतर्कता विभाग की संस्तुति में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

94-श्री राम औतार शाक्य तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह-

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

95-श्री अजय कुमार पोइया-

[दिनांक 22-4-2001 को अता0प्र0सं0-2 द्वारा उत्तरित]

जनपद कुशीनगर, छोटी गण्डक नदी के कप्तान गंज घाट पर पक्का पुल निर्माण कराने की माँग

96-श्री दीपलाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मा0 मुख्य मंत्री के पत्र सं0-सी0एम0/40930/कुशीनगर/2000, दिनांक 27-12-2000 के अन्तर्गत जिला कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी के कप्तानगंज घाट (रामजानकी घाट) पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु ड्रेन का निर्माण

97-श्री आलम बदी-

क्या सिंचाई को जानकारी है कि ग्राम चकजीपन खर्रासरस्तीपुर, हरई इस्माइलपुर, कोठा, अजगरा, छपरा सुल्तानपुर साल्हेपुर ब्लाक अजमतगढ़, तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव से इन गांवों के निवासियों को भारी क्षति उठानी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों की जल निकासी हेतु ड्रेन का निर्माण करायेगी? यदि हा, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। प्रश्नगत ग्रामों की जल निकासी हेतु सुकहना ड्रेन पूर्व से ही निर्मित है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी, विकास खण्ड मितौली के ज्वाला प्रसाद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

98-श्री मुरलीधर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित विकास खण्ड मितौली, जनपद खीरी में ज्वाला प्रसाद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी? क्या उक्त विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

असैवित विकास खण्ड, मितौली, जनपद खीरी में ज्वाला प्रसाद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

जी नहीं।

भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। विद्यालय भवन निर्मित होने एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त होने पर संस्था स्थापित हो सकेगी।

देवरिया कुशीनगर, पडरौना आदि मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने सम्बन्धी प्रकरण

99-श्री दीपलाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगें कि देवरिया कुशीनगर कसया पडरौना होते हुए छितौली बगहापुल तक सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव उ0प्र0 सरकार द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर डबल लेन मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड महोली के ग्राम गंगापुर के निकट नहर की टूटी पटरी का प्रकरण

100-श्री रमेश राही-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम गंगापुर के निकट बड़ी नहर की पटरी लगभग छः वर्षो से टूटी पड़ी है जिससे जनता का आवागमन में परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में नहर पटरी की मरममत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, यह तथ्य सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठाता।

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेंलरहा में प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर नया विद्यालय निर्मित करने सम्बन्धी प्रकरण

101-श्री मुरलीधर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर सेंलरहा के प्राथमिक विद्यालय भवन के दीवाल में पीपल का बड़ा वृक्ष उग आने से पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे विद्यार्थियों के जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के स्थान पर नया विद्यालय निर्मित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में निर्मित प्रा0 विद्यालय को हस्तान्तरित करने की जानकारी

102-श्री मुरलीधर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में सांसद निधि द्वारा निर्मित प्राथमिक विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर को हस्तान्तरित कर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त विद्यालय को कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायेगा?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम नरैनी के ससुर खदेरी नदी पर पुल निर्मित कराने सम्बन्धी प्रकरण

103-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार को जानकारी है कि 282 किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में ग्राम नरैनी से रायपुर भसरौल मार्ग विधायकनिधि के अन्तर्गत निर्मित है, किन्तु नदी पर पुल न बनने से जनता को आवागमन में कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग में पड़ने वाली ससुर खदेरी नदी में पुल निर्मित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ग्राम नरैनी से भसरौल मार्ग की लम्बाई 7 कि0मी0 है जिसमें 2 कि0मी0 मार्ग पूर्वाचल विकास निधि के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रोजेक्ट एवं ट्यूवेल कार्पोरेशन लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा निर्माणाधीन है। ससुर खदेरी नदी पर प्रश्नगत स्थल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 8 कि0मी0 दूरी पर तथा अप स्ट्रीम में लगभग6 कि0मी0 दूरी पर पुल निर्मित है अत: आवागमन में कठिनाई नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम जानिकपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

104-श्री मुरलीधर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर में 282 किशनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जानिकपुर खण्ड विकास असोधर में कोई प्राथमिक विद्यालय स्थापित है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालयों को स्थापना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

जनपद सिद्धार्थ नगर में मतावा तक मार्ग निर्माण सम्बन्धी कथित प्रकरण

105-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर में एफ0एम0डी0एस0 से मतावा तक 3.5 किलोमीटर का मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में कोटिया बाजार तक मार्ग निर्माण

106-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर में एफ0एम0डी0एस0 से कोटिया बाजार तक मार्ग बनाए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थ नगर में लोहटी तक स्वीकृत मार्ग निर्माण

107-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर में एफ0एम0डी0एस0 से लोहटी तक मार्ग बनाए जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

एफ0एन0बी0एस0 से लोहटी तक कुल लम्बाई 7.0 कि0मी0 है, जिसमें आरम्भ का 3.00 कि0मी0 पूर्व में लेपित है तथा शेष 4.00 कि0मी0 राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच/बाँदा, बौद्ध परिपथ योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण की जानकारी

108-श्री दीपलाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997 तक बहराइच बांदा मार्ग के किलोमीटर संख्या-56,57,58,59,60 में बी0यू0एस0जी0 का कार्य कराया गया था जो कि गुणवत्ता में कमी तथा मानकों के विपरीत होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर जनपद बहराइच के तत्कालीन दोषी अधिशासी सहायक अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बहराइच जनपद के निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग बहराइच द्वारा बौद्ध परिपथ योजना (बहराइच-बांदा मार्ग) के अन्तर्गत किमी0 57,58, एवं 59 में बी0यू0एस0जी0 का कार्य कराया गया था, उपरोक्त कि0मी0 के कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी। मानक के अनुरूप कार्य हुआ तथा उक्त किलोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के राष्ट्रीय मार्ग संख्या-29 के एकला कटान की जाँच के निर्देश

109-श्री दीपलाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री बादशाह सिंह सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र 14-2-2001 जो राष्ट्रीय मार्ग संख्या-29 के एकला कटान की जांच के संबंध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

शिकायती पत्र पर जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया तक मार्ग की मरम्मत का कार्य

110-श्री विजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के अन्तर्गत मनिहारी से जखनियां तक 15 कि0मी0 मार्ग का पुन: निर्माण कराये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-2/35318/गाजीपुर/2000, दिनांक 02-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

उपलब्ध संसाधनों से क्षतिग्रस्त मार्ग के आंशिक भाग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय के पास वीयर की दुकान आवंटन का कथित प्रकरण

111-श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय के पास राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वीयर की दुकान का आवंटन किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त दुकान का आवंटन किसी राज्य सम्पत्ति के नाम से है? यदि हां, तो किसके नाम से? क्या सरकार उक्त आवंटन को निरस्त करके दुकान से किराया वसूल करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

112-श्री दीपलाल भारती-

[दिनांक 9-5-2001 को अता0प्र0सं0-173 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर, जिला कारागार से एस0एन0जी0 मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का आवजा

113-श्रीमती गौरी देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में वर्ष 1998 में जिला कारागार से एस0एन0जी0 मार्ग का निर्माण कराया गया था? क्या उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कृषकों की अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ। इस मार्ग का निर्माण वर्ष 1988 से 1994 तक की अवधि में कराया गया।

जी नहीं।

पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत न होने के कारण।

पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होने के पश्चात मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

जनपद फिरोजाबाद बाईपास राष्ट्रीय मार्ग के कतिपय ग्रामों में वर्षा के पानी की निकासी हेतु टापा कट नाले का निर्माण

114-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि क्या जनपद फिरोजाबाद के नगर फिरोजाबाद बाईपास राष्ट्रीय मार्ग नं0-2 के उत्तर और फिरोजाबाद रजवाहा के दक्षिण के मध्य भाग के ग्राम दीदामई, नगला कोठी-लाडोवाली बगिया रामगढ़ न्यू रामगढ़ कश्मीरी गेट, अम्बेडकर नगर नगलाबरी नगला मिर्जा बड़ा, सन्तोषनगर, कैलाश नगर आदि ग्रामों के वर्षा के पानी और नाली, नालियों के पानी की निकासी हेतु कोई नाला बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि जल भराव से उक्त गांव डूब जाते हैं? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों की जल निकासी हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के नगर फिरोजाबाद बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-2 के उत्तर और फिरोजाबाद राजबाहा के दक्षिण में गांव कैलाशनगर, सन्तोष नगर, नंगला कोठी व न्यू रामगढ़ के वर्षा के पानी की निकासी हेतु टापा कट नाम से एक नाला बनाया गया है। ग्राम दीदामई, ताडोवाली बगिया, कश्मीरी गेट, रामगढ़, अम्बेडकर नगर, नगली बरी, नंगला मिर्जा बड़ा का अधिकतर क्षेत्र नाले से नीचा पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्रामों में जो ग्राम नाले से नीचे हैं इनके पानी की निकासी हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई कथित धांधली

115-श्री अफजाल अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/1-एम-2/39393/कुशीनगर/2000, दिनांक 15-10-2000 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई धांधली की जांच कराने का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है? यदि हां , तो उसके क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0 एम0 /वि0 को0 /-1-एम0 2/3839 /93/कुशीनगर/2000 दि0 5-10-2000 प्राप्त हुआ था।

विभागीय जॉच की जा चुकी है।

जांच में अवर अभिन्ताओं के स्थानान्तरण में अनियमितता नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम सनगांव को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की माँग

116-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार को जानकारी है कि किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में जी0टी0 रोड से ग्राम सनगांव जोड़ने हेतु स्वीकृत डामर मार्ग केवल ग्राम नथनपुर तक निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मार्ग को ग्राम सनगांव तक निर्मित करायेगी यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

स्वीकृत लागत में मात्र ग्राम नथनपुर तक ही मार्ग निर्माण का कार्य हो सका।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना में चयनित जिलों का विवरण

117-श्री मुरलीधर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से जिले चयनित किये गये हैं? क्या जनपद फतेहपुर को उक्त योजना में चयनित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शहरों/कस्बों का वर्षवार चयन किया गया:-

<u>वित्तीय वर्ष 1997-98 में-</u>

अतरौली (अलीगढ़), मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस,. गाजीपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, रामपुर,संभल (मुरादाबाद), शाहजहांपुर, बदॉयू, सीतापुर, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, देवरिया, पडरौना, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रूखाबाद, इटावा,मिर्जापुर, झांसी, उरई बांदा, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर।

<u>वित्तीय वर्ष 1998-99 में-</u>

फतेहपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, बदायूँ, फर्रूखाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, हापुड़ (गाजियाबाद), संभल (मुरादाबाद), चन्दौली, चित्रकूट, हरदोई खुर्जा (बुलन्दशहर), फिरोजाबाद, बागपत, भदोही, गोण्डा, संत कबीर नगर, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबाफूलेनगर), कौशाम्बी, कन्नौज, एवं भिन्गा, श्रावस्ती।

<u>वित्तीय वर्ष 1999-2000 में-</u>

झांसी, फैजाबाद, मोदीनगर (मेरठ), सीतापुर , उन्नाव, पीलीभीत, शामली (मुजफ्फरनगर), मुजफ्फरनगर, देवरिया, इटावा, पडरौना, एवं मऊ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में-

मुजफ्फरनगर, मोदीनगर, फिरोजाबाद, पीलीभीत, उन्नाव, सीतापुर, फर्रूखाबाद, इटावा, झांसी, मऊनाथभंजनएवं फैजाबाद।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा के क्षेत्र फतेहाबाद में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की माँग

118-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में 17 पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

वर्ष 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के लिए नहीं अपितु जनपद आगरा के लिए 17 पूर्व माध्यमिक विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में तीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना क्रमश: नगला बेहड़ सोहारी तथा गढ़ी जहानसिंह में की गई है। फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अवशेष असेवित क्षेत्रों में पूर्व माध्यमिक विद्यालय को स्थापना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद जौनपुर के बहुधन्धी इण्टर कालेज सोनहिता के सहायक अध्यापक के वेतन भुगतान के प्रकरण पर जाँच के निर्देश

119-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण पाल सिंह सहायक अध्यापक, बहुधन्धी इण्टर कालेज, सोनहिता जौनपुर के वेतन भुगतान एवं प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर पाल, विधायक उन्नाव का पत्र दि0 6-2-2001 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हॉ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी को जांच के निर्देश दे दिये गये है।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दशहरा से नगलिया टलकर तक सड़क का निर्माण कराने की माँग

120-श्री हरपाल सिंह-

क्या लाक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट सेक्टर में जी0टी0 रोड, ग्राम दशहरा से नगलिया टलकर नहर के पुल तक जनपद बुलन्दशहर में 1999 में स्वीकृत 6.60 कि0मी0 सड़क का शेष एक कि0मी0 भाग न बनाये जाने का क्या कारण है? उक्त सड़क के शेष भाग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मात्र 600 मीटर भाग में लेपन का कार्य धनाभाव के कारण शेष है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बुलन्दशहर ब्लाक अरनियां ग्राम नेभताबाद तक सड़क निर्माण

121-श्री हरपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांय सैड़ा ब्लाक अरनियां से ग्राम नेभताबाद जिला बुलन्दशहर तक विगत वर्ष विधायक कोटे से बनाई गई सड़क का शेष भाग ग्राम सैगड़ा के अन्दर लम्बाई लगभग 300 मी0 बना दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अधूरे कार्य का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम शंकरपुर शिवदासपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

122-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार को जानकारी हे कि किशनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर के ग्राम शंकरपुर शिवदासपुर ब्लाक धाता की आबादी 350 से अधिक है तथा 3 कि0मी0 दूरी पर कोई प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार शासन की नीति के अन्तर्गत उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

ग्राम शंकरपुर शिवदासपुर की आबादी 350 तक है किन्तु एक कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय शिवदासपुर से सेवित है।

वर्तमान मानक के अनुसार प्रश्नगत ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार में चकिया रोड को राज्य मार्ग घोषित करने सम्बन्धी पत्र

123-ई0 सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा0 राजेश कुमार मिश्र सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 17-1-2001 जो मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में स्थित "सरदार पटेल मार्ग चुनार में भभुआ वाया कैलहट-अदलहाट-चकिया रोड" को स्टेट हाइवे (राजमार्ग) की स्वीकृति प्रदान करने विषयक है, मा0 लोक निर्माण मंत्री व प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, को प्राप्त हुए हैं? क्या प्रश्नगत पत्र मा0 मंत्री के पत्रांक 453/वीआई0पी0/2001 दिनांक 29-1-2001 द्वारा प्रमुख सचिव को भेजा गया है? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

चूँकि प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से अपूर्ण है तथा राज्य मार्ग घोषित करने हेतु वांछित अर्हतायें पूर्ण नहीं हैं। अतएव वर्तमान में राज्य मार्ग घोषित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर "डी" कानपुर रोड, लखनऊ को सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने सम्बन्धी नियमों की जानकारी

124-श्रीमती विजमा यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "लखनऊ पब्लिक स्कूल" सेक्टर "डी"' कानपुर रोड, लखनऊ को शासन द्वारा किन-किन नियमों /प्रतिबन्धों के साथ मान्यता दी गयी थी? क्या यह सही है कि जिन नियमों/प्रतिबन्धों के साथ मान्यता दी गयी है, उसके विरूद्ध उक्त विद्यालय द्वारा छात्रों से अधिक फीस व अन्य शुल्क लिये जा रहे हैं? क्या सरकार जिन नियमों के अधीन मान्यता दी गयी है, उसके अनुसार विद्यालय न चलाने के कारण उक्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

शासन द्वारा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

इस विद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित प्रतिबन्धों का पालन न किये जाने की कोई सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पब्लिक स्कूल एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड में पूर्व से पढ़ रहे छात्रों से प्रत्येक वर्ष एडमीशन फीस लिए जाने का औचित्य

125-श्रीमती विजमा यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "लखनऊ पब्लिक स्कूल" सेक्टर "डी"' एवं "'आई" कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी लखनऊ में पूर्व से पढ़ रहे छात्रों से प्रत्येक वर्ष में एक बार एडमीशन के नाम पर फीस ली जाती है? यदि हां, तो क्या यह नियम विरूद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एडमीशन फीस लिये जाने के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं। ऐसा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

संस्था में प्रथम प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क अनुमन्य है।

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या विद्यालय पहासु बुलन्दशहर के भवन निर्माण की माँग

126-श्री हरपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीस वर्षो से संचालित, राजकीय कन्या विद्यालय पहासु बुलन्दशहर का भवन निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं?

उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु मार्च 1998 में रू0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत करके इस शर्त के साथ शिक्षा निदेशक के पी0एल0ए0 में रखी गई थी कि उक्त धनराशि का व्यय आगणनों के परीक्षणोपरान्त किया जायेगा। उक्त शर्त समयान्तर्गत पूर्ण न होने के कारण स्वीकृत धनराशि व्ययगत हो

गई और उसे राजकोष में जमा करने का आदेश वित्त विभाग द्वारा दिया गया परन्तु अभी तक उक्त धनराशि जमा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण वित्त विभाग के पुनः धनराशि स्वीकृत करने में असहमति व्यक्त की। चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु शिक्षा निदेशालय से पूर्व स्वीकृत धनराशि का रिफण्ड सर्टिफिकेट तथा नियोजन विभाग से परिव्यय प्राप्त करके वित्त विभाग की सहमति से धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ लोक निर्माण विभाग में भ्रष्ट अभियन्ताओं के सम्बन्ध में जानकारी

127-श्री अफजाल अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने दिनांक 28 अक्टूबर, 2000 को अपनी पहली समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग लखनऊ से विभिन्न जांचों से आच्छादित भ्रष्ट मुख्य अभियन्ताओं से लेकर अवर अभियन्ताओं की सूची मांगी थी? क्या यह सही है कि उस सूची में वी0पी0 बंसल, मुख्य अभियन्ता, श्री डी0के0 सिंह अधीक्षण अभियन्ता (ई-2) तथा श्री सी0डी0 राय अधिशासी अभियन्ता के नाम भी अन्य भ्रष्ट अभियन्ताओं के नाम के साथ प्राप्त हुए थे? यदि हां तो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2-से 4 के मूल नियम-56 तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 1-8-2000 के क्रम में पचास साल से अधिक उम्र वाले उपरोक्त अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, भ्रष्ट अभियंताओं की सूची नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता, चूँकि भ्रष्ट अभियंताओं की कोई सूची नही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर, ब्लाक पहासू के ग्राम भरथना के अधूरे सड़क का प्रकरण

128-श्री हरपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोटे से ब्लाक पहासू जनपद बुलन्दशहर से ग्राम भरथना तक बनाई गई सड़क को 200 मी0 सड़क ग्राम जान के अन्दर तक बना दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पहासू विकास खण्ड में भरथना तथा जान नाम का कोई ग्राम नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर, ब्लाक पहासु के कतिपय ग्रामों रजवाहे के नाले पर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव

129-श्री हरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर ग्राम सरभन्ना ब्लाक पहासु में पलड़ा रजवाहे का पुल तथा इसी रजवाहे का पुल तथा इसी रजवाहे पर ग्राम फजलपुर का पुल तथा कोल रजवाहें पर ग्राम जसरा ब्लाक अर्निया बुलन्दशहर व सैड़ा रजवाहे पर ग्राम नगलिया उदयभान व शाहपुर का पुल तथा सैगक पुल ब्लाक अर्निया तथा ग्राम दशहरा पर अलीगढ़ नाले का पुल विगत कई वर्षो से टूटे हुए हैं? क्या जनहित में उक्त पुलों का निर्माण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां, पुल क्षतिग्रस्त है।

पुलों की मरम्मत तथा निर्माण का प्राक्कलन बनाकर स्वीकृत किये जा चुके है। धन उपलब्धता के आधार पर पुलों की मरम्मत / निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय समयथान भीटी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच

130-श्री जन्मेजय सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-6-2000 जो गुलाब सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, समयथान भीटी, जनपद गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या क़ार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

जनपद गाजियाबाद की कतिपय सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव

131-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदियां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की देहरा-धौलाना-गुलावठी मार्ग जो एम0डी0आर0 है, चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद गाजियाबाद में डासना धौलाना गुलावठी मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत कार्य वर्तमान में स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज ग्राम धिमरी में अफसरैहा नदी से सड़क कटान रोकने विषयक प्रार्थना - पत्र

132-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2001 जो ग्राम धिमरी तहसील नवाबगंज के निकट अफसरैहा नदी पर पिचिंग लगाकर सड़क का कटान रोकने व नहर को चालू कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर रजवहा पहासु में टेल तक पानी पहुंचाने सम्बन्धी प्रकरण

133-श्री हरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजवाहा पहासु जनपद बुलन्दशहर में किसानों के लिए अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त रजवाहे की टेल तक कब तक पानी पहुंचाया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायीकरण की माँग

134-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग में कितने दै0वे0 कर्मचारी दैनिक वृत्त टंकक कार्यरत हैं? उनमें से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में सेवायें 10 वर्ष से अधिक हो गयी है? क्या मंत्री जी उक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

सम्प्रति लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 में 17 दैनिक वृत्त टंककों सहित कुल 133 दैनिक वृत्त कर्मचारी कार्यरत हैं।

समय-समय के अन्तराल में 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या 115 है।

जी नहीं।

नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जाती है। चूँकि आयोग में कार्यरत उक्त कर्मचारी नियमित नहीं हैं, अत: उनके स्थायीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद एटा, क्षेत्र सोरों में गंगा नदी के कटान को रोकने हेतु प्रारम्भ कार्य

135-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के सोरों विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के कटान के कारण बाढ़ आने पर लाखों एकड़ खेत जलमग्न हो जाते हैं और लोगों के घर गिर जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा नदी के किनारे बांध के निर्माण पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद एटा के सोरों विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सहबाजपुर के आसपास गंगा नदी के कटान से उक्त क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि एवं जनता की मांग पर उक्त ग्राम सहबाजपुर के पास 46.28 लाख की लागत से नदी पर कटाव निरोधक कार्य की एक योजना बनाकर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित कराई जा चुकी है। इस योजना पर धनावंटन भी इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गया है तथा कार्य आरम्भ करा दिया गया है।

जनपद एटा क्षेत्र सोरों के तुलसी जन्म भूमि सूकर को पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराने की जानकारी

136-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के तुलसी जन्म भूमि सूकर क्षेत्र, सोरों विधान सभा क्षेत्र जहां भगवान बराह का अवतार क्षेत्र है तथा वहां पर वर्ष भर मेले लगते हैं क्या वहां आने वाले लाखों लोगों को कोई पर्यटन सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे पर्यटन तीर्थ घोषित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक यादव-

जी हॉ। जनपद एटा में स्थित सोरों में पर्यटकों/श्रद्धालुओं की आवासीय सुविधा हेतु 16 शैयाओं का एक पर्यटक आवास गृह संचालित है।

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में स्वीकृत रू04.88 लाख की लागत से भागीरथी गुफा पर कमरा, बरामद, सीढ़ियों, खड़जे का निर्माण एवं हैण्ड पम्प लगाने का कार्य किया गया है।

जिला योजना वर्ष 1998-99 में स्वीकृत रू0 35.87 लाख की लागत से 12 दुकानें, कंक्रीट मार्ग, 8 यात्री छादकों का निर्माण, परिक्रमा पथ पर टाइल्स लगाने तथा प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया गया है।

किसी स्थल को पर्यटक तीर्थ घोषित नहीं किया जाता है, अपितु पर्यटकों के सुविधार्थ मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है।

जनपद एटा क्षेत्र सोरों के कतिपय गावों में बरसात के पानी निकासी की व्यवस्था की माँग

137-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के सोरों विधान सभा क्षेत्र के जाटों, अशोकपुर नोवती नाथुपुर बहादुर, कछैला शेरपुर पुरथरा आदि गांवों में पानी की निकासी न होने के कारण बरसात के दिनों में उक्त क्षेत्र में पानी भर जाता है तथा खेत पानी में डूब जाते है और मकान गिर जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं।

सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामों की जल निकासी का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

पश्चिमी क्षेत्र की पूर्व यमुना नहर की लिंक नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने पर सिंचाई शुल्क माफ करने का प्रकरण

138-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र की पूर्व यमुना नहर की लिंक नहरों में सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों के सिंचाई शुल्क को माफ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पश्चिमी क्षेत्र की पूर्वी यमुना नहर की लिंक नहरों में रबी 1408 फसली में सफाई कराई गयी है। इस वर्ष जल उपलब्धता अत्यधिक कम रही फिर भी उपलब्ध जल से अधिकांश टेलों पर जल पहुंचाया गया।

नहर के किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं हुई है, अभिलेखों के आधार पर सिंचाई कर नहीं लगाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपत बागपत, छपरौली क्षेत्र से किशनपुर विराल मार्ग हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

139-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र से किशनपुर विराल मार्ग के लिए किसानों की जमीन को अधिगृहीत किया गया था? यदि हां, तो क्या अधिगृहीतकी गयी किसानों की भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रारम्भ में भूमि रिक्वीजीशन के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्वीजीशन के माध्यम से प्राप्त प्रश्नगत भूमि के प्रैतिकर की स्वीकृति का विषय विचाराधीन है।

बांदा रेंज को पुर्नगठित कर अलग से नरैनी रेंन्ज/यूनिट बनाने का कथित प्रकरण

140-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बांदा रेन्ज को पुनर्गठित कर अलग से नरैनी रेन्ज/यूनिट बनाने हेतु क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों एवं विभागीय/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जुलाई, 1999 में अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जनपद-बाँदा में बाँदा रेंज को पुनर्गठित कर अलग से नरैनी रेंज/यूनिट बनाने हेतु क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों एवं विभागीय/प्रशासनिक अधिकारियों से जुलाई, 99 में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

इस संबंध में मा0 विधायक श्री बाबू लाल कुशवाहा के पत्र दिनांक 18-11-2000 एवं 22-2-2001 प्राप्त हुए थे।

चूँकि जुलाई, 99 में कोई पत्र इस प्रकरण पर प्राप्त नहीं हुआ अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

प्रश्नगत विषय पर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त से आख्या प्राप्त करके अवगत कराया गया कि बाँदा रेंज के अन्तर्गत नरैनी में सेक्शन अधिकारी तैनात हैं और सेक्शन सम्बन्धी सभी कार्य उनके द्वारा किये जा रहे हैं तथा जनता की समस्याओं का उनके द्वारा निस्तारण भी किया जा रहा है। इसलिए नरैनी में अलग से रेंज/यूनिट खोलने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदं मथुरा के राजकीय भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अड़ीग के उच्चीकरण करने की मांग

141-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित राजकीय भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अड़ीग के उच्चीकरण का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

उक्त विद्यालय का हाईस्कूल से इन्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था परन्तु उच्चीकृत करने हेतु निर्धारित मानक शर्ते पूर्ण न होने के कारण उच्चीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी। निर्धारित मानक/शर्ते पूर्ण हो जाने के उपरान्त परिव्यय की उपलब्धता तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके विद्यालय को उच्चीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिर खाना के ग्राम हलियापुर के सड़क के अवशेष कार्य की जानकारी

142-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद सुल्तानपुर तहसील मुसाफिर खाना के अन्तर्गत ग्राम हलियापुर (तिरहुत मोड़) से भड़भड़वा नाले पर बने पुल से (बाया फतेहपुर) जाने वाली सड़क की कुल

लम्बाई कितनी है और उक्त सड़क पर लेपन स्तर का कितनी दूरी का कार्य कराया जाना अवशेष है? क्या यह सही है कि लेपन हेतु मौके पर डामर मिक्स गिट्टी कार्फी अरसे से पड़ी है और लेपन कार्य न करवाकर आवंटित धनराशि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हड़प ली गयी है? क्या सरकार उक्त की जांच करा कर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 6 कि0मी0 है। जिसमें 2 कि0मी0 सड़क का लेपन स्तर का कार्य अवशेष है।

निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर ली गयी है लेकिन धनराशि के दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कार्य प्रगति पर है।

सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कतिपय आपरेटर्स को उच्चीकृत/वैयक्तिक वेतनमान के विवरण की जानकारी

143-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनु0-4 के पत्र सं0-832/20 ई0-4-1989 दिनांक 7 मार्च, 1989 द्वारा टेलेक्स आपरेटर/टेली प्रिन्टर आपरेटर/टेलीफोन आपरेटर को उच्चीकृत वेतन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या पुन: समता समिति उ0प्र0 1989 की संस्तुतियों पर पुनरीक्षित वेतन हेतु सचिवालय प्रशासन के पत्र सं01175/20-ई-1-92-620(3)/92 दिनांक 24 फरवरी, 1992 में उक्त सम्वर्ग को पुन: उनके वेतनमानों को वर्तमान पद धारकों के लिए 7-3-1989 से वैयक्तिक रूप से स्वीकार किया गया है? क्या सरकार यह बतायेगी कि उच्चीकृत वेतनमान व वैयक्तिक वेतनमान अलग-अलग समय में देने के क्या कारण हैं और इन दोनों वेतनमान में अन्तर क्या है? क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां।

समता समिति 1998 की संस्तुति पर विचार किये जाने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के अनुसार स्वीकृत किया गया है। 26 नवम्बर, 1988 से पूर्व सचिवालय के टंकक एवं टेलेक्स आपरेटर/टेलीप्रिन्टर आपरेटर/टेलीफोन आपरेटर एक ही वेतनमान में कार्यरत थे और दोनों की प्रोन्नति चक्रीय पद्धति के आधार पर अवर वर्ग सहायक पद पर होती थी। टास्क फोर्स कमेटी की संस्तुति पर सचिवालय के टंककों को 26 नवम्वर, 1988 से अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलीन कर दिया गया और उस समय की स्थिति के अनुसार उक्त आपरेटर की अवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नति बाधित हो गयी। इसी कारण शासनादेश निर्गत होने की तिथि (7.3.89) से उक्त आपरेटरों के पदो पर सचिवालय के अवर वर्ग सहायक का वेतनमान अनुमन्य कराया गया। बाद में समता समिति 1989 की संस्तुति पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु गठित (मुख्य सचिव) समिति की संस्तुति के आधार पर ही निम्नानुसार वेतनमान अनुमन्य कराया जा रहा है:-

पदनाम	वेतनमान	अभ्युक्ति
टेलेक्स आपरेटर/ टेलीप्रिन्टर आपरेटर/ टेलीफोन आपरेटर	950-1500	दि0-1.1.86 से दि0-6.3.89 तक
	1350-2200	दि0-7.3.89 से वर्तमान पद धारकों हेतु वैयक्तिक रूप से।
	1200-2040	भविष्य में नियुक्ति हेतु पद का वेतनमान।

स्पष्ट है कि इन्हें अवर वर्ग सहायक संवर्ग में न रखे जाने के निर्णय के आधार पर ही वर्तमान पद धारकों को अवर वर्ग सहायक का उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत किये जाने तथा इन पदों के कार्य एवं दायित्वों को देखते हुए भविष्य हेतु इन्हें 1200-2040 का वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया जो इनके दिनांक 1.1.86 के पूर्व के वेतनमान रू0 354-550 का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान रू0 950-1500 से उच्च है।

जनपद मैनपुरी में विगत वर्ष सड़कों को गडढ़ा मुक्त करने पर व्यय धनराशि का विवरण

144-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निमार्ण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में किन-किन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या उक्त सड़कें गड्ढों से मुक्त हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 2000-2001 में जनपद मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्ग सम्मुख अंकित लम्बाई में गड्ढा मुक्त किये जा चुके हैं:-

मार्ग का नाम	गड्ढा मुक्त की गई लम्बाई (कि0मी0)	व्यय (लाख रू0)
1.देहली कानपुरमार्ग	57.20	6.31
2.लिपुलेक भिण्ड मार्ग	21.00	4.54
3.इटावा मैनपुरी मार्ग	11.20	5.15
4.शिकोहाबाद भोगांव मार्ग	39.00	3.83
5.सिरसागंज किशनी मार्ग	27.00	5.55
6. करहल घिरोर मार्ग	04.00	0.16
7.मैनपुरी कुरावली मार्ग	17.80	1.23

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद एटा के विधानसभा क्षेत्र सोरों में कालेज खोलने की मांग

145-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सारों विधान सभा क्षेत्र एटा के अन्तर्गत कटरी क्षेत्र के 40 किलोमीटर क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय स्थापित है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की जनता की शिक्षा के लिए वहां हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज खोलने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?.

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

जनपद चित्रकूट के कतिपय मार्गों के निर्माण की माँग

146-श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में राजापुर कमासिन मार्ग से चिल्लीमल एवं अर्की विहरवां मार्ग से भदेहदू सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुए है? यदि हां, तो किस योजना से कितने कि0मी0 के? क्या उक्त सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? स्वीकित प्रदान करके उक्त सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज-6 योजना में दो मार्गों के 20 कि0मी0 लम्बाई हेतु।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं हो सका। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उ0प्र0 शासन द्वारा वी0आई0पी0 सरकारी गाड़ियों की मरम्मत हेतु आमंत्रित आटोमोबाईल की जानकारी

147-श्री अजय कुमार पोइया, श्री उबैदुर्रहमान तथा श्री प्रदीप कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निविदा संख्या-एम-3790/32-3-2000, दिनांक 5 जून, 2000 वी0आई0पी0 सरकारी गाड़ियों की मरम्मत हेतु जारी की गयी थी? यदि हां, तो उक्त निविदा में कितने आटोमोबाइल्स कम्पनी ने आवेदन किया तथा उसमें से किस आटोमोबाइल्स कम्पनी की न्यूनतम दरें थीं? क्या शासन द्वारा न्यूनतम दरों वाले आटोमोबाइल कम्पनी को कार्य करने हेतु आमंत्रित किया गया? यदि हां, तो न्यूनतम आटोमोबाईल कम्पनी का नाम क्या है? क्या यह सही है कि वर्ष 2000 के पिछले छः माह में एक वी0वी0आई0पी0 गाड़ी की एक ही दिन में तीन बार तीन स्थानों पर मरम्मत की गयी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

चार आटोमोबाईल फर्मो ने निविदा दिया था जिसमें से राज आटोमोटिव एवं मेसर्स अंजलि मोटर्स को निविदा दर न्यूनतम थी।

मेसर्स राज आटोमोटिव के विरूद्ध अत्यधिक बिलिंग के कारण जांच चलने के फलस्वरूप इसका प्रकरण स्थगित रखा गया था तथा मेसर्स अंजलि मोटर्स को ही कार्य हेतु आमंत्रित किया गया।

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट, नहर पट्टी डामरीकरण हेतु विगत वर्षो में अवमुक्त धनराशि का विवरण

148-श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर पटरी डामरीकरण योजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट वर्ष 1998-99 व 1999-2000 तथा 2000-2001 में कुल कितना धन दिया गया है? कुल कितने कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया गया? क्या उक्त योजना से वर्ष 1999-2000 में चित्रकूट जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुये थे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वित्तीय वर्ष 1998-99 में रू0 13.51 लाख, वर्ष 99-2000 में रू0 27.64 लाख धन दिया गया है। वर्ष 2000-2001 में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई।

कुल 7.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया गया।

जी हाँ।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद आगरा, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता श्री ख्याली राम अग्रवाल के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी पत्र

149-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री ख्याली राम अग्रवाल, अवर अभियन्ता, आगरा अन्वेषणालय, लो0नि0 विभाग के पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-/42490/मथुरा/2001, दिनांक 10-2-2001, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0 एम0/वि0 को0/एम0-42490 तो नहीं किन्तु पत्रांक-सी0 एम0/वि0 को0/एम0-42480/मथुरा/2001, दिनांक 10-2-2001प्राप्त हुआ है1

प्रश्नगत पद (सहायक अभियंता) लोक सेवा आयोग की परिधि का होने कारण नियमानुसार श्री राकेश कुमार अग्रवाल की मृतक आश्रित के रूप में इस पद पर नियुक्ति किया जाना संभव नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 सिविल सचिवालय के अवर वर्ग सहायक के कतिपय पदों को समाप्त कर प्रवर वर्ग सहायक के पद सृजित करने सम्बन्धी सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) के अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप पर क्रियान्वयन

150-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय के अवर वर्ग सहायक के पदों पर अवरोध (स्टेगनेशन) की स्थिति समाप्त किये जाने के उद्देश्य से अवर वर्ग सहायकों के 390 पदों को समाप्त कर इतने ही प्रवर सहायकों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2478/बीस-ई-5-1 (सृजन) 97, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 का क्रियान्वयन हो गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रसंगगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 का क्रियान्वयन करने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक, दिनांक 01.3.2001 में 390 प्रवर वर्ग सहायक के अधिसंख्यक पदों को, अवर वर्ग शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने हेतु "उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1999" के नियम-5 (1) में और चयन की कार्यवाही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से प्रवर वर्ग सहायक के पद बाहर रखते हुए "वन टाइम व्यवस्था" के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954" में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

यथा-शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी भदारीपुर मार्ग की गड्ढ़ा मुक्त सड़कों हेतु व्यय धनराशि के भौतिक सत्यापन की जानकारी

151-श्री श्रीराम पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में माह दिसम्बर, 2000 तक गड्ढा मुक्त किये गये मार्गों की सूचना प्रपत्र-3 (ख) में कालपी-मदारीपुर मार्ग पर 6.00 लाख रूपया व्यय करना दर्शाया गया है? यदि हां, तो क्या शासन स्तर पर गठित टी0ए0सी0 से कार्य का मूल्यांकन व भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद जालौन को वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में गड्ढा मुक्त दर्शायी गयी सड़कों का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन टी0ए0सी0 से कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गड्ढा मुक्त की गयी सड़कों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

जी नहीं।

क्योंकि वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में गड्ढ़ा मुक्त की गयी सड़कों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया गया है।

जनपद जालौन, लो0नि0 विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु मैक्स फाल्ट की आपूर्ति

152-श्री श्रीराम पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के लोक निर्माण विभाग के विभागीय निर्माण ईकाई को सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों के निर्माण हेतु मैक्स फाल्ट की आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि लोक निर्माण विभाग जिला जालौन के प्रान्तीय खण्ड विभागीय निर्माण इकाई द्वारा मैक्स फाल्ट मथुरा में ही बेंचकर जनपद में कम लाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

इस आशय की कोई सूचना/शिकायत शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी हमीरपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु धन आवंटन की मांग

153-श्री श्रीराम पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बालू/मौरम/गिट्टी खनन क्षेत्रों में निरन्तर भारी वाहन चलने से खराब व जर्जर हुए मार्गों के सुदृढ़ीकरण व मरम्मत के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? क्या जनपद जालौन के कालपी हमीरपुर मार्ग व कालपी राजमार्ग तथा कदौरा पथरेटा मार्गों के सुदृढ़ीकरण व मरम्मत हेतु धन आवंटित किया जायेगा? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर हमीरपुर मार्ग राज्य मार्ग घोषित किया जा चुका है। मार्ग को ठीक कराया जाना वित्तीय संसाधना की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर बेतवा नदी के राजघाट बांध से प्रदेश के कतिपय जनपदों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की जानकारी

154-श्री श्रीराम पाल-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद ललितपुर में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों के वित्तीय सहयोग से निर्मित राजघाट बांध से उत्तर प्रदेश के जनप्रद ललितपुर झांसी व जालौन के कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु अनुबन्ध के आधार पर पानी का बंटवारा कितना-कितना है? क्या वर्तमान रवी की फसल की सिंचाई हेतु उक्त जनपदों को पानी दिया गया है? यदि हां, तो कब से कब तक दिया गया? क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान रवी की फसल में अनुबन्ध को नकारते हुए उक्त बांध से पानी नही दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन की बेतवा नहर शाखा तथा कुठौध नहर शाखा को अविलम्ब पानी उपलब्ध कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

निर्मित राजघाट बांध से उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर झांसी व जालौन के कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु अनुबन्ध के आधार पर पानी का बंटवारा आधा-आधा है।

जी हां।

रवी की फसल की सिंचाई हेतु पानी दिया गया। पानी 8 अक्टूबर 2000 से 20-3-2001 तक दिया गया है। राजघाट बांध से पानी बेतवा रीवर बोर्ड द्वारा दिया जाता है तथा इस वर्ष भी पानी दिया गया है।

माह अक्टूबर 2000 से 20-3-2001 तक बेतवा मुख्य नहर तथा कुठोन्द नहर शाखा को पानी उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद, क्षेत्र रूदौली के घाघरा नदी के कटान से कतिपय ग्रामों को बचाने की मॉग

155-आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र रूदौली जनपद फैजाबाद के उत्तरी हिस्से में घाघरा नदी द्वारा प्रति वर्ष किये गये कटान से भीषण तबाही होती है? यदि हां, तो क्या सरकार पस्ता,सल्लाहपुर,उधरौरा कैथी, महगूं का पुरवा सड़री पसैया आदि दर्जनों गांवों को इस वर्ष कटान से बचाने हेतु वर्षा के पूर्व ठोकर बांध बनवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र रूदौली जनपद फैजाबाद के उत्तरी हिस्से में घाघरा नदी द्वारा नदी और गांव के बीच की जमीन घाघरा नदी की कटान से वर्ष 1999 से प्रभावित हो रही है। ग्राम पस्ता, सल्लाहपुर, उधरौरा पसैया आदि ग्राम रौनाही तटबंध के सुरक्षित क्षेत्र की ओर बसे हुये हैं। इन ग्रामों के निकट बांध को नदी की कटान से बचाने हेतु धन की उपलब्धता के अनुसार दो ठोकरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। परन्तु ग्राम कैथी, मंहगू का पुरवा, सड़री आदि नदी तथा रौनही तटबंध के मध्य फ्लड जोन में बसे होने के कारण उन्हें नदी की कटान से सुरक्षा प्रदान किये जाने की शासकीय नीति नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वरी प्रसिद्धपुर आदि मार्गों डामरी करण की जाँच

156-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद शाहजहांपुर के वरी प्रसिद्धपुर जौरावरी पारूदपुर मार्ग पर लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड द्वारा कराये गये डामरीकरण की जांच के सम्बन्ध में था, मा0 मुख्य मंत्री को दिनांक 5-12-2000 या इसके आस-पास प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 7-12-2000 को उन को भेजा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण की जॉच मुख्य अभियंता बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग से करायी गयी। जॉच में शिकायतें निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड रूदौली के कतिपय ग्रामों में गत वर्ष वृक्षारोपण हेतु व्यय धनराशि

157-आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली में वर्ष 2000-2001 में वृक्षारोपण हेतु वृक्ष खरीदने में कितना धन व्यय किया गया? क्या ग्राम सभाओं में इसकी वितरण लिस्ट बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा सरेठा, बरावां, भौली फिरोजपुर मकदूमी इचौलिया तथा भैंसोली में वितरित किये गये पौधों की वितरण सूची सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली में फैजाबाद वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 के वृक्षारोपण हेतु वृक्ष खरीदने में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है

चूँकि विभाग की पौधशालाओं की पौध से वृक्षारोपण कराया गया है। अत: पौध वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मण्डल में विषय विशेषज्ञ पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की माँग

158-श्री छब्बू पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0-395/15-7-99-1600 (559)/98 दिनांक 11-10-99 के अन्तर्गत लखनऊ मण्डल में विषय विशेषज्ञ पद के लिए साक्षात्कार जून, 2000 में हुआ था? यदि हां, तो क्या चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी? क्या उक्त चयन सूची को शासन ने निरस्त कर दिया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं।

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जॉच अधिकारी की जॉच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी।

जी हॉ।

विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्रों पर जॉच करायी गयी। जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच आख्या पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार विषय विशेषज्ञों के पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी प्रक्रिया एवं कार्यवाही को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दिया गया।

जनपद कुशीनगर के पडरौना अन्तर्गत कतिपय मार्गो पर लेपन स्तर तक पूर्ण कार्य

159-श्री दीप लाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद कुशीनगर अन्तर्गत पडरौना-छितौनी पिच-मार्ग के मध्य छितौनी बाई पास मार्ग को पिच कराने हेतु विगत तीन वर्ष से गिट्टी पड़ी है? यदि हां, तो पडरौना छितौनी रेलपुल तक बाईपास छितौनी अधूरी सड़क को कब तक पिच करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। यह मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के चिलीमल पम्प कैनाल की छमता बढ़ाने सम्बन्धी प्रकरण

160-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-10-2000 जो जनपद चित्रकूट के चिलीमल पम्प कैनाल की सिंचाई क्षमता बढ़ाने एवं उसका विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

चिल्लीमल पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि के लिये यमुना नदी से पानी लेने के लिये भारत सरकार के पत्र दिनांक 30-1-1990 के अनुसार गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से नयी परियोजनाओं के लिये जनवरी से जून तक जल का उपयोग करने पर प्रतिबंध है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अत: चिल्लीमल पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

जनपद मथुरा, राजकीय जिला पुस्तकालय के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

161-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जिला पुस्तकालय जनपद मथुरा के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्र सी0एम0/वि0को0/एम/42498/मथुरा/2001, दिनांक 12-2-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हॉ।

भवन मरम्मत एवं विस्तार का प्रस्ताव व आगणन चूँकि सुस्पष्ट, औचित्यपूर्ण एवं नियमानुसार नहीं था, अत: लोक निर्माण विभाग से भवन का निरीक्षण करवाकर भवन मरम्मत एवं विस्तार का प्रस्ताव व आगणन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के लक्ष्मण नगर अर्जुन नगर के श्री राकेश कुमार अग्रवाल को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की माँग।

162-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राकेश कुमार अग्रवाल, निवासी-11 लक्ष्मणनगर अर्जुन नगर आगरा को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-2/42631/मथुरा/2001, दिनांक 14-2-2001 औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

श्री राकेश कुमार अग्रवाल के पिता स्वर्गीय ख्याली राम अग्रवाल अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक आश्रित को यथाशक्य उसी विभाग में नौकरी देने की व्यवस्था है, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

जनपद आगरा, दोहरी घाट पम्प कैनाल की शाखाओं को मशीनरी ठीक कराकर पानी छोड़ने की व्यवस्था करने की मांग।

163-श्री राम नरेश यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दोहरी घाट पम्प कैनाल की मशीनरी विगत एक वर्ष से काम न करने के कारण क्या उससे संबंधित नहर तथा उसकी शाखाओं में सिंचाई हेतु पानी दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार आगामी फसलों की सिंचाई हेतु उक्त पम्प कैनाल की मशीनरी को ठीक कराकर उक्त नहरों में समुचित पानी की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दोहरी घाट पम्प नहर जनपद आजमगढ़ में नहीं बल्कि नव सृजित जनपद मऊ में है। वर्ष 2000 की बाढ़ में नदी की धारा दूर चले जाने, पम्प हाउस के सामने सिल्ट जमा होने तथा सिल्ट की खुदाई करके क्यूनेट बनाकर पम्प हाउस को पानी उपलब्ध कराने के लिए रखी गई मशीनरी (डीजल ड्रेजर) में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण संबंधित नहरों में विलम्ब से पानी दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, जिला योजना से विगत वर्षो में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण सम्बन्धी कथित प्रकरण

164-श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-12-2000 जो जनपद चित्रकूट को वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में जिला योजना से प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में विगत वर्षो में नहर पटरी डामरीकरण योजना की प्रदान की गयी स्वीकृति जानकारी

165-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-10-2000 जो जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में जिले से प्रस्तावित नहरी पटरी डामरीकरण योजना की स्वीकृति प्रदान कर वन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण एवं वर्ष 2000-2001 में नहर पटरी योजना समाप्त हो जाने के कारण स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के बिल्हौर इण्टर कालेज के प्रवक्ता श्री राम स्वरूप अम्बेश को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की मॉग

166-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम स्वरूप अम्बेश, कला प्रवक्ता, बिल्हौर इण्टर कालेज बिल्हौर कानपुर नगर को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्टक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम/42565/मथुरा/2001, दिनांक 13-2-2001 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हॉ।

जॉच कराकर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

जनपद आजमगढ़ के शिवली नेशनल कालेज में सम्पन्न परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक भेजने की जानकारी

167-श्री छब्बू पटेल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध शिवली नेशनल कालेज आजमगढ़ परीक्षा केन्द्र से एम0एस0सी0 (जूलोजी) के तृतीय समेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र का बैक पेपर परीक्षा दिनांक 1-10-91 को सम्पन्न हुई थी? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों को उनका प्राप्तांक सम्बन्धित महाविद्यालयों पर भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में अनियमितता का कथित प्रकरण

168-श्री श्रीराम पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा मित्र योजना के अन्तर्गत की जा रही नियुक्तियों में ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को अनदेखा कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर

नियुक्तियां किये जाने हेतु कोई शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या जनपद जालौन में शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन में शासनादेश संख्या 2604/15-5-99-282/98 दि0 26 मई, 1999 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 129 (1)/15-5-2000-282/98 दिनांक 01 जुलाई 2000 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्ताव सम्यक परीक्षणोपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद श्रावस्ती में जल निगम के विभागीय बजट को यू0पी0 स्टेट एग्रो को, जिलाधिकारी बहराइच द्वारा स्थानान्तरित किये जाने के प्रकरण पर कार्यवाही की माँग

169-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा शासनादेशों को उल्लंघन किये जाने पर उनको सरकार द्वारा दण्डित किये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 1468-38-5-55-26 बजट/99 दिनांक 5-4-1999 के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 155.67 लाख रूपया जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित जल निगम के विभागीय बजट को यू0पी0 स्टेट एग्रो को तत्कालीन जिलाधिकारी बहराइच द्वारा स्थानान्तरित किये जाने के प्रकरण में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 30-6-2000 पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 30.6.2000 पर आयुक्त देवीपाटन मण्डल से आख्या मांगी गयी। आयुक्त देवीपाटन मण्डल की आख्या प्राप्त हो गयी है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इ0का0 विशुनपुरा के प्रधानाचार्य के फर्जी कार्यो की जॉच

170-श्री बेचन राम-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इ0का0 विशुनपुरा गोरखपुर के प्रधानाचार्य जो दिनांक 30-6-2000 ई0 में सेवानिवृत हुए हैं इनके कार्य काल में फर्जी नियम विरूद्ध वेतन निकालने, बाढ़ के पैसे को पूरा वापस न करने, विद्यालय की वार्षिक पत्रिका न छपवाने, छात्रवृत्ति का घपला, कक्षा 8 के छात्रों के परीक्षा शुल्क न वापस करने आदि गम्भीर विषयों से सम्बन्धित माह अप्रैल व मई 2000 एवं माह अगस्त, 2000 ई0 से अब तक अलग-अलग जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर, संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर, डी0आई0जी0 व आई0जी0 आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ आदि को कितने पत्र साधारण व पंजीकृत डाक से प्राप्त हुए हैं? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

शिकायती पत्र दिनांक 13.8.2000 साधारण डाक से प्राप्त हुआ। शिकायती पत्र पर जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर से कराई गयी। जांच के निम्न निष्कर्ष निकलें।

1. प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित वेतन आहरित नहीं किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री चुल्हाई का वेतन उन्हे अवाकाश स्वीकृत कर आहरित किया गया जो सम्बन्धित कर्मचारी को भुगतान किया गया।
2. बाढ़ अवधि का वसूल किया गया वर्ष 98-99 का शुल्क विद्यालय के खाते में जमा किया गया है। इसे सम्बन्धित छात्रों को तुरन्त वापस करने अथवा अगले सत्र से ली जाने वाली फीस से समायोजित करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिए गये है।
3. वार्षिक पत्रिका शुल्क पत्रिका कोष में जमा किया गया है प्रधानाचार्य को तत्काल पत्रिका छपवाने के निर्देश दिए गये है।
4. छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यालय के खाते में जमा कर धनराशि सम्बन्धित छात्रो को चेक द्वारा वितरित की गयी है।
5. कक्षा 8 के छात्रों को परीक्षा शुल्क वापस किया गया है।

जनपद अलीगढ़ में आवंटित धनराशि गोण्डा सम्पर्क मार्ग निर्माण आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कराने की माँग

171-श्री बेचन राम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में छोटी बल्लभ से उत्तमपुर होते हुए गोण्डा सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग-11 के शासनादेश संख्या-2823 ई/23-लो0नि0-11-2000-4(6)ई/99, दिनाक 7 सितम्बर, 2000 अन्तर्गत कुल लागत 26.00 लाख रूपये के परिप्रेक्ष्य में रू0 10.40 लाख आवंटित किये गये थे? यदि हां, तो क्या 6 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल 1 कि0मी0 मिट्टी का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी उक्त सड़क को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं। माह मार्च, 2001 तक कराये गये कार्य की भौतिक प्रगति निम्नवत है:-

1.मिट्टी तथा पत्थर की सोलिंग कोट का कार्य-2 कि0मी0

2.पत्थर की टाप कोट कुटाई का कार्य-1 कि0मी0

3.पत्थर की टाप कोट का एककीकरण 1 कि0मी।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील मथुरा, की ग्राम सभा फोडर में कच्ची सड़कों को पक्का कराने की माँग

172-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम सभा फोडर ब्लाक गोवर्धन तहसील व जनपद मथुरा की कच्ची सड़कों को पक्का कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-1/21966/मथुरा/99, दिनांक 2 अप्रैल, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में नगलों हेतु मार्ग निर्माण का अनुरोध किया गया है। नगलों को पक्के मार्गों से जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा, गांधी इण्टर कालेज छाता को इण्टर की मान्यता

173-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी इण्टर कालेज, छाता जनपद मथुरा को धारा 9 (4) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान किय जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र ग-2-576648, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 13-12-2000 प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु इसी प्रकरण में दो अन्य पत्र क्रमशः दिनांक 15-5-2000 तथा 30-7-2000 प्राप्त हुआ है।

संदर्भगत विद्यालय को इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग की मान्यता के आदेश पत्र सं0-976/15-7-4 (565)/2000 दिनांक 31-3-2001 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति के मानक की जानकारी

174-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के कितने पद सृजित हैं और उन पदों पर भर्ती/नियुक्ति का क्या मानक है? विशेष कार्याधिकारी, सचिवालय प्रशासन की नियुक्ति क्या उक्त मानक के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्या उक्त नियुक्ति को निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

सचिवालय में वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी के 24 पद सृजित हैं। विशेष कार्याधिकारी के पद निःसंवर्गीय पद हैं, जिनपर नियुक्ति हेतु कोई संगत नियमावली या निर्धारित मानक नहीं है। कार्य विशेष के सम्पादनार्थ इन पदों का सृजन किया गया है तथा पद धारक की विशिष्ट योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर इन पदों पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

~~प्रश्न नहीं~~ उठता।

175-श्री प्रदीप कुमार-

[4 थे शुक्रवार में अता0प्र0स0-89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता सिंचाई श्री जलाउद्दीन महमूद के कथित भ्रष्टाचार की जाँच में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

176-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-133 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत प्रकरण की अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर द्वारा जांच पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो जांचोपरान्त दोषी सहायक अभियन्ता के विरूद्ध अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी, हाँ।

जांचोपरान्त दोषी पाये गये सहायक अभियन्ता के विरूद्ध शासन स्तर पर दण्ड का विनिश्चय कर लिया गया है। दण्डादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर के पीरगांव में शहीद रोशन सिंह स्मारक/तालाब सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

177-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-134 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत तालाब के सौन्दर्यीकरण की जो योजना का प्रस्ताव पर्टयन विभाग को दिनांक 16-12-97 को भेजा गया था क्या पर्यटन विभाग ने उक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है? यदि हां, तो क्या तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य शुरू कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक यादव-

जनपद शाहजहाँपुर तहसील तिलहर मो0 मोनहरा स्थित पीरगॉव तालाब (झील) के पर्यटन विकास हेतु दिनांक 16-12-97 को माननीय अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् तिलहर द्वारा एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव को जिला योजना 1998-99 हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उक्त प्रस्तावों में से पीरगाँव तालाब हेतु केवल विद्युतीकरण एवं पेयजल हेतु तथा शहीद रोशन सिंह स्मारक हेतु कुल रू0 5.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया। इस परिव्यय के विरूद्ध स्वीकृति के अन्तर्गत रू0 3.78 लाख से केवल शहीद रोशन सिंह स्मारक के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया।

जी नहीं।

स्वीकृत धनराशि व्यय की जा चुकी है। अन्य कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है।

जनपद गोण्डा के वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा द्वारा सेवा निवृत्त शिक्षकों को चेक से भुगतान कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

178-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र विधायक कोष्टक के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-2/36837 दिनांक 30-8-2000 के साथ जो वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा गोण्डा द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के चेक भुगतान न किये जाने के जांच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हॉ।

देबीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़गांव गोण्डा द्वारा चेक संख्या-04/43023 रू0 3200546=00 की समस्त धनराशियों का भुगतान दि0 3-2-2000 को करा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर के द0रा0ह0 आर्य कन्या इण्टर कालेज के इतिहास प्रवक्ता के रिक्त पद को भरने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

179-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है श्री कि द0रा0ह0 आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर में इतिहास प्रवक्ता का पद वर्ष 1999 के जुलाई माह से रिक्त चल रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त पद भरने के

सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-196755, दिनांक 17 जुलाई, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हॉ।

जी हॉ।

प्रवक्ता इतिहास का पद सीधी भर्ती का होने के कारण श्रीमती कुसुम सारश्वत की पदोन्नति नहीं की जा सकती!

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर, गैसड़ी में सिंचाई शुल्क की वसूली का आधार

180-श्री बिन्दु लाल-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सींचपाल को बहुउद्देशीय कर्मचारी बनाने के कारण सिंचाई व पड़ताल का कार्य प्रभावित हुआ है? क्या कई स्थानों पर पड़ताल न होने के कारण मनमाने ढंग से सिंचाई शुल्क की वसूली की जा रही है? क्या गैसड़ी जनपद बलरामपुर की नहरों से की गई सिंचाई की पड़ताल की गई हैं? यदि हां, तो किसके द्वारा? यदि नहीं, तो सिंचाई शुल्क किस आधार पर लगाया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

हां, लेखपालों एवं बहुउद्देशीय कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला के कतिपय विकास खण्डों में प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को राशन कार्ड वितरण की जॉच

181-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्री दत्तगंज व गैडास बुजुर्ग, उतरौला में प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को दिये जाने वाले राशन के फर्जी वितरण की जांच कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-2/31554 गोण्डा दिनांक 22-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं।

किन्तु इस प्रश्न के संदर्भ में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर द्वारा जॉच कराई गई जिसमें अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व ब्लाक चन्दौली में कर्मनाशा नदी पर पुल के पुनर्निर्माण का कथित प्रकरण

182-ई0 सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के ब्लाक चन्दौली के अन्तर्गत धरौली-सवैया मार्ग पर ग्राम सवैया के निकट कर्मनाशा नदी पर निर्मित पुल लगभग तीन साल पूर्व पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पुल का पुनर्निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। प्रश्नगत पुल कर्मनाशा नदी पर नहीं बना है, बल्कि ग्राम सवैया के निकट कर्मनाशा नदी में गिरने वाली केराय गांव ड्रेन पर कर्मनाशा नदी के संगम से लगभग 100 मीटर ऊपर निर्मित था। यह पुल वर्ष 1995 की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। सिंचाई विभाग द्वारा इस पुल के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के ग्राम बनकट जमीने छनौरा को पक्के मार्ग से जोड़ने की जानकारी

183-डा0 पूर्णमासी पंकज-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदासनगर भदोही के अम्बेडकर ग्राम बनकट जमीने छनौरी को जोड़ने हेतु वर्ष 1997-98 में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा लोक निर्माण विभाग को गोपीगंज भदोही से बनकट जमीने छनोरा मार्ग 1.80कि0मी0 के निर्माण हेतु 5.12 लाख रूपया अवमुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

रू0 5.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

प्रश्नगत धनराशि से 1.50 कि0मी0 लम्बाई में कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण करके ग्राम बनकट जमीने छनौरा को पक्के मार्ग से जोड़ दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूवचनायें पढ़ी हुई मानी गई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से .....

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है बनारस में .....

कुवंर रेवती रमण सिंह-

एक जो हमने दिया है .....

श्री अध्यक्ष-

अपने क्रम से आने दीजिए, अभी नियम- 300 भी है, 301 भी है।

(श्री अध्यक्ष के आश्वासन के उपरान्त खड़े सदस्य अपने-अपने आसन पर बैठ गये।)

आज दिनांक 22 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद बांदा के ग्राम अनथुआ में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित किसानों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल कुशवाहा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के ग्राम अनुथवा तहसील अतर्रा में दिनांक 25 व 26-4-2001 को विद्युत तारों से उत्पन्न आग से खलिहान में रखा 51 किसानों का

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गल्ला जलकर राख हो गया है जिसकी सूचना ग्राम प्रधान के माध्यम से थाना पुलिस अतर्रा व फायर ब्रिगेड बांदा तहसीलदार अतर्रा, उपजिला अधिकारी अतर्रा को दी गयी है। उनकी सम्पूर्ण फसल जल जाने से किसान तबाह व बर्बाद हो गये हैं उनके खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी उनको न तो अब तक अहेतुक सहायता प्रदान की गयी है और न ही फसलों का मुआवजा दिये जाने संबंधी कोई कार्यवाही की गयी है जिससे किसानों में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अत: श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में मार्गो की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है जैसे जियनपुर-आजमगढ़ मार्ग, अजमतगढ़-दोहरीघाट (बाजार बखालीस में) महराजगंज-जियनपुर-मुबारकपुर मार्ग, अंजाम शहीद-हाजीपुर मार्ग, महुला-गढ़वल बंधा मार्ग, रौनापार-अमिला मार्ग, उक्त सभी मार्गो पर वाहन का चलना कठिन हो गया है। यहां तक कि साइकिल व पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बाजारों में यह स्थिति हो गयी है कि अभी से पानी लगा हुआ हे जिसके कारण आये दिन पैदल व साइकिल से चलने वालों के ऊपर वाहनों से गंदे पानी की छीटें ऊपर आते हैं। बरसात के दिनों में ये रास्ता चलने लायक नहीं रह जायेगा, साथ ही और अधिक पानी भर जायेगा1 इससे वहां की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे मांग करता हूँ कि उक्त मार्गो को अविलम्ब पुनर्निर्माण कराने हेतु संबंधित लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ के अधिकारियों को आवश्यक करने का कष्ट करें]

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनर्निमाण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वसीम अहमद-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर अजमतगढ़ की सभी जिला मार्ग क्षत विक्षत है जैसे आजमगढ़ विलरियागंज मार्ग श्री नगर से विलरिया तक पूरी-पूरी ध्वस्त हो गई 5 किमी0 की रफ्तार से भी वाहन नहीं चल पा रही है इसी प्रकार जीयनपुर विलरिया गंज मार्ग परशुरामपुर बाजार, कप्तागंज बाजार कन्थरापुर बाजार, भीमपुर बाजार बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। बार-बार लोक निर्माण के निरंकुश अधिशासी अभियन्ता को लिखने कहने पर भी इसको बनवाया नहीं जा रहा है पिछली बरसात से ही यह हाल है अब की एक महीने बाद बरसात में आवागमन बिल्कुल रुक जायेगा जनमानस में आक्रोश व्याप्त है जनता आन्दोलित है। बड़ी ही भयावह स्थिति है।

आपसे अनुरोध है इन सड़कों की दुर्दशा को देखते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल को देखते हुए आजमगढ़ लोक निर्माण विभाग को बंनवाने का आदेश करने का कष्ट करें।]

जनपद आजमगढ़ की ग्रामसभा मंझारी के पास एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुए यह बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मंझारी बाजार के आस-पास के लगभग 50 गांव ऐसे है जहां विद्युत वोल्टेज बहुत ही कम है। क्योंकि वहां 20 किमी0 के अन्तर्गत कोई भी विद्युत सब स्टेशन नहीं हैं पुरानी

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिजली की लाइनें हैं। प्राय: अत्यधिक विद्युत भार के कारण लाइनें क्षतिग्रस्त रहती है। सोफीपुर विद्युत सब स्टेशन उक्त स्थान से लगभग 20 कि0मी0 एवं फूलपुर विद्युत सबस्टेशन लगभग 25 किमी0 है दूरी अत्यधिक होने के कारण प्राय: विद्युत अवरूद्ध हुआ करता है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता रहता है। मंझारी बाजार के पास तक विद्युत सब स्टेशन के बन जाने से उस क्षेत्र के पचासों गांव विद्युत की समस्या से उबर सकेगे तथा पिछड़ी एवं गरीब जनता भी अपना कृषि कार्य एवं दैनिक कार्य सुचारू रूप से चला सकेंगी।

अत: माननीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि आजमगढ़ विधान सभा में मंझारी बाजार के पास एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाय जिससे क्षेत्रीय जनता अपना कार्य सुचारू रूप से करं सके।]

जनपद उन्नाव के ग्राम सरैया तथा मझरिया के मध्य सई नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव तथा जनपद लखनऊ की सीमा के मध्य सई नदी पर पुल न होने के कारण विकास खण्ड असोहा के लगभग 50 ग्रामों के निवासियों को अपने कार्यो हेतु क्षेत्र पंचायत कार्यालय तथा तहसील मुख्यालय जाने हेतु कोई सीधा सम्पर्क मार्ग नहीं है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को लगभग 40 कि0मी0 की दूरी का चक्कर काटकर जाना पड़ता है न ही उक्त क्षेत्र के लोग कोई व्यवसाय ही कर सकते है। ग्राम सरैया तथा मझरिया के मध्य सई नदी पर सेतु निर्माण होने से जहां लखनऊ और उन्नाव जनपद जुडेंगे वही उक्त क्षेत्र के किसानों छात्रों तथा अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान भी सम्भव हो सकेगा।

अत: अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूँ कि सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।]

जनपद बाँदा के ग्राम रामपुर मजरा उजमरा डेरा में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण में धांधली की जॉच कराकर दोषीजनों से सरकारी धन की वसूली किये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत ग्राम रामपुर मजरा उजारा डेरा में प्रा0पा0 भवन निर्माण हेतु वर्ष 99-2000 में ग्राम पंचायत रामपुर को धन आवंटित किया गया था कार्यदायी संख्या ने मात्र पायलिंग व बीमा करवा कर छोड़ दिया है तथा खाते से पैसा हस्तान्तरित कर लिया है विद्यालय न होने से उजारा डेरा के बच्चे बरबाद हो रहे है। वर्तमान प्रधान द्वारा बताया गया है कि पूर्ववर्ती प्रधान ने पैसा निकाल लिया है निर्माण कार्य नहीं कराया है। दोषी पूर्व प्रधान से धन की वसूली कर विद्यालय भवन का निर्माण न कराये जाने से जनता में आक्रोश व्याप्त है।

श्रीमान् जी से अनुरोध है कि भवन निर्माण में की गई धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी से धन की वसूली एवं शीघ्र भवन निर्माण कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद एटा के नौरी करमण आदि ग्रामों में इन्दिरा आवास में की गई व्यापक अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

[महोदय, जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत ग्राम नौरी, उतरना करमपुर, गढ़िया, सनौटा आदि में इन्दिरा आवास में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा व्यापक स्तर पर अनियमितता होने के

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण अधिकांश लाभार्थियों से स्वीकृत धन का सम्पूर्ण भाग न दिया जाकर कटौती होने के कारण आवासों का निर्माण अभी भी मानक के अनुरूप पूर्ण नहीं हो पाये है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए जांच की मांग करता हूँ।]

श्री अध्यक्ष-

डा0 पूर्णमासी पंकज की सूचना अस्वीकार की जाती है।

प्रश्नों के उत्तर बार-बार टाले जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मई, 2001 को नियम-300सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी जी की है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैने विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के प्रथम मंगलवार को अतारांकित प्रश्न के माध्यम से राय कन्या इंटर कालेज का विषय उठाया था जिसका उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। विधान सभा में प्रश्नों के सम्बन्ध में विधान सभा पीठ द्वारा जारी की गई प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-31 के अनुसार यदि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि सूचना एकत्र की जा रही है तो उसे स्थगित मानते हुए नियम 38 (2) के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यसूची में सूचीबद्ध किया जाता है और दूसरी बार भी अंतरिम उत्तर देने के लिए कारण स्पष्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न दोबारा कार्य सूचीबद्ध किया गया फिर भी उत्तर मिला सूचना एकत्र की जा रही है तो मान्यवर, किसी प्रश्न के अंतरिम उत्तर को तभी दिया जाता है जब उसमें समय लगे और वह विषय बहुत विस्तृत हो यहॉ ऐसा कुछ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनको नियुक्ति मिली वेतन भुगतान का आदेश दिया गया। इतनी सी बात के लिए दो बार टाला गया और इसके पीछे मंशा यह है कि सदन का सत्र समाप्त हो जाय और उत्तर देना न पड़े। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैंने इसका संज्ञान ले लिया है। इस सदन के सत्र की समाप्ति के पूर्व ही 30 मई तक सदन में उत्तर दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष-

जो अधिकारी है वे कौन है कि इतना विलम्ब करते हैं?

श्री हुकुम सिंह-

जिन अधिकारियों का दोष होगा उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं इसी आधार पर मैं इस सूचना को निस्तारित करता हूँ।

शासकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेयी की है और इसी विषय पर श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह और कौकब हमीद की भी अगली सूचना है तो यह विषय नियम-300 में तो नहीं आता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं और वह कर्मचारी रोज इसी सदन में काम करते हैं, सदन के बाहर भी काम करते हैं! कर्मचारी इससे ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। उनके अन्दर असन्तोष भी है। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि उस असन्तोष के कारण उनके अन्दर असन्तोष भी है। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि उस असन्तोष के कारण उनके अन्दर क्षोभ भी व्याप्त है और कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हम चाहते हैं कि जैसे केन्द्र सरकार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने ही नहीं किया है बल्कि हिमांचल और राजस्थान ने भी किया है। मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाने का विचार कर रही है। बाहर इस तरह से सुनने में आ रहा है। मान्यवर, विधान सभा का सत्र चल रहा है, यदि कोई इस तरह की घोषणा की जानी है तो उसे इस सदन में किया जाना चाहिए। हम लोगों का भी यही प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार को अपनी सेवा नियमावली में बदलाव करके 60 वर्ष आयु कर देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में कैसे आती है?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर यह नियम-300 के अन्तर्गत आता है और वह महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार की जो सेवा नियमावली है उसके अनुरूप ही प्रदेश सरकार की भी है। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा काल की आयु सीमा 60 वर्ष कर दी है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं कर पाई है।हमने पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को यहां पर भी लागू करने के लिये दबाव डाला। भारत सरकार ने जो वेतन आयोग निर्धारित किया है उसी के अनुसार सेवा शर्तों का लाभ प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष कर दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर घोषणा करते हैं कि वे भी 60 वर्ष अधिवर्षता आयु करने जा रहे हैं। मान्यवर, इस सदन से बाहर इस तरह की घोषणाएं होने से एक अनिश्चितता का वातावरण बना है। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वह केन्द्र सरकार की तरह 60 वर्ष करने जा रही है या नहीं?

श्री अध्यक्ष-

अनिश्यित्ता को दूर करने के लिये नियम-300 का प्रयोग होग [redacted] उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होगा।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह नियम-300 में आती है। मान्यवर, आपकी पीठ से [redacted] हुए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार और सरकार को उसका अनुपालन करना चाहिए। मान्यवर, जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो उस समय अगर कोई नीतिगत घोषणा करनी है तो सदन में की जानी चाहिए। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं, बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को सम्बोधित किया है, इसी विषय पर, उसमें कोई उल्लेख नहीं। लेकिन मान्यवर, बार बार इस पीठ की गरिमा को गिराने का काम किया जा रहा है, सदन की अवमानना की जा रही है, सदन को बिना विश्वास में लिये सारी घोषणाएं सदन से बाहर कर दी जा रही हैं। अगर आपको करना था तो जब केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की आयु सीमा 60 वर्ष करी तब ही आपको भी कर देना चाहिए था। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की आयु सीमा 60 वर्ष करें, जो पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाय। हम इसके साथ साथ यह कहना चाहते हैं कि सरकार इसको भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

सुनिश्चित करे कि जो नये बेरोजगार हैं उनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। हम चाहते हैं कि यह आयु सीमा बढ़ाये जाने की घोषणा इसी सदन में हो जाय। मान्यवर, यह भी बताने की कृपा सरकार करे कि एक तरफ तो कर्मचारियों की छटनी करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ सदन के बाहर ऐसी घोषणाएं करके सदन को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। मान्यवर, नियम 300 के लिये इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, इससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है। मैं चाहूंगा कि सदन के चलते हुए कोई घोषणा, मुख्यमंत्री जी, कोई मंत्री जी या राज्य मंत्री करते हैं तो वे सदन के अन्दर ही करें, सदन के बाहर न करें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, कोई घोषणा इस सम्बन्ध में नहीं की गई है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की आयु 13 मई, 1998 में कार्यालय ज्ञाप के द्वारा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। यह केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात थी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, हम सारे प्रकरणों पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। आज आपने जिस तरीके से यह बात उठाने की प्रयास किया है उससे यह समझ में नहीं आता है कि आप इसकी वकालत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हम तो वकील हैं, वकालत कर रहे हैं।

अब तो स्पष्ट हो गया है।

श्री हुकुम सिंह-

राजनीतिक दल हैं प्रस्ताव पास करके भिजवा दीजिए। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं इस बिन्दु पर अपना मन्तव्य दे दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

सरकार में इतनी सहृदयता कब से आ गई कि हमारे प्रस्ताव मानने जा रही है?

श्री हुकुम सिंह-

सरकार अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकार के पास जो संसाधान उपलब्ध हैं सब पर विचार करेगी तब निर्णय लेगी। मेरा स्पष्ट कहना यह है कि यह जो बिन्दु है यह सदैव सरकारों के विचाराधीन रहा है जो यह विषय उठा रहे हैं जब इनकी सरकारें रही हैं तब भी यह विषय उठता था तो अगर यह इतने ही संवेदनशील हैं तो तब यह निर्णय ले सकते थे। मेरी सरकार ने इस संबंध में सदन से बाहर घोषणा नहीं की है। सारे विन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा। जैसा आपने कहा इससे सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है इसलिए इस सूचना को निरस्त किया जाए।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने कहा कि आपकी सरकार थी, तो क्यों नहीं किया? तो केन्द्र ने जब आयु बढ़ाई तब हमारी सरकार नहीं थी। दूसरे यह प्रस्ताव की बात कह रहे हैं तो जब इनको अपनी सेवा बढ़ानी होती है तो अक्टूबर से मार्च कर दिया अगर यह विपक्ष का प्रस्ताव मानते हैं विपक्ष की बात मानने का सवाल है तो जून तक अपनी सेवा कर लें।

श्री हुकुम सिंह-

नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको यह आवाज रखनी चाहिए लेकिन यह आवाज उठा रहे हैं इनको तो नेता प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

कु0 रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद कुमार, डा0 अशोक बाजपेयी ओर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त नियमों के अन्तर्गत न आने के कारण इसको निरस्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

नेता प्रतिपक्ष हैं तो क्या दूसरे दल अपने विचार नहीं रख सकते हैं 58 से 60 कर दिया, यह कह दिया तो यह टाल-मटोल कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज और श्री ददू प्रसाद की है। इनकी सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। मद संख्या-3-4 में कुछ नहीं है। मद संख्या पांच लेते हैं।

कार्य -मंत्रणा द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 मई, 2001 की बैठक में सदन के 22 मई, से 1 जून 2001 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है:-

मई, 2001

22 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 बुधवार	1-असरकारी ,देवस (आधा दिन)
24गुरूवार	2-वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 शुक्रवार	3-निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उसका पारण :-

उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001

4-प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के संबंध में एक घण्टे की चर्चा।

5-(i)कानपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये मूल्य की 50 हजार एकड़ से भी अधिक भूमि लुप्त हो जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा।

(ii) राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के लिये विकास निधि के गठन के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गंभीर विद्युत कमी को देखते हुये सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन संयंत्रों को बंद कर दिया जाय।"

26 शनिवार	
27 रविवार	बैठक नहीं होगी।
28 सोमवार	
29 मंगलवार	
30 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
31 गुरूवार	

जून, 2001

1 शुक्रवार	(1)वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(2) 4.00 बजे अपराह्न से

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा संबंधी सिफारिशें जिसकी सूचना अध्यक्ष जी द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा सम्बन्धी सिफारिशें विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 25-4-2000 को श्री राम सिंह सैनी, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या-43(2) के अन्तर्गत आबकारी मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

* आबकारी मंत्री एवं मद्य निषेध (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मा0 अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे मंगवार दिनांक 25-4-2000 को मा0 सदस्य, श्री राम सिंह सैनी द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया था :-

"क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन मुख्य सचिव (श्री कल्याण कृष्णन) द्वारा सचिवालय कर्मियों को विशेष दर्जा दिये जाने संबंधी कोई रिपोर्ट वर्ष 1988 में शासन को प्रस्तुत की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? जिसका उत्तर उस समय यह दिया गया था कि :-

"जी हाँ"।

"जी नहीं।"

"मुख्य सचिव (श्री कल्याण कृष्णन) समिति की संस्तुतियों को शासकीय संकल्प दिनांक 14-8-88 द्वारा स्वीकार किया गया था परन्तु राज्य कर्मचारियों द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियां लागू करने का विरोध किया गया था और इसके लिए लम्बा आन्दोलन भी चलाया गया था। कर्मचारियों की मांग वेतन व भत्ते में केन्द्र से समकक्षता दिये जाने की थी। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की इस मांग को सिद्धान्तत: संकल्प दिनांक 14-10-88 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाये। उक्त सिद्धान्त स्वीकृत होने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 22-10-1988 द्वारा संकल्प दिनांक 14-8-88 द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों को निरन्तर कर दिया गया।

"जी नहीं"

"प्रश्न नहीं उठता।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:-

"जी हां।"

"जी नहीं।"

---

* नोट- वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य सचिव (श्री कल्याण कृष्णन) समिति की संस्तुतियों को शासकीय संकल्प दिनांक 14-8-88 द्वारा स्वीकार किया गया था परन्तु राज्य कर्मचारियों द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने का विरोध किया गया था और इसके लिए लम्बा आन्दोलन भी चलाया गया था। कर्मचारियों की मांग वेतन व भत्तों में केन्द्र से समकक्षता दिये जाने की थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की इस मांग को सिद्धान्ततः संकल्प दिनांक 14-10-88 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय। उक्त सिद्धान्त स्वीकृत होने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 22-10-88 द्वारा संकल्प दिनांक 14-8-88 द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों को निरस्त कर दिया गया।

"जी नहीं।"

"प्रश्न नहीं उठता।"

नोट-जहां तक पूर्व में उक्त प्रश्न के उत्तर में हुयी त्रुटि का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि अनुभाग के प्रवर वर्ग सहायकों/टंककों को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-44 (1) के अन्तर्गत वन मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

* वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)-

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के संबंध में सर्वश्री जगदम्बिका पाल एवं मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा ने क्रमशः अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि (क) "सामाजिक वानिकी की योजना विश्व बैंक की मदद से कब से चलाई जा रही है"? (ख) "अभी भारत सरकार का एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वानिकी के क्षेत्र में 12 वर्षो के कार्यक्रम के बाद जो लैण्ड कवर्ड एरिया फारेस्ट का है वह बढ़ा नहीं बल्कि घटा है।"

2-उस समय सदन में क्रमशः उत्तर दिया गया था कि (क) "विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम 79-80 से 84-85 और 85-86 से 92-93 तक चला। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। व्यक्तिगत कृषकों व महिलाओं तथा विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए "विश्व बन्धु पुरस्कार योजना" जिसके लिए 25 हजार तक की हम मदद करेगे।" (ख) भारत सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र घटा है वन विभाग द्वारा जो इस क्षेत्र में कार्य कराया गया है, वह काफी सराहनीय रहा है।"

3-उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर क्रमशः इस प्रकार है:-

(क) "विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम 79-80 से 84-85 और 85-86 से 92-93 तक चला। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। व्यक्तिगत कृषकों, महिलाओं तथा विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए" वृक्ष बन्धु पुरस्कार योजना "विचाराधीन है, जिसके लिए 25 हजार रुपये तक का हम मदद करेंगे।"

(ख) "भारत सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र बढ़ा है। वन विभाग द्वारा जो इस क्षेत्र में कार्य कराया गया है वह काफी सराहनीय रहा है।"

4-मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के लिए निर्धारित श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है?	प्रदेश में वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उनका मूल उदेश्य समाज को लाभ पहुंचाना ही है। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिये वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम सामुदायिक एवं वन भूमि पर सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त वन प्रबंध योजना, औद्योगिक पल्पवुड योजना, ईधन एवं चारा योजना, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना आदि ऐसी योजनाएं है जिनका उदेश्य सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित देने का है और यह प्रदेश में चलाई जा रही है।
यदि हां, तो क्या?	उपरोक्तानुसार।
यदि नही, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य -स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मई, 2001 को नियम-56 में 12 सूचनाएं प्राप्त हुई एवं नियम 311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पाँच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, श्री अम्बिका चौधरी श्री राम तेज यादव एडवोकेट व श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह, डा0 अशोक बाजपेई, कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री लालजी वर्मा, श्री बी0आर0 वर्मा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री बाबूलाल कुशवाहा व श्री रघुबर दयाल वर्मा व श्री उदयराज यादव व नियम-311 में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी जी की हैं जिसको 56 में परिवर्तित कर दिया है।

यह वाराणसी में हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा माँगने वाले किसानों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अकबर हुसैन की है जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री विनोदमणि की जनपद महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है चौथी सूचना श्री कोकब हमीद, व श्री समरपाल सिंह की है मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों पल्लभपुरम व श्रद्धापुरी के आवंटियों से भवन/भूखण्ड आवंटन के 10-15 वर्षो बाद और अधिक कीमत जबरन वसूले जाने तथा आर0सी0 कटवा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में हैं पाँचवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है जनपद आजमगढ़ में कतिपय जीर्णशीर्ण सड़कों के पुन: निर्माण के संबंध में है तथा छठी सूचना श्री रामप्यारे सिंह की है जनपद आजमगढ़ में जामियाँ उर्दू अलीगढ़, प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानकर वेतन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसमें क्रम संख्या-2 से 5 तक की सूचनाओं को मैं निरस्त करता हूँ। माननीय सदस्य इसको, दोबारा दे देंगे। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी, उनके नाम निम्न प्रकार है-डा0 धर्मज्ञ मिश्र, सर्वश्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, चौधरी बाबूलाल, आर्य रामसरन व उदयराज यादव। मैं पहली सूचना ले रहा हूँ। मैं पहले श्री धनीराम वर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। नियम-311 में स्वामी

प्रसाद मौर्य और राम ललित चौधरी जी की सूचना है उसके बाद किसकों सुनना है कितने लोगों को सुनना है यह तय हो जायेगा।

* नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, पहले आप इसमें अम्बिका चौधरी जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

दल का नेता और विपक्ष का नेता होने के नाते पहले मैंने आपको आमंत्रित किया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, एक आग्रह यह है कि तमाम पार्टी के सभी सदस्यों ने सूचना दी है। इसमें दो-दो मिनट सबकों सुन लें। इसमें आप आधे घंटे का समय नियत कर दें। सब बोल लेंगे। नहीं तो जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है वह बाद में कहेंगे कि हमकों नहीं बोलने दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

12.40 हुआ है। 1.20 तक खत्म कर दीजियेगा। समय आप स्वयं नियत कर लें।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से पदारूढ़ हुई है किसानों के प्रति इसका जो दृष्टिकोण है, इसकी सारी करतूतों से जाहिर है कि अब पराकाष्ठा हो गयी है। कल बनारस में बाबतपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को देने के लिए 27 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गयी थी। बैकुंठ ग्राम के पास की, उस जमीन पर दीवाल बनाने का काम शुरू हुआ था। मान्यवर, इसके पूर्व भी पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जोर लगाया था और किसानों ने अपना प्रतिरोध भी दर्ज कराया था पूरी बात शासन और उसके माननीय मंत्री जी की जानकारी में थी उन लोगों ने जानकारी के बावजूद और सारी वार्ता हो जाने के बाद 7 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा तय हुआ और कहा गया कि यह मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा और जब अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होगी तब बाउण्ड्री वाल का काम शुरू होगा। सरकार ने मुआवजा दिया नहीं और जबर्दस्ती उस जमीन को खोदने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

(इस समय 12 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

मान्यवर, वहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में पुलिस बड़ा गाँव की और पी0ए0सी0 बुला ली गयी तो जो किसान विरोध करने के लिए आये थे उनकी हिफाजत करने के बजाय अचानक लाठी चार्ज शुरू हो गया और उसके बाद उन पर गोलियां चलायी गयीं। 50 से अधिक किसानों को छर्रे लगे हैं और 100 के लगभग लोग घायल हुए हैं। मेवा सिंह पटेल पुलिस की गोली से मारे गये मान्यवर, राजू, जयनाथ, मुन्ना, सुधीर पाण्डे गोलियों से घायल हुए मरणासन्न स्थिति है उनकी। इस समय उसमें से कितने लोग जीवित हैं अभी और कितने लोग मारे गये यह सूचना नहीं आ पा रही है मान्यवर, स्थिति गम्भीर बनी हुई है। मान्यवर, इतनी बर्बरता के बाद आस-पास के इलाकों में पुलिस का आतंक व्याप्त है तमाम लोगों को थाने पर बिठाया गया है किसानों का निकलना दूभर है अभी खेतों में उनके गेहूँ की फसल पड़ी हुई हैं मान्यवर, आज किसान मजबूर है वहाँ से पलायन करने के लिए मान्यवर, इसका प्रभाव वाराणसी जनपद, जौनपुर जनपद और बार्डर के आस पास के गॉव में व्याप्त है।

मान्यवर, गाजीपुर, बनारस इन तमाम इलाकों में इससे तनाव बना हुआ है मान्यवर, इस सरकार ने किसान को गेहूँ खरीद के मामले में तबाह कर दिया अब सीधे-सीधे गोली चलाकर उनकी हत्या पर उतारू हो गयी है। मान्यवर, अब इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है अगर इस सरकार में नैतिकता हो तो सरकार इस्तीफा दे और इसकी घोषणा सदन में करे जो मृतक हैं उनको 10 लाख रूपये

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुआवजा दिया जाये और जो गम्भीर रूप से घायल हैं उनका उपचार नि:शुल्क कराया जाये और उनको भी एक-एक लाख रूपया मुआवजा दिया जाये साधारण रूपसे घायलों को 5-5 हजार रूपये मुआवजा दिया जाये और सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर मुकदमा कायम किया जाये और उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की जाये। मान्यवर, इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय कोई और नहीं हो सकता, इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, हमारे दल के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनको सुन लें।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, बावतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए जो किसानों की जमीन ली गयी थी उसका मुआवजा न दिये जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मान्यवर, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए था लेकिन मुआवजा न देकर वहां पुलिस लगा दी गयी और इतनी बर्बता के साथ में गोलियां चलायी गयी की पचासों आदमी गोली से घायल हो गये, जो लाठी चार्ज हुआ उसमें भी भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक सहमति कुछ बनी थी और उसके अनुसार यह निर्णय हुआ था कि पहले दल के नेता हैं वह अपने विचार रखेंगे उस स्थिति में समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी का नम्बर आना चाहिए और माननीय, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसके लिए खड़े हुए लेकिन आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को न बुलाकर दूसरे को बुला लिया तो क्या इसमें कोई परिवर्तन कर दिया गया है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि वहां पर भी यह आग्रह था कि सभी लोगों को सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

आप सबकों सुन लें, लेकिन जो नेता हैं उनको पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 रामतेज जी आप धैर्य रखें । पहले दल के नेता को सुन लेने दें, मैं आपको अवसर दूँगा।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, इतनी निरंकुशता और निर्लज्जता के साथ गोली नहीं चलानी चाहिए। मुआवजा देने में क्या दिक्कत है? जो अत्याचार इस समय वहां हो रहा है, वह बहुत निन्दनीय है। यह बहुत लोकमहत्व का विषय है इसमें सभी नियमों को शिथिल करके इसको सुना जाना चाहिए। घायलों का इलाज होना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय, अधिष्ठता महोदय,अभी जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों पर बर्बर अत्याचार किया जा रहा हैं वह बहुत ही शर्मनाक है आज उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए यह आम बात हो गयी है। अभी कल ही इस सदन में गौतम बुद्ध नगर में नोयडा विकास प्राधिकरण के द्वारा उजाडे गये किसानों की बात ठंडी भी नहीं हुई थी कि 21 तारीख को बनारस से बावतपुर हवाई अड्डे के बिंस्तारीकरण के नाम पर किसानों के ऊपर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया गोली चलायी गयी उनका मसला क्या था। अधिकारियों के बीच में किसानों के बीच में जब यह बात सुनिश्चित हो गयी थी कि उनका जो सुनिश्चित मुआवजा है वह दे दिया जायेगा। तो बिना मुआवजा दिये जबकि यह बात तय हो गयी थी उस पर दीवार खीचने की बात कैसे आ गयी इसका मतलब हैं कि सरकार किसानों के हितों के प्रति बिल्कुल चिन्तित नहीं

है और लगातार किसानों की उपेक्षा करती जा रही है यही कारण है कि मुआवजा दिये जाने की बात सुनिश्चित होने के बाद भी उनकी जमीन पर -------- अधिकार पूर्वक, बल का प्रयोग करते हुए दरिन्दगी के साथ उन पर लाठी चार्ज किया गया, पुलिस फायरिंग की गयी। मान्यवर, वह तो केवल अपने मुआवजे की मांग कर रहें थे और सरकार मुआवजा न देकर उन पर गोली वर्षा कर रहीं है, लाठी चार्ज कर रही है और परिणाम क्या हुआ एक मेवालाल पटेल जिसकी उम्र 65 साल है मौत का शिकार होता है और घटनास्थल पर ही मर जाता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर लोगों को मारने की नीयत से गोली चलवाई थी। यदि डराने-धमकाने की बात होती तो हवाई फायर हो सकता था, लेकिन इतना ही नहीं, दो व्यक्तियों के सीने को पार करते हुये गोली लगी। रामव्रत पटेल उम्र 45 साल और नरायन पटेल उम्र लगभग 35 साल, इन दोनों के सीने को छलनी करते हुये पुलिस की गोली निकल गई, उनकी जान खतरे में है। मलदहिया के प्राइवेट नर्सिंग होम में यह दोनों मौत से जूझ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह से वहाँ पर राजू नाम का नौजवान, भुन्ना, सुधीर, जयनाथ, बिन्दु बुरी तरह से हताहत हैं। यही नहीं, वहाँ पर राधेश्याम पाल एक नौजवान था, पुलिस ने जबरिया उसको इतना पीटा कि उसके हाथ टूट गये और इसके साथ ही साथ वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, काफी लोग शिव प्रसाद अस्पताल में भर्ती हैं, कई प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती हैं और कई अपनी सुविधा के मुताबिक इलाज करा रहे हैं।

पुसिल द्वारा लाश भी उठा ली जाती है और पोस्टमार्टम भी नहीं होता हैं, परिवार को सौंपते भी नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ रामलाल पाल, ग्राम प्रधान, बैकुंठपुर, शशिकांत पान्डेय तथा सर्वजीत पटेल, प्रधान भी थे, जो केवल किसानों की बात को लेकर अनुरोध कर रहे थे कि दीवार तब तक नहीं खिचनी चाहिये, जब तक हम लोगों को मुआवजा न मिल जाय। इन तीनों प्रधानों को सैकड़ों किसानों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि वहाँ घटनास्थल पर एस0डी0एम0 बनारस उत्तरी, आर0के0 मिश्रा मौजूद थे, इसके अलावा सी0ओ0, एस0ओ0 फूलपुर, एस0ओ0 बड़ागॉव भी मौजूद थे, किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज तथा गोली चलावकर भी इनका मन नहीं भरा तो उन्होंने एक-एक प्लाटून पी0ए0सी0 अलग से बुलवा लिया और खदेड़-खदेड़ कर, [x x x] पटक-पटक कर लोगों को गॉव में खदेड़ा। यही नहीं महिलाओं के साथ भी पी0ए0सी0 के जवानों ने बदसलूकी की। क्योंकि वहाँ पर कोई महिला पुलिस नहीं थी, जवानों ने महिलाओं को भी बुरी तरह मारा।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत शर्मनाक घटना है। वहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस पूरी साज-सज्जा के साथ तथा सी0ओ0, एस0डी0एम0 मौके पर मौजूद थे। यदि यह सरकार वास्तव में किसानों की हमदर्द है और यह समझती है कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है तो वहाँ पर मौके मौजूद एस0डी0एम0, सी0ओ0 एस0पी0, ए0एस0पी0 आदि को तत्काल निलम्बित करना चाहिये ओर जो मृतक का परिवार है, उसको 10 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाना चाहिये तथा जो मौत से जूझ रहे हैं, उनके इलाज के लिये 1 लाख रूपये की तत्काल घोषणा की जानी चाहिये, जिससे उनका अच्छी तरह से इलाज हो सके। वहाँ पर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जो दोषी पुलिसकर्मी तथा एस0डी0एम0, ए0एस0पी0, सी0ओ0 आदि हैं, इस मामले की जॉच सही रूप से मंडलायुक्त से कराने के लिये अवगत कराया गया है, इनको वहाँ से हटाया जाय। लेकिन जब तक ये अधिकारी वहाँ मौजूद रहेगे, जब तक एस0डी0एम0 वहाँ मौजूद रहेगा, जब तक सी0ओ0 वहाँ मौजूद रहेंगा, एस0ओ0 मौजूद रहेगा तब तक निष्पक्ष जॉच नहीं हो सकती है क्योंकि

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जिन लोगों ने बर्बर गोली वर्षा की है, लाठियाँ चलायीं है क्योंकि ये लोग किसानों में दशहत पैदा करके सही बात को सामने नहीं आने देंगे। मान्यवर, यह मामला महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय और तात्कालिक है इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मान्यवर, इस पर सदन के सारे कार्य को तत्काल रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आप से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ. मान्यवर, यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी कसूरवार यह सरकार सामने है। यह ऐसी सरकार है जिसका इतिहास साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आती हे तो निर्मम ढंग से, बहिसियाना ढंग से, निर्दोष किसानों पर गोली चलायी जाती है, लाठियाँ चलायी जाती हैं चाहे रामकोला की घटना हो या बनारस का काण्ड हो। स्थिति बड़ी साफ है, आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं, इस सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया है कि जब तक किसान को मुआवजा नहीं दे दिया जायेगा, कम्पन्शेसन नहीं दिया जाए तब तक उनकी जमीन नहीं लेंगे, जो किसानों की जमीन है। मान्यवर, इस प्रकरण में 7 लाख रूपये प्रति एकड़ मुआवजा तय हुआ था जब तक किसानों को वह मुआवजा दे न दिया जाए तब तक उनकी जमीन कैसे ली जा सकती है, और आपने ऐसा करने का प्रयास किया यह सीधा-सीधा फौजदारी, ट्रेसपासर का मामला बनता है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए क्योंकि इनहोंने बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन पर बलात कब्जा करने का प्रयास किया है, गोली चलायी है।

मान्यवर, इसमें केवल स्थानान्तरण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जॉच से काम नहीं चलेगा बल्कि उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम करके तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए यदि ऐसा होगा तो वह अपने आप निलम्बित हों जायेंगे। मान्यवर, मैं आपकी पीठ को स्मरण दिलाना चाहता हूँ सरकार द्वारा बार-बार सदन में घोषणा हुई है कि जब तक मुआवजे की धनराशि हम किसान को नहीं दे देंगे तब तक उसकी जमीन पर कोई निर्माण कार्य नही करायेंगे। लेकिन आप वहाँ पर बाउंडरी बनाने लगे, बाउंड्री बनाने का मतलब है कि आप कब्जा ले रहे थे। मान्यवर, यह मामला ट्रेसपासर का है, ये गुनाहगार हैं।

मान्यवर, जो लोग मारे गये हैं उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती तो जिन लोगों ने हत्या की है यह एक विशुद्ध हत्या का मामला है, यह कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। किसानों की मॉग जायज थी, आपको पहले पैसा देना चाहिए था फिर कब्जा लेते फिर उसमें निर्माण कार्य कराया जा सकता था लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी कि किसानों को गोली मारकर निर्माण कार्य करायेंगे। यह सीधे-सीधे एक विशुद्ध हत्या का मामला है। मैं मांग करता हूं कि जो मृतक है उनके आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में अगर कोई योग्य है जो उसे तत्काल नौकरी देनी चाहिए। मान्यवर, एस0डी0एम0 और सी0ओ0 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वह इस प्रकरण में शामेल हैं इनकी जॉच मण्डलायुक्त से कराने पर आप सच्चाई नहीं जान सकते है। मण्डलायुक्त की सहमति के बिना तो ये लोग वहां कब्जा करने नहीं गये होंगे। आप इसकी जॉच हाई कोर्ट के किसी जज से कराने की घोषणा करें यदि आपको लगता है कि इसमें विलम्ब होगा तो यह संयुक्त संसदीय समिति यहाँ बना दें, संयुक्त संसदीय समिति का नेतृत्व संसदीय कार्यमंत्री जी कर लें। हर दल का सदस्य उसमें शामिल हो जाये। यह दल वहाँ जाकर पीड़ितों और पक्षकारों का बयान ले ले और लौटकर इस सदन में तथ्य रख दे और जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाये, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है तो सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

मान्यवर, क्या इनको अपने सदस्यों पर विश्वास नहीं है। मैं संयुक्त संसदीय दल की मॉग दोहराता हूँ। वहाँ पर पुलिस का नग्न ताण्डव बन्द नहीं हुआ है। पुलिस से जब गलती हो जाती है तो फिर उसको छुपाने

के लिए ज्यादती की इन्तिहा कर देती है। लोगों का पलायन वहाँ से जारी है, लोग घरों को छोड़कर भाग गये हैं, कोई पुरूष घर में नहीं है। सरकार आश्वासन दे कि वहाँ पर शान्ति कायम किया जायेगा। जो पलायन कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जायेगी। उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलायें जो 302 व 307 के मुलजिम हैं और जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए गये थे उनके खिलाफ जो मुकदमें कायम किये गये हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाये। उन्होंने अपनी जमीन की रक्षा के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग किया जितनी शक्ति आवश्यक है। गोली के सामने वह गोली नहीं चला सकते थे और यदि उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया है तो भारत का कानून उसकी रक्षा करता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस [x x x x] मान्यवर, जो देश का पेट पालते हैं, उन किसानों के [x x x x] मान्यवर, यह बड़ी बहादुर सरकार है, [x x x x] यह सरकार इस्तीफा दे। मान्यवर, पीड़ितों को न्याय दिलाना जरूरी है। जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये। जो लोग मर गये हैं उनको 10 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये तथा सरकारी नौकरी दी जाये। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुये यही कहना चाहता हूँ कि सरकार नैतिक रूप से इस्तीफा दे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं पर बात रखी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करूँगा। बाबतपुर हवाई पट्टी के प्रकरण पर कुछ मौखिक बात रखना चाहता हूँ। किसानों ने कहा कि बाबतपुर हवाई अड्डे का क्या भूमि अधिग्रहण तब पूरा होगा जब मुआवजा मिल जायेगा या जबरन हवाई अड्डे वालों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, काश्तकारों ने कहा कि हमारा मुआवजा मिल जाये और यह पता चल जाये कि जमीन कितनी और किसकी गयी है। क्हाँ का प्रशासन बलात कब्जा कर रहा था और कब्जा करने में पुलिस की साजिश थी उसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने गोली चला दी। संसदीय लोकतंत्र में किसानों को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसानों को मुआवजा मिला नहीं, अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो कब्जा कैसे किया गया? बिना अधिग्रहण कार्यवाही पूरी किये इन गरीबों की जमीन को छीनने का अधिकार किस तरह से है यह मेरी समझा से परे है। यह जो कुछ वहां पर हुआ यह बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इन गोलियों के चलने से भारतीय जनता पार्टी के चमकीले चेहरे पर खूँन के धब्बे पड़े है। मान्यवर, वहा पर काश्तकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में तत्काल गिरफ्तारी की कार्यवाही रोकी जाये और कार्यवाही रोकने के साथ ही इसकी जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 से करा लिया जाये। चूंकि निहत्थे कास्तकारों पर पुलिस ने गोली चलाई हैं। जब तक जांच होती है तब तक कोई गिरफ्तारी न की जाय, उन गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी जाय। मान्यवर, यह उन किसानों का अधिकार है कि जब तक उन्हें उनकी जमीनों का मुआवजा न दे दिया जाये तब तक उनकी जमीन अधिग्रहीत न की जाय। यह बहुत ही गम्भीर लोकमहत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, मैं इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

(श्री समर पाल सिंह के पुकारे जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, जब सारे नेता बोल चुके हैं, तो अब मैं बोलूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैं नेता विरोधी दल को बोलने की अनुमति प्रदान करता हूँ

नोट:-[x x x] यह अंश री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[illegible]

[illegible] है तो वही बोलेंगे। लेकिन यह तो आप लड़ाई लगवा रहे हैं, [illegible] आपस इन्हें [illegible] बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

[illegible]

[illegible] एक सहमति बनी थी और यह तय हुआ था कि पहले सब [illegible] बोलेंगे।

[illegible]

[illegible] आग्रह स्वीकार कर लिया इसके लिए धन्यवाद।

[illegible]

मान्यवर, [illegible] किसानों की बड़ी हमदर्द बनती है, बड़े-बड़े भाषण देती है कि हम यहां [illegible] बात करते हैं, हम किसानों की हिफाजत करते हैं, अच्छी बात है कि करते हैं। मान्यवर, [illegible] ऐसी कोई आफत नहीं आ गयी थी कि आप उनकी जमीनें तुरन्त ले लें [illegible] हवाई अड्डे का ही तो विस्तार करना था। मान्यवर, अभी [illegible] मुआवजा उन्हें नहीं मिला है तो फिर आपने क्यों उनकी जमीनों पर कब्जा [illegible] तय हुआ था कि पहले उन्हें उनकी जमीनों का पूरा मुआवजा [illegible] जमीनों पर कब्जा आरम्भ किया जायेगा तो फिर मैं कहना चाहता हूँ [illegible] पूरा मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्यों वहां पर हवाई अड्डे के विस्तार [illegible] कब्जा करने के लिए चले गये। मान्यवर, यह किसानों को अधिकार है कि [illegible] प्राप्त न हो जाय वह अपनी जमीनों पर किसी को कब्जा करने न [illegible] ऐसा किया। मान्यवर, सरकार को इस तरह किसानों [illegible] चाहिए। लेकिन मान्यवर, इन्होंने ऐसा किया और जब वहां पर किसानों [illegible] के इस कृत्य का विरोध किया तो इन्होंने वहां लाठीचार्ज [illegible] यह तो वही अंग्रेजी हुकूमत वाली बात हो गयी, इस प्रकार [illegible] हत्यायें करा दी। मान्यवर, यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है। [illegible] मान्यवर, जो तरीका सरकार ने अपनाया है, उसको नैतिकता की [illegible] इस्तीफा दे देना चाहिये, चूँकि इसने किसानों पर, निहत्थे किसानों पर [illegible] सी0बी0आई0, एस0डी0एम0, सी0ओ0 और डी0एम0 से नहीं [illegible] एक संयुक्त समिति का प्रतिनिधि मण्डल जाये माननीय मंत्री जी [illegible] सदन के अन्दर रिपोर्ट करें क्या हुआ है, इसको बतायें इसके [illegible] इस्तीफा दे दे।

[illegible]

[illegible] दल की बात आयी नहीं है। बगैर नोटिस के तमाम लोग बोल [illegible]

[illegible]

मान्यवर, [illegible] दल बाद में बोलेंगे।

[illegible]

[illegible] अनुसार बुलवाऊँगा।

[illegible]

[illegible] का पुनरीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह जो घटना है इस बात की द्योतक हैं कि भारतीय जनता [illegible] जब-जब सत्ता में [illegible] किसानों का लहू बहाने का काम किया है। चाहे राम कोला [illegible] मान्यवर, जैसे जानवरों में एक मैन ईटर होता है उसी तरह से भारतीय [illegible] मैन ईटर है। मान्यवर किसानों के खून बहाने तथा हत्या करने का काम इसने किया है। [illegible] लिखा है कि किसान हमारा भविष्य है,गॉव हमारा आधार, और [illegible] उत्तर प्रदेश सरकार।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री [illegible]

मान्यवर, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन जब तक आप सत्ता में आते हैं तो [illegible] जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि [illegible] उपजाऊ इलाका है और उन किसानों के पास खेती के अलावा कोई दूसरा [illegible] का मुआवजा देने के लिए सरकार ने तय किया है जो कम है, उनको बाजार [illegible] मांग करता हूँ और बाजार भाव से मुआवजा मिलना चाहिए। मान्यवर, किसानों [illegible] दिया जाये और जो 7 लाख रूपये मुआवजें के रूप में देने की बात कही है वह [illegible] बढ़ाकर जो भी बाजार भाव हो देना चाहिए।.....

मैं यह मानता हूँ कि केवल सी0ओ0, एस0डी0एम0 इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं [illegible] एस0पी0 डी0एम0 हैं वह इसके लिये जिम्मेदार हैं। वहां के डी0एम0 का और एस0 [illegible] करके इसकी जांच करायी जाय। वहां पर जो श्री मेवा सिंह पटेल की मृत्यु हुयी है उनके [illegible] अड्डे पर नौकरी देने की मैं मांग करता हूँ। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको [illegible] दिया जाय। मृतक मेवा सिंह पटेल के परिवार को 10 लाख रूपया मुआवजा [illegible] कहना चाहता हूँ कि अब तो चुनाव आ रहे हैं अब तो किसानों का खून [illegible] किसानों के बारे में लिखवाया है इन बोर्डों को निकलवा दीजिये। यह [illegible] मैन ईटर है जब तक किसानों का खून नहीं बहायेंगे [illegible] प्रमोद कुमार जी ने कहा है, विधान सभा की एक संयुक्त [illegible] सभा के सदस्यों की समितियां बनती थीं, यह कमेटी [illegible] कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वाराणसी जिले में यह जो घटना हुयी है मैं उसको [illegible] मंगारी, बैकुंठपुर गांव की जमीन का विवाद था। बिना मुआवजा दिये किसानों को [illegible] किसानों पर जो फायरिंग की गयी है उसमें पाया गया है कि गोली उनके [illegible] मतलब यह है कि पुलिस ने जानबूझकर अत्याचार किया है क्योंकि अगर भीड़ ज्यादा [illegible] मारी जा सकती थी। मेरी मांग है एस0डी0एम0, सी0ओ0, पुलपुर [illegible] मुकदमें कायम होने चाहिये। जिस व्यक्ति की हत्या हुयी है उसके परिवार को [illegible] से घायल हैं उनको 1 लाख का मुआवजा दवा के लिये मिलना चाहिये और मृतक के परिवार [illegible] नौकरी मिलनी चाहिये। मंडलायुक्त, डी0एम0 एस0पी0 आदि की साजिश से यह काण्ड [illegible] मुआवजा दिये जमीन पर कब्जा करने अधिकारी गये थे। उनके साथ [illegible] चाहिये। इस विधान सभा की एक संयुक्त समिति बनानी चाहिये जो मौके पर [illegible] रिपोर्ट दे। इसके अलावा जो वहां के अधिकारी हैं उनके खिलाफ [illegible] चाहिये और जो वहां पर आज बर्बरता चल रही है पुलिस की बर्बरता [illegible] के लिए पुलिस नाजायज तरीके से लोगों का उत्पीड़न कर रही है [illegible] जितने किसानों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है [illegible] किसानों के खिलाफ मुकदमा करने वाले लोगों को दंडित करने का काम किया [illegible] तात्कालिक है कल की घटना है, अविलम्बनीय लोक महत्व की है इसलिए यह नियम 56 के अनुसार

बिल्कुल सटीक है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए साथ ही साथ इसमें मण्डलायुक्त की जांच नाकाफी है इसकी जांच इस सदन की समिति के द्वारा ही कराई जाए। यही मांग करते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मेरा भी नाम है।

श्री अधिष्ठाता-

आपको पुकारा गया था तब आप अनुपस्थित थे।

*श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तब से अपने को एक किसान नेता के रूप में अपने को स्थापित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और किसानों की पंचायत बुलाकर कह रहे हैं कि वह एक नई शुरूआत कर रहे हैं। किसानों पर अन्याय न होने पाएगा उत्तर प्रदेश का किसान समृद्धि की तरफ बढ़ेगा इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री और सरकार कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अन्दर मुख्यमंत्री जी के जिले में, उनका मूल जिला पहले का वाराणसी ही है अब चन्दौली अलग हो गया है बाबतपुर मल्दही गांव में पुलिस ने जिस तरह से उनके अधिकारियों की उपस्थिति में गोली मारकर किसानों की नृशंस हत्या करने का का काम किया। किस बात के लिए कानून अधिकार देता है किसानों को कि वह अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है अगर कोई जमीन पर कब्जा करता है, सम्पत्ति पर कब्जा करता है तो जहाँ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसानों को उपलब्ध है वह उसका भी प्रयोग नहीं कर सकते अधिकारी जबरदस्ती बिना मुआवजा दिए ऐसे लोगों पर गोली चलवाने का काम करे जिसमें एक किसान तत्काल मौके पर ही दम तोड़ देता है दो किसानों के शरीर में गोलियाँ लगी हैं वह जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं।

एक ग्राम प्रधान जो पाल विरादरी का है उसको पीट पीट कर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं यही किसानों के साथ हमदर्दी की जा रही है। यही नहीं जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई उसकी लाश पुलिस उसके परिवारी जन को पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं सौंपती। मनचाहे तरीके से पोस्टमार्टम करवा दिया। इसकी जॉच कौन करेगा वह अधिकारी जो दोषी हैं। जो बात हम लोगों के जानकारी में आई है मुख्यमंत्री जी ने दो लाख रूपये की घोषणा की है और यह कहा कि अब जब तक मुआवजा नहीं दे दिया जाएगा कब्जा नहीं किया जाएगा यह आदेश पहले भी दिया जा सकता था या सरकार इंतजार कर रही थी कि किसानों की हत्या हो जाए गोली चल जाएगी तब कानून लागू होगा, तब व्यवस्था लागू होगी, शासनादेश लागू होगा। यह शासनादेश पहले से उपलब्ध है कानून पहले से उपलब्ध है कि बिना मुआवजा दिए किसीकी जमीन नहीं ली जाएगी इसमें जो लोग दोषी हैं चाहे एस0डी0एम0, सी0ओ0 थानेदार जो भी हो [x x x x] ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसकी जॉच अगर सरकार निष्पक्ष चाहती है अगर सरकार में संवेदनशीलता है तो एक संयुक्त संसदीय समिति बना लें जो सारे दलों के लोगों को शामिल करके बनाई जाय, वहॉ घटनास्थल का निरीक्षण करके सदन में फैसला हो जाय। इससे जनता में एक अच्छा संदेश जायगा। यदि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उनके रहते किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार न हो इस सरकार में थोड़ी भी शर्म हया बाकी हो तो एक संसदीय समिति की घोषणा करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय दें। लाभ को परिवारवालों को नहीं दिया गया वहॉ जिसके घर शादी है बारात नहीं आ सकती जहॉ से बारात जानी है जा नहीं सकती पुलिस वालों ने वहॉ पर छावनी बना दिया है आतंक फैलाने का और साक्ष्यों को मिटाने का काम किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए पुलिस को हटाया जाय वहॉ से और एक संसदीय समिति से वहॉ पर जांच कराई जाय जो सदन में रिपोर्ट दें और फिर सदन तय करे और कार्यवाही की जाय। यदि ऐसा नहीं होगा तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अधिकारियों का साहस और बढ़ जायगा। यह सरकार किसान विरोधी है जब जब सत्ता में आती है किसानों की हत्या की जाती है, खून बहाया जाता है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बावतपुर हवाई अड्डे पर गोली चलाई गई है शासन की नियत और मंशा प्रशासन के कारनामों पर परिलक्षित होती है। प्रशासन ने जिस तरह से गोली चलाई है उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यह क्रूर और दमनकारी सरकार है। शान्तिपूर्ण ढंग से किसान जायज मांग लेकर अपनी धरती माता की रक्षा के लिए धरना कर रहे थे उनके ऊपर गोली चलाई गई तो अगर इस सरकार में शर्म है मुख्यमंत्री जी किसान का बेटा कहते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सदन में आकर स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। वहॉ के सारे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही और दण्डित किया जाना चाहिए अन्यथा इन किसानों की हत्या के खून के जो छीटें आपके दामन पर लगे हैं इसके लिए प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं इस सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि एक संयुक्त संसदीय समिति से इस घटना की जांच कराई जाय और वहॉ के अधिकारियों को सजा दी जाय 302 का मुकदमा और नियम-56 के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा कराई जाय। यह विषय बहुत ही तात्कालिक और अविलम्बनीय लोकमहत्व का है इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय यही मैं मॉग करता हूँ। धन्यवाद।

डा0अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल की घटना के बारे में मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता जो इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इस बाउन्ड्री वाल के बनाने की इतनी तत्परता क्या थी? किसान छोटा सा अनुरोध ही तो कर रहे थे कि हमारा मुआवजा मिलने के बाद इसका निर्माण किया जाय। किसानों को समझाया जा सकता था, इस स्थिति को सम्भाला जा सकता था। जिन परिस्थितियों के चलते उन निर्दोष किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम हुआ है। यह तो गनीमत है कि एक ही किसान उसमें मारा गया और 50 से अधिक हताहत हुए। जिस तरीके से यह मदान्ध पुलिस निर्दोष किसानों पर गोली चला रही थी, उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत होते और फल के दिन को हम काला दिवस के रूप में मना रहे होते। मान्यवर, गोली चलाने की यह पहली घटना नहीं है जब सरकार ने किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक गोली चलाई हो। रामकोला के किसानों ने जब अपने गन्ने के मूल्य को मॉगा तो इस सरकार ने उन्हें गन्ने के मूल्य के बजाय उनके सीने पर गोली चलाने का काम किया था। इसी तरह से जब बबराला के किसानों ने अपनी जमीन के अधिग्रहण के मामलें में मुआवजे की माँग की थी तो इस सरकार ने एक उद्योगपति को संरक्षण देते हुए किसानों पर गोली चलाने का काम किया था।

माननीय विधायिका जी बैठी हैं। गीडा में जब किसानों ने अपने मुआवजे की मॉग की थी तो उन पर लाठी चलाने का काम इसी सरकार ने किया था। जब भी किसान अपनी मॉग को उठाता है यह सरकार निर्दोष किसानों पर लाठी गोली चलवाने का काम करती है। पिछले दिनों ही पडरौना में पूर्वांचल में किसान अपने बकाये की मॉग कर रहे थे और वे अपनी मॉग के लिये सड़क पर उतर आये तब भी इसी सरकार ने उन निर्दोष किसानों पर गोली चलवाने का काम किया था। एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह से गोली सरकार ने किसानों पर चलवाई है। इस पर चिन्ता भी व्यक्त की गई है लेकिन यह सरकार किसान के खून की प्यासी है, किसान विरोधी है, निर्दयी सरकार है। इसको किसानों पर लाठी गोली चलाने में कोई संकोच नहीं होता है। इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस प्रदेश के किसानों को बेसहारा न समझें। जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

तक विपक्ष में बैठे एक-एक सदस्य, एक-एक साथी मौजूद हैं, सरकार निर्दोष किसानों पर गोली चलायेगी तो हम इस सरकार को एक क्षण भी काम नहीं करने देंगे। किसान मात्र अपनी जमीन का मुआवजा मॉग रहे थे, उनको समझा सकते थे कि अभी नहीं आया है जब आयेगा बांट दिया जायेगा। कुछ दिन के लिये बाउन्ड्री बॉल का निर्माण रोका जा सकता था। कोई प्रदेश की सुरक्षा का सवाल नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल नहीं था मात्र हवाई अड्डे की बाउन्ड्री को बनाना था। यह काम एक सप्ताह के लिये रोका जा सकता था। इस बर्बर सरकार और इस सरकार में बैठे बर्बर कार्यपालकों को अपने आवेश पर संयम नहीं रहा।

मान्यवर, किसी प्रशासनिक मशीनरी से इसकी जॉच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। मण्डलायुक्त से इसकी जॉच कराने की बात सुनी है। मान्यवर, पुलिस अधीक्षक आदि की जॉच कौन करेगा, जॉच निष्पक्ष कैसे होगी। दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो एक ही तरीका है कि विधान सभा की संयुक्त समिति बनाई जाय जो तीन दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सारे तथ्य प्रकाश में आ जायेंगें कि किन कारणों से ऐसी परिस्थिति बनी और उसके लिये कौन जिम्मेदार है। इस घटना को एक एग्जामपुल मानकर आज एक व्यवस्था सुनिश्चित करायें। भविष्य में निर्दोष किसानों पर गोली नहीं चलायेगें, आप पीठ से निर्देश दें।

(श्री उदय राज यादव का नाम पुकारे जाने पर) तथा (श्री राम ललित चौधरी के खड़े होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप जिसको बुलायेंगें वही अपनी बात रखेगा लेकिन मैं यहाँ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष ने नियम-56 की सूचना पढ़ते हुए उसमें नियम-51 की सूचना को परिवर्तित करते हुए राम ललित चौधरी जी का नाम पढ़ा है। आप देख लें। इनको भी बोलने का अवसर दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

पहले मैंने उदय राज यादव जी का नाम पुकारा है। आपको बाद में बुला लूँगा।

श्री उदय राज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल बाबतपुर बनारस हवाई अड्डे पर किसानों के ऊपर जिस तरीके से लाठी और गोली चलाने का काम किया गया। यह उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जुल्म ज्यादती की पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वह पडरौना हो, चाहे प्रदेश के अन्य कोई जनपद रहे हों, चाहे आलू किसान हो, चाहे गन्ना किसान रहे हों, चाहे धान के किसान रहे हों जब भी किसान ने अपनी समस्याओं को उठाने का काम किया है इस सरकार ने किसानों की आवाज उनके धरना प्रदर्शन पर, जब भी उन्होंने अपनी समस्या के विषय में आवाज उठाई है उनके धरना प्रदर्शन पर, जब भी उन्होंने अपनी समस्या के विषय में आवाज उठाई है उनके धरना प्रदर्शन पर लाठी-गोली चलवाकर हत्यायें कराने का काम किया है और इसी कड़ी में कल की घटना को जोड़ने का काम किया है। बाबतपुर हवाई अड्डे पर मंगारी बैकटपुरा की जमीन हवाई पट्टी के विस्तार के लिए अधिग्रहीत की गई किसानों का कहना था कि मुआवजा मिलने के पूर्व वहां कार्य न शुरू कराया जाए लेकिन वहां बाउड्री बाल का काम शुरू हो गया। जब किसान शान्ति पूर्वक धरना देने का काम कर रहे थे तो वहां जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में लाठी-गोली बरसाने का काम किया गया जिससे पुरुष, महिला और बच्चे घायल हो गये। वहां एक किसान मेवालाल की मृत्यु भी हो गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब-जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं तब-तब उन पर गोली चलाई गई। जब सदस्यों ने किसानों की समस्याओं, मुद्दों को उठाने का काम विधान सभा में किया है तब सरकार ने न्यायिक जॉच के आदेश जारी किए हैं, हमने देखा है उन जॉचों में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सीधा सीधा यह सवाल उठाया गया है कि किसानों का दोष नहीं था वह अपने पैसे की मांग करने के लिए गए थे...

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री उदयराज यादव-

किसानों की भूमि [illegible] जा रहा था। [illegible] लिए गए थे। [illegible] रहे [illegible] क्षेत्राधिकारी द्वारा किसानों के [illegible] करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री उदयराज यादव-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीधा-सीधा हत्या का मामला है इसमें [illegible] मुकदमा कायम करके इनके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश करें। जिस किसान की [illegible] परिवार को 10 लाख मुआवजा [illegible] एक एक लाख मुआवजे की मैं [illegible] साथ अनुरोध करता हूँ कि [illegible] का प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता [illegible] रोककर जो किसानों पर जुल्म [illegible] की हत्या की गई है इसमें चर्चा की अनुमति [illegible]

श्री रामललित चौधरी-

मैं कोई बात दोहराऊँगा नहीं, मान्यवर, इस प्रदेश में जब भी कोई घटना होता है [illegible] पास एक मशीनरी है [illegible], मैं [illegible] के साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी जाँच [illegible] जाती हैं वह फर्जी होती है, [illegible] रिपोर्ट आती हैं अगर सरकार चाहती है कि इसकी निष्पक्ष [illegible] सरकार सर्वदलीय कमेटी बनाकर जाँच नियुक्त करे। वहां तीनों गाँव में आतंक व्याप्त है गाँव [illegible] गए हैं। बैल बधिया, गाय भैंस [illegible] पानी पिलाने वाला चारा खिलाने वाला [illegible] लोग गाँव में वापस हों आप ऐसी [illegible] और जब तक उनके लौटने का प्रबन्ध नहीं होता [illegible] बैल बधिया गाय भैंस के पानी, चारे का प्रबन्ध करवायें। दूसरी बात जिन किसानों को गिरफ्तार [illegible] है उनको छोड़ा जाए, उन पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं उनको वापस कराएं और [illegible] तथा और जो अधिकारी हैं जो गोली चलाने में [illegible] थे उनको निलम्बित किया जाए और [illegible] परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय, जो घायल हैं दो-दो लाख का मुआवजा दिया जाय तथा इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरे दल से एक ही सदस्य बोला है। माननीय राम [illegible]रेश जी को बोल लेने दें।

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे मैंने उन सब लोगों को पुकारा है और जो अनुपस्थित थे मैंने स्वयं अनुपस्थित लिखा है।

श्री धनीराम वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने जो बनारस में किसानों के साथ जुल्म-ज्यादती और किसान की हत्या की, बहुतों को घायल किया इस सरकार के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में जो भी बातें कहीं उससे हटकर मैं केवल दो तीन बातें इसलिए कहना चाहूँगा कि यह साबित करने के लिए कि अपराधी कौन है? श्रीमन् अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और साथ ही उसकी जाँच होती है। मुकदमा चलता है दण्डित किया जाता है अगर अपराध सिद्ध होता है। श्रीमन् वहाँ की पुलिस वहाँ के अधिकारी अगर दोषी हैं तो निश्चित तरीके से उनके खिलाफ पहले 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए और अगर वह अपराधी सिद्ध हो जाता है तो दण्डित कर दिया करेगी। हम यह कहना चाहते हैं कि अपराधी कैसे है। श्रीमन् किसी की कोई वस्तु होती है हम मानते हैं कि आपका कलम है और हमारी आपकी बात होती है कि हम आपको [illegible] पैसे दे दीजिये अगर यह भी बात हो जाते कि आठ दिन के बाद देगे। जब

तय हो गया सात लाख एकड़ का मुआवजा मिलेगा पैसा नहीं दिया गया। बाउन्ड्री बाल बनाकर कब्जा करना चाहते हैं काश्तकार की भूमि पर हम आपका कलम छीन लें तो आप छीनने नहीं देगें, तो काश्तकार भी नहीं देगें। अगर हम छीनने की कोशिश करें दूसरे लोगों की वस्तुएं छीन लें, कोई न बोले तब तो ठीक है, काश्तकार का दोष है। काश्तकारों से जब जबरदस्ती करना चाहा, पैसा न देकर, निश्चित तरीके से डी0एम0और एम0डी0एम0 के निर्देश होगे भूमि अध्यापित हो चुकी है ओर अब हवाई अड्डे की बाउन्ड्री वाल बना ली जाय. . . .

श्रीमन् तभी काम शुरू हुआ होगा सबसे पहले तो डी0एम0 और एस0डी0एम0 जिन्होंने मुआवजा नहीं दिया वे दोषी हो गये। किसानों को पैसा नहीं मिला और उन्होंने जब रोका तो उनपर लाठीचार्ज हुआ गोली चली। तो अब श्रीमन् यह किसानों का दोष है या शासन में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों का दोष है इतना ही नहीं बहुत तथ्य की बात यह है कि जब अधिकारियों में और संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत हो रही थी उसी समय पता नहीं उन अधिकारियों ने इशारा कर दिया या मनमाने तरीके से संघर्ष समिति के सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जीप में बैठा दिया गया फिर काश्तकार ने समझा कि हमारी बात कहने वाला कोई नहीं है यह अधिकारी हमारे संघर्ष समिति के सदस्यों को ले जायेंगे और बाउण्ड्री वाल बना लेंगे तो उन्होंने जीप को घेर लिया उन्होंने कहा कि हम सदस्यों को नहीं ले जाने देंगे। तो उन अधिकारियों ने कोई गलती किया उन अधिकारियों को नहीं कहना चाहिए था कि संघर्ष समिति से बात हो रही है।

मान्यवर, मुआवजा न दिलाकर के संघर्ष समिति के सदस्यों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गयी मान्यवर, अधिकारी दोषी इसलिए है कि इधर बातचीत चल रही थी और उधर अगर अधिकारी कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही थी तो फिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गोली चलाने का आदेश नहीं दिया तो फिर अधिकारी स्पष्ट करें। श्रीमन्, गोली चलाने का औचित्य क्या है और गोली चला दी गयी तो यह कहाँ का और कौन सा कानून है कि जिसके अन्तर्गत गोली सीने पर चला दी गयी। श्रीमन्, कमर से नीचे गोली चलाने के आदेश हैं यह नियमानुसार लिखा हुआ कानून है तो श्रीमन्, हर तरह से किसान की जमीन को जबर्दस्ती बिना मुआवजा दिये अधिग्रहीत करने के दोषी हैं अधिकारी और जिनके रहते हुए। गोली चली और जिन्होंने गोली चलायी वह पहले नंबर पर दोषी है संघर्ष समिति के सदस्यों से बात हो रही थी तो अरेस्टिंग क्यों करायी गयी और गोली कमर के ऊपर क्यों चलायी गयी? मुख्यमंत्री जी ने यह सचमुच सही काम किया कि मुआवजा दिया काश्तकार को लेकिन उससे पुष्टि तो हुई कि अधिकारियों ने गलत काम किया है। तो श्रीमन्, मुआवजा न देकर गोली चलवा दी। निर्देश हुए कि जब तक मुआवजा न दिया जाये तब तक बाउण्ड्री वाल नहीं बनायी जा सकती है और श्रीमन्, पुष्टि कर दी कि दोषी वह अधिकारी हैं वह गोली चलाने वाले जिन्होंने गोली चलायी और जिनके रहते ही गोली चली और पूरी पुष्टि तो सरकार के मुखिया ने कर दी क्योंकि मुआवजा भी दे दिया और निर्देशित भी कर दिया। श्रीमन्, अगर ऐसा नहीं होता तो अपराधी अधिकारी न होते और गोली चलाने वाले कर्मचारी न होते तो निश्चय ही फिर पुलिस और पी0ए0सी0 को निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मान्यवर, सच बात यह है कि जो बात होती है कहीं न कहीं से आती जाती है। तो श्रीमन्, निश्चित तरीके से सारे के सारे अधिकारी पुलिस पी0ए0सी0 के जवान दोषी हैं। सबसे पहले सदन में घोषणा यह होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को आकर यह घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो संसदीय कार्यमंत्री यह घोषणा करें कि डी0एम0,एस0डी0एम0 पुलिस के अधिकारी थानेदार या पी0ए0सी0 के जवान जिन्होंने गोली चलायी है उनके खिलाफ 302 और 307 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन-कौन दोषी है। पहले तो मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए क्योंकि यह चार तथ्य जो मैने रख दिये हैं इनमें से कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो निराधार हो और जिनका कोई आधार न हो सारे तथ्य ऐसे हैं जो स्वयंसिद्ध हैं, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है मुआवजा दिया नहीं और कब्जा, स्वयं सिद्ध है, संघर्ष समिति के सदस्यों की बात हो

रही है फिर गोली चलना शुरू हुई और अरेस्टिंग शुरू हो गयी। मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया कि बहुत गलत बात हो गयी मुआवजा दे दिया और कह दिया कि बाउन्ड्रीवाल तभी बनेगी जब मुआवजा मिल जायेगा तो ये सारी बातें स्वयं सिद्ध है इसमें कोई बात कहने की नहीं रह जाती हैं इसमें संसदीय कार्य मंत्री को मुकदमा दर्ज करने की घोषणा करनी चाहिए। यह प्रश्न लोकमहत्व का अविलम्बनीय है और महत्वपूर्ण है वहां के क्षेत्र की जनता बनारस के हवाई अड्डे की बगल की जनता जो हैं, पूरी तरह से उसके आतंक की समाप्ति के लिए तुरंत आदेश ही साथ में जाने चाहिए और इस प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति है, हर दल के नेता को बोलने की अध्यक्ष जी की अनुमति है, तो मुझे बोलने दें। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह एवं श्री विनोद मणि के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अखिलेश जी, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप स्थान ग्रहण करें, मेरा आग्रह सुन लें।

इस पर मैंने दल के माननीय नेताओं को अवसर दिया उन्होंने अपनी बात कह दी उसके पश्चात् जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर थे उनको भी मैने अवसर दे दिया, जो माननीय सदस्य अनुपस्थित थे, अखिलेश जी अनुपस्थित थे मैने दो बार नाम पुकारा अब यह कोई तरीका नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी उदारता को आवाज दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप विद्वान और बहुत पुराने सदस्य हैं इस सदन के इस तरह से सभी माननीय सदस्यों का आग्रह होगा कि मुझे क्यों न अवसर दिया जाय?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपने अभी उदारतापूर्वक उनको भी अवसर दिया जिनके हस्ताक्षर नहीं थे इसलिए दिया कि महत्वपूर्ण था।

श्री अधिष्ठाता-

केवल दल के नेताओं को दिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरी बात तो सुन लें, जो अवसर दिया उसकी तारीफ भी करूंगा। अशोक भाई नहीं थे, आपने उनका नाम पुकारा था। बाद में वह आये तो उन्होंने कहा मैं नहीं था, तब आपने उनको बुलवा लिया। यही बात अखिलेश जी कह रहे हैं, आपने उनका नाम पुकारा था, वह सूचना एकत्र करने गये थे। यह दो मिनट से ज्यादा बोलते नहीं हैं, हर काम दो मिनट में कर देते हैं।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, यह सरकार किसानों, मजदूरों की विरोधी सरकार है और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की उत्पत्ति ही खूनखराबे और दंगे के रूप में हुई है। मान्यवर, यह जो किसानों पर गोली चली है, वाराणसी की घटना है, उसमें एक आदमी मारा गया, कई घायल हुये है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के जिन-जिन जनपदों में प्रदेश की सरकार ने जमीनों को अधिग्रहीत किया, वहाँ 20-20,

30-30 साल से मुआवजा नहीं बटॉ। प्रदेश के किसानों से सरकार की आस्था हट गई है, मुआवजे का न दिया जाना ही वाराणसी की घटना का मूल कारण है, वहॉ के किसानों को सरकार पर विश्वास नहीं था, वह यह जानते थे कि बिना पैसा दिये सरकार ने जमीन पर कब्जा कर लिया तो फिर कभी मुआवजा नहीं मिलेगा, इसी बात का वहॉ के किसानों ने विरोध किया, वैसे भी सरकार को बिना मुआवजा दिये जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। विरोध करने पर उनके ऊपर लाठी चली, गोली चली। इस घटना में जो लोग शामिल हैं, चाहे वह पुलिस के हों, प्रशासन के लोग हों, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाना चाहिये और जो घायल हैं, उन्हें 50 हजार रूपये और जो मारे गये हैं, उनके परिजनों को कम से कम 5 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाय। यदि इस घटना की सरकार सही जॉच कराना चाहती है तो सदन के सभी दलों के सदस्यों की एक समिति बनाकर सरकार जॉच करा लें, संसदीय कार्य मंत्री उसकी अध्यक्षता कर लें। यही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। मान्यवर, दो मिनट में श्रद्धांजलि समारोह होता है, मैं दो मिनट में ही अपनी बात कहूँगा। जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, किसानों का नारा देकर आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया। चाहे रामकोला गोलीकांड हो, चाहे पडरौना गोलीकांड हो। रामकोला में दर्जनों किसान मारे गये थे। इसी प्रकार कल बावतपुर हवाई अड्डे पर इसलिए गोली चली कि किसानों का अपराध मात्र इतना था कि वह अपने मुआवजे की मॉग कर रहे थे। मान्यवर, तथ्य क्या है, 27 एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहीत करती है और 7 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से हवाई अड्डे विस्तार के लिये। इस सरकार को हवाई अड्डे के विस्तार की तो चिन्ता है लेकिन किसानों के भविष्य की चिन्ता नहीं है। सरकार ने बगैर मुआवजे दिये वहां जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया और जब किसानों ने उसका विरोध किया तो बदले में सरकार ने गोलियॉ चलवाई. . . . .

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है, एक व्यक्ति की लाश मिली है और दर्जनों लाशें शासन के इशारे पर किसानों की गायब कर दी गयी हैं सैकंडों किसान घायल हुए हैं। जैसा प्रमोद कुमार जी ने कहा कि अगर सरकार ईमानदार है, यदि सरकार निर्दोष है यदि वह किसानों का हित सोचती है, क्योंकि यह गम्भीर प्रकरण है तो इसकी जॉच संयुक्त संसदीय समिति से कराये। एक तरफ हवाई अड्डे का विस्तार करते हैं और दूसरी तरफ निर्दोष किसानों पर गोलियॉ चलायी जाती हैं। मछली शहर में भी एक किसान को 125 रूपया बकाया होने पर पीट-पीट कर मार डाला गया था। मैं सरकार से मॉग करता हूँ कि मृत व्यक्ति के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हुए हैं उन्हें 1-1 लाख का मुआवजा यह सरकार दे।

(श्री अब्दुल सलाम के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया बैठें।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करने की कृपा करें और इसलिए करें कि तथ्य जो मैने बतलाये हैं, जबरदस्ती बातचीत के दौरान ही गोली चलवा देना उचित नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने भी इसे सही मान लिया है कि बाउंड्रीवाल नहीं बने और किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों के सीने में गोली लगी है। इसलिए सबसे पहले तो उन अधिकारियों के ऊपर जो वहाँ मौजूद थे और जिन लोगों ने गोली चलायी उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। इसकी घोषणा होनी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दें तो ज्यादा उचित होगा, इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें, आपका सुझाव आ गया है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और सम्मानित नेतागण, सदस्यगण ने इस घटना का उल्लेख किया और कुछ मॉग भी रखी। इससे पूर्व कि शासन का पक्ष रखूॅ कुछ तत्थ मेरे लिए रखना आवश्यक है। मान्यवर. . . . .

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, जो तथ्य मैंने रखे क्या वह गलत हैं?

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान/शोर)

(वेल में आये हुये सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें। सरकार का पक्ष आ जाने दीजिए।

(वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान/शोर जारी रहा।)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विपक्ष ने अपनी बात कह ली अब वह सरकार का पक्ष नहीं सुनना चाहते। अगर सरकार का पक्ष नहीं सुनेगें तो मेरी यह मॉग है कि इस विषय पर जो कुछ कहा गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये और इसका प्रकाशन भी न हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर जिस तरीके से माननीय नेता विरोधी दल के खड़ा होने पर सत्ता दल के लोगों ने व्यवधान किया उसे नियंत्रित करने का काम माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधे-सीधे जबावदेही चाहते हैं कि वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

मान्यवर [x x x x]

(घोर व्यवधान/शोर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया माननीय सदस्य अपने स्थान पर चलें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी बात कह लें, अगर आप असन्तुष्ट हैं तो यह आपका लोकतान्त्रिक अधिकार है।

(वेल में आये हुये सदस्य श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है और इस प्रकरण पर जो तथ्य मेरे सामने हैं अगर उन तथ्यों को नहीं रखूॅगा तो शायद इस प्रकरण के साथ न्याय नहीं कर पाऊॅगा और माननीय सदस्यगण भी न्याय नहीं कर पायेगें। बावतपुर हवाई अड्डे के रनवे के विस्तारीकरण का प्रश्न था। 26 हेक्टेयर भूमि का धारा-4 के

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अन्तर्गत 29.9.2000 को नोटीफिकेशन किया गया। उसके बाद 8.1.2001 को धारा 6/17 के अन्तर्गत नोटीफिकेशन हुआ। इस भूमि का 80 प्रतिशत मुआवजा सवा करोड़ रूपया किसानों को दे दिया गया था। किसानों की मॉग थी कि बाजारी भाव पर मूल्य दिया जाये। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने तमाम कृषकों की बैठक बुलायी और बैठक में मॉग की गयी कि बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाय। जिलाधिकारी ने और स्थानीय प्रशासन ने सहमति व्यक्त की और सहमति व्यक्त करने के बाद में मुआवजा बढ़ाने के लिए शासन को संदर्भित कर दिया गया जो शासन के पास विचाराधीन है।

इसी बीच में 1 मई, 2001 को वहॉ बाउण्ड्री वाल बनना शुरू हुआ, किसी प्रकार कोई विरोध नहीं था लेकिन 14 मई, 2001 को कुछ किसान जिलाधिकारी से मिले, उनका प्रतिनिधिमण्डल मिला और उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत कठिनाई थी उसका उन्होंने उल्लेख जिलाधिकारी के सामने किया जिसके निस्तारण के लिए परगनाधिकारी को अधिकृत किया गया। 21 मई, 2001 को (कल) जब दीवाल का निर्माण चल रहा था तो पॉच-छ: सौ कृषक इक्ट्ठा हुये, विरोध किया और बाउण्ड्री वाल तोड़ने के बाद में जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी गये हुये थे उनको तीन तरफ से घेरा। जो स्थिति बनकर आयी, वह यह थी कि पुलिस फोर्स कम थी परगनाधिकारी मौजूद थे, सी0ओ0 मौजूद थे और एक पुलिस का इन्सपेक्टर मौजूद था। उन्होंने जब अपने को घिरा देखा, ईट-पत्थर फेके गये, 10 लोग घायल हो गये। एस0डी0एम0, सी0ओ0 और जो दरोगा मौजूद था इन तीनों सहित 10 प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस कर्मी घायल हुये तो दो लोगों-स्वयं परगनाधिकारी एवं सी0ओ0 ने जो उनके पास सर्विस रिवाल्वर भी उससे फायर किया, उस फायर से मेवा लाल कृषक जिसकी उम्र 55 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गयी और 6 कृषक घायल हो गये. . . . .

मान्यवर, संक्षेप में यह सारा का सारा प्रकरण है, मान्यवर, जैसे जानकारी मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक के आश्रितों को दो लाख रूपये देने की घोषणा की जो दिया जा चुका है जो घायल हैं उनको 25-25 हजार रूपये देने की घोषणा की है। मान्यवर, यह जो घटना हुई है इसकी जांच मण्डलायुक्त से करायी जायेगी। मुआवजे का भुगतान होने तक निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैने जो 4 सबूत रखे थे, क्या मेरे द्वारा कहा गया कोई तथ्य मिथ्या है, संसदीय कार्य मंत्री जी इसका उत्तर दे दें। क्या किसानों का मुआवजा बाकी था, क्या संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत चल रही है, गोली कमर के नीचे चली या ऊपर चलायी गई। माननीय मुख्यमंत्री ने माना कि गलती हुई है और मुआवजा दिया है और कहा है कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं दे दिया जायेगा तब तक बाउन्ड्रीवाल नहीं बनेगी, तो इसमें कौन सा तथ्य झूठ है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, परगनाधिकारी के पास उत्तर प्रदेश सरकार सर्विस रिवाल्वर कब से देने लगी है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसी जिसकी मानसिकता होती हैं वैसे ही प्रश्न भी करता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष किसान उन्होंने किसानों की बात पूछी, माननीय सदस्य फौजदारी के वकील हैं, उन्होंने यह प्वाइन्ट पकड़ा कि किसके पास रिवाल्वर होती है?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सरकार की मानसिकता गोली चलाने वाली है, यह सरकार हत्यारी सरकार है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अपना वक्तव्य तो पूरा कर लेने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यों को साफ-साफ रख दिया है। इन अधिकारियों पर मुकदमा चलाकर इनको कितने बजे तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा इसकी आप घोषणा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी को अपना दृष्टिकोण रखने दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नेता विरोधीदल ने स्वयंसिद्ध तथ्यों को रखा है। श्रीमन् किसी की हत्या हुई है इसमें दृष्टिकोण क्या है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपके सामने तथ्य आ जायें आपकी जो जिज्ञासा होगी उसका उत्तर दूँगा। सबसे बड़ा प्रश्न है जॉच किस बात की जा रही है। जॉच इस बात की जा रही है यह प्रश्न हमारे सामने भी है कि मुआवजा 80 प्रतिशत दे दिया गया। किसान बढ़ाने की मांग कर रहे थे सारा प्रकरण शासन के विचाराधीन है तो क्या आवश्यकता हो गयी कि जब तक मुआवजा न दिया जाये तब तक निर्माण कार्य न किया जाये। क्या इन्तजार नहीं कर सकते हैं। यह जॉच का विषय है यदि किसानों की मॉग थी जब तक मुआवजा न मिले निर्माण कार्य नहीं होगा। दूसरी मॉग थी जब तक मुआवजा न मिले निर्माण कार्य नहीं होगा। दूसरी जॉच का विषय है कि जिन अधिकारियों ने गोली चलायी है, अगर गोली चलाना जस्टिफाइड था, बिना कारण गोली चलायी, यह गलती पायी जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। लेकिन यह तो जॉच के बाद आयेगा, जॉच नहीं होगी तो किस पर कार्यवाही कर दी जायेगी?

(अनेक सदस्यों के वेल में आने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के वेल से सदस्यों ने मांग की कि दोषी अधिकारियों पर 302 का मुकदमा चलाया जाये)

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, किसानों पर बर्बर लाठी गोली चलायी गयी है। गोली वर्षा हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांत रहें। अपना स्थान ग्रहण करें।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो दोषी अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत महत्वपूर्ण बजट आज हैं, कृपा करके स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x]। सरकार के किसान विरोधी रवैये को देखते हुये बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, 4 बातें रखी हैं उसके बारे में मैंने कहा था कि मेरे तथ्य सही हैं अगर [x x x x] हैं तो सरकार बताये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल से आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है। अगर उनकी अनुमति हो जाये और सरकार का पक्ष पूरा आ जाय तो उचित रहेगा। आपने आरोप लगाया था कि सरकार ने किसानों की हत्या की है। मैं आंकड़े देना चाहता हूँ जिसके आधार पर इन लोगों के शासनकाल में किस तरह से मजदूरों, किसानों की हत्यायें की गयी हैं। (शोर) डाला में इन्होंने मजदूरों की हत्यायें करवायीं। 1990 में 405 लोग गिरफ्तार कियें गये।

(अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपने आसन पर जायं।

श्री हुकुम सिंह-

अभी हमारी बात पूरी नहीं हुयी है। मुझे उन सारी घटनाओं का उल्लेख कर लेने दीजिये जो इनके शासनकाल में हुयी और [x x x x] आज यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। [x x x x]

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर सदस्यगण वेल से अपने आसन पर चले गये।)

श्री धनीराम वर्मा-

सरकार तथ्यों को छिपाने का काम कर रही है। मैंने आपके समक्ष केवल 4 बातों को रखा था उस संबंध में बतायें कि क्या मेरी बात सत्य है या नहीं?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है [x x x x x x] और यह हम आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान जारी)

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्यमंत्री विद्युत विभाग के बजट पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। [x x x x x]

श्री धनीराम वर्मा-

मेरे चार प्रश्नों संयुक्त संसदीय समिति से जॉच कराने का प्रश्न, रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रश्न गोलियॉ ऊपर से नीचे चली या ऊपर चली इसका भी कोई जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने माना कि गलत काम हुआ है अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने, पी0ए0सी0 वालों ने गलत काम किया है इन सारी चीजों को सरकार के मुखिया मान रहे हैं फिर भी संसदीय कार्यमंत्री जी तथ्य से परे बात कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का वर्हिगमन करता है।

(विरोध स्वरूप नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने एक अनुरोध किया था कि सदन की एक संयुक्त समिति बना दे जिसमें आपका बहुमत हो वह मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन कर ले और एक तारीख तय कर लें कि इतने दिन बाद रिपोर्ट आ जाए। क्योंकि संसदीय कार्यमंत्री जी के पास वही जवाब है जो प्रशासन ने दिया हमारे पास वह जवाब है जो हमें विभिन्न श्रोतों से मिला है। आप एक संयुक्त संसदीय समिति बना दें चाहे वह समिति संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो। दूसरी चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी यह बात कही गई कि बल

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रयोग किया जब भीड़ अनियंत्रित हो गई मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अभी कहा कि सर्विस रिवाल्वर से फायर हुआ तो जो यूनीफार्म में नहीं उन एस0डी0एम0 को कब से सर्विस रिवाल्वर दी जा रही है। जो मेरी सूचना है उसके अनुसार वहाँ पर तैनात एक अधिकारी ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया?

श्री हुकुम सिंह-

जो बिन्दु नेता कांग्रेस ने उठाए हैं संयुक्त समिति वाली बात मैंने बड़े अदब के साथ अपनी बात रखी थी कि किन बिन्दुओं पर मण्डलायुक्त से जॉच करा रहे हैं मंडलायुक्त से जॉच इस बिन्दु पर करा रहे हैं कि क्या किसानों ने इस बात का विरोध किया था कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल जाए पूरी धनराशि न मिल जाए तब तक निर्माण कार्य शुरू न किया जाए इसका विरोध किया था व किसानों के विरोध के बावजूद निर्माण कार्य क्यों शुरू किया गया इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद संयुक्त समिति की आवश्यकता नहीं है। मैंने 50 साल का इतिहास निकलवाया जो लोग आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के निरीह प्राणियों पर उत्तरांचल की महिलाओं के साथ जो काण्ड इन लोगों की सरकार में हुआ था, निरीह प्राणियों को गोलियों से भूना गया वह किसी से छिपा नहीं है।

डाला के श्रमिकों पर जिस तरह से गोली प्रहार किया गया किसी से छिपा नहीं है। 91 में इनकी सरकार थी और 50 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 405 व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगो के शिकार हुये हों या सरकार की पुलिस की गोली से इतनी जाने गई हों। केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मीटिंग में गये हैं फिर भी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री सिंह को उन्होंने निर्देश दिया कि बनारस जायें और जो मृतक परिवार हैं,जो घायल परिवार है उनको सान्त्वना दें उनके उपचार की व्यवस्था करें, यह है हमारी संवेदनशीलता। आज विरोध पक्ष में ऊर्जा के बजट पर कोई तैयारी नहीं कर पाया है इसीलिए किसी न किसी कारण से इस सारे प्रकरण को समाप्त करना चाहते हैं मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा आग्रह है कि इस सूचना को निरस्त किया जाय और आगे की कार्यवाही चलाई जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती अत: मैं इसे निरस्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

यह सरकार कहना चाहती है कि उनके कार्यकाल में हत्यायें हुई। हमारे में हुयी तो क्या मतलब [x x x x x] इसलिए मैं इस [x x x x] के विरोध में अपनी पार्टी सहित इस सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(तत्पश्चात श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह सरकार गलत बयानी करती है यह सरकार किसान विरोधी है। इसलिए इस सरकार की नीतियों के विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद ने भी अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,70,94,40,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् आज ऊर्जा के महत्व को कोई नकार नहीं सका है। दैनिक जीवन हो, उद्योगों को बढ़ावा हो, आर्थिक विकास की बात हो, प्रतिव्यक्ति आय की बात हो बिना ऊर्जा के यह सब नहीं हो सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में जितना कार्य किया जाना चाहिए था पिछली सरकारों ने कार्य नहीं किया जिससे ऊर्जा का राजनीतिकरण ही हुआ। जितनें भी प्रदेश है वहॉ पर ऊर्जा की स्थिति दिन पर दिन जर्जर होती चली गई घाटा में यह उद्योग आ गया। इसलिए तमाम राज्यों ने आज रिफार्म को स्वीकार कर लिया है। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो यह आरोप लगाया जा रहा था कि यह सरकार निजीक्षेत्र को उत्तर प्रदेश की जायदाद बेंच देना चाहती है लेकिन जो लोग यह आरोप लगा रहे थे और जिन राज्यों में उनकी सरकार है उनमें देखें वहाँ भी इसी रिफार्म को स्वीकार किया गया है। सिर्फ राजनीतिकरण करनें और बदले की भावना से आरोप लगाने का नतीजा यह हुआ कि राज्य विद्युत परिषद कर्जे के बोझ में इतना दब गया कि राज्य विद्युत परिषद की माली हालत देखकर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में इनवेस्टमेन्ट करने के लिए राजी नहीं हुआ। मेरे ऊर्जा मंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी द्वारा ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था तो मैं ही पहला ऊर्जा मंत्री था जिसने इस बात की आवाज उठाई कि जब तक नेशनल इश्यू ऊर्जा को नहीं बनाया जायेगा, राज्य का मुद्दा बनाकर छोड़ दिया जायेगा तो जो ऊर्जा विभाग को प्रगति करनी है उससे वह पूरी नहीं हो सकती है। जब तक टैरिफ रूरल और अरबन एक नहीं होगा, ऊर्जा का राजनीतिकरण होता रहेगा। तमाम राज्य अपने यहां किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं वहाँ क्या स्थिति है, इसको देखने की बात है। मैं हरदम इस बात का पक्षधर रहा और जितने ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन हुए मैने इस बात को कहा कि राज्य विद्युत परिषद् या पावर रिफार्म के बाद जो भी स्टेट बनी उसके पास कर्जे का पैसा और ब्याज चुकाकर यह सम्भव नहीं होता है।

हमने प्रधानमंत्री से मांग की थी कि ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं उसमें ग्रामों का विद्युतीकरण जोड़ दिया जाय। प्रधानमंत्री अगर केन्द्र . . . . .से पैसा नहीं देगें तो राज्यों के सामने आर्थिक स्थिति खराब हो जायेगी। आज कितना बकाया सरकार के ऊपर है। इस बार केन्द्र सरकार ने ग्राम विकास योजना और गावों के विद्युतीकरण की बात को स्वीकार कर लिया है। गांवों के ऊर्जीकरण के लिये पैसा केन्द्र सरकार हमको दे रही है। हम लोगों ने एक बात लगाये रखी और हमारी बात को स्वीकार भी किया गया। मैं कह सकता हूँ कि जितना पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सरकार के आने के बाद सुधार लाना शुरू किया पावर कारपोरेशन बनाकर 19 हजार 500 करोड़ जो राज्य विद्युत परिषद् के ऊपर लायबिलिटी थी उसको राइट-आफ किया। 6,200 करोड़ कर्मचारियों की 14 जनवरी, 2000 तक लायबिलिटी आ रही थी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया। 27 हजार करोड़ रूपये राज्य सरकार ने विद्युत परिषद् और उसके कर्मचारियों की लायबिलिटी स्वीकार की जो आप देख लें हिन्दुस्तान की जितनी भी रिफार्म स्टेट हैं सबके धन को मिला लिया जाय उससे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने राइट आफ किया है और यह इसलिये किया है कि हम निगम बना रहे हैं तो निगमों की बैलेंस शीट अच्छी रहे। यहां तक सेन्ट्रल प्लान एसेसटेरी से 240 करोड़ रूपये इस बात के लिये कि जो राज्य विद्युत परिषद् का पिछला बकाया था भी वह किसी तरह से पूरा हो।

जब सुधार विधेयक लागू किया तब भी कहा कि ऊर्जा का सुधार ऐसा नहीं कि एक दिन या एक वर्ष में होने जा रहा। एक निरन्तर प्रक्रिया है। इसके लिये 5 साल का टारगेट लिया। यह स्वीकार किया कि 10 हजार करोड़ रूपये राज्य सरकार सब्सीडी या अन्य मदों से ऊर्जा विभाग को मदद करे जिससे कि रिफार्म सही तरीके से लागू हो जाय। हम चाहते हैं और उसके लिये प्रयास कर रहे हैं, 5 साल का टारगेट इसीलिये रखा है। इस सदन में रोजाना चर्चा होती रहती है कहीं न कहीं से ऊर्जा के विषय में कोई न कोई बिन्दु रोज ही आ जाता है सदन में। श्रीमन् हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश ऊर्जा के

क्षेत्र में बहुगामी रहेगा। रिफार्म के बाद निजी क्षेत्र के लोगों की भागीदारी निगम की तरफ बढ़ी। यह नहीं कह सकते कि जितना अपेक्षित था उतना मिला। लाइन लौस 42.5% से घटकर 31.6% हो जायेगा। आरोप लगाया जाता है कि विद्युत चोरी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, विभाग इसको रोक पाने में अक्षम है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं सदन के सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ। आन्ध्र प्रदेश जो कि रिफार्म के बाद सबसे ज्यादा प्रगति पर चल रहा है वहां 46 प्रतिशत, दिल्ली में 50 प्रतिशत। उड़ीसा में रिफार्म सबसे पहले हो गया वहाँ 37प्रतिशत है। हमने 41 परसेन्ट स्वीकार किया इससे पहले 26 प्रतिशत लाइन लास स्वीकार हुआ। गाँवों को दी जाने वाली बिजली उसमें जोड़ दी जाती थी हमने इस बात को कहा इस बात की चिन्ता व्यक्त की जब तक एक्चूअल फीगर नहीं लाएंगे तब तक सुधार की तरफ कैसे जाएंगे। लाइन लास 2000 में 41 प्रतिशत था 2001 में 40.5 प्रतिशत था। 1 प्रतिशत की कमी आई, 2003 में 37.5 प्रतिशत हो गया, 2004 में दो प्रतिशत की कमी आई, 2005 में 31 के करीब इसको ले जाएंगे। आई0सी0आई0सी0 आई ने रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट को हमने भी स्वीकार किया है डेढ़ प्रतिशत की कमी की बात है। हम एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार लाइन लास को पांच प्रतिशत घटाने का आब्जैक्ट रखा है पांच प्रतिशत राजस्व को बढ़ाने का आब्जैक्ट रखा है।

इस वर्ष लाइन लास में तीन प्रतिशत कमी की गई है हमने सुधार में प्रगति की है। जबकि तीन-तीन हड़तालें रहीं, असहयोग की बात रही विपक्ष को सहयोग करना चाहिए था, हम चाहते थे विकास में विपक्ष सहयोग दे लकिन आरोप के अलावा विपक्ष ने कुछ नहीं निभाई। आप कहते आपकी सरकार ने प्रयास किया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम दोनों मिलकर चलते आरोप प्रत्यारोप होते हैं लेकिन अगर प्रदेश ही नहीं रहेगा तो किसके लिए लड़ा जाएगा, जो सहयोग की भावना हम देखना चाहते थे वह हमें देखने को नहीं मिली, आरोप के कटघरे में हम खड़े रहे। श्रीमन् रेगुलेरटी कमीशन का गठन किया गया, आरोप लगाया गया कि 7 रूपया बिजली की दर हो जाएगी, किसी ने कहा निजी क्षेत्र को बेच दिया गया, हमने कहा कि नियामक आयोग का गठन कर रहे हैं वह स्वतंत्र इकाई है विद्युत दर तय करने का अधिकार उसको होगा। पहले सरकार विद्युत की दरें तय करती थी इसकी वजह से घाटा बढ़ता गया। हमारा टैरिफ क्या हो यह नहीं जान पाए रिफार्म की समस्या थी यह कहा गया दर 7 रूपया होगी। हमने रेगुलेटरी कमीशन को अंजाम दिया। हमने कहा था कि 16 प्रतिशत से ऊपर टैरिफ नहीं बढ़ायेंगे, हमने कहा था इसका वायदा करते हैं कि इस वर्ष रेगुलेटरी कमीशन को राज्य सरकार ने टैरिफ दिया है पांच प्रतिशत बढ़ोत्तरी की बात को हमने स्वीकार किया। सब्सिडी मिलनी चाहिए यह बात आई साढ़े आठ करोड़ सब्सिडी थी वह 900 करोड़ हो गई राज्य सरकार उसको बहन करेगी। हम 60 पैसे घाटे में बिजली दे रहे हैं। कन्जूमर रेट 2.99 है जबकि 2.40 हमें मिल रहा है इस तरह 60 पैसा घाटे में बिजली दे रहे हैं इस समय जो बिजली की कटौती नहीं हो रही है।. . . . .

श्रीमन् बड़ा हल्ला था कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा कम हो गयी है, चारों तरफ बिजली नहीं आ रही है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते से बिजली की कटौती नहीं हो रही है बल्कि हमारे पास उपलब्धता ज्यादा है और हमें थर्मल पावर स्टेशन को बैक करना पड़ा। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं, जो मानक हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश को बिजली दे रहे हैं। यह एक उपलब्धि है। इसको भी अगर आप क्रिटिसाइज करेगें, इसका भी राजनीतिकरण करेगें तो फिर क्या होगा? हम यह चाहते हैं कि आरोप लगायें और यह आपका अधिकार है, हम भी जब विपक्ष में थे तो आरोप लगाते थे. . . .

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, [x x x] बोलने में इनको महारथ हासिल है।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल-

हम तो ऐसे दल से आते हैं जहॉ पर सदैव सत्य ही बोला जाता है। लेकिन इनके यहॉ तो सच नहीं बोला जाता है। इनके यहॉ तो बोलने की फ्रीडम है ही नहीं। जमीन पर इनको बैठाया जाता है। यहॉ पर यह लोग बोल लेते हैं हम इनकी बात का बुरा भी नहीं मानते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जिस जमीन पर हम लोग बैठते हैं वहॉ पर यह झाड़ू लगाने का काम करते थे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने झाड़ू लगाया है और आगे भी लगायेगे। यह तो सबको दिखायी ही दे रहा है। जो कुरीतियॉ है और गलत दिशा में जाने वाली चीज है उस पर हमने लगाया है। मैं यह चाहता हूॅ कि विपक्ष भी रहे लेकिन वह जिम्मेदार हो, जिनकी कुछ मान्यताएं हों। लेकिन मैं उन सारी बातों को नहीं कहना चाहूॅगा यह अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूॅ कि उत्तर प्रदेश में अच्छा विपक्ष और सत्ता पक्ष रहें तो इससे प्रदेश का हित होगा। मान्यवर, पिछले साल हमने तीन निगम बनायें। यू0पी0 पावर कारपोरेशन, यू0पी0 उत्पादन निगम और जल निगम। हमें यह समीक्षा करना चाहिए कि एक वर्ष में क्या नतीजा रहा, क्या इससे हम संतुष्ट हैं, क्या और सुधार करना चाहिए और क्या जो वायदे किये थे उनको पूरा किया है कि नहीं, भविष्य में योजनाएं क्या हैं इनपर चर्चा करना चाहिए। अगर इन पर विचार नहीं रखेगे, क्षेत्र की बात करते रहे तो प्रदेश के साथ न्याय की बात नहीं करेगे। मान्यवर, जिस समय पावर कारपोरेशन बन रहा था उस समय यह कहा गया कि कर्मचारियों के हित का क्या होगा, उनकी ग्रेच्यूटी, पेंशन का क्या होगा, प्रोविडेन्ट फंड का क्या होगा, उनकी सेवा शर्ते क्या रखेगे यह चर्चा हुई थी। मान्यवर, 25 जनवरी को रात को जो समझौता इनके साथ हुआ था तो हमने इस बात को स्वीकार किया था कि कर्मचारियों का हित सर्वोपरि रहेगा और पावर कारपोरेशन बनने के एक वर्ष में ट्रांसफर स्कीम को लागू कर दिया, ट्रस्ट भी बना दिया, ओपशन स्कीम ले ली, जो उत्तरांचल में चले गये उन्हें डेपटेशन में मान लिया गया। मान्यवर, जब हमने उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग संभाला था तो उस समय 67 लाख कन्जयूमर थे। यह बात हुई कि उत्तर प्रदेश की आबादी 1.6 करोड़ और कन्ज्यूमर 67 लाख तो क्या 15 करोड़ से ऊपर बिना बिजली के रह रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखायी नहीं दिया। हमने एक अभियान चलाकर इसका 67 लाख से बढ़ाकर 86 लाख कन्ज्यूमर ले आये हैं. . .

मान्यवर, हमारा लक्ष्य इस वर्ष एक करोड़ उपभोक्ता करने का है मान्यवर, हम अभियान चला रहे हैं हमने सदन में घोषणा भी की है 23 तारीख से खुद अभियान में जायेंगे लेकिन सदन चल रहा था अब 3 तारीख से हम उत्तर प्रदेश में फिर अभियान चलाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया हुआ है यद्यपि जगह-जगह विरोध हो रहा है लेकिन मान्यवर, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राजनीतिक दल के व्यक्ति यह तो कहते हैं कि हमारे यहां बिजली की चोरी हो रही है और किसी ने हमसे सहयोगी नहीं मांगा कि इस बात का अभियान चलाया जाये कि हमारे क्षेत्र में बिजली चोरी हो रही है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चोरी को कैसे रोका जाये और हमारा सहयोग कैसा होगा? मान्यवर, अभी एक दूसरे विषय पर बात हो रही थी कि संसदीय समिति बना दी जाये। मैं तो कहूॅगा कि इस मुद्दे पर समिति बना दी जाये मैं तो तैयार हूॅ। बिजली चोरी के मामले में सारे दलों का कैसे सहयोग मिले इस पर एक समिति बना दी जाये मैं तैयार हूॅ उस समिति के लिए आप सहयोग की बात करें।

श्री अधिष्ठाता-

बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने एम0ओ0यू0 साईन कराया सी0जे0डी0 और पावर कारपोरेशन का और इसको जे0ई0 लेविल से साइन किया गया। मान्यवर, 11 के0वी0 फीडर पर मीटरिंग की बात हुई कि कितनी पावर गयी और कितनी बिजली दे रहे है प्रत्येक फीडर से और कितना रिटर्न मिल रहा है। जितनी बिजली में

उतना पैसा दें और अगर चोरी हो रही है तो जिम्मेदारी कर्मचारी की होनी चाहिए। हमने आदेश कर दिया कि अभियान में चोरी पकड़ी जाये तो कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए। इसका विरोध शुरू हुआ है अखबारों में हमने आज पढ़ा ऐसे कर्मचारी जो चोरी में लिप्त रहे उसके लिए सजा हो। हम चाहते हैं कि जनता और कर्मचारी दोनो लोग सजा के हकदार हों, जो लिप्त हों। मान्यवर, हमने इलेक्ट्रिसिटी थैफ्ट एक्ट में संशोधन कराया अभी राष्ट्रपति महोदय की उस पर सहमति मिलनी शेष है।

मान्यवर, हम विभाग को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं हम इस बात के पक्षधर हैं कि जो सत्यता है वह सामने आनी चाहिए। हमने पब्लिक मंच पर कहा है मीडिया में कहा है कि अगर कर्मचारियों की मिली भगत न होती तो उत्तर प्रदेश में शायद बिजली चोरी नहीं हो रही होती हमने कर्मचारी संगठनों से भी कहा है कि सुधार अपनी तरफ से लाना होगा अगर सुधार की बात न करे तो हमसे सहयोग की बात न करें।

मान्यवर, तमाम ऊर्जा मंत्री रहे संगठनों के डर में दबाव में रहे कॅुवर साहब भी रहे कितने दबाव में रहे मैं यह नहीं कह सकता। मान्यवर, कर्मचारी संगठनों से बात करके विभाग चलाया जाता था [illegible] गलत पद्धति चल गयी थी। मान्यवर, मंत्री,मंत्री होता है शासन,शासन होता है। शासन का निर्णय है कर्मचारियों को मानना पड़ेगा नीति शासन बनायेगा कर्मचारी संगठन नहीं। मैं इस बात का पक्षधर नही था कि नीति कोई और बनाये हमने कहा कि नीति हमारी होगी और पालन करने का काम आपका है। आज भी मतभेद की बात होती है हमने कहा कि जितनी हड़ताल करनी है कर लो। मान्यवर, यह तो हमने जनता से आहवान नहीं किया अगर जनता से आह्वान कर लिया होता तो वे ताजिन्दगी हड़ताल करने की सोच भी नहीं सकते लेकिन मान्यवर, सरकार की एक सीमा थी हमने बड़प्पन दिखा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे पूछकर नीति बनायेंगे। हम उनके हित का संरक्षण करेंगे जो उनको शासन से फैसिलिटी मिलती है उसको देखेंगे लेकिन हमें डिक्टेशन दो इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि जे0ई0 संगठन ने जब अपनी बैठक करी तो उन्होंने कहा कि हम इस बात का वायदा करते हैं कि हम 6 माह तक हड़ताल पर नहीं जायेगें तो मैने कहा कि इसको साल भर कर दें और भी संगठनों से हमने कहा कि इससे सीख लो हड़ताल पर जाने की जगह सुधार की बात करो इससे जनता का हित होगा और तुम्हारा हित होगा और सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। श्रीमन् अभी तक उत्तर प्रदेश इस्टर्न ग्रिड से नहीं जुड़ा था पावर कार्पोरेशन बनने के बाद उत्तर प्रदेश इस्टर्न ग्रिड से जुड़ा। अब हमको 250 मेगावाट और बिजली मिलेगा। इर्स्टन ग्रिड से जुड़ने के बाद आज उत्तर प्रदेश सारे ग्रिड से जुड़ गया है। कही भी किसी क्षेत्र में बिजली की कमी हो तो दूसरी ग्रिड से बिजली मिल जायेगी हमने उत्तर प्रदेश को चारो तरफ से जोड़ दिया हे तो इससे कहीं भी बिजली का उत्पादन हो रहा हे तो उत्तर प्रदेश को बिजली मिल जायेगी। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के 4 प्राफिट सेन्टर में अलग अलग जोन बनाने जा रहे हैं पहला है मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद दूसरा है आगरा, कानपुर और झांसी, तीसरा है बरेली, लखनऊ लेसा और फैजाबाद, चौथा है इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर और पांचवा है केसा। इनमें एक जी0डी0 एप्वाइन्ट करेंगे और एकाउन्टेन्ट देंगे।

हम पावर कापोरेशन को मैनेज करने में असमर्थ दिख रहे थे तो हमने इनको छोटा कर दिया अब हम इनके माध्यम से करायेगें लेकिन धीरे धीरे इनका निजीकरण करते जायेंगे। पिछली बार यह प्रश्न था कि किसकों को बेचा जा रहा है मेसा में लाखों करोड़ों का घाटा हो रहा है केसा में और भी विज्ञापन दे दिया है कि वह आये निजीकरण में, उत्तर प्रदेश निजीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़े। रिफार्म के बाद आज फाइनेन्शियल इन्स्टयूशन हमें पैसा देने को राजी हो गये हैं वर्ल्ड बैंक ने 600 करोड़ रूपया दिया है, 200 करोड़ उसमें पावर कापोरेशन लगायेगा उसमें पारेषण के क्षेत्र में 367 करोड़ खच्र करेंगे ओर इलेक्ट्रानिक मीटरिंग में 250 करोड़ सेकेन्डरी सिस्टम अपग्रेडेशन कि तार खराब हो गये, ट्रान्सफार्मर खराब हो गये इसमें 157 करोड़ खर्च कर रहे हैं। पूरे लखनऊ के सुदृढ़ीकरण करने में 102 करोड़ खच्र करेंगे। कुछ पीएफसी से भी लोन मॉग रहे हैं। हमने पारेषण के क्षेत्र में 102 करोड़ खर्च करेगें। कुछ पीएफसी से भी लोन मॉग रहे है।

हमने पारेषण के क्षेत्र में 678 की स्कीम पीएफसी को दी है। 125.3 करोड़ की स्वीकृति हो गयी, मैं ड्रा करने जा रहा हूँ राज्य पर उनके बोर्ड में चर्चा चल रही है और स्वीकृति मिल जायेगी। डिस्ट्रीव्यूशन के क्षेत्र में 318 करोड़ की स्कीम थी जिसमें 135 करोड़ की स्वीकृति हो गयी शेष पर विचार चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष में उसको ड्रा करके उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में क्रान्तिकारी सुधार करेंगे और धीरे-धीरे यह सिस्टम 5 साल तक चलेगा। 5 साल में पूँजी व्यय करेंगे, पूँजी व्यय नहीं करा तो हम उत्तर प्रदेश का हित नहीं देख पायेंगे। हम यह रखना चाहते हैं कि हमारी कितनी डिमान्ड होगी और क्या इनवेस्टमेन्ट होगा 96-2000 में ऊर्जा की मांग 52780 मि0यू0, पीक मांग 9718 मेगावाट इसमें पूँजी की आवश्यकता होगी 8948 करोड़ इसी तरह से 2001-2005 में ऊर्जा की मॉग 74633, पीक मॉग 13523 मेगावाट और पूँजी की आवश्यकता 23329 करोड़ होगी तो सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार इसको इनवेस्टमेन्ट कर सके। निजी क्षेत्र आता नहीं, इन्वेस्मेंट की कोई बात नहीं करता। प्रतिवर्ष बिजली की मॉग 12 से 15 प्रतिशत बढ़ रही है। उत्पादन 1993 से वही है, नये क्षेत्र में पावर स्टेशन उत्पादन शुरू नहीं कर पाये और उसका नतीजा यह हुआ है धीरे-धीरे मॉग और उत्पादन में अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष पीक आवर में मॉग 6400 मेगावाट तक चली गई, जो अपने आप में रिकार्ड है। जबकि पिछले वर्ष 6000 मेगावाट तक थी। एकदम इतना अधिकार भार आ गया कि कुछ कटौती ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ कि लोगों को ऊर्जा का महत्व समझ में आया। लोगों ने यह माना कि हमको बिजली मिलनी चाहिये, हम यह जागरूकता पैदा करना चाहते थे। हमारे रिफार्म का मकसद यही था कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग बिजली लें और बिजली का बिल भी दें। यह ठीक है कि बिजली 4 हजार करोड़ रूपया बकाया हैं, निजी क्षेत्र में और 2 हजार करोड़ सरकार पर बाकी है।

पिछली बार असेम्बली में एक प्रश्न भी आया था, जिसमें 10 बड़े बकायेदारों के बावत पूछा गया था। बहुत से लोग स्टे ले आये हैं। मैंने पावर कार्पोरेशन के अधिकारी और विभाग के अधिकारियों को बैठाया और कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। न्यायालय का स्टे और बकाये, दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। इसकी कोई न कोई योजना बननी चाहिये कि इतना बड़ा बकाया है हमारा और वह यूँ ही पड़ा रहे और हम वसूली न करें। बहुत सा बकाया ऐसा भी होगा जैसा लोग कहते हैं कि फर्जी बिल चले गये, लेकिन अगर हम 10-12 प्रतिशत ऐसा मान लें तो भी बकाये की धनराशि बहुत ज्यादा है। हम बकाये के लिये और कड़े कदम उठाने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर सब लोग राजी होगें। यह भी आरोप लगाया जाता है कि पूँजीपतियों से पैसा नहीं वसूला जा रहा है, केवल गरीबों से वसूला जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट में बड़े बकायेदार पहले नं0 पर हैं, उससे छोटे नं0 2 पर और उससे छोटे नं0 3 पर हैं।

एक मामला यह भी सदन में उठा था कि आप जब बिजली का लोड ऑकते हैं तो सारे प्वाइंट को जोड़ लेते हैं। किसी घर में बिजली की चेकिंग हो रही है तो सारे प्वाइंट जोड़कर लोड जोड़ा जाता है। इस पर सारे सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। उस समय हमने यह कहा था कि इससे हम भी सहमत नहीं हैं और किसी का लोड प्वाइंट के हिसाब से न लिया जाय, क्योंकि एक ही समय पर सारी बिजली जलती नहीं है। इसलिये यह तय किया गया कि किसी घर में जितने प्वाइंट लगे होगें, उसका 50 प्रतिशत लोड मानना चाहिये। अब जैसे 100 प्वाइंट लगे है तो 50 प्वाइंट का लोड हम उस घर का मानेंगे। इसी प्रकार कामर्शियल में 100 प्वाइंट्स पर 75 प्वाइंट्स का लोड मानेगें। क्योंकि कामर्शियल में बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है। मैनें उस समय यह भी घोषणा की थी कि अब किसानों से 6-6 माह पर बिजली का बिल लिया जायेगा। उनसे सरचार्ज भी नहीं लिया जायेगा।

पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। इससे पहले सरकारें आती थी और किसानों को कभी 25 प्रतिशत, कभी 50 प्रतिशत छूट दिया करती थी। किसानों की मॉग थी कि हमसे 2 फसल पर बिल ले लिया जाय। इस संबंध में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई। हम दोनों लोग चिन्तित थे और यह चाहते थे कि किसान पैसा दे तो उसे सुविधा भी मिले, इसलिये हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर किसान 6 महीने पर अपना बिल अदा करेगें तो उनसे कोई सरचार्ज नहीं लिया जायेगा। लेकिन यदि 6 महीने पर नहीं देगें तो उनसे सरचार्ज लेगें, यह एक क्रान्तिकारी कदम है। यहॉ आरोप लगाया गया कि यह किसान

विरोधी सरकार है, आज भी कह रहे थे, लाठी-गोली की सरकार, किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष चले गये, हम तो चाहते थे, वह भी सुन लें। हम तो समझ रहे थे कि आज सदन नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तो ऊर्जा विभाग पर बहस चाहते थे, मैं तो चाहता था कि बहस होनी चाहिये, अच्छे सुझाव मिलने चाहिये, हम हठधर्मी नहीं हैं। श्रीमन् अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये मैं यह कहना चाहता हूँ.....

श्रीमन् हम इसको संक्षेप कर दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर भाषण में सारी बातें आ जायेंगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने ए0पी0डी0पी0 योजना चलायी, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, एक हजार करोड़ रूपये पिछली बार केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए रखे थे, हमने 101 करोड़ रूपया इस योजना में ड्रा किया। इसका हण्डरेड परसेंट हिस्सा वहीं से मिलता है, 25 परसेन्ट ग्राण्ट, 25 प्रतिशत प्लान का लोन और 25 प्रतिशत पी0एफ0सी0 उस पर लोन देती है। इस बार उसका बजट बढ़ाकर, ए0पी0डी0पी0 का 1500 करोड़ कर दिया है, हम चाहते हैं कि इसमें 2000 करोड़ ड्रा कर लें। हम चाहते हैं कि केन्द्र से जितना पैसा मिल सके वह मिल जाए। एक वर्ष का हम कार्य देखें तो एक वर्ष में हम गाड़ी को पटरी पर ले आए हैं। हमारा जो दूसरा वर्ष होगा वह विकास का वर्ष होगा। दूसरे वर्ष में हमने 11 परसेन्ट रिकवरी ज्यादा करी, 3 परसेंट लाइन लॉस कम किया, अनुशासनहीनता जो हुई उसको रोका, हमने इस वर्ष हड़ताल नहीं होने दी। हमने कहा कि सब लोग मिलकर काम करें।यह एक वर्ष मिला जुला वर्ष है।

मान्यवर, आई0सी0आई0 की जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी उसमें पहले वर्ष में हमारी प्रगति जीरो के बराबर थी लेकिन हमने प्रगति उसके बावजूद भी की। श्रीमन् उत्पादन निगम हमारा थर्मल का 4381 मेगावॉट दिया, पनकी की एक यूनिट हमारी बन्द हुई 32 मेगावॉट की हमारा थर्मल उत्पादन 3909 मेगावॉट है। 49 परसैण्ट जो प्लांट लोड फैक्टर रहता था इस वर्ष हमने बढ़ाकर उसे 57 परसेण्ट किया है और अगले वर्ष उसको 62-63 परसेन्ट ले जाना चाहते हैं यद्धपि हमारी मशीनें 28 इकाइयों में 21 इकाइयां ऐसी हैं जो 20 से 23 वर्ष पुरानी हैं। लोग कहते हैं कि ये क्यों बन्द हो जाती हैं। आप देखें श्रीमन् 20 से 23 वर्ष पुरानी इकाइयों रही हैं। मान्यवर, नेशनल नार्म 67 परसेण्ट है, हम इस नार्म को और बढ़ाना चाहते हैं। इसी लिए हमने ओबरा के नवीनीकरण का फैसला किया है, हम परीक्षा तथा हरदुआगंज में पैसा खर्च करना चाहते हैं। हमने पी0एफ0सी0 को एक स्कीम दी थी उसमें 735 करोड़ की पीएफसी ने स्वीकार कर ली है। इसी के साथ 633 करोड़ की एक और स्कीम,पीएफसी को दी है। हम प्लांट लोड फैक्टर 57 परसेंट से बढ़ाकर 85 परेसेंट ले जाना चाहते हैं, हम नेशनल एवरेज से ऊपर जाना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश एक आदर्श स्टेट बने, एक दिशा दे। मान्यवर, जहॉ तक नए पावर स्टेशन की बात है, श्रीनगर, विष्णु प्रयाग और रोजा में ऐसे तीन पावर स्टेशन हैं। विष्णु प्रयाग में काम शुरू हो गया है। श्रीनगर वालों से हमने कहा कि हम आपको दो महने का समय देते हैं यदि आपने उत्पादन नहीं दिया तो हमें सोचना पड़ेगा, रोजा ने काम शुरू कर दिया है। मान्यवर, हम 210 मेगावाट की पनकी और परीक्षा में दो यूनिट और लगाना चाहते हैं। बी0एच0एल0 से हमारी बात हुई है वह इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वार्ता चल रही है, शीघ्र ही राज्य सरकार निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश में पीक आवर्स में 600-700 मेगावाट की कमी आ जाती है, उत्पादन नहीं बढ़ायेगें तो यह कमी पूरी नहीं होगी। हम जागरूक हैं और चाहते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़े। टिहरी योजना अगले वर्ष आने वाली थी कुछ लेट हो गयी, जो ईशू उठाया है उसके हम विरोधी हैं यह कहा गया कि "गंगा का पानी मैला हो जायेगा।" हरियाणा में भी यह कह दिया गया था कि जब पानी से बिजली निकाल दी गयी तो पानी कमजोर हो गया। यहाँ यह खड़ा कर दिया गया है कि गंगा का पानी

अभी तो

अशुद्ध हो जायेगा। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि इस योजना में वैसे भी तीन गुना पैसा ज्यादा लग गया। यह ऐसी योजना है जिससे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। (श्री लालजी वर्मा द्वारा बैठे-बैठे यह कहने पर कि यह आपके ही लोग कह रहे हैं।)

लालजी वर्मा जी मैं जिन चीजों का विरोधी हूँ उसे खुलकर कहता हूं आपकी तरह दबी जुबान से नहीं कहता। मैंने उत्तरांचल सरकार से बात की और उत्तरांचल सरकार के ऊर्जा मंत्री 26 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं बात की जायेगी, बॅटवारे का विवाद है, लेकिन आपस में बैठकर सुलझा लेगें। उत्तरांचल को हमने वितरण का काम दे दिया वह वितरण का काम देखें। पावर स्टेशन को लकर हमारे उनके बीच में कुछ विवाद हैं उसको हम हल कर लेगें। टिहरी योजना जो 2000 मेगावाट की है। फर्स्ट फेज में 1000 मेगावाट और सेकेण्ड फेज में 1000 मेगावाट। अगले वर्ष उसका टारगेट था लेकिन 6 महीना डिले हो जायेगा। इस योजना के आने के बाद उत्तर प्रदेश को 500 मेगावाट और बिजली मिलेगी। जो भी नये प्रोजेक्ट उत्तरांचल में लगे पहली प्रायरिटी उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए जब हम न लगायें तो अन्य राज्यों से बात करें। कुछ हाइड्रो जनरेशन के लिए उनसे सहमति हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपका राज्यमंत्रियों से बॅटवारा पूरा हुआ नहीं, राज्य का बॅटवारा कैसे पूरा होगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मेरे यहाँ राज्य मंत्रियों को खुलकर छूट है। इसलिए कहा है कि हम बैठकर निपटारा कर लेगें।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह बाहर रोते हैं, उन्हें चुप करा लीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् हाईड्रो में यह जरूर है कि अनिशिचितता की स्थिति है। अगर उत्तरांचल राज्य में देखें 1000 मेगावाट वहाँ स्थापित है, 500 मेगावाट उत्तर प्रदेश में स्थापित है। अगर एक हजार मेगावाट उधर चला गया तो विद्युत की दर उत्तर प्रदेश की बहुत हाई हो जायेगी क्यों कि हाईड्रो बिजली 35 से 39 पैसे में पड़ रही है। जो थर्मल जनरेशन है 1.36 पैसे से 1.40 पैसे के बीच पड रही है। हमने उत्तरांचल सरकार से कहा है कि विवाद का निपटारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों का अहित न हो। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की बैठकर जो वार्ता होगी, उसमें हम उस विवाद को निपटा लेगें। अन्त में माननीय सदस्यों के सामने कुछ बिन्दु रखना चाहता हूँ, आपका आदेशा था कि जल्दी समाप्त कर दें। राजस्व वसूली में कैसे उनका सहयोग मिलेगा और क्या उनकी जरूरत है। हमने पिछले वर्ष भी कहा था फिर कहता हूँ कि अगर 7.00 बजे उत्तर प्रदेश में बाजारें बन्द हो जॉय तो पीक आर्वस में बिजली की जो कटौती होती है।. . . . . .

कुँवर रेवती रमण सिंह-

यह तो आपने पिछले वर्ष भी कहा था लेकिन कहाँ हुआ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वह कम हो जाये विद्युत चोरी रोकने के क्या-क्या उपाय किये जाय, विद्युत की तारों, ट्रान्सफार्मरों की चोरी बहुत भारी समस्या उत्तर प्रदेश में हैं, इसकी रोकथाम केसे की जाय?. . . . . .

निजीकरण के बारे में आपकी राय क्या है, सदन की राय क्या है, नेता प्रतिपक्ष की राय क्या है हम यह जान लें। अगर यह जानकारी हमें दे दें तो ज्यादा अच्छा है। माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं पर चर्चा की है उसके बारे में अपनी राय दे दें तो ज्यादा अच्दा होगा।

नेता विरोधी दल(श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यिष्ठाता-

टौती का प्रस्ताव भी नहीं आया है, स्पष्टीकरण तो बाद में होता है।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र माननीय विद्युत मंत्री ने यहां किया है अगर वह सभी बातें सदन के सामने आ जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपकी उत्पादन क्षमता है और जिसका आधा उत्पादन ही हो पाता उसका कितना रिटर्न मिलता है और जिसका वितरण आप इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में करते हैं, उसका कितने परसेन्ट रिटर्न आपको मिलता है। यह आप अपने उत्तर भाषण में स्पष्ट कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, वह अपना नाम लिखकर भिजवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले कटौती का प्रस्ताव तो आ जाने दीजिए।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था जोकि पहली बार नहीं सुन रहा था और इससे पहले मैं चार बार उनका यह बजट भाषण सुन चुका हूँ। मान्यवर, आपके पास कार्यवाही उपलब्ध होगी आप पिछले 4 वर्षो की कार्यवाहियाँ देख लें उसमें कामा, फुलस्टाप को छोड़कर सिर्फ कुछ बाते ही इधर उधर होंगी बाकी सारी बातें वही हैं जो कि पिछले वर्षो में कही जा चुकी हैं। वास्तविकता के धरातल पर ऐसा कुछ भी कर के नहीं दिखाया गया है कि जिससे यह सदन, प्रदेश की जनता यह अहसास कर सकें कि आने वाले समय में बिजली के क्षेत्र में कुछ विकास होगा। मान्यवर, पिछलें 5 वर्षो में जब से यह सरकार इस सदन में आयी है एक मेगावाट बिजली उत्पादन का भी एक संयंत्र यह सरकार नहीं लगा पायी है। जिससे अतिरिक्त बिजली पैदा हो सके। जहां तक प्रदेश में विद्युत आपूर्ति का संकट है यह सरकार एक भी मेगावाट जनरेशन की व्यवस्था नहीं कर सकी है बल्कि जो थर्मल पावर संयंत्र थे, उनको भी हमसे मुक्त कर दिया गया है। पहली बार इन्होंने टांडा बिजली संयंत्र को बेच दिया गया है। पहली बार इन्होंने टांडा बिजली संयत्र को बेंच दिया और दूसरी बार उँचाहार बिजली संयत्र को हमसे मुक्त कर दिया, इस सरकार की यह उपलब्धियाँ है। मान्यवर, जहां आज प्रदेश में विद्युत की मांग 12 से 15 प्रतिशत बढ़ रही है वहां इनकी उत्पादन क्षमता घटती ही जा रही है और यह प्रदेश में विद्युत का वितरण सही ढंग से नहीं कर पा रहे है। आज पूरे प्रदेश में इनकी विद्युत व्यवस्था एन0टी0पी0सी0 के सहारे चल रही है। मान्यवर, इस तरह से आम औद्योगिक ईकाईयों को अपने यहां बिजली सही ढंग से नहीं दे पा रहे तो इस तरह से आप औद्योगिक विकास कैसे कर पायेंगे। आज उत्तर प्रदेश में विद्युत की बदहाली के कारण कोई भी निवेशक यहां पर निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी बता दें कि किसी निवेशक ने सरकार के साथ एक भी एम0ओ0यू0 साईन किया हो। आपने प्रयास तो जरूर किया, तमाम विदेश की यात्रायें की, लम्बी-लम्बी यात्रायें की कि बाहर से निवेशक आ जायें लेकिन माननीय मंत्री जी खाली हाथ लौट आये। मान्यवर, सारी दुनिया में आप घूमे और इस तरह से सहयोग की अपेक्षा की बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर दुनिया में बनी है उसके कारण विद्युत परिषद के लिए किसी से कोई मदद नहीं मिली। आपने विश्व बैंक के दबाव में उसको तोड़कर 3 निगम की स्थापना कर दी इसके बाद सुधार मान लिया विकास मान लिया अपनी उपलब्धि मान लिया इसे 4 वर्षो की उपब्धि मान लें यह आपके ऊपर है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी कर्मठ हैं, योग्य है, आपने ऊर्जा के क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन प्रदेश की जनता के हाथों में कोई प्रयास सामने नहीं निकलकर आया है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 6 हजार मेगावाट के आसपास है। इसमें तापीय विद्युत उत्पादन 2 हजार से लेकर 2500 पीक आवर्स है।

इसी तरह से जल विद्युत उत्पादन 500-600 मेगावाट है और आप बिजली आयात करते हैं एन0टी0पी0सी0 से वह 1800 मेगावाट है। इस तरह से देखा जाये तो 5 हजार मेगावाट आपकी बिजली

उपलब्धि है, जबकि जरूरत आपको 6 हजार मेगावाट की है। एक हजार का जो सार्टफाल है वह पूरा नहीं हो पाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो बिजली की हालत है किसी से छिपी नहीं है। आपने कहा कहीं कोई कटौती नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी प्रदेश की बात तो बहुत बड़ी है आप विद्युत आपूत्रि प्रदेश भर में नहीं कर सकते हैं। राजधानी को ही ले लें। मेरा 26-27 साल का राजनीतिक जीवन रहा है इतनी कटौती कभी नहीं हुई जितनी की आपकी सरकार में 3-4 घण्टे राजधानी में कटौती होती रही। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रकार ने 5 साल में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ाया हो उस सरकार से सुधार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। निजी क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने 4 निजी क्षेत्रों से संविदा की है और आपने उत्पादन शुरू करने के बजाव 440 मेगावाट की टांडा विद्युत परियोजना को एन0टी0पी0सी0 को बेच दिया। वह जो निजी क्षेत्र की कंपनियों से संविदा की है। पहली है विष्णु प्रयाग परियोजना यह 400 मेगावाट की है इसके लिए जे0पी0 जो उद्योगपति हैं, जो सत्ता दल के बड़े भारी सहयोगी हैं और हर तरह की मदद करते हैं उनसे करार हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि 2 वर्षो में विष्णुप्रयाग योजना में जल विद्युत की स्थिति क्या है। दूसरा समझौता आपने श्रीनगर जल विद्युत योजना जो 330 मेगावाट की है, गोयनका से किया है इस पर भी क्या कार्यवाही की हैं आप बतायें। तीसरा समझौता आपने राज्य थर्मल पावर के लिए बिड़ला से किया है। मुझे जानकारी है कि शायद वहां केवल बाउन्ड्री बनाने की शुरुआत हुई है। चौथी परियोजना जवाहरपुर, एटा में यह 800 मेगावाट की है और यह कनाडा की कोई कम्पनी है जिससे किया गया है। इस योजना पर क्या हुआ है इसकी जानकारी दे दें। इससे आने वाले 5 साल में विद्युत स्थिति में सुधार होगा यह कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आया। आप आनपरा-सी परियोजना संचालित करते तो आपको जो विद्युत की कमी थी वह कुछ हद तक पूरी हो जाती। जापान की कम्पनी से आपकी सहमति हुयी थी आपको 2.3 प्रतिशत ब्याज पर 30 वर्षो की आसान किश्तों पर ऋण मिल रहा था लेकिन सरकार ने जापान का सहयोग क्यों नहीं किया यह मैं नहीं जानता। अगर अनपरा-सी प्रारम्भ हो जाता तो 1 हजार मे0 वाट बिजली उपलब्ध होती और जो आपको 1 हजार मेगा वाट की तात्कालिक बिजली की कमी है वह पूरी होती।

मान्यवर, जो हमारा टाडां थर्मल पावर स्टेशन था उससे 2 रूपये यूनिट बिजली मिलती थी लेकिन आज एन0टी0पी0सी0 से 10.57 पैसे पर मिलती है। यह मंत्री जी हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। आपने प्रदेश में बिजली की चोरी को रोकने के लिये विपक्ष का आहवान किया। विपक्ष आपको आपके इस महा अभियान में सहयोग देगा लेकिन पहले आप नीयत ठीक करें। जो छोटे छोटे दूकानदार हैं, गरीब मजदूर हैं उन पर आप शिकंजा कसेगें लेकिन जो आपके आर्क फरनेस वाले हैं जो बड़े बड़े कारखाने वाले हैं जो करोड़ों रूपयों की बिजली की खपत करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है अगर ऐसा अभियान चलायेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर सही नीयत से बिजली की चोरी को रोकने का अभियान चलाया जाता है तो सम्पूर्ण विपक्ष आपके साथ होगा। आपकी 8 सौ से लेकर 1000 करोड़ रूपये की बिजली चोरी हो रही है। प्रदेश में 86 लाख उपभोक्ता हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इनमें 20 लाख ऐसे उपभोक्ता जो कटिया डालकर बिजली की चोरी करते हैं। अगर एक उपभोक्ता 100 रूपये की बिजली उपयोग करता है तो यह राशि 250 करोड़ होगी। अगर आप इस पर रोक लगा सकें तो आपको 250 करोड़ रूपयों का राजस्व और मिल सकता है।

माननीय, मंत्री जी ने कहा कि लाइन लासेज 42 प्रतिशत से 31 प्रतिशत कर दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी लेकिन मंत्री जी ने जब भाषण की अगली लाइन पढ़ी तो उन्होंने यह कहा कि यह लक्ष्य 2005 तक प्राप्त कर लेगें तो मुझे निराशा हुयी। आपके 15-16 परसेंट सिस्टम लासेज है। 25 परसेंट चोरी से लासेज हैं अगर यह रूक जायं तो विद्युत परिषद की स्थिति स्वत: सुधर जायेगी।

मैं आपसे जाना चाहता हूँ कि नोयडा में जो गोयनका पावर कंपनी है उस पर 200 करोड़ रूपया बकाया है क्या आपने उसको ब्लेक लिस्ट किया, क्यों उस कंपनी के प्रति आपकी हमदर्दी है मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप बतायें। आपने सो काल्ड सुधार की बात कही। विद्युत परिषद विश्व बैंक के दवाब में थी

इसलिये आपने इसको तीन कारपोरेशनों में बांट दिया यह सुधार की दृष्टि से नहीं किया बल्कि दबाव के कारण किया गया। आपने तीन कारपोरेशन बना दिये एक तरफ आपको एक कार्पोरेशन के ओवरहेड एक्सपेंसेज को बर्दास्त करने कठिनाई थी तीन कारपोरेशन और तीन-तीन प्रबन्ध निदेशक बना दिए गए, यह तीनों कारपोरेशन के अधिकारी प्रदेश के अधिभार को बढ़ाने का काम करेगें। इससे वित्तीय व्यवस्था में कैसे सुधार होगा? वर्ष 2000-2001 में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है तीन हजार करोड़ का घाटा इस वित्तीय वर्ष में विद्युत परिषद के सामने हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। विभाग अपने आंकड़ों में हेराफेरी करने में माहिर हुआ करता है तमाम सी0ए0 इस काम के लिए लगे होते हैं। एन्युअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट इनका था 8,600 करोड़ यह इनके अधिकारियों ने निर्धारित किया था इसके विरूद्ध राजस्व मिला है 5,609 करोड़ रूपए इस तरह से 3 हजार करोड़ रूपए का घाटा हुआ है। फरवरी तक एन्युअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट 8600 करोड़ था जो घटाकर 6100 करोड़ रह गया इस प्रकार से घाटा जों हुआ है वह 500 करोड़ की बात कही है। यह मात्र आंकड़ों का हेर फेर है।

मंत्री जी आप सच्चाई को अच्छी तरह जानतें हैं नियामक आयोग बनाया गया इस आयोग का गठन बिना सदन में चर्चा कराए कर दिया गया। यह बिना चर्चा के पारित होकर चला गया इतना बड़ा गम्भीर निर्णय था प्रदेश के तमाम बुनकर, कृषक तथा गरीब लोग उनके हितों को देखकर टेरिफ का निर्धारण हुआ करता था यह सरकार के पास अधिकार था जनतंत्र में इस तरह का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए लेकिन नियामक आयोग के बनने के बाद मंत्री जी अगर चाहें भी सरकार अगर चाहे भी कि प्रदेश के बंचित वर्ग के लोगों को विद्युत दरों में रियायत कर दें तो यह नहीं कर सकते हैं। मंत्री जी आपने अपने बजट भाषण में कहा कि नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत दरों में एकरूपता होनी चाहिए लेकिन प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्र की और प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्र की इन दोनों में कितना अन्तर है। गांव का व्यक्ति एक पंखा चलाता है एक बल्ब जलाता है और शहर के लोग चार-चार ए0सी0 चलाते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर अर्बन टेरिफ और रूरल टेरिफ में एकरूपता होनी चाहिए।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मेरी समझ में भूल हुई चलो इसको ड्राप करते हैं। नियामक आयोग की सिफारिशें है तो मंत्री जी ने 5 प्रतिशत टेरिफ की बात कही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 46 प्रतिशत टेरिफ में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी। अगर चुनाव का वर्ष न होता वोट के लालच में इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है आपको चुनाव के तत्काल बाद लागू करना पड़ेगा। आर्क फर्नेस के लोगों पर करोड़ों रूपए बकाया है उसकी वसूली के लिए कोई अभियाम चलाया गया। अरबों रूपए बिजली चोरी के मामले अनछुए हैं। सिटीजन राइट सोसायटी द्वारा हस्तानांन्तरण प्रतिवेदन इन्टरवेंशन एप्लीकेशन दायर की गई जिसमें उन तमाम नामों को जो बकाएदारों के थे। उसमें अनेकों नाम जोड़ दिये गये इसीलिये इन्टरवेंशन एप्लीकेशन देनी पड़ी। आप बुन्देलखण्ड का विकास करे किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। बिज़ली की रियायत करें अच्छी बात है लेकिन वहॉ आर्कफर्निश लगी हुई है और बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी सत्ता में बैठे लोगो को ही सुविधा दी ज़ा रही है वहॉ बिजली का दोहन हो रहा है उसके बाद भी उनके विरूद्ध कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर आप कहें तो मैं उनकी लिस्ट पढ़कर सुना दूँ। भूषण स्टील्स,दुर्गा स्टील्स, वन्दना स्टील्स, गीता पम्प, तंरग स्टील, गरिमा कैला एलायज आदि फैर्क्ट्रियो ने पॉच अरब रूपये की चोरी की लेकिन इन मामलों में जांच तक नहीं की गई। जो आपने रिआर्गनाइजेशन किया उसमें आपने उन्हीं रिटायर्ड लोगों अधिकारियों को ऊँचे-ऊँचे पदो पर बैठा दिया जो कल तक बेकार निकम्मे थे। अरे ये बूढे थके हुए अधिकारी क्या कार्य करेगें आप नये लोगों को मौका देते उनके अंदर भविष्य की चाह होती है।

पहले एक ही बार डिस्ट्रीब्यूशन होता था अब तीन-2 अधिकारी एक ही विभाग के कर दिये गये हैं। स्टोर इंस्पेक्टर, स्टोर परचेज और स्टोर का काम पहले एक ही आदमी देखता था लेकिन अब तीन अलग अलग कर दिये गये एक रिटायर्ड अधिकारी को आपने स्टोर का इंचार्ज, एक को डाइरेक्टर कामर्शियल और एक को डाइरेक्टर कार्पोरेट ट्रेनिंग कर दिया। इंसपेक्शन कोई और करे परचेजिंग कोई और देखभाल कोई और किसी प्रकार का को कोओर्डिनेशन नहीं है। कानपुर में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को ऊँचे पद पर

बैठा दिया फिर भी बिजली में सुधार नहीं हुआ। सरकार नें टेण्डर किया निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया। आप टेण्डर की तारीख बढ़ाते चले जा रहे हैं पहले कुछ और फिर 31 मार्च अब आपने जुलाई तक कर दिया लेकिन निजी क्षेत्र में विश्वसनीयता की कमी के कारण सरकार के साथ निजी क्षेत्र का उद्यमी कार्य नहीं करना चाहता कबतक इसके लिए टेण्डर की तारीख बढ़ाते रहेगें? केस्को में उत्पादन निरंतर प्रभावित हो रहा है, तो सरकार स्वयं में इसका अध्ययन क्यो नहीं करती? पहले यह तय करे कि कौन-कौन कम्पनियॉ निजी क्षेत्र में जानी है उन्हे कोई लेने वाला है या नहीं, यदि नहीं तो आगे क्या कार्य योजना बनाई जाय। माननीय मंत्री जी विदेश गये ऊर्जा उत्पादन और इस क्षेत्र की चुनौतियों के लिए अध्ययन करने। लेकिन इस टीम में तीनो निगमों का एक भी अधिकारी एम डी नहीं ले जाया गया यदि ले जाया गया तो कौन मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाकार और एक विशेष सचिव महोदय आई ए एस। विदेश से लौटे तो अखबार में मैने पढ़ा कि विशेष सचिव महोदय एक जिले के जिलाधिकारी बना दिये गये। क्या रिपोर्ट देगें अरे कम से कम तीनों निगमों में से एक निगम के एम डी को साथ ले जाते तो कुछ हासिल भी होता। मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वर्मा जी द्वारा एक कमेटी बनाई और इसमें रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर कौल की अध्यक्षता में इस कमेटी ने मई 1999 में एक रिपोर्ट दे दी। मान्यवर, बिजली चोरी में लिप्त अधिकारियों और फर्मो की एक लम्बी सूची है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस समिति ने जो सुझाव दिये थे मई 1999 में आज तक उनको लागू क्यों नहीं किया गया। आज 2001 में हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इन दो वर्षो में बिजली चोरी में लिप्त अधिकारियों और फर्मो के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई शासन के द्वारा?

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेई जी संक्षिप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं वही रैलीवेन्ट बातें कहूँगा जिस पर प्रदेश की भी जिज्ञासा है और हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके एक मंत्री थे वीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने वी0आई0पी0 कालोनीज में छापा डाला और तमाम जगह रंगे हाथों बड़े-बड़े अधिकारियों को बिजली चोरी करते पकड़ा लेकिन किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्यों? किसी के विरूद्ध कार्यवाही तो नहीं हुई हाँ ऊर्जा मंत्री को मुक्त हो जाना पड़ा। आप कहते हैं कि हमने अभियान चलाया बिजली चोरी को पकड़ने के लिये। आपने अभियान चलाया, मैं बटलर पैलेस कालोनी की बात करता हूँ, आपके बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ पर रहते हैं, उनको बिजली चोरी में पकड़ा गया लेकिन उनसे एक बार नहीं पूछा गया कि लाखों करोड़ों रूपयों की बिजली चोरी वो क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं कि सब हमारा सहयोग करें हम बिजली चोरी को रोकेगें। किस तरह से आप बिजली चोरी को रोक पायेगें। मेरा कहना है कि इन सारे मामलों में दोहरी नीति न अपनायें। हम जानते हैं कि आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, विकास के लिये जितना पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। एक समन्वय होना चाहिए। एक पुस्तिका है "पावर सेक्टर रिफार्म" यह भारत सरकार का पब्लिकेशन है। जैसा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बताया था कि भारत सरकार में प्रदेश के ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ उसमें एक नीति तय की गई और उसमें यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जायेगा।

मान्यवर, 2007 पूरा होने में मात्र 5 वर्ष शेष हैं। 60 हजार गांवों का विद्युतीकरण होना है जो कि अभी नहीं हुआ है, इसको आप कैसे पूरा कर लेगें। बजट में एक रूपये का भी प्राविधान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये नहीं है। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह नियामक आयोग बन जाने के बाद एक भी गाँव का विद्युतीकरण आप नहीं कर पाये हैं। आज किसान एक ट्यूब वैल लगाना चाहेगा तो उसको बिजली का कनेक्शन लेने के लिये 80 हजार से 1 लाख रूपये का कोई किसान की औकात नहीं है कि वह सरकारी बिजली का कनेक्शन ले सके या ट्यूब वैल लगा सके। नहरों में पानी नहीं आ रहा है। प्रदेश में किसानों के सामने समस्या है कि वे टयूबैल के लिये नया कनेक्शन नहीं ले

पायेगा। मान्यवर, 2007 तक 60 हजार गाँवों का विद्युतीकरण होना है। यह आप कैसे कर पायेगें अलादीन का वह चिराग कहां से आयेगा जिसको घुमाते चले जायेगें और बिजली लगती चली जायेगी। मान्यवर, आज जो स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है। पाँच-पाँच गाँव हर विधायक को अपने क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिये नाम दिये जाने की बात आपके द्वारा इस सदन में कहीं गई है। 400 विधायक हैं कुल 2 हजार गॉवों के विद्युतीकरण की बात है। कोई बड़ा काम नहीं था। आप यह घोषित 2 हजार गाँवों का विद्युतीकरण नहीं कर सके, न करने जा रहे हैं। यह मेरी चिन्ता है कैसे प्रदेश का विद्युतीकरण होगा। बिना विद्युतीकरण के प्रदेश का विकास कैसे होगा। अन्धेरे में विकास नहीं हो सकता है। विकास की देवी इस तरह की है जो अन्धेरे में नहीं जाना चाहती है। उबड़ खाबड़ रास्तों में नहीं जाना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण हो, ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकरण से जोड़ा जाये तो प्रदेश का विकास होगा। नये गॉवों के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है। एक भी थर्मल पावर कारपोरेशन की इन्होंने बात नहीं की है। मान्यवर किसानों को 12 घंटे बिजली दे रहे हैं, दस घंटे बिजली दे रहे हैं यह कहते हैं। दस घंटे किसी किसान को सिंचाई के समय बिजली नहीं मिली। बरसात में हो सकता है कि मंत्री जी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दस घंटे बिजली दे दें। क्यों कि तब किसान को कोई जरुरत नहीं होगी सिंचाई हो चुकी होगी, धान की रोपाई हो चुकी होगी जिस समय किसान को खेतों की सिंचाई के लिए जररूरत थी उस समय बिजली नहीं दी गई।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आप अपने क्षेत्र का बता दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे थे विश्व बैंक बड़ा संतुष्ट है प्रदेश में विद्युत सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं उससे उसने संतुष्टि जाहिर की है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश में विश्व बैंक के ऊर्जा प्रतिनिधि आए थे, मैंने अखबार से जानकारी की मुख्य सचिव के साथ लम्बी बैठक हुई प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समाचार में है-

"प्रदेश में ऊर्जा सुधार की कछुआ चाल पर विश्व बैंक नाराज कहा, हालात नहीं सुधरे तो सहायता प्रभावित होगी, प्रदेश में चल रहे ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार के रवैये पर विश्व बैंक ने आज खासी नाराजगी जाहिर की। बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर एडविन आर लिंम ने पावर सेक्टर की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव भोलानाथ तिवारी से साफ शब्दों में कहा कि ऊर्जा सुधार कायर्क्रमों को सरकार ने स्लो डाउन कर दिया है। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो बैंक से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सुधार कार्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता भी प्रभावित हो सकती है।"

मंत्री जी कह रहे थे कि 2005 तक सब समस्याओं से निजात दिला देंगे, जिसके निर्देश पर सुधार कार्यक्रम चलाए वह पूरी तरह से इनके कार्यक्रम से असन्तुष्ट हैं उन्होंने धमकी दी है कि विश्व बैंक से आगे किसी तरह की सहायता की अपेक्षा न करें। जहां से सहायता मिलनी है वहां से यह ले पाएंगे? पावर फाइनेंस कारपोरेशन है वह ऋण देने के लिए तैयार है स्टेट बैंक ने भी गारन्टी की बात स्वीकार कर ली है आनपारा-सी के लिए जापान मदद करना चाहता है आसान किश्तों पर, लेकिन जापान के साथ मसौदा तैयार नहीं हो रहा है जबकि जापान से पुराने संबंध रहे हैं मंत्री जी घोषणा करें कि एक वर्ष के अन्दर दो वर्ष के अन्दर आनपारा-सी से उत्पादन शुरू करा देंगे। यह चौथा बजट ऊर्जा मंत्री जी पेश किया है लेकिन उपलब्धि के नाम पर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। यदि मिला है तो शब्दों का जाल लुभावने सपने मिले हैं हमें ऊर्जामंत्री जी की क्षमता पर पूरा भरोसा है ऊर्जा मंत्री जी नौजवान हैं उनमें ऊर्जा है इसीलिए ऊर्जा विभाग उनको मिला है लेकिन जो लोग सत्ता के ऊपर कुंडली मारकर बैठे हैं उनके मकड़जाल में मंत्री जी फंस गए है जब यह इस मकड़जाल से निकलकर प्रदेश की जनता के भावी भविष्य पर ध्यान देंगे तभी प्रगति होगी। यह बतायेंगे कि सुधार के लिए कोई कदम उठा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

तो बहुत सी कठिनाईयों का निराकरण हो जाएगा आप बता दें आपने कौन से. . . ?

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

आप कहते हैं तो बन्द कर देता हूँ आप उत्तर भाषण में समय दे दीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप के लिए आग्रह किया था।

*श्री नवाब सिंह नागर-

मान्वर, में आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम सब सहमत हैं कि किसी भी प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास में यदि सबसे ज्यादा भूमिका है तो वह ऊर्जा की है और आज उत्तर प्रदेश में जो ऊर्जा की स्थिति खराब हुई जैसा कि डा0 बाजपेई जी ने वर्णन किया है, इसके लिए निश्चित रूप से वह सब सरकारें दोषी हैं जो आज से पहले उत्तर प्रदेश में शासन करती रही हैं और जितने लोग विपक्ष में बैठें लगभग सभी की सरकारें सत्ता में रही हैं और उन्होंने कभी भी इस समस्या की ओर ठीक से दृष्टि डालने का काम किया। इसी कुप्रबन्धन के कारण यह प्रदेश की ऊर्जा स्थिति में खराबी आयी है। मैं ऊर्जा मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विकट स्थिति में ऐतिहासिक निर्णय लिया और ऊर्जा विभाग के सुधार का कार्यक्रम को पिछले साल की घोषणा की और उसको लागू किया। जहाँ सरकार को लाखों कर्मचारी जो बिजली बोर्ड में काम कर रहे थे उनका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उनकी हड़तालों का सामना किया और उन्हें मजबूर किया कि उत्तर प्रदेश में जो सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसे वे माने।

अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कटौती बिजली की नहीं की जा रही है तो यह एक ऐतिहासिक कदम है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, दूसरा कदम, जो समस्या का दूसरा पक्ष था वह बिजली चोरी का है। प्रदेश में बिजली चोरी को रोकने के लिए इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रदेश सरकार ने स्वैच्छिक कनेक्शन योजना चालू की है। जो बिजली की चाोरी कर रहे थे वह स्वयं घोषणा कर दें उनको रेग्यूलर कर दिया जायेगा। मान्यवर, सरकार ने सौ हार्स पावर के ऊपर जो उपभोक्ता है उनको बिजली का इलेक्ट्रानिक मीटर लगवाने का काम किया है इससे बिजली की चोरी को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। जो उपभोक्ता चोरी में सम्मिलित होगे, जो कर्मचारी और इंजीनियर सम्मिलित होगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। निजीकरण की तरफ सुझाव मांगे हैं। ग्रेटर नोयडा में सबसे ज्यादा निजीकरण का मामला है। जो एन0 पी0 सी0 एल0 है उसकी कार्यप्रणाली उत्साह जनक नहीं है।

मान्यवर, उस पर आज 200 करोड़ के लगभग बकाया है उसके दर निर्धारण का मामला विवादित हैं और आज कोर्ट में लंम्वित है और मुझे इस बात का अफसोस है कि जो नोयडा पावर कंपनी चाह रही थी वही दर रेगुलेटरी कमीशन ने मानकर कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है। मान्यवर, हमारी सरकार उस पर अभी तक अपना पक्ष, पावर कारपोरेशन को अपना पक्ष रखने के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर रही है। यदि अनुमति प्रदान नहीं की गयी तो सैकड़ों करोड़ों रूपये का नुकसान पावर कारपोरेशन को हो जायेगा इसमें तुरन्त निर्णय लेकर हाईकोर्ट में पक्ष रखने की आवश्यकता है। वैसे तो आज इस विषय पर चर्चा भी लगी हुई है मैं विस्तार से अपनी बात कहूँगा मान्यवर, नोयडा पॉवर कंपनी के अनुबंध में यह था साढ़े 4 साल में उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की बात थी उसमें यह था कि यदि स्थापित नहीं करती है तो दुगुगी दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्धारित करने का अधिकार पावर कारपोरेशन का रहेगा। मान्यवर, दुगुनी तो अलग रही कम में विवाद चल रहा है मैं कहता हूँ ऐसे मैं क्यों नहीं उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है ओर उसको बन्द करके जेल में डाला जा रहा है।

मान्यवर, दादरी नगरपालिका क्षेत्र है तहसील केन्द्र है उसको एफ-2 लाइन से जोड़कर वहाँ बिजली की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मान्यवर, नोयडा में 220 के0वी0 और 400 के0वी0 के बिजली घर लगने प्रस्तावति हैं उसको जल्द से जल्द स्थापित कराया जाये जिससे वहां पर उद्योगों में बढ़ोत्तरी हो सके। मैं पुन: बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

*श्री राम प्यारे सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय ऊर्जा मंत्री जी संयोग से इस समय सदन में नहीं हैं हमारे आदरणीय बाजपेयी जी कह रहे थे कि आपने देश और विदेश सारी जगहों पर दौरा किया लेकिन कहीं पर से आपको सहयोग नहीं मिला। मान्यवर, देहातों में एक कहावत है।

"ओढ़री कभी न सुधरी""

मान्यवर, इन्होंने अपना घर तो देखा नहीं जहॉ भी गये कि विद्युत का सुधार हो इसमें प्रयास तो किया लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। मान्यवर, आज भी विद्युत की जितनी खराब स्थिति है माननीय बाजपेई जी हरदोई की बात नहीं किये होंगे क्योंकि हरदोई में 24 घंटे बिजली मिलती है लेकिन और जगहों में जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। यहॉ तक कि सदन में भी विद्युत की हेरा फेरी की गयी एक दिन और बजट पर बहस नहीं हो सकी और दूसरे दिन के लिए वह स्थगित करना पड़ा। इससे भी बड़ी शर्मनाक बात यहॉ कभी नहीं हुई।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इस समय रोनपुर,मऊ,पुत्तूपुर,जीमनपुर इसी तरह से मिर्जापुर,अमुआनी नारायणपुर विद्युत उपकेन्द्र है कोई यह कह सकता है कि आपके क्षेत्र में बहुत हैं लेकिन भाजपा की सरकार के जमाने की एक भी नहीं है मान्यवर, यह केन्द्र वर्षो पहले के बने हुए हैं मान्यवर, बाजारों में धमाके के साथ आवाज होती है जब विद्युत के तार गिरते हैं और कभी-कभी मौतें भी होती हैं और कभी-कभी संयोग से कुछ लोग बच भी जाते हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ हरैया उपकेन्द्र है वहाँ कम से कम 500 बोझा गेहूँ जल गया विद्युत के तार टूटने से यह एक गॉव की बात नहीं है सैकड़ों गाँव की बात है पूरे उत्तर प्रदेश में है एक मीटर तार टूँट जाता है तो कितना नुकसान होता है यह 20-20, 25-25 साल से तार लगे हुए हैं बदलने का काम नहीं हुआ है।

इसी तरह से ट्रान्सफार्मर के जो हालात हैं जो आज ट्रान्सफार्मर जलते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी भी कमेटी से। किसी भी अधिकारी से जाँच करा सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर लगाना होता है तो किसान ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी के पास जाता है तो उसे डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार रूपया देना पड़ता है आज हालात क्या है ट्रांसफार्मर अगर लगता है तो वह दो तीन दिन बाद जल जाता है यही हालत सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र की होगी तो मान्यवर, यह हालात हमारे माननीय नरेश जी के समय के हैं इसी तरह से जाहॉ कहीं ऑधी तूफान आ गया, खम्मे उखड़ गये, ट्रांसफार्मर उखड़कर दूर जाकर गिर गये तो महीनों विद्युत व्यवस्था संचालित नहीं हो जाती है तो जहाँ इस तरह की बहुधा होती है और आप दो-दो तीन-तीन महीने विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उतने दिन का जो बिल हे उसको माफ किया जाना चाहिए गरीब किसान को आप दो-दो, तीन-तीन महीने विद्युत नहीं दे पाये और उसकी भी विद्युत कर की वसूली उनसे की जाये यह मानवीय दृष्टि से कम और कानूनी दृष्टि से अवैध है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहॉ पर इस तरह से होता है कि महीनों विद्युत नहीं दी जाती है उनके यहाँ विद्युत बिल भेजा जाये या उसे माफ किया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहाँ अजमतगढ़ पंप कैनाल हैं जब हम विधायक हुए तो हमने पत्र लिखा, वहाँ की विद्युत कटौती होती थी, हमारे पत्र लिखने के बाद लगभग एक वर्ष उस पंप कैनाल की कटौती नहीं की गयी लेकिन इधर दो-तीन वर्षो से फिर वही स्थिति आ गयी है जबकि कानूनी तौर पर पंप कैनाल को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए वह नहीं हो पाया है आज आप देख लें, किसी विद्युत उपकेन्द्र पर चले जायें 15-15, 20-20 साल की उनकी बिल्डिंगे बनी हुई हैं उन पर या तो घास जमी हुई है या पूरी बिल्डिंग सफेद से काली हो गयी हे पानी टपक रहा है रहने लायक नहीं रह गया हे जो आवास के हैं उनकी यह स्थिति है। जहाँ मशीन लगायी गयी है उनको किसी न किसी तरह से यह बचा लेते हैं तो या इन्हें मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया गया अगर पैसा दिया गया है तो उस पैसे को कहीं न कहीं खा लिया गया है इसलिए मैंने अपने क्षेत्र के जो 6-7 विद्युत उपकेन्द्र गिनाये हैं उनकी जाँच कराने की कृपा करें इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं ऊर्जा विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऊर्जा, विकास और समृद्धि इसमें कहीं कोई दलगत मतभेद की बात नहीं है और यह भी बिल्कुल सही बात है कि यदि कोई भी सरकार एक नया पावर स्टेशन लगाना चाहे जिसके लिए उसके पास सम्पूर्ण धन की उपलब्धता हो तो उस दिन से न्यूनतम 5 वर्ष लगेंगे किसी भी पावर स्टेशन को बनाने में तो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जितनी उत्पादन क्षमता होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से पूर्व की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह जो कहा गया इसके लिए पूर्व की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो यह जो कहा गया इसके लिए पूर्व की सरकार दोषी है वर्तमान सरकार को उसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 भागों में विभाजित किया, उस संबंध में मैं शासन से यह कहना चाहूँगा कि जहॉ तक उत्पादन की स्थिति है, उस संबंध में मैं शासन से यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उत्पादन की स्थिति है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा कि अपनी जो उत्पादन इकाइयॉ हैं, वह अधिकतम 20 से 30 वर्ष तक पुरानी हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुरानी ईकाइयाँ हैं, डेप्रीशियेशन, घिसने के बाद भी आज उनकी कीमत है, यदि मात्र 300-400 करोड़ रूपया उन मशीनों के सुधार करने के लियें चाहे किसी भी स्थान से, अथवा भारत सरकार से प्राप्त करके लगाया जाय तो जो हमें विद्युत का आयात एन0टी0पी0सी0 से करना पड़ रहा है तो वह 300 करोड़ का खर्च बच जायेगा जो हमें आयात में करना पड़ रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा। माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पूर्व इस सदन में बिजली चोरी के बारे में कहा था, कि इससे सभी लोग चिन्तित हैं। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो 42 प्रतिशत लाइन लासेस हैं, उसको हम 5 वर्ष में शनै-शनै 31.5 प्रतिशत तक लाने की योजना बना रहे हैं।

इसके साथ ही जब प्रश्नोत्तर के समय उत्तर दिया था, तो मेरे पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जो पारेषण है वह सारी दुनिया में और अपने उत्तर प्रदेश में 132 के0वी0, 33 के0वी0 और 11 के0वी0 से होता है। माननीय मंत्रीजी ने यह भी बताया था कि तापीय अथवा जलीय उत्पादन केन्द्र से सब स्टेशन तक आने में लॉस मात्र 6 प्रतिशत है। मान्यवर, अगर 6 प्रतिशत का लॉस सब स्टेशन तक आने तक है और उसके बाद में हम विभिन्न ट्रांसफारमर्स के जरिये उपभोक्ता के केन्द्र तक बिजली को 220, 440 वोल्ट से पहुँचाते हैं तो यह 36 प्रतिशत हो जाता है। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने सुझाव भी माँगे हैं, निजी क्षेत्र में हम क्या करें, यह भी जानना चाहा है। मेरा अनुरोध है कि जहॉ तक उत्पादन का प्रश्न है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में योग्यतम इंजीनियरों की कमी नहीं है, पारेषण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जहॉ तक वितरण का प्रश्न है, वहीं भयंकर स्थिति है और यहीं सबसे ज्यादा लास है सारी कहानी सब स्टेशन से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुँचने के बीच में है। माननीय मंत्री जी ने बताया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हमने सब स्टेशनों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगायें हैं। मुझको यह मालूम है कि सब स्टेशन पर लाइनलास 5-6 प्रतिशत है। मान लो सब स्टेशन पर 100 यूनिट बिजली दी और उसमें 42 यूनिट का लास हो रहा है तो केवल 58 यूनिट ही उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुँचा पा रहे हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हजारों करोड़ रूपया बिजली का बकाया है तो 58 यूनिट में उतना वह भी कम हो रहा है। मेरा कहना है कि निजी क्षेत्र में यदि हम किसी प्रकार की व्यवस्था कर दें तो यदि 10 प्रतिशत का लास 100 यूनिट पर मान लें तो उनसे कहे कि 90 का पैसा हमें दे दों तो स्वाभाविक रूप से यह बहुत अच्छा होगा। मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पैकिंग की योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना चलाई है, "वालेन्टरी रिटायरमेंट स्कीम". . . . . .

और अनेक-अनेक लोगों ने उसका लाभ उठाया है। स्थिति यह आ गयी कि जितनी संख्या में अपेक्षा थी उससे ज्यादा संख्या में वालेंटरी रिटायरमेंट हुए। मान्यवर, पिछली सरकारों ने इतनी अधिक संख्या में विद्युत विभाग में नियुक्तियों की हैं। आज जो एकोनामिकल बात की गयी है कि मंत्री जी विदेश हो आए वे इसको सही स्वाभाविक रूप से लेना नहीं चाहते। मेरा अनुरोध है कि वालेंटरी स्कीम जो है उसके हिसाब से चला लेंगे। मान्यवर, आगरा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो रिट याचिका एम0सी0 मेहता बनाम स्टेट है उसी पर वहाँ 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का आदेश दिया था, वहाँ विद्युत आपूर्ति हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आज एक चर्चा भी आधे घण्टे की रखी है, उसको भी स्वीकार कर लेते, उसको भी इसी में कर लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय, अधिष्ठाता जी, आपने ऊर्जा विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मान्यवर, आज चार वर्षो से माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और बार-बार माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे प्रदेश में ऊर्जा की, विद्युत के उत्पादन की जितनी आवश्यकता है वह नहीं पूरा हो पा रहा है। हम फलॉ प्रोजेक्ट के लिए समझौता कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि फलॉ इकाई में कार्य प्रारम्भ हो जाए और लगातार चार वर्षो से हर बार एक ही बात दोहराई जाती है कि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हमने अमुक-अमुक व्यक्ति से बात किया है, उसके बाद भी कहावत चरितार्थ होती हुई कि "खोदा पहाड़, निकली चुहिया"। चार वर्षो के लगातार प्रयास से भी आज चार सालों में एक भी उत्पादन इकाई उत्तर प्रदेश में नई नहीं प्रारम्भ की जा सकी है, एक भी उत्पादन इकाई लगायी नहीं जा सकी है। जहॉ-जहॉ भी समझौते हुए हैं वह "ढाक के तीन पात" नहीं की तरह एकदम निष्फल साबित हुए हैं। मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने इस बात की भी चर्चा की कि हमने उपभोक्ताओं को बढ़ाने का काम किया। 15 करोड़ में 67 लाख उपभोक्ता थे हमने 46 लाख उपभोक्ता बढ़ाने का काम किया। मैं अनुरोध करना चाहता कि कटिया कनेक्शन का एक अभियान चलाया गया और कहा गया कि यदि तीन कटिया कनेक्शन होंगे तो एक खम्भा दिया जायेगा और जिसके आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं ने कटिया कनेक्शन के लिए अप्लीकेशन दिया और तमाम लोगों ने इस लालच में एप्लीकेशन दिया कि इसी बहाने यदि 10 लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं तो चार खम्भे लगकर हमारे गॉव में बिजली आ जायेगी। मान्यवर, आज किसी भी क्षेत्र में चले जायें, लोगों का बिल आ रहा है लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हुआ है, वहॉ कटिया थी ही नहीं। मान्यवर, यह बिजली के खम्भे लग जाने के लालच में अधिकारियों से मिलकर उनके लालच में फॅसने का काम हुआ है जिसके कारण बड़े पैमाने पर आज उपभोक्ता परेशान हैं। तमाम गॉवों में हम देखते हैं कि वहाँ बिल जा रहा है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उपभोक्ताओं के ऊपर कृपा करें। मान्यवर, उपभोक्ताओं ने इस लालच में कटिया कनेक्शन लिया कि शायद उनके गॉव में बिजली पहुँच जायेगी लेकिन

खम्भे देने का काम नहीं किया गया है। अगर माननीय विधायकों को ही अपनी विधायक निधि से ही कटिया कनेक्शन को, विद्युत पहुँचाने की छूट दे देते तो यह उपभोक्ताओं के ऊपर बड़ी भारी उपकार होता।

मान्यवर, उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। परन्तु हम उत्पादन नहीं बढ़ रहे हैं। टॉडा इकाई जो नई लगी थी और बढ़िया काम कर रही थी उस इकाई को बेचने का काम किया गया। मान्यवर, एक तरफ तो उस थर्मल प्रोजेक्ट को बेचने का काम किया परन्तु जो उससे प्रभावित किसान थे, सरकार ने उनसे समझौता किया था कि जिनकी जमीन ली जा रही है उनको नौकरी दी जायेगी। 545 काश्तकारों की खेत ली गयी, एन0टी0पी0सी0 को ट्रांसफर भी हो गया लेकिन उन 545 किसानों को दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। उनको नौकरी देने का काम नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हम पूरे प्रदेश में एक भी सेकेण्ड के लिए विद्युत की कटौती नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी पूरी तरह से इस सदन को असत्य के आधार पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी पूँछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो कटौती मुक्त रखा गया हो, हरदोई, और हैदरगढ़ को छोड़कर भले ही एक-आध जिला और छोड़ दिया गया तो लेकिन बाकी जिलों में 5-6 से लेकर 10 घंटे तक कटौती हो रही है।

देहात की बात छोड़ दीजिए 132 के0वी0ए0 के जो सब स्टेशन हैं उन केन्द्रों पर भी विद्युत की कटौती का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ टॉडा में 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन है उसमें 10-10 घण्टे कटौती की जाती है। बिजली दी जाती है तो यह कहकर दी जाती है कि जिला मुख्यालय को लगाकर और सारे फीड़र को काटकर रखिये। जरा सा लोड़ बढ़ा तो फीडर से बिजली काट दी जाती है। मान्यवर, बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की जा रही है। माननीय मंत्री जी सदन में जो घोषणा करते हैं उसके विपरीत आचरण करने का काम करते है। यह कहा गया कि जो ग्रामीण फीडर हैं उनसे जो विद्युत उपलब्ध कराया जायेगा उसकी दरें अलग होगी और शहरी फीडरों के उपभोक्ताओं की दरें अलग होंगी। टॉडा अम्बेदकर नगर जनपद का एक कस्बा है और बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है उनमें हॅसवर भूलेवर आदि ग्रामों में बिजली उपलब्ध कराने का काम किया जाता है लेकिन उनसे विद्युत बिल शहरी क्षेत्र के अनुसार लिया जाता है। इसी सदन में घोषणा किया गया था कि यदि इस तरह की गल्ती हो रही होगी तो उसे सुधारने का काम करेगें। लगातार तीन सालों से मैं इस बात को उठाता चला आ रहा हैं लेकिन इसे ठीक नहीं किया गया और यह ज्यादती करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से बुनकरों के बारे बार-बार आवाज उठाता हूँ कि जिस तरह से किसानों को सब्सिडी देने की बात आती है उसी तरह से बुनकर इस प्रदेश के लोगों को कपड़ा मुहैया कराने का काम करते हैं। महाराष्ट्र ऐसा सूबा है जहाँ प्रति हार्स पावर के आधार पर बिजली बिल लिया जाता है लेकिन हमारे यहॉ दोहरी व्यवस्था है, प्रति हार्स पावर और मीटर के आधार पर शुल्क वसूली का काम करते हैं। दोहरी मार करते हैं, ज्यादती करने का काम करते हैं। वसूली इसलिए नहीं हो पाती है कि यह समय से बिजली का बिल नहीं भेजते। अगर 18 घण्टे बिजली देने का काम करें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिजली के बिल का भुगतान समय से न करे। टॉडा में जितने फीडर हैं सारे ओवर लोडेड हैं, जब सप्लाई की जाती है तो ओवर लोडेड होने के कारण हर 15-20 मिनट पर फीडर में ट्रिप होती है। जिसके कारण बिजली रहते हुए भी बिजली नहीं मिल पाती।. . . . .

मान्यवर, जिस क्षेत्र में हमारा घर पड़ता है वहाँ का फीडर वर्षो से खराब पड़ा हुआ है। यह माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है फिर भी उसके सुधार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और उस फीडर की लाइन चाहते हुए भी बन्द हो जाती है और वहां विद्युत कटौती शुरू हो जाती है। मान्यवर, जैसे ही एक तरफ वह अपना फीडर चालू करते हैं दूसरी तरफ लाईन कट जाती है और यहां के उभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है। मान्यवर, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे जो विलो का भुगतान न हो पाने की बात सामने आती है तो जब उपभोक्ताओं को पूरी बिजली प्राप्त होगी तो समय से विद्युत का भुगतान भी सरकार को प्राप्त हो सकेगा। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की हालत यह है कि एक घन्टे

बिजली आती है फिर चली जाती है और फिर थोड़ी देर के लिए आती फिर दो घन्टे के लिए बिजली चली जाती है तो मान्यवर, इस तरह से जब आप विद्युत की आपूर्ति करते हैं तो किसानों को उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है उनका आलम यह होता है कि जैसे ही वह बटन दबाते है बिजली चली जाती तो इस तरह से 10 घन्टे भी आप बिजली प्रदान करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा।

मान्यवर, विद्युत वितरण की यह जो प्रणाली है इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो विद्युत सब स्टेशसन्स हैं ओवरलोड के कारण उनकी बिजली कट जाती है, और उपभोक्ताओं को बिजली की सही प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका कारण यह है कि जो पोल पुराने हो गये है, तार पुराने हो गये है, उनको बदला जाना चाहिए जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो सकती है। मान्यवर, इसके लिए जो ट्रान्सफारमर 5 एम0वी0ए0 के हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए 8 एम0वी0ए0 के ट्रान्सफारमर लगाये जाने चाहिए जिससे ओवर लोडिंग की जो परेशानी होती है वह दूर हो जायेगी और जो लोड पड़ने से ट्रिपिंग हो जाती है वह नही होगी। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के उन उपभोक्ताओं को भी बिजली मुहैया हो सकेगी जिन्हे प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस जब आप विद्युत वितरण की स्थिति ठीक कर देगें तो विद्युत भुगतान है वह भी आपको समय से प्राप्त हो जाया करेगा। जो आपने बिजली को निजी क्षेत्रों में देने की बात की है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से न तो आपको कोई फायदा होगा, न सरकार को फायदा होगा और न ही उपभोक्ताओं को इससे कोई लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि अभी माननीय नागर साहब ने कहा है कि बिजली का निजीकरण करने से सिर्फ उन्हीं को और उनके ठेकेदारों को ही लाभ प्राप्त होगा जिनके हाथों में वह व्यवस्था चली जाएगी। मान्यवर, जो आपने बिजली विभाग को तीन निगमों में बाटने का काम किया उसका कोई लाभ नही प्राप्त हुआ हैं। अब आप उन निगमो पर एक कोआर्डिनेटर बैठाने का काम करने जा रहे हैं। उत्पादन निगम से विद्युत ले रहे है परन्तु उसके मूल्य का भुगतान समय से नही कर रहे जब तक उत्पादन निगम को विद्युत मूल्य का भुगतान नहीं करेगे तीन निगम बनाने का लाभ नहीं प्राप्त होगा। मैं जानना चाहता हूँ, लाभ प्राप्त हो रहा है? मान्यवर, इस सरकार के लोग कांग्रेस संस्कृति में पले और बढ़े हैं इनकी मनुवादी संस्कृति है, यह सदन में हर बार घोषणा करते हैं कि हम बिजली के क्षेत्र में यह सुधार करेगें लेकिन घोषणाएं सिर्फ कोरी घोषणाएं ही साबित होती हैं।

मान्यवर, पहले तो जिला योजना और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आप ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की योजनाएं बनाते थे जिससे कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ है लेकिन मान्यवर, इन्होंने जब से 5-5 गांवों को विद्युतीकरण की घोषणा की है अब जो विधायक हैं वह अपने-अपने क्षेत्रों में जाने से डरने लगे हैं क्योंकि पहले उन्होंने यह कहा था कि आपके गांव चयनित हो गये हैं और इनका विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। लेकिन आज तक उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया जिनके बारे में 2000-2001 में कहा था और ऐसा करके आपने सदन को धोखा देने का काम किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1999-2000 में जो घोषणा किया है वह कब पूरी होगा। मान्यवर, आज विद्युतकरण नहीं कर पाये धोखा देने का काम किया और धोखा देने वाले व्यक्ति हर जगह धोखा देने का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग को सुधारने के प्रयास की घोषणा पूरी तरह से झूठी रही और बजट भी उसी रास्ते पर चल रहा है। आज जो बजट साहित्य है उसमें विश्व बैंक का चर्चा बार-बार आया हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह सरकार केवल विश्व बैंक/जैसे उत्तर प्रदेश विश्व बैंक से नियंत्रित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में कोई विद्युत सुधार नहीं हो सका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अजय कुमार पोइया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये ऊर्जा बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन् 25 जनवरी 2001 को विद्युत सुधार अंतरण स्कीम 2000 को अन्तिम रूप देते हुए अधिसूचना विधिवत जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में विद्युत सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रयास किये गये हैं उसकी सराहना करता हूँ। जिलों में अदालत का गठन करके विद्युत

उपभोक्ताओं की समस्याओं की शिकायत को काफी कम किया है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया इसके लिए 300 किलोवाट विद्युत की व्यवस्था करके इस उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति किया है और यह इस बजट में सराहनीय है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन द्वारा वितरण एवं पारेषण प्रणाली में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत उपभोक्ताओं की परिसर मैं मीटर की स्थापना हेतु विश्व बैंक से एवं पावर फाइनेन्स कारर्पोरेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है वह सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा विद्युत चोरी को रोकने के लिए नियंत्रण हो रहा है और प्राविधानों को और कठिन बनाने का निश्चय किया गया है। विद्युत कर्मचारियों के हितों के प्रति जागरूक रहते हुये राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन की तिथि, 15 जनवरी, 2000 से पेंशन और गेच्युटी से संबंधित वित्तीय दायित्वों का वहन करने का निर्णय लिया गया है। तापीय विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पी0एल0एफ0 में सुधार होगा एवं उसके वर्तमान स्तर 57.43 प्रतिशत से बढ़कर 61.21 प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि मध्यम एवं लघु जल विद्युत परियोजनाएँ सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र में विकसित कर प्रदेश में जल विद्युत को विशेष बढ़ावा दिया जाय इसकी मैं सराहना करता हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम औतार शांक्य-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमें चिंता इस बात की नहीं है कि आप घोषणा करने के बाद मुकर क्यों गये। माननीय लालजी वर्मा ने यह इशारा किया कि 5-5 गांव देने के बाद आप मुकर गये। आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है वह एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी जो विश्वसनीयता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपकी विश्वसनीयता को खतरा पैदा हो गया है। जिस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर यह ढांचा खड़ा है और जिस ढ़ाचे के तहत विधान सभा का गठन हुआ है, भविष्य में मंत्री की घोषणा पर विश्वास किया जाय या नहीं यह एक चिंता का विषय है। आज जो मूल्य गिरते जा रहे हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों में जो गिरावट हो रही है उससे वह समय दूर नहीं है जब जनता खुद अपने हथियार उठा लेगी और इस देश में एक खूनी क्रांति पैदा हो सकती है। अभी नियम 56 में मैंने एक सवाल किया था और उसमें निजी क्षेत्रों में विद्युत परिषद की परिसंपत्तियों को बेचने के बारे में चर्चा हुयी थी। टांडा की बात मैं ज्यादा नहीं करूँगा।

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अभी परिसंपत्तियां बेच नहीं रहे हैं। लेसा और केसा का मामला है या अन्य विद्युत गृहों का मामला हो जो वहां की भूमि है उसको बेचने की बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा था कि इन विद्युत गृहों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं इसलिए इनको बचेना चाहते हैं तो आप सदन में जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ या अरब की भूमि है जो आप बेचने जा रहे हैं इसकी जानकारी दें। यह जो जमीन बेचने जा रहे हैं इसका आधार और मानक क्या है यह प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिये क्योंकि जनता के मन में यह शंका है कि यह जमीन औने पौने में बेचने जा रहे हैं जिससे प्रदेश और राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस बिन्दु पर आप अपने उत्तर भाषण में जिक्र कर दें। मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं और प्रदेश का आर्थिक विकास कृषि पर आधारित है। बिजली के बारे में आप घोषणायें करते हैं कि किसान को 10 घंटे 12 घंटे बिजली देने की घोषणायें की जाती हैं लेकिन उसको 3-4 घंटे बिजली ही मिल पाती है।

गांव के किसान आपकी गलत बयानी को नोट कर रहे हैं और वह आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब किसान ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो वह 1-1 महीने तक नहीं बदला जाता उसका स्टीमेट 10-20 दिन तक नहीं बनता है और उसको दूसरा ट्रांसफारमर लगवाने के लिये तमाम सुविधा शुल्क देना पड़ता है जिससे समय पर किसान को खेती के लिये पानी न मिलने के कारण उसके खून पसीने से उगाई गयी

फसल नष्ट हो जाती है और किसान की अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस व्यवस्था में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से गांवों को बिजली दें तो वहां पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना हो सकती है और बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर होती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपका इतना बड़ा विभाग है और इतना बड़ा आपका तंत्र है फिर भी आप बिजली की चोरी को नहीं रोक पा रहे हैं। पहले कोआपरेटिव सेक्टर के कोल्डस्टोरेज थे उनमें बिजली का अंश बहुत ज्यादा चला जाता था नतीजा यह हुआ कि कोआपरेटिव के कोल्डस्टोरेज फेल हो गये।

निजी हाथों में कोल्ड स्टोरेज क्यों सफल रहे उसका कारण यह था कि निजी कोल्ड स्टोरज में बिजली का अंक बहुत नीचे रहता था और वह फायदे में चले जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की आपूर्ति की जाती है उसमें से बिजली काटकर बड़े बड़े उद्योगों को सप्लाई कर दिया जाता है बड़े बड़े उद्योगों में जो बिजली की खपत होती है उसके गणित ठीक तरह से नहीं होता इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत होती है इससे करोड़ों रूपये की राजस्व की क्षति होती है इस तरह की इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए कि छापे जगह-जगह मारे जाने चाहिए टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि बड़े बड़े उद्योगों में बिजली की चोरी न हो सके। प्रदेश की जो स्थितियां हैं उन स्थितयों को देखते हुए जो ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं उसका कारण यह भी है कि उसमें घटिया तार भरा जाता है। बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां ट्रांसफार्मर को भरती हैं जब दो दिन बाद ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो वही प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है इससे किसानों को परेशानी होती है। इन शब्दों के साथ जो हमारी शिकायतें हैं सुझाव हैं उनको प्राथमिकता पर रखने की व्यवस्था करेंगे इन शब्दों के साथ में डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मंत्री जी ने जो हमारी विद्युत की अहम आवश्यकता है जो हमारे जीवन का अंग बन चुकी है उसके सुधार और उसकी व्यवस्था के निमित्त कई ऐसी योजनाओं को रखा है प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घंटे बिजली देने की नई व्यवस्था देने की आपने नई व्यवस्था देने की आपने नीति बनाई है और पॉच वर्ष बाद बिजली की कमी नहीं होगी जो इसमें लाइनलास हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए पॉच वर्ष के अन्दर पॉच प्रतिशत कमी करने की बात कही। मंत्री जी खुले मन से पक्ष और विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि बिजली की चोरी को रोकने हेतु हमारा सहयोग करें यह बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा गांव कोई कस्बा कोई नगर नहीं होगा जहां विद्युत की चोरी नहीं होती है। कटिया के माध्यम से व्यापार के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से चोरियां हो रही हैं। जिस विभाग में उत्पादन, उपभोक्ता और वितरण सारी व्यवस्थाओं में चोरी होती हो वह विभाग चलता रहे वह बहुत बड़ी बात है। अगर बिजली में सुधार चाहते हैं तो बिजली की चोरी को रोकने में सहयोग करना होगा। मंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि हम निजीकरण में ले जाना चाहते हैं जो बिजली चोरी में अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं उनको दंडित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। किस तरह से बिजली में सुधार हो इसको निजीकरण में ले जाने की बात चार जोन में बांटने की बात अन्य सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ यह भी स्वीकार किया कि जहॉ मांग और उत्पादन में अन्तर है उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। जो योजनाएं लम्बित हैं किन्हीं कारणों से रूकी हैं उन्हें हल करके बिजली का उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कई सरकारें आई लेकिन बिजली की समस्या में सुधार नहीं हुआ कभी चार घंटे कभी दो घंटे बिजली मिली लेकिन आज 10 घंटे बिजली ग्रामीण अंचलों में दे रहे हैं।

किसानों की बात कही जा रही है 6 महीने बिना सरचार्ज लिए किसानों को बिजली दी गई है। योजनाओं के माध्यम से विद्युत के विकास की बात कही गई है यह महत्वपूर्ण बात है आपमें इच्छा शक्ति है

आपने हर बातों की स्वीकार करते हुए सबके सहयोग की बात कही है यह सारी बातें हैं मैं कुछ सुझाव भी मंत्री जी को देना चाहता हूँ।

आज चाहे ये सरकारी कर्मचारी हों या अधिकारी जो किसी भी जगह काम करके चले जाते हैं उनके ऊपर बिजली का बिल बकाया रहता है और उनकी जगह दूसरे उसी पद पर आ जाते हैं और फिर वह बकाया बकाया ही बना रह जाता है। तो इसके लिए कोई व्यवस्था बनाकर उनसे जबतक वह काम पर है जिस़स्थान पर है ट्रांसफर के साथ बकाया वसूल किया जाय और आने वाले अधिकारी से उसके बाद वसूली की जाय तो इस समस्या से कुछ निजात पाई जा सकती है। कटिया के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जांच होती है दण्डित किया जाता है लकिन अगर उसी दिन जांच के समय उनको उपभोक्ता मानकर उनके कनेक्शन को नियमित कर दिया जाय निर्धारित शुल्क के साथ तो शायद इस समस्या से कुछ हद छुटकारा मिल सकता है और प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। जो बड़े पूँजीपति हैं बड़े बकायेदार है उनसे भी वसूली की व्यवस्था बनाई जाय। हमारे जनपद की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि दो पावर सब स्टेशन जिनका का दो साल पहले शिलान्यास हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है वे हैं रमईपुर और सेमराधनाथ इसके साथ ही 10 साल से कोइरौना सब स्टेशन काम कर रहा है लेकिन वह अधूरा पड़ा है उसकी ओर ध्यान दें। जो पॉच गॉवों की व्यवस्था माननीय सदस्यों को नि:शुल्क विद्युतीकरण हेतु दी गई है उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं पुन: माननीय मंत्री द्वारा रखे बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं कटौती का जो प्रस्ताव डा0 अशोक बाज़पेयी द्वारा रखा गया है उसका समर्थन करता हू और माननीय मंत्री जी को मुबारक बाद देता हूँ कि उन्होनें बड़े खूबसूरत ढंग से पहले साल को अगले साल का और आगे पॉच साल का कार्यक्रम बना दिया और हमें इसमें ना तो कुछ पूँछने की न बताने की कि यह कैसे हुआ आवश्यकता नहीं रह गयी। आखिर पॉच साल में सुधार होगा तो कैसें? मंत्री जी ने कहा है प्लांट रेट फेक्टर पीएलएफ जो 57 है उसे 85 करेंगे आनेवाले पॉच साल में कोई तरीका तो होगा? 57 आज है उसे अगले साल साठ कैसे लायेगें तो इसके लिए कोई भी प्रोविजन आपने इस बजट में नहीं किया है न हीं दर्शाया है। आप कहते हैं कि 20-20, 23-23 साल पुरानी आपकी मशीने हैं उनको रिपेयर कराना है बदलना है तभी तो लोड फेक्टर ठीक होगा तो इसके लिए बजट में आपने कोई प्रोविजन नहीं दिया है तो फिर पीएलएफ आगे कैसे बढ़ेगा?

आपने यह भी नहीं बताया कि वर्ल्ड बैंक से जो आपको लोन मिलने जा रहा है वह कितना है और उससे आप अपना यह पी0एल0एफ0 कितना बढ़ा सकेगें। यह पी0एल0एफ0 कैसे स्टैन्डर्ड पर आ जायेगा जो कि आल इंडिया स्टैन्डर्ड पर आ जायेगा जो कि आल इंडया स्टैन्डर्ड है एन0टी0पी0सी0 का स्टैन्डर्ड है। हमारे यहां ऐसे ऐसे प्लान्ट हैं जिनका पी0एल0एफ 23 और 13 प्रतिशत है। सबका मिलाकर यह 40-45 प्रतिशत बैठता है। माननीय मंत्री जी ने उसको 57 प्रतिशत बताया है। आप यह बतायें कि इसके लिये धन कहां से आयेगा। आनपारा-सी है वह एक विवाद का मुद्दा है, आज भी और पिछले 4 साल से विवाद का मुद्दा है। माननीय मंत्री जी ने अपने पिछले पहले बजट भाषण में इसको रखा था, इसका जिक्र किया था लेकिन दो साल से इसका जिक्र भी बन्द हो गया है। आनपारा-सी ऐसा है, यदि सरकार में इच्छा शक्ति है तो इसमें इतने ज्यादा धन का आवश्यकता नहीं है जितनी कि किसी नये के लिये आवश्यकता होगी। कम पैसे में यह पूरा हो सकता है।

हिन्डोई में क्या वजह हुई कि जापान अब उसको ले नहीं रहा है और आपने अब उसको बेच दिया। अल्टीमेटली आप आनपारा-सी क्यों नहीं बना पाये। आप इसको बनाना चाहते तो बना सकते थे और आज जो दिक्कत आ रही है वह न आती। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में है कि दो हजार मिलियन यूनिट की कमी है। जितना आप विद्युत बनाते हैं जितनी आपकी खपत है उसमें इसको जोड़ दें तो आपको इसके लिये बाहर से बिजली लेनी पड़ेगी। एक दिक्कत आपने बताई कि टिहरी डैम योजना के बारे में

उसको फर्स्ट फेज 2002 तक चालू हो जाना चाहिए था लेकिन मान्यवर, भूकम्प और अन्य कारणों से वह समय से पूरी नहीं हो सकी है। आपने अपने आंकड़ों में दिया है कि 2002 तक यह पूरी हो जायेगी। लेकिन मान्यवर, अब यह आपूर्ति आप कैसे करेगें। यह बताना जरूरी है कि आगे आने वाले सालों में आप पैसा कहां से निवेश करेगें और कहां लगायेगें और यह आपूर्ति कैसे करेगें । माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 26 हजार करोड़ रूपये आपके यहां उद्योग में लगने जा रहे हैं। मान्यवर, यह 26 हजार करोड़ रूपये उद्योग में लगेगें तो उसके लिये बिजली चाहिए होगी। उस 26 हजार करोड़ को उद्योग में लगाने के लिये आप बिजली दे पायेंगे कि उद्योग आपके यहां लग सकें। मुझे तो नहीं लगता कि आप बिजली दे पायेगें। बहुत जोर के साथ कहा गया कि हमने यू0पी0एस0ई0वी0 को तोड़ दिया, तीन निगमों में बांट दिया। इसमें एक दिक्कत तो यह आई कि अभी दो महीने पहले जब आपको यह पता चला कि आपकी जो ओबरा की मशीनें हैं, बन्द होने जा रहा हैं, कारण यह था कि उनको चलाने के लिये कोयला नहीं मिला।

आपके तीनों निगमों के बीच में कोई कोआरडिनेशन नहीं था। तीनों के बीच जो वाद-विवाद, काऔरडिनेशन होना चाहिए था वह नहीं रहा और किसी ने किसी को बताने का फर्ज नहीं समझा। जिसकी वजह से ईस्टर्न और नॉदर्न ग्रिड फेल हुआ कुछ दिनों पहले। आपने कहा कि हए एक कोऔरडिनेशन बिठायेगें, नियुक्ति करेगें तो स्थिति यही हो जायेगी कि तीनों निगमों पर एक चेयरमैन बनेगा। वही स्थिति होगी जिसके लिये आपने इसको तीन टुकड़ों में बांट दिया था। बहुत जिक्र है कि आप प्राइवैटाइजेशन करेगें। 20 एम0ओ0यू0 आपके यहां साइन हैं पिछले कई सालों से, लेकिन उसमें से कोई पलट कर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन और जैनरेशन के लिये नहीं आया। आपने आज से चार साल पहले नोएडा के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी दी थी, कम्पनी बनाई थीं जिसमें पहला प्राइवेटाइजेशन किया था। उसकी स्थिति यह है कि डेढ़ साल बीत जाने के बाद उस पर देनदारी थी 16 करोड़ रूपये और फिर 3 साल के बाद देनदारी आ गई 75 करोड़ रूपये और आज देनदारियां 200 करोड़ रूपये है। ऐसे निजीकरण करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं निजीकरण हो जाना चाहिए। सब चीज निजीकरण में चली जायेगी सरकार के पास यह चीज होगी ही नहीं. . . . . .

सरकार के पास यह उद्देश्य नहीं होगा। मान्यवर एक बात और जानना चाहता हूँ कठिनाई है ग्रामीण क्षेत्रों में, पता नहीं आपके संज्ञान में है या नहीं। जो गॉव दस हजार की आबादी से ज्यादा के हैं उनसे बिल ज्यादा लेते हैं बिल वह जो ले रहे हैं वह मीटर वालों से जो बिल लेते हैं वह ले रहे हैं जबकि वहां मीटर भी मौजूद नहीं हैं तो दस हजार वाली आबादी की यह स्थिति है इनको आप चेक करा लें। मैं मान्यवर, मंत्री जी को एक बात और बताना चाहता हूँ. . . . .

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद-

आपने अधिकारियों से, मेरा एक्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर से मतलब नहीं है। आपके डायरेक्टर और आपके चेयरमैन भी कभी अपने जोन्स में पहुँचे हैं उसके अन्दर उन्हें जाना चाहिए उनको इल्म होना चाहिए कि 33/11 का कौन सा सब स्टेशन है जो ओवर लोडेड हैं। विधान सभा में यह कहा जाता है कि दस घंटे बिजली दे रहे हैं और हम कहें कि दो घंटे बिजली ले रहे हैं तो स्थिति साफ होनी चाहिए तो 3 एम0वी0ए0 को 8 एम0वी0ए0 कर दें तो स्थिति सही हो जाएगी। आपके 132 के0वी0 सब स्टेशन हैं वह ओवर लोडेड हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद-

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हरपाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया आज ऊर्जा विभाग का जो बजट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई विशेष वस्तु किसी मंथन से जैसे सागर से 14 रत्न निकले ऐसे निकलते हैं। बिजली विभाग में विषमतायें पैदा हुई हैं उन विषमताओं को दूर करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। पूरे विभाग को तीन डिवीजन में जैसे तीन फेस में बिजली बहती है ऐसे वहाँ कर दिया। एकदम सुधार संभव नहीं है इसमें समय लगेगा समय के साथ सुधार प्रतीत होगा एक साथ चाहें कि तत्काल कुछ हो जाए तो यह नहीं होगा। जैसे भगवान राम के चरण स्पर्श से पत्थर से अहिल्या जीवन्त हो गई ऐसे नहीं हो सकता है विभाग बड़ा है। बिजली ऐसी चीज है जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता है। आराम विश्राम के लिए बिजली चाहिए, खेती के लिए बिजली चाहिए, टी0वी0 के लिए बिजली चाहिए, वीवी के लिए भी बिजली चाहिए, चाहे खेल का मैदान हो बिजली चाहिए. . . .

(हँसी)

मान्यवर ऊर्जा के बगैर कुछ नहीं है सभी इसको चाहते हैं गाँव-गाँव ऊर्जीकृत हो। मान्यवर, पहले गॉव में बिजली दिखाई नहीं देती थी ऊर्जामंत्री के सहयोग से पांच-पांच गाँव ऊर्जीकृत किए गए।

(व्यवधान)

जो, गॉव में बिजली की चमक दिखायी दे रही है वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। विपक्ष ने यह कहा कि ज्यादा बिजली नहीं है तो वह भी हो जायेगा जो कुछ गॉवों में सुधार हुआ है पहले गॉव में दिखायी नहीं देता था लेकिन अब आप देखिये सब जगह दिखायी दे रहा है। पॉच पॉच गॉवों को पॉच पाण्डवों की तरह बिजली दी गयी। आज गाँवों में बिजली का विस्तार हो रहा है। धीरे-धीरे उभरकर और विस्तार हो जायेगा। माननीय विपक्ष के साथी सिर्फ बुराई ही करते हैं यदि सुधार हुआ है तो बढ़ाई भी तो करो। आज खेतों और मेड़ों तक बिजली पहुंच रही है और यह इसी पार्टी की देन है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी की देन है।

श्री अम्बिका चौधरी-

पार्टी तो आपकी लेकिन ऊर्जा मंत्री आपकी पार्टी के नहीं है वह तो निकल जायेगे जब चुनाव होगा।

श्री हरपाल सिंह-

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि बिजली की स्थिति बिगड़ी हुई थी। अधिकारी लोग काम नहीं करना चाह रहे थे जब बिजली को निजी क्षेत्र में दिया जाने को कहा तो लोग यह सोच रहे थे कि अंधकार छा जायेगा लेकिन इस सरकार के सामने विद्युत कर्मियों घुटने टेक दिये और आज तक कुछ नहीं हो पाया है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गांवों में, शहरों में, फैक्टरियों में बिजली की चोरी हो रही है जब तक इसे रोकेगे नहीं तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकती है। तो इसमें हमारी और आपकी भागीदारी होगी तभी यह तो सकता है। हम इस बात का संकल्प लें जो देनदारियां हैं अगर वह नहीं दी जायेंगी तो उसको जेल पहुंचा दिया जायेगा। जब तक काम नहीं होगा तब तक बिजली की चोरी नहीं रूक सकती है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों को एक बार माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बुलाया था और उनसे पूछा था कि बिजली की कैसी स्थिति है। मेरा सबसे लास्ट में नम्बर आया था मैंने यह कहा था कि जब तक चोरी नहीं रूकेगी तब तक इसकी स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। (व्यवधान) मान्यवर विपक्ष तो झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाउगी तुम देखते रहियो। तो अपने मन में मंथन करें यह चोरी क्यों हो रही है। इसको रूकवायें, उसकी वसूलयावी करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 विद्युत मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि गाँधी जी का चित्र हमने देखा था उसमें तीन बन्दर होते थे। उसमें कोई कान बन्द किये रहता था, कोई ऑख बन्द किये रहता था तो कोई मुँह बन्द

किये रहता था। ऐसे ही मंत्री जी के तीन राज्य मंत्री हैं। किसी के पूरे बाल काले हैं, किसी के पूरे सफेद हैं और किसी के आधे काले और आधे सफेद है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अभी बहुत लम्बा भाषण दिया था वह बिल्कुल बेबुनियाद था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

बिल्कुल इन्हीं की तरह।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

बुनियाद तो इधर है। मान्यवर, मैं सरकार के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कुछ चीजें अभी बजट भाषण में कहीं गयी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर मैं कुछ कहना चाह रहा था। आज इनके मात पिता को बहुत कष्ट हुआ होगा। क्योंकि यह वाणी से ही नहीं आचरण से ही सारी बातें बेबुनियादी कर रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, कुछ बातें 12.00बजे ही अच्छी लगती है। यह समय नहीं है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, 12.00बजे का जिक्र आया। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि 12..दिन में दो बार बजते हैं। एक तो दिन में और एक रात में। माननीय रामतेज जी ओर अम्बिका जी हमारे साथी हैं, हमारी बिरादरी के हैं इनके भी बजते हैं। लेकिन बुनियाद जी के चेहरे को तो देखकर हर समय लगता है कि बारह बज गये हैं और मैं कन्फयूज हो जाता हूँ कि बारह बज गये हैं। जबकि पोने छः बजे है।

श्री बुनियादी हुसैन अंसारी-

मान्यवर, कुछ बातें बता दूँ। वैसे जो तरीका अपनाया है सदन को गुमराह करने का इसका मुझे दुख है। मान्यवर, रौजा के थर्मल पावर में जिस विद्युत के उत्पादन के लिए आना था बिरला को लेकिन वह नहीं आये। मेरी निश्चित जानकारी है जहॉ-जहॉ बाद में एग्रीमेन्ट हुआ है चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो उन्हें तीन जगह बनाना था, बिरला ने कहा कि अगर यह ऊर्जा मंत्री रहेगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से यह नहीं बनेगा। चार साल हो गये हैं। चार सालों में एक जगह पर एक यूनिट बनाते। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बन रहा था, टाण्डा बेचने काम किया वह भी कर्जे में था दे दिया। जैसे नीलामी होती है तो कुछ नहीं बचता है और उसको अपना गहना और जेवर बेचना पड़ता है और जब वह भी नहीं होता है तो कुर्की हो जाती है टाण्डा का भी आपने वही हाल किया। बाकी दो बचे हैं वह भी कहीं कर्जे में न चले जायें।

मान्यवर, चीनी मिल बिजली का उत्पादन करती है। एक चीनी मिल जितना उत्पादन करती है वह दो सौ गाँवों को बिजली प्राप्त कराती है। आप बता दें कितना उत्पादन हुआ। इस कर्जे पर आपकी सरकार विफल है। दूसरी तरफ आप एक ढिढ़ोरा पीट रहे हैं। जब चोरी का नाम आता है तो शर्म से सिर झुक जाता है। यह कहते हैं कि चोरी होता ह। यह चोरी कौन कराता है, इसके पीछे क्रौन हैं। आपको हमने इतना बड़ा अधिकार दे दिया और आज आप मुखिया की हैसियत से बैठे हो और कहते हो कि सहयोग चाहिए। चोरी कौन करता है। चोरी देहातों में नहीं होती है। वहॉ पर क्या चोरी होगी जहॉ पर दो घंटे या चार घंटे बिजली आती हो। वहॉ पर क्या चोरी होगी जहॉ पर दो घंटे या चार घंटे बिजली आती हो। चोरी वह कराते हैं जो आपके अधिकारी और कर्मचारी है। जो पचास-पचास हजार रूपया का बिल होगा और कहेगें कि आधा हमारा आधा तुम्हारा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अपने नेता से पूछ लें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

कौन से नेता से हमारे एक नेता तो यहाँ पर बैठे हैं और दूसरी नेता हमारी बहन मायावती जी हैं।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायन)-

माननीय कांसी राम जी आपके नेता नहीं है। उनको भूल गये क्या?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, वह तो हमारे सुप्रिमो हैं ही। वह तो देश के नेता है। हॉ तो मान्यवर, मैं यह चुनौती दे रहा हूॅ कि जहॉ ट्रांसफारमर, कन्डक्टर मीटर, आप प्रदेश के आंकड़े पेश कर रहे थे, ऊपर सबसे ज्यादा गिरावट मूल्यों में उत्तर प्रदेश में आयी है। मैं तार, बिजली के ट्रांसफारमर, मीटर हिन्दुस्तान में महंगे दामों पर उ0प्र0 में खरीदे जाते हैं. . . .

मान्यवर, मैं नहीं कहता कि आप घूस लेते हैं कमीशन लेते हैं इसका कारण क्या है। आप यह बतायें कि ऐसा कौन सा रेशियो है कि कितने दिनों बाद खराब होना चाहिए और कितने मीटर है जो समय की सीमा के भीतर खराब होते है। आपने उसमें कौन सी कार्यवाही की है कितने आदमियों को आपने जेल भेजा है। जो 10 बड़े बकायेदार हैं जिन पर कई सौ करोड़ रूपये बाकी है उन पर क्या कार्यवाही हो रही है और दूसरी तरु आप मुझसे पूछिए मैं देहातों की लिस्ट दे सकता हूॅ जो बकायेदार जेलों में बन्द हैं तहसीलदार जीप लेकर जाते हैं कि आप पर इतना बकाया है आप क्यों नहीं बड़े बकायदारों को जेल भेजते हैं आप कहते हैं कि हमारे पास फण्ड नहीं हैं कि हम विद्युतीकरण करें अगर आप इन बड़े बकायेदारों से वसूली कर लें तो आप एक विधायक को 5 नहीं 10 गांवों के विद्युतीकरण की सुविधा का लाभ दे सकते हैं। आप हिम्मत करिये।

मान्यवर, यह जो सदन में आपके सामने बैठे हुए है आपके घोषणा पर मेजों को थपथपाने वाले जो 5-5 गाँवों का आपने ऐलान किया उसमें इ की क्या स्थिति बनेगी एक मिसाल कही जाती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जो चीज उगलते हैं उसी वक्त उसी को खा लेते हैं यह आदत कुत्ते में होती है। यह सरकार में कबसे हो गयी। घोषणा होने के बाद आप मान कर बैठ गये हैं कि हम यह नहीं कर पायेंगे इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, कहा जाता है कि आप बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से बात करके आप कुछ करवाते है और कहते हैं कि 5 गांवों का ऐलान कर चुका हूं इसकी सुविधा उपलब्ध करा दें क्या इतिहास यह नहीं लिखेगा कि सरकार इससे बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकती है। आज चर्चा की बात है कि फलां आदमी ने कहा प्रदेश के मंत्री ने कहा इससे क्या बदनामी कहीं नहीं है प्रेस कान्फ्रेस में यह बातें आयी अब विधान सभा में कहने के बाद यह कोई अधिकार नहीं है कि कैसे व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूॅ हमारे सीतापुर में मसूद अख्तर ने तीन साल पहले कनेक्शन मॉगा कि हमें पावर कनेक्शन दे दिया जाय, बेल्डिंग मशीन के लिए। पावर उनकी सेंक्शन हो गयी लेकिन आज तक उनके यहॉ कनेक्शन हुआ नहीं और बिजली का बिल पहुँचने लगा, 61 हजार का बिल पहुँचा उसके बाद इंजीनियर की समझ में नहीं आया उसने कहा कुर्की हो जायेगी आरसी जारी हो जायेगी। मेरे पास ओरिजनल बिल हैं मैं उसे आपके पास भेज रहा हूॅ उसके बाद 31 हजार का बिल हो गया लेकिन आज तक कनेक्शन हुआ नहीं। आप आर सी भेज दोगे जेल में पड़ा रहेगा कोई सुनवाई नहीं होगी। मान्यवर, कनेक्शन में आप वसूली करते हैं चुपके से, आपके इसमें तो डकैती किया जाता है, खुलेआम लाखों, जबरदस्ती लाओं, पूरे विधान सभा में एलान करके लिया, पूरे प्रदेश में जवरदस्ती लिया। मान्यवर, कटिया कनेक्शन में आपको पैसा दिया तो विनियमितीकरण क्यों नहीं कर रहें हैं तो इससे बड़ा धोखा ऊर्जा विभाग और कहाँ देगा। दूसरी बात यह है कि हमें देने के लिए तो आपके पास पैसा नहीं हैं, मैंने 2 दिन पहले यह कहा था कि आप मंत्री केवल हरदोई जनपद के नहीं हो, पूरे प्रदेश के हो जितना अधिकार उनका आप पर है उतना हमारा भी है। आपके यहाँ 10 घर है एक गॉव में तो आप

10 खम्भे गाड़े हो और हमारे यहॉ 2,000 की आबादी वा गॉव है तो उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, आधा घंटे में खत्म कर दूँगा।

मान्यवर, आप कह रहे हैं तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कम उसको अधिक समझ लेना। माननीय मंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। यह जीवन भर मिनिस्टर नहीं रहेगे, जो समझौता कर रहे हैं, जो बात कह रहे हों, जो कहा है, अपनी जुवान को मत काटिये अर्पने साथियों का ध्यान कीजिए, कुछ शर्म कीजिए, हमारे साथी रहे हो तो हमें रूसवा मत करो लोग कहेंगें कि इनके बड़े भाई कहे हैं तो मुझे भी अपमानित होना पड़ेगा। आप घोषणा करें कि हम वायदे के मुताविक सभी सम्मानित सदस्यों के चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों सभी के 5-5 गॉव का विद्युतीकरण करेगें। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत गम्भीरता से कटौती के प्रमुख प्रस्तावक माननीय बाजपेयी जी को सुन रहा था। उसके बाद हमारे जनपद के विधायक मा0 राम प्यारे जी और मा0 लाल जी वर्मा जी को सुना, बहुत गम्भीर बात कही माननीय बाजपेयी जी ने कि कोई भी आदमी, प्राइवेट आदमी विद्युत के क्षेत्र में नहीं आ रहा है उत्पादन के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, विद्युतीकरण के क्षेत्र में नहीं आ रहा है उत्पादन के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो यह बहुत गम्भीर बात है। मैं कहना चाहता हूँ कोई तो नहीं हैं। सारे देश के अन्य प्रदेशों में प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं लेकिन हमारे प्रदेश में कोई नहीं आ रहा है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

यहॉ सीआईए के एजेण्ट काम कर रहें हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि घर की लुगाई जब भाग जाये तो संकट खड़ा हो जाता है। यह उनका विद्युती मंत्री की तरफ इशारा था। हमारे माननीय मंत्री नरेश अग्रवाल जी ने अगर वह एतिहासिक कदम न उठाये होते. . .

तो इस इस प्रदेश का करोड़ों, अरबों रूपया मध्यावधि चुनाव में वरवाद हुआ होता। जनता के विकास में काम आने वाले धन का जबरन चुनाव में उपयोग हुआ होता, इसको उन्होने बचाया और इसके लिये सदन को उन्हें बधाई देनी चाहिये कि उन्होनें चुनाव की नौबत से इस प्रदेश को बचाया, यहॉ की जनता को बचाया लेकिन आज उसकी निन्दा की जा रही है यह ठीक नहीं इसके लिये तो जितना धन्यवाद दिया जाय, शायद वह कम होगा। माननीय लालजी वर्मा ने भी कटिया कनेक्शन की बात कही। 67 लाख से बढ़ाकर 86 लाख कटिया कनेक्शन नियमित किया गया, मैं तो नहीं जानता कि कहीं यह बात कही होगी, कितनी कटिया कनेक्शन पर एक खम्भा लगाया जायेगा। सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। बल्कि यह कहा गया था कि जो भी कटिया कनेक्शन या अवैध कनेक्शन चल रहे हैं, उन्हें एक न्यूतम 650 या 750 रूपया लेकर नियमित कर दिया जायेगा और वह नियमित रूप से विद्युत उपभोक्ता माने जायेगें, इस ओर बुनियाद हुसेन अंसारी ने भी संकेत किया। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यगण से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, माननीय विद्युत मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप विद्युतीकरण नहीं हुआ। आजमगढ़ के श्री वसीम अहमद जी बैठे हैं, वह भी समीक्षा बैठकों में जाते हैं, वह भी जानते होगें।

पूरे प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं वरता गया है। चाहे वह सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे वह विपक्ष के विधायक रहे हों। सभी जनपदों में समान रूप से सबको गॉव का चयन करने का अधिकार दिया गया और उनके क्षेत्र के गॉव विद्युतीकृत हुये हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कटौती भी कर रहे हैं और निन्दा भी कर रहे हैं। हमारे विद्युत मंत्री जी ने 41 प्रतिशत लाइन लास को 1 प्रतिशत तक घटाया है और वह अगले 5 वर्षो में इसको 31 प्रतिशत तक लायेगें, कम से कम इसके लिये तो बधाई दिये होते। हमारे विद्युत मंत्री जी विद्युत चोरी रोकने के लिये चोरी को समाप्त करने के लिये कटिबद्ध हैं, मैं समझता हूँ कि सभी इसमें एकमत होगें कि विद्युत की चोरी रूकनी चाहिये, लाइन लास समाप्त होना चाहिये, कम से कम इस सबकी तो आप लोगों को प्रशंसा करनी चाहिये। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आर्क फर्नेस की चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये गये हैं इसी प्रकार ओवरा के नवीनीकरण की बात कही है, यह बधाई योग्य बात है। इसके अलावा पनकी, पारीछा की क्षमता बढ़ाने की भी बात कही गई है, इसकी प्रंशसा की जानी चाहिये।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के अन्दर वरदह सबस्टेशन है, वहॉ की ओ0सी0वी0 बहुत पुरानी हो गई है, केवल 12 लाख का बजट है। पहले भी यह बात कही जा चुकी है कि बरदह सबस्टेशन की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिये ओ0सी0वी0 को बदला जाय, इससे 50 गॉव के लोग लाभविन्त होगें। एकलाख जनता को विद्युत की अच्छी व्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में लालगंज, तरवा देवमाल मल्हना मेहनाजपुर वरदह आदि सबस्टेशन हैं, जहाँ कर्मचारियों की थोड़ी कमी है, लाइनमैन नहीं हैं, जे0ई0 नहीं है, स्किल्ड कुली नहीं हैं, इन सारी चीजों को चुस्त-दुस्त करने की कृपा करें। मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बहुधा देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर विद्युत की जो लाइनें खींची गई हैं उनके तार ढीले हो गये हैं, इनके टूँट जाने से फसल का बड़ा नुकसान होता है, जानवर मर जाते हैं, जनहानि भी होती, अत: एक विशेष अभियान 15 दिन या एक महीने का चलाकर इन ढीले तारों को कराने की योजना बनावें ताकि इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकें, इन्हीं शब्दों के साथ के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं बाजपेयी साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मंत्री जी चले गये, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जीसे बताना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में विद्युत तार चोरी होते हैं, ट्रांसफारमर चोरी होते हैं और मान्यवर, एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर और जे0ई0 और उनसे सम्बन्धित लाइन मैन थानों में जाते हैं कहीं भी इसकी एफ0आई0आर0 नहीं होती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तार की चोरी, ट्रांसफार्मर की चोरी हो जाती है, विद्युत अधिकारी थाने में जाते हैं, जब से विद्युत मंत्री जी हुए हैं एक की भी एफ0आई0आर0 किसी थाने में लिखी नहीं जाती है और एफ0आई0आर0 न लिखे जाने के कारण नए तार इन पोलों पर लगाये नहीं जा सकते, यह इनकी व्यवस्था है। मान्यवर, लाइन लॉस की बात है मंत्री जी ने, लेकिन मान्यवर, जाहाँ के तार उत्तर गये हैं तो एफ0आई0आर0 तो होनी चाहिए। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में गोडइयां नं0-4 में चार महीने से दौड़ रहे हैं कोई एफ0आई0आर0 नहीं हुई है यही हाल अडैला का है। आली नगर में खम्भे लग गये हैं, बिल जा रहे हैं, बिजली है नहीं और वहां पर आपने सबके खिलाफ आर0सी0 काट दी हैं। मान्यवर, पिछली बार भी जब बजट आया था मैंने बात उठायी थी, मान्यवर, मेरे जनपद बहराइच में दरगाह शरीफ में बहुत बड़ा मेला लगता है, तमाम यात्री आते हैं, हिन्दु मुसलमान भाई आते हैं इसलिए उसको कम से कम उस मेले की वजह से उसे पर्यटन स्थल घोषित करें और वहाँ पर तीन महीने लगातार विद्युत आपूर्ति का आदेश कर दें। इससे जिले का भी भला हो जायेगा। मान्यवर, यदि आंधी-तूफान आत है तब तो आपके वहाँ से चला आता है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी यदि पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं तो कर दें। यह ऊर्जा का बजट है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, इसकी वजह से शहर में कटौती होती है, कैसरगंज में 10-10 दिन बिजली नहीं जाती, महसी और शिवपुर की यही स्थिति है। मंत्री जी ने ऐसा स्विच पकड़ लिया कि अब वहाँ से प्रोडक्शन होना ही नहीं, लाइन लॉस की बात ही करते रहेंगे। मान्यवर, 1999-2000 में जो माननीय विधायकों को 5-5 गॉव देने की बात थी, नरेन्द्र सिंह जी अभी बोल रहे थे कि इसमें बहुत काम हुआ है तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद से माननीय बकार साहब हैं, श्री अरूण वीर सिंह जी हैं, नानपारा से जटा शंकर जी हैं वही बता दें।

कही कुछ नहीं है, ढ़पोरशंखी बनने से व्यवस्था नहीं बदलती है। मैं आप को बताना चाहता हूँ कि विद्युत विभाग की जितनी व्यवस्था खराब हो गयी है, जो फर्जी ऑकड़े पेश कर दिये गये हैं, किस गॉव में बिजली जाती है, अधिष्ठाता महोदय, आप खुद जानते हैं आपके क्षेत्र में बिजली जाती है, अधिष्ठाता महोदय, आप खुद जानते हैं आपके क्षेत्र में बिजली नहीं जाती होगी, मिनिस्टर बैठे हैं उनके क्षेत्रों की भी यही स्थिति होगी। यहाँ पर झूठीबातें की जाती हैं। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। प्रदेश के विकास के लिए विद्युत अति आवश्यक है। उद्योग किसान तथा बुनकर भाइयों के लिए भी विद्युत अत्यन्त आवश्यक है। रूकनापुर, बहराइच, नानपारा और महिषी में बुनकर भाइयों का काम चलता है लेकिन उनके कारखाने हफ्ते-हफ्ते भर बन्द रहते हैं, बिजली की आपूर्ति नहीं होती हे परन्तु उनसे वसूली की जाती है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 6 हजार मेगावाट की आवश्यकता है और 5000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि विदेश का बड़ा दौरा किया। मंत्री जी अपने प्रदेश का दौरा करें, हिन्दुस्तान का दौरा करें।स्थिति यह है कि कोई आदमी विद्युत मंत्री के कहने पर कोई कोई यूनिट लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे हैं, सिंचाई नहीं हो पा रही है, किसान, मजदूर, बुनकर परेशान हैं, व्यापारी भी पेरशान हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में एक विभाग का बजट इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि विद्युत की व्यवस्था खराब हो गयी थी। जब आप यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते तो बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, सहारनपुर और देहरादून की क्या ठीक करेगें?

श्री अधिष्ठाता-

देहरादून अब हमारे यहाँ नहीं है। अब आप समाप्त करिये।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, अभी कुछ सम्बन्ध है। मान्यवर, एक बात कहना चाहूँगा कि एफ0आई0आर0 जरूर होना चाहिए। भाई नवाव सिंह नागर, केशौ मेहरा, गोरखनाथ पाण्डेय सहित सत्ता के लोगों ने अपने विचार रखे कुछ देर तक तारीफ की फिर अपना रोना शुरू कर दिया क्योंकि बिजली का संकट सभी के यहाँ है। मौजूदा विद्युत मंत्री के रहते व्यवस्था ठीक नहीं होनी है। इनकी कथनी-करनी में फर्कहै, इनके आचरण में भेद है इसलिए स्थिति सुधर नहीं सकती। कोई दरख्वास्त या अप्लीकेशन दीजिए कभी कोई निर्णय नहीं हो सकता। यह अक्षम है और ऐसे रास्ते पर चल रहे है जहाँ से सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् विडम्बना है कि आजादी के बाद जब इस देश के विकास की योजना बननी शुरू हुई तो प्राथमिकता गलत तय हो गयी। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी जब आजाद भारत के भाग्य का निर्धारण करने जा

रहे थे तो उनकी नीयत तो ठीक थी परन्तु नीति त्रुटिपूर्ण थी उधर ही ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। विदेश की जिस चकाचौंध से अनुप्राणित होकर भारत को विकसित करने की जो प्राथमिकता तय हो रही थी तो उनको इतने बड़े देश ओर प्रदेश के भीतर केवल नगरीय क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोग दिखायी पड़े। इस बात पर से ध्यान हट गया कि यह देश "गॉवों को देश" है और आज भी आबादी की 80 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करती है। किसी विशेष योजना को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सबसे बड़ी आबादी कहाँ रह रही है। अगर इस बात पर ध्यान दिया गाया होात जहां 80 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हे तो उसके लिए प्राथमिकता तय की गयी होती तो इस देश और प्रदेश के गॉव इस स्थिति में नहीं होते कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संकल्प लेना पड़ता कि "ग्रामोदय योजना" के अन्तर्गत सारे गॉवों को ऊजीकृत करेगें, यह प्राथमिकता पहली बार तय की गई है। यदि यह प्राथमिकता 1950-1951 में तस की गयी होती तो यह स्थिति न होती परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया यह खेद और दुर्भाग्य की बात है और लम्बे समय तक जिन लोगों ने ऊर्जा, बिजली, विकास के आयामों पर अपनी व्यवस्था चलाई जिन लोगों ने हमारे देश में प्रदेश में यह त्रुटिपूर्ण नीतियां चलाई आज वह इस सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। हमारे जो कांग्रेसी लोग है, आज जब भी किसी बजट पर चर्चा की जाती है वह सदन से उठकर बाहर चले जाते हैं क्यों कि वे जानते हैं जिन्होंने एक लम्बे समय तक इस देश, प्रदेश को चलाया है उनकी नीतियां व्यवस्थाएं त्रुटिपूर्ण रही हैं, जैसा कि अभी हमारे माननीय लालजी, वर्माजी ने भी कहा है। आज इन्हीं की नीतियों, कदाचारों, क्रार्यक्रमों की गलत योजनाओं के कारण ही हमारा देश और प्रदेश विकास में पिछड़ा है। जैसा कि माननीय गोरखनाथ जी ने माननीय हरपाल सिंह जी ने कहा कि सरकार द्वारा धन को पूरा करने के पश्चात यदि नया संयंत्र लगाया जाय बिजली उत्पादन को पूर्ण करने के लिए, तो भी उस योजनाके उत्पादन में 5 वर्ष का समय लग जायेगा। जब इतने लम्बे समय तक कार्यकाल करने वाली सरकारों द्वारा कोई नयी योजना नहीं बनाई गयी तो यह सरकार तो अभी आई है और माननीय मंत्री जी ने तो अभी इस दिशा में विकास कार्य शुरू किये हैं। माननीय रामप्यारे सिंह जी ने जैसा कहा कि घर की उढ़री को दूसरे जगह भी बजने नहीं दी जाय, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मा0 ऊर्जा मंत्री जी इस लिए आ गए कि हमारे यहाँ विद्वान, चरित्रवान लोग हैं और वहाँ जिस प्रकार के व्यक्ति और चरित्र के लोगों से वे घिर गये थे उनको छोड़ने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है जिसने किसानो की तरफ सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, अगर आज से पहले पिछली सरकारों ने त्रुटिपूर्ण नीतियां न लगायी होती और अगर गलत नीतियों पर न चलते तो ऊर्जा का यह संकट न पैदा हुआ होता। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 25 मई, 1992 में जो मेरे यहां ग्रामीण क्षेत्र हैं, के 80 गांव हैं, उनको ऊर्जाकृत करने की बात कही थी और लिखित रूप में मैने यह प्रस्ताव भेजा था और सिफारिश की थी उन्हें ऊर्जाकृत करने का, लेकिन मान्यवर, आज तक वह प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है।

मान्यवर, मैं विद्युतीकरण के बारे में ध्यान दिलाता हूँ कि 9 महीने हो गये हैं। सितम्बर, 2000 में मैंने "केसको" के अधिकारियों को उनके कान्सटेक्स डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो 15 लाख, 1999-2000, 20 लाख 2000-2001 का नगरीय क्षेत्र के विधायकों को आवंटित था उस संबंध मैंने गाँव का दौरा कराया था तब से लेकर मैं 400 टेलीफोन काल्स कर चुका हूँ और पूर्व एम0डी0 से 5 बार बैठके कर चुका हूँ और आज इस समय जो एम0डी0 है उनसे भी वार्ता हुई है जो कहते हैं कि हम विद्युतीकरण का काम करायेंगे। लेकिन सांसद कोटे से 10 लाख, विधायक निधि से 25 लाख रूपये देने के बावजूद भी आज

तक विद्युततीकरण नहीं हुआ है। इधर कुछ पोल जरूर खड़े कर दिये गये हैं। वहाँ पर पैसे का अभाव नहीं है, लेकिन काम पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से रूमा गाँव में एक सबस्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं निवेदन करूगा कि जिसके लिए विधायक निधि से पैसा दिया जा रहा है बड़ी कृपा होगी कि अधिकारियों पर दबाव डालकर उनको निर्देश देकर विद्यतीकरण का कार्य करायें। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि यहॉ पर यह बात कही गयी कि 3 रिटायर्ड अधिकारियों को निगम में अधिकारी बना दिया गया है, तो इस संबंध में मेरा कहना है कि वह रिटायर्ड तो जरूर हो गये हैं हो सकता हे कि उनमें ऊर्जा हो काम करने के लिए और वे रिट्रीड हो गये हो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी सरकार के निश्चित रूप से शक्तिशाली ओर अनुभवशाली मंत्री है और जैसा उन्होनें खुद अपने बजट भाषण में कहा उनके अन्दर इच्छाशक्ति भी है, दृढ़ता भी है हमें इससे इंकार नहीं करना चाहिए। जिता जागता प्रमाण है कि प्रदेश की जनता को उन्होंने ऊर्जा मंत्री के रूप में राहत भले ही देने का काम न किया हो, लेकिन कम सें कम 4 वर्षो से इस सरकार को तो ऊर्जा प्रदान कर ही रहे हैं और जिस ऊर्जा का जिक्र अभी माननीय डंग साहब ने किया, हो सकता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने इस सरकार के सदस्यों को वह ऊर्जा प्रदान करने का काम किया हो। अभी हरदोई जिले के जिन आँकड़ों के आधार पर माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया, प्रदेश की जनता इस भ्रम में थी कि नरेश अग्रवाल जी कम से कम हरदोई जिले में तो 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, यह एक धोखा है या सच्चाई,-हमें तब विश्वास हुआ जब उसी जिले के सदस्य बाजपेयी जी ने माननीय ऊर्जा मंत्री के क्रियाकलापों के बारे में उन्हें जो आइना दिखाया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शायद हरदोई वाले भी धोखे में हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में 67 लाख कंज्यूमर थे जिनकी संख्या बढ़कर 86 लाख हो गयी है। प्रदेश की आबादी 16 करोड़ है इस तरह से एक कनेक्शन पर 25 आदमियों का औसत आता है। हमारे यहां की 8 करोड़ से अधिक की आबादी गांवों में रहती है ये गांवों का आप विद्युतीकरण नहीं कर पाये हैं। जब गांवों को बिजली नहीं मिल रही है तो आप कैसे अपनी उपलब्धियॉ गिना रहे है। आपने स्वीकार किया है कि 1993 से उत्पादन नहीं बढ़ा है और हर साल 12 से 15 परसेन्ट बिजली की मांग बढ़ जाती है वहीं पर 100 करोड़ रूपये की बिजली को चोरी भी हो रही है जिसके उपर माननीय बुनियादी हुसैन अंसारी ने प्रकाश डाला है। जब विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो गांव को आप क्या उपहार दे रहे हैं। आपका कहना हैं कि गांवों को 14 घन्टे बिजली देते हैं लेकिन मिलती है 2-3 घन्टे। यह आपकी उपलब्धि है, यह बड़े शर्म की बात है। शायद इन्हीं कारणों से आज प्रदेश में कोई पूंजीपति पूंजी निवेश करने का इच्छुक नहीं है।

आप वादा कर रहे हैं कि 5 साल में विद्युत व्यवस्था सुधार देंगे। 4 साल आपको जनता ने देखा है अब आप जनता को और धोखा न दें आप प्रदेश की जनता को इतना सीधा और बेवकूफ समझते हैं कि वह अगले पांच सालों के लिए फिर सत्ता में आने का मौका देगी। आप यह ख्वाब देखना छोड़िए। आपने इसी सदन में 5 गांवों को ऊर्जीकृत करने का ऐलान किया था। पहले जिला योजना से पैसा मिल रहा था उसके बाद पत्र आया कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से 50 परसेन्ट देंगे और फिर तीसरा पत्र आया कि विधायक निधि से 5 गांव के विद्युतीकरण कराने की छूट दे दी है। लेकिन यह घोषणा आपने पूरी क्यों नहीं की जो आपने सदन में की थी। तो यह झूठी घोषणाएं और झूठे आश्वासन प्रदेश की जनता को न दे। मैं अपने क्षेत्र

के ब्लाक भगतपुर की बात कर रहा हूँ वहां पर बिजली घर नहीं है। ब्लाक मूंडापांडे-दलपतपुर से 55 किलोमीटर से लाईन जाती है। आप गत वर्ष अलीगंज में बिजलीघर का उद्घाटन करने जा रहे थे लेकिन आपने एक दिन पहले प्रोग्राम कैन्सिल कर दिया। वहां पर 55 कि0मी0 दूर से लाइन आती है और तारों का थेफ्ट हो जाने पर सालों तार नहीं लग पाते। उस क्षेत्र में बिजली की मरम्मत आदि का काम देखने के लिये केवल 6 लाइन मैन हैं जो उस क्षेत्र में विद्युत चोरी रोकने का मरम्मत्त का काम नहीं कर सकते हैं। ब्लाक गूँडापांडे में एक गांव रौण्डा जिसके तार 4 साल पहले चोरी हो गये थे। इसके लिये प्रस्ताव गया था इसको दलपतपुर से जुड़वा दें ताकि बिजली जाती रहे और तार चोरी न हो। आप 4 साल से पुरानी लाइन को ठीक नहीं करा सकें और उसके बाद सदन में घोषणा करते हैं कि हमने विद्युत क्षेत्र में विकास किया है यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

एकता बिहार कालोनी एम0डी0ए0 की मुरादाबाद में है वहां बिजलीघर के लिए जगह थी पैसा पहुँच गया आपके पक्ष के विधायक ने उस पैसे की मुरादाबाद नगर में स्थानान्तरित करा लिया किन कारणों से ऐसा हुआ क्या मजबूरी थी आपकी आपने दे दिया ठीक है लेकिन जिस बिजली घर के लिए दो साल पहले पैसा दे दिया जगह दे दी गई उसके लिए दुवारा बिजली घर लगाने की व्यवस्था करें। उस कालोनी का फीडर मुरादाबाद नगर से जाता है जिस जगह काशीपुर तिराहा पर वखारा गाँव पड़ता है उस गांव के फीडर से बीच से पारेष्ण लाइन के लिए प्रयास किया लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। मेरे क्षेत्र में भोजपुर नगर पंचायत हे बिजली घर के लिए जगह पड़ी है।

श्री अधिष्ठाता-

लिखकर दे दें। अपनी बात समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

बिजलीघर प्रस्तावित है आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। भोजपुर में सबस्टेशन बनाने पर मंत्री जी विचार कर लें। संभलपुर रोड पर मुरादाबाद नगर क्षेत्र में एक सीतापुरी बिजली का सब स्टेशन है उससे निकलने वाला एक फीडर संभल रोड के पंडित नगला फीडर जो ग्रामीण फीडर माना जाता है क्योंकि वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निकलकर वह जाता है दूसरी तरफ पश्चिमी साइड से संभल रोड पर जो फीडर निकलकर जाता है वह भी हमारे क्षेत्र से होकर जाता है वह आपके सदस्य मा0 जे0पी0 सिंह के क्षेत्र में जाता है उस फीडर को नगर का फीडर मानकर 24 घंटे विद्युत होती है जब कि मेरे फीडर को ग्रामीण मानकर शाम को बिजली बन्द कर दी जाती है वह अंधेरे में हो जाता है तथा सड़क के दूसरी तरफ मा0 जे0पी0 सिंह के फीडर पर रोशनी हो जाती है। इस अन्याय को कम से कम बन्द कीजिए। तो कम से कम हम भी आपका एक अहसान मानें। पेपवपुरा अम्बेदकर गांव में 1998-99 में विद्युतीकरण किए जाने की बात भी लाइन खिच गयी लेकिन आज तक बिजली चालू नहीं हुई है उसका कारण यह है कि उसका फीडर रामपुर नगर से आना है। सारे अधिकारी मुरादाबाद के लिखते रहते हैं लेकिन रामपुर के आपके अधिकारी लाइन देने को तैयार नहीं है बीच में कोसी नदी होने के कारण मुरादाबाद फीडर से वहाँ लाइन नहीं जा सकती है। इस विद्युतीकरण का क्या लाभ कि आज तक लाइन नहीं। रामपुर में जो अधिकारी बैठे हैं वह बिजली देने को तैयार नहीं है इससे बार मानपुर पट्टी व नउआ नगला गांव में भी बिजली नहीं पहुँच पायेगी। मा0 श्री सुरेश खन्ना जो आपकी सरकार में मंत्री हैं और हमारे प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब आपके विभाग की तरफ से नहीं आया,न अमल हुआ,न क्रियान्वयन हुआ। इसी के साथ मैं मा0 डा0 अशोक बाजपेयी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आभारी हूॅ कि आपने विद्युत विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आपने हम सब विधायकों के मन में जो आशा उत्पन्न की और 1997-98 1999-2000 में हम सबको पॉच गांव विद्युतीकरण के लिए दिए इसके लिए हम सब पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने उसका स्वागत किया। सभी लोग कह रहे हैं कि यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ लेकिन पिछली सरकारों ने विधायकों को क्या दिया। इस सरकार में सभी विधायकों के लिए समानता है ऐसा नहीं कि जो सत्ता पक्ष में है उसी को मिला. . . . .

महोदय, पिछली सरकार में हमारी ही विधान सभा क्षेत्र के 56 ऐसे गॉव जहॉ विद्युतीकरण दर्शाया गया लेकिन कहीं खम्भे तो कहीं तार यह आज नहीं 50 वर्ष पहले की बात है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूॅगी कि पिछली सरकारो की जो कमियॉ रहीं हैं सो रही लेकिन आप इस ओर ध्यान जरूर दे ताकि इनके कुछ कार्यो को धोया जा सके। विद्युत चोरी रोकने का पक्ष और विपक्ष दोनों का एक साथ दायित्व बनता है सामाजिक दायित्व बनता है। इसकी रोकथाम के कठोर कदम उठाये जाय। पहले ट्रांसफार्मर जो फूंक जाते थे उनकी मरम्मत तहसील हेड क्वार्टर पर होती थी लेकिन अब जिला हेड क्वार्टर पर होती है जिससे काफी परेशानी होती थी तो पूर्व की व्यवस्था ही रखी जानी चाहिए। हमारे क्षेत्र मोहम्मद लखीमपुरखीरी में जो एक सबस्टेशन है उसको ठीक करवाने की कृपा करें और एक बात की ओर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूॅ कि मेरे क्षेत्र में बिजली सीतापुर से होकर आती है तो जबतक वहॉ पूरी न पड़े हमारे यहॉ कैसे आ सकती है तो यहॉ पर 32/11 का स्टेशन प्रारम्भ कर दें इसके अलावा हमारे यहॉ कोई एसडीओ नहीं है वहॉ नियुक्ति करने की कृपा करे। जो हमारे यहॉ 56 गॉवों का विद्युतीकरण होना है उसके खम्भे और तार पड़े हैं यदि आवश्यकता हो तो हम विधायक निधि से पैसा दे देगें लकिन वहॉ विद्युतीकरण करा दिया जाय। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूॅ धन्यवाद।

श्री वसीम अहमद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूॅ। मंत्री जी ने कहा था विद्युत विभाग को तीन भागों में बॉटने से कार्य सुचारू रूप से चलेगा तो कितना चल रहा है? मैंने कापोरेशन के अध्यक्ष को दो एप्लीकेशन दी एक 98-99 और 99-2000, 2000-2001 के लिए. . . . .

उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी को मैंने 2000-2001 के जो गॉव थे, जिनका विद्युतीकरण होना था उनके इस्टीमेट के लिये लिखकर दिया लेकिन आज तक इस्टीमेट के लिये कागज आजमगढ़ नहीं गया। इतना इनके काम में तेजी है वह इसी से पता चल रही है। इसी तरह से कहना चाहता हूॅ भाई नरेन्द्र सिंह चले गये, बड़ी बात कर रहे थे कि पूरे दिन-रात बिजली रहती है। माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति करा रहे हैं। मान्यवर, आपका भी क्षेत्र है, क्या आपके यहां 24 घंटे बिजली रहती है। यह इस तरह से झूठ बोल रहे हैं जिसको सफेद झूठ कहा जा सकता है, सबके सामने बोलने का काम करते हैं। नरेन्द्र सिंह जी आप आजमगढ़ के हैं आपके बगल में फागू चौहान जी मंत्री हैं, इस समय नहीं हैं यहां पर उनके गांव में 400 का जो सब स्टेशन है अगर अमेठी में जरूरत होती है तो वहां से बिजली सप्लाई होती है लेकिन हमारे आजमगढ़ में वहां से बिजली सप्लाई नहीं कराई जा रही है। माननीय नरेन्द्र सिंह जी इसका प्रयास करते कि वहां से आजमगढ़ को भी बिजली मिले, चमचागिरी न करते तो आजमगढ़ में कुछ अच्छे शब्द लोग उनके लिये बोलते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जब हम यहां से अपने घरों को जाते हैं तो जिस तरह से हम लोगों को कोसा जाता है कि आप विधान सभा में रहते हैं और यहां बिजली 4-4, 8-8 घंटे नहीं आती है। सुबह 7 बजे चली जाती है दूसरे दिन आती है। आजमगढ़ में पहाड़पुर, कोटा, कटरा आदि जगहें हैं जहां बिजली 8 बजे गई तो रात तक नहीं आती है। आप कहते हैं कि बिजली चौबीस घंटे दी जा रही है जबकि दिन-दिन, रात-रात बिजली क्षेत्रों में नहीं आ रही है। तारों की कटौती की बात आपने कही। जब बिजली रात को नहीं आयेगी तो बिजली के तारों को काटना और आसान है। हमारे क्षेत्र में 4 सब स्टेशन लगने हैं महराजगंज, इलरियागंज, तिरही और पटवन के लिये आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहां पर एक सब स्टेशन आपने खोलकर कुछ कमी को दूर किया है लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की कठिनाई है उसको देखते हुए और भी सब स्टेशन खुलवायें। तार जर्जर हैं आये दिन कटौती हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती पर बल देता हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कुल मिलाकर 20 माननीय सदस्य इसमें भाग ले चुके हैं। मेरा एक अनुरोध है, यदि आप लोग मान लें दो-दो मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त कर दें तो अवसर मिल सकता है आपको अपनी बात कहने का।

श्री विद्या सागर गुप्त-

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा बजट के समर्थन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। प्रदेश में बिजली का जबरदस्त संकट है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बिजली का संकट है. . .

(इस समय 6 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

लेकिन फिर भी बिजली की कमी के बावजूद ऊर्जामंत्री जी अपने प्रयास से जिस प्रकार बिजली की आपूर्ति प्रदेश में कर रहे हैं वह बधाई के पात्र हैं। आपके माध्यम से मान्यवर कुछ मुद्दे माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगा। मान्यवर प्रदेश में करीब 90 प्रतिशत लघु उद्योग कार्यरत हैं बाकी 10 प्रतिशत मध्यम श्रेणी के और लार्ज यूनिटस हैं। उद्योग करीब 32 प्रतिशत बिजली का उपयोग करते हैं। 32 प्रतिशत के बदले 58 प्रतिशत राजस्व विद्युत परिषद को देते हैं। बाकी घरेलू, व्यापार, कृषि आदि पर 68 प्रतिशत बिजली की खपत होती है उससे करीब 42 प्रतिशत राजस्व उपलब्ध करते हैं। मान्यवर जब बिजली के रेट बढ़ते हैं, हमेशा उद्योगों के ऊपर ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है जिस कारण प्रदेश में उद्योगों के ऊपर ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है जिस कारण प्रदेश में उद्योगों की कमी हो रही है। दिन प्रतिदिन उद्योग घटते जा रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा जब भी बिजली के रेट बढ़ाए जाए उसके अवश्य ध्यान रखे क्योंकि अब हालत यह है कि डिमिनिशिंग रिर्टन देने लगे हैं। जितना रेट बढ़ाते हैं उतने उद्योग बन्द होते हैं राजस्व उद्योग विभाग से कम उपलब्ध होता है। इसी के साथ मैं यह भी करना चाहता हूँ कि बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी जो हैं उनको भी उसी रेट पर बिजली मिलनी चाहिए जिस रेट पर प्रदेश के नागरिकों को मिलती है। मान्यवर यह तय हुआ था जहां तक कि मेरी जानकारी है कि जो इंस्ट्रियल फीडर जो हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विद्या सागर गुप्त-

इंड्रिस्टयल फीडर से बिजली की कटौती न कराई जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अभी एक बजट और भी है।

श्री विद्यासागर गुप्त-

मैं अपने क्षेत्र का एक प्वाइन्ट रखना चाहूँगा नाका हिंडोला में जो ट्रांसफार्मर है वह अवरोध कर रहा है माननीय मंत्री जी ने लिखित आदेश दिए थे। इसके बावजूद उसको स्थानान्तरित नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अपने अधिकारियों से कहकर स्थानान्तरित करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विद्यासागर गुप्त-

1984 में एक सिविल कार्य हुआ आनपारा में,1984 में फाइनल बिल नहीं मिलते थे इस कारण मामला खटाई में पड़ गया। 12 वर्ष बाद बिजली विभाग के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, उन्हें आपने एवार्ड• दिया है उसको कार्यान्वित नहीं किया है. . . .

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विद्या सागर गुप्त-

ठेकेदार रहे नहीं हैं। उनकी विधवा 70 साल की हैं। उसको आपूर्ति करायें। धन्यवाद

श्री अधिष्ठाता-

निवेदन है दो-दो मिनट बालेने की बात थी इतने समय में अपने क्षेत्र की बात जो है वह कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री भगवती प्रसाद-

ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव डा0 अशोक बाजपेयी जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने उस पर सुझाव दिए और बड़ी गम्भीरता से चर्चा की। मान्यवर, और सभी लोगों ने ऊर्जा विभाग के विषय में जो चिन्ता जाहिर की है यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश ऊर्जा विभाग के लिए चिन्तित है जो आज स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं हैं। मान्यवर, हर क्षेत्र से शिकायत आयी है। मान्यवर, ऊर्जा विभाग में आरक्षण का कोटा किसी भी श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का पूरा अभी तक नहीं किया गया है मान्यवर, जिन गॉवों का विद्युतीकरण हुआ है यह अच्छी बात है। दो वर्षो में माननीय मंत्री जी ने विधायकगण को 5-5 गाँव की सुविधा देकर विद्युतीकरण कराया लेकिन मान्यवर, जिन गॉवों का विद्युतीकरण लम्बे समय से अभी तक हुआ है उनमें तमाम बस्तियॉ ऐसी हैं जो विद्युतीकरण से छूटी हुई हैं ज्यादातर गरीब लोगों की बस्तियाँ ही पूरे प्रदेश में छूटी हुई हैं तो जहाँ पर जिन गॉवों का विद्युतीकरण हुआ है उसमें छूटी बस्तियों का विद्युतीकरण कराने का प्रयास करें।

मान्यवर, जिन गॉवों में विद्युतीकरण कराया गया है उनके मजरे छोड़ दिये गये हैं ज्यादातर दलित समाज की आबादी है पूरे मजरे के मजरे छोड़ दिये गये हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, आप कानपुर की समस्या के बारे में जानते हैं जो गरीब लोग हैं जिनके घरों में 2-2 बल्ब लगे हैं उनका भी नार्मल बिल उतना ही आता है और जिनके यहॉ ए0सी0 लगे हुए हैं उनका भी उतना ही आता है और वह गरीब लोग जो दिन भर मजदूरी करके बमुश्किल 50 रूपये कमा पाते हैं उनका बिल बराबर आता है। कृपया इस विषमता को खत्म करने का प्रयास करें। मान्यवर, हमारे यहॉ विकास खण्ड बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में गजना गॉव पड़ता है मान्यवर, वहॉ बस्ती की आबादी से बिजली लाइन गयी हुई है वहॉं-वहॉं 2 घटनायें हुई हैं एक तो छुन्नू पुत्र श्रीकृष्ण कुरील नाम का व्यक्ति जिसका शरीर पूरा जल गया और इसके पहले छेदीलाल का लड़का था वह जल गया था। मान्यवर, मैंने 4 वर्ष पहले माननीय मंत्री जी को अवगत कराया और कई बार प्रश्न भी लगाये लेकिन इसके बावजूद और अधिकारियों से मिलने के बाद भी सिर्फ 2 पोल से समस्या हल

हो जाती। मान्यवर, दो बड़ी-बड़ी घटनायें होने के बाद भी यह समस्या अभी तक हल नहीं हो पायी है। इसके अलावा धौरहारा गांव है विकासखंड बिल्हौर में हैं दो पोलों के बीच विद्युत तारों की ऊंचाई सिर्फ 5 फिट है वहां तार लटक गये हैं। वहां पर शुक्ला जी का मकान हैं, गांव में कोई ट्रैक्टर, कोई गाड़ी या ट्रक नहीं लाया जा सकता है। एक वर्ष से लगभग उस गांव में तार लटक रहे हैं इसी तरह से गौरी गडरानी में तार टूटा है यह विकास खंड बिल्हौर में हैं 5-6 वर्ष से तार टूटे पड़े हैं इनको अभी तक नहीं जोड़ा गया। कई बार मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया। मान्यवर, इसी तरह से दलिकपुर विकास खंड रसूलाबाद में तार टूट गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री भगवती प्रसाद-

इटैली में दलित बस्ती खेरी में विद्युतीकरण में पूरी बस्ती छोड़ दी गयी है, जोते में सजावातपुर में दलित बस्ती छोड़ दी गयी हैं सिसाई में कालोनी मुहल्ला छूटा है तो जो छूटी हुई बस्तियां हैं जो हम लोगों को 5-5 गॉव दिये थे उनमें अधूरा विद्युतीकरण कराया गया है उनको पूरा कराने की कृपा करें। इसके साथ ही डा0 अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री दीप लाल भारती-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में कुछ बाते रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जैसे स्वास्थ्य विभाग से प्रचार प्रसार करके लोगों को प्रेरित किया जाता है कि यह काम करिये आपके भले की चीज हैं उसी तरह से जनमानस में जाग्रति उत्पन्न करने के लिए मैं आग्रह करूँगा कि आपके यहॉ सूचना निदेशालय है जिसके माध्यम से गॉव-गॉव इस तरह का प्रचार कराया जाय कि लोग तरकटियां न लगाये, चोरी न करें, समय से पैसा जमा करें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी की तरफ से 26.4.2001 को सभी माननीय सदस्यों को एक सूचना मिली कि माह अप्रैल औरु मई, 2001 में विद्युत बकाये की वसूली और कटिया कनेक्शन के विद्युतीकरण के लिए एक अभियान चलाया जायेगा तो इससे जनता को लाभ हुआ है लेकिन विधान सभा के चलते इसका ज्यादा लाभ नहीं हो पाया है इसको आगे बढ़ाया जाये।

ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को तहसील दिवस के माध्यम से विद्युत विभाग द्वारा एक अलग से काउन्टर लगाकर सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है यह ठीक है। विद्युत चोरी में एक चीज छूट जा रही है विद्युत सबस्टेशन पर जो कर्मचारी हैं वह 12 साल से लेकर 20 साल तक एक एक सबस्टेशन पर जमे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जो कर्मचारी 10 साल से अधिक सबस्टेशन पर है उसको अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय तो इससे निश्चित रूप से चोरी में कमीं आयेगी। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र निदुआ नौरंगिया और खड्डा में विद्युत कर्मचारियों की कमी हैं उसकी पूर्ति कराई जाये और जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक कराया जाये। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब से यह सरकार आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। माननीय मंत्री जी ने जो विद्युत बजट पेश किया हैं उससे न किसान का भला हो सकता है न मजदूर का भला हो सकता है और न ही विकास हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सरकार किसानों को 10 घन्टे से ज्यादा बिजली देने की बात कर रही है। मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को जो विद्युत सप्लाई दी जा रही है वह मुश्किल से 5 घंटे दी जा रही है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर में मोतीगंज फीडर की लम्बाई 50 कि0मी0 है जिसमें पुराने पुराने तार लगे हैं और छोटी आंधी में भी विद्युत व्यवस्था चरमरा जाती है। अभी जो आंधी आई थी इस आंधी से पूरे मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में जो विद्युत आपूर्ति थी वह पूरी तरह से ठप हो गयी। मैं कहना चाहता हूँ कि विद्युत उपकेन्द्र पर जो शिकायत पंजिका रखी जाती है उसमें विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जो शिकायत दर्ज की जाती है वह काफी समय तक शिकायत ठीक नहीं की जाती है। मोतीगंज फीडर पर केवल एक लाइनमैन हैं जिससे पूरी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है। मेरी मांग है कि ऊर्जामंत्री जी कम से कम लाइनमैन की नियुक्ति कर दें। 2-3 लाइनमैन हो जायें तो ठीक ढंग से आपूर्ति हो जायेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1999 में विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से मैने कुछ गाँव विद्युतीकरण के लिये दिये थे, यहाँ बजट भाषण में बताया गया कि इस तरह के सब गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि से आज तक इन गॉवों को विद्युतीकृत नहीं कराया गया है। मान्यवर, इस महीने मस्कनवाँ विद्युत केन्द्र पर उपभोक्ताओं ने भारी पैमाने पर आन्दोलन किया था, यह लोग विद्युत की आपूर्ति जो हो रही है, उससे परेशान होकर धरना-प्रदर्शन किये थे, वहाँ मुश्किल से 2 से 3 घन्टे विद्युत आपूर्ति हो पाती है। मान्यवर, मेरा 18 तारीख को एक सवाल लगा था कि जनपद गोण्डा के ग्रामीण अंचलों एवं शहरों में कितने-कितने घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है और क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति करने के लिये कोई योजना बना रही है, इसका उत्तर आया जी नहीं। निश्चित रूप से आज विद्युत उपलब्ध न होने की वजह से किसानों का विकास कार्य रूका है।

आज अधिकांश नलकूप विद्युत दोष के कारण खराब पड़े हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वह उपकेन्द्रों पर नहीं रहते हैं, इस कारण से वह विद्युत दोष ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह से जो सहायक अभियंता है, अवर अभियंता हैं, वह अपने क्षेत्रों में न रहकर अपने गृह जनपदों से इनका संचालन करते हैं, जिससे पूरी विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। मान्यवर, जो इन्होंने कटिया कनेक्शन को वैध करने का काम किया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सरकार कहती है कि 72 घन्टे में ट्रांसफारमर बदल जाते हैं, वह सही नहीं है और जिस तरह से कटिया कनेक्शन उन्हीं ट्रांसफारमरों से दिये गये हैं तो ट्रांसफारमरों पर लोड बढ़ने के कारण वह ट्रांसफारमर जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी होती है, जो ट्रांसफारमर जल्दी खराब हो जाते हैं, वह हफ्तों-हफ्तों तक बदले नहीं जाते हैं, इनके बारे में समुचित व्यवस्था की जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य रह गये हैं, वह अपने सुझाव लिखकर माननीय मंत्री जी को दे देगें, वह उसका संज्ञान ले लेगें।

डा0अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब-जब सदन में घोषणा की या जो भी इनकी कार्य योजना जारी हुई, उसमें 9-10 घन्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में देने का लक्ष्य था, इसी प्रकार तहसील स्तर वाले नगरों में 14 से 15 घन्टे, जनपद स्तर वाले में 17 से 18 घन्टे, बुन्देलखंड में 19 से 20 घन्टे और महानगरों में 21 से 22 घन्टे बिजली देने का वायदा किया गया था, लेकिन जो इसके सापेक्ष विद्युत आपूर्ति हुई है, वह जनवरी, 2000 और फरवरी, 2000 में ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश: मात्र 6 घन्टे 4 मिनट, तथा 9 घन्टे

7 मिनट तहसील स्तर पर 19 घन्टे 4 मिनट, और फरवरी में 12 घन्टे 5 मिनट लक्ष्य के सापेक्ष रहा। इसी प्रकार महानगरों में क्रमश: 19 घन्टे 30 मिनट और 20 घन्टे 6 मिनट का रहा। कहने का आशय यह है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके मुताबिक कभी बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी। मैं इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ। विद्युत मंत्री जी ने कहा है कि हम 2005 तक विद्युत व्यवस्था सुधार देगें, इसके लिये कार्य योजना बनायी जानी चाहिये। लेकिन उसके लिये संसाधन भी जुटाये जाने चाहिये, वह संसाधन कहाँ से आयेगें, यह हम लोगों को दिये गये बजट साहित्य में कहीं परिलक्षित नहीं होता है ।

मान्यवर, सबसे ज्यादा जो प्रमुख आवश्यकता है जो प्रदेश का विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के उद्येश्य से एक हजार मेगावॉट की जो आनपारा-सी परियोजना है उसके वित्त पोषण हेतु जापान बैंक के कोआर्डिनेशन से ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया जाए जिससे कम से कम समय में और कम से कम लागत में यह परियोजना पूर्ण की जा सके और इस ऋण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से सहयोग लेकर यह प्राप्त किया जाए। अगर आनपारा-सी परियोजना को जल्दी चालू कर लें तो बिजली की संकट उत्तर प्रदेश में दूर हो जायेगा। मान्यवर, जो परियोजनाएँ निजी क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, मैंने पूर्व में जिन चार परियोजनाओं का जिक्र किया था जो निजी क्षेत्र में दी गयी थी, एक-एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज तक उनमें कोई कार्य नहीं हुआ है, इन परियोजनाओं के साथ जो करार और अनुबन्ध हुए थे, उन्हें समाप्त किया जाए और उन परियोजनाओं को कैसे परिचालित किया जा सकता है इस सम्बन्ध में नए सिरे से विचार करें और कोई कार्य योजना बनायें कि जो निजी क्षेत्र में जिन लोगों को, जिन उद्धमियों को यह परियोजनाएँ सौंपी गयी थी और कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो उनके साथ अनुबन्ध या करार हुए थे उसको समाप्त करते हुए नए ढंग से विचार इन पर हो।

बिजली चोरी के विषय में बार-बार कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चोरी बिजली की होती हैं, मैं चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के फीडर हैं उन पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जायें जिससे मालूम हो सकेगा कि कितनी बिजली की चोरी हो रही है, मैं मानता हूँ कि बिजली की चोरी वहाँ जरूर हो रही है लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वह बहुत कम है। जो नगरीय क्षेत्र हैं जो बड़े-बड़े उद्यम लगे हुए हैं उसमें ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है उससे ही सबसे ज्यादा लाइन लॉस आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो फीडर हैं उन पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का काम किया जाए। लेकिन मान्यवर, इलेक्ट्रानिक मीटर कामर्शियल हाउसेस एवं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगाना बहुत जरूरी है, इससे बिजली चोरी रूक सकेगी तो मान्यवर, उनमें इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का काम प्राथमिकता पर करें। मान्यवर, सरकारी विभागों पर 21 सौ करोड़ रूपया बकाया है, इस सरकार ने 80 करोड़ रूपया राइटआफ कर दिया हैं 30 हजार करोड़ का जो बिजली विभाग का अधिभार था उसे शासन ने अपने ऊपर लेकर काफी राहत दी है लेकिन इससे कोई नयी स्थिति बनने वाली नहीं है यह जरूर है कि इससे नए निगमों को राहत देने का काम जरूर हुआ है, इससे बैलेंसीट अच्छी बनेगी लेकिन इससे सुधार नहीं होने वाला है जो 21 सौ करोड़ रूपया सरकारी विभागों पर बकाया है उसको सरकार प्राथमिकता पर अदा करे तो इससे व्यवस्था में सुधार होगा।

मान्यवर, रिफार्मिंग के बाद ग्रामीण क्षेत्र की बिजली का काम बिल्कुल प्रभावित हुआ है मैं चाहूँगा कि आपकी प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुई है, उन्होंने ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की, मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की है और कहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सारे गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे, 60 हजार से ज्यादा ऊर्जीकृत गांव है, इन गांवों में विद्युतीकरण कैसे आप 2005 तक करेंगे, इसके लिए कितने गॉव प्रतिवर्ष लेंगे, कहां से आप इसके लिए संसाधन जुटायेंगे, इसका भी एक कार्यक्रम जो कार्य योजना बनी हो उसे सदन में यदि प्रस्तुत किया होता तो हमें लगता कि सरकार संवेदनशील है तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई सार्थक कदम सरकार को उठाना होगा।

मान्यवर, जहाँ तक पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण लेने की बात है उससे ऋण लेकर पुरानी इकाईयों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है जैसे आनपारा-"ए" "बी" एंव अन्य थर्मल पावर यूनिट्स हैं। यह सारी की सारी जर्जर स्थिति में हैं और प्लाण्ट लोड फैक्टर एन0टी0पी0सी0 और राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं दे रही हैं उसका कारण है कि हमारी सारी मशीनें पुरानी और जर्जर स्थिति में हैं। इसके लिए प्रयास किया जाय और पावर फाइनेंस कारपोरेशन सहमति भी है। थोड़ा सा प्रयास करके, उसमें प्रदेश सरकार को गारण्टी देनी है उससे ऋण लेकर जो पुराने सयंत्र हैं उनको सुसज्जित किया जाये और जीर्णोद्धार करके पी0एल0एफ0 को बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। 6हजार करोड़ रूपये का ऋण पावर फाईनेंस कारपोरेशन देने को तैयार है और गर्वन्मेंट गारण्टी देने पर सहमति हो गयी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

गारण्टी दे दी है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

गारण्टी दे दी हैं तो 6 हजार करोड़ रुपये का ऋण पावर फाइनेंस कारपोरेशन से मिल जायेगा और उसका सही ढंग से उपयोग हुआ तो निश्चित रूप से प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार हो जायेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो विश्व बैंक से सहायता मिली है 250 करोड़ रूपये की उसे ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रानिक मीटरों के लगाने पर व्यय करेगें। यह ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रानिक मीटर एक कम्पनी है "एक्यूरेट" जो ट्रांसफार्मर और मीटर बनाने का काम करती है। वह गाजियाबाद की फर्म है और प्रदेश में ज्यादातर आपूर्ति यही कम्पनी कर रही है। प्राय: देखा जाता है कि जितने ट्रांसफार्मर उस कम्पनी के हैं, लगने के बाद बहुत जल्दी जल जाते हैं और वह बहुत दिनों तक परिवर्तित नहीं हो पाते, जिससे विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती रहती है। इन मीटर्स और ट्रांसफामरर्स की परफारमेन्स रिपोर्ट तैयार करवाईये और इनका परीक्षण करवाईये और अगर कराया है तो सदन के पटल पर रख दें। एक ही कम्पनी सबसे बड़ी आपूर्तिदाता है। उसके ट्रांसफार्मर की स्थिति बहुत दयनीय है, इसको भी देखें और गड़बड़ है तो इसको ब्लैक लिस्ट करने का काम करें, इनके विरूद्ध कार्यवाही करने का काम करें। जो घटिया स्तर की आपूर्ति कर रही है और इससे घाटा हो रहा है और कार्य भी बाधित हो रहा है। इसी तरह से विद्युतीकरण के क्षेत्र में जो भी आपूर्ति हो रही है घटिया स्तर का माल सप्लाई हो रहा है। ट्रांसफार्मर, कन्डक्टर और पोल्स के मामले हैं। गाँवों की विद्युतीकरण के लिए जो गाड़ी पोल्स को लेकर जाती है उससे उतरते ही टूट जाता है, पता नहीं किस घटिया स्तर के सीमेंट-कंकरीट का बना है। उसका मानक ठीक नहीं होता है। लाखों रुपया एक गाँव के विद्युतीकरण पर व्यय होता है और अगर बीच के दो खम्भे टूट जॉय तो सारी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है और कन्डक्टर जल जाते हैं, इसको देखें। विद्युत के क्षेत्र में जो आपूर्ति हो रही है वह घटिया स्तर की हो रही है आप एक मानक बनाइये, अगर उससे घटिया स्तर का है तो उसे आप ब्लैक लिस्टेड करिये ताकि यह स्थिति न आये कि जो काम हमने पूरा कर लिया है उस पर पुर्नविनयोग करना पड़े।

मान्यवर, एक निर्णय और लिया गया है कि जो 3 कारपोरेशन बनाये गये हैं उसके ऊपर एक 'अपेक्स बॉडी' बनायेगें। एक विद्युत परिषद् था उसका विभाजन कर दिया, तीन कारपोरेशन बन गये अब तीनों कारपोरेशनों के ऊपर एक "अपेक्स बॉडी" बनेगा, घूम फिर कर वही स्थिति फिर आ गयी। विश्व बैंक के दबाव में आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया और विद्युत परिषद् को 3 निगमों में परिवर्तित कर दिया, जब अपेक्स बॉडी बनानी थी तो तोड़ने की आवश्यकता क्या थी। नियामक आयोग के सम्बन्ध में कहना है कि विश्व बैंक के दबाव में आपने इसे बना दिया वह सारी टैरिफ तय करने का काम करेगा लेकिन यह निर्णय राजनीतिक निर्णय हुआ करते हैं और जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ करता है यह आप दूसरों के हाथों में सौंप दें, कहीं पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए था, नियामक आयोग की संस्तुतियों को सरकार मानने के लिए बाध्य होगी, व्यय बढ़ाकर भी समाज के कमजोर वर्ग को भी राहत देने का काम नहीं कर पायेगें। कल्याणकारी राज्य में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। यह सारे अधिकार नियामक

आयोग के हाथों में देकर सरकार लाचार हो रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार यह सारे अधिकार नियामक आयोग के हाथों में न दें कि हम इतना लाचार हो जायें कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं उनका कोई सहयोग न कर सकें, उन्हें विद्युत सुविधा न प्रदान कर सकें। आज नियामक आयोग हमारे ऊपर मनमाने ढंग से अपनी शर्तें लाद रहा है, यह नहीं होना चाहिए कि वह हमारा मनमाने ढंग से शोषण कर सके और हम लाचार बने रहें। मान्यवर, यहां 60 हजारों गांवों को अभी ऊर्जीकृत करना है और यह विद्युत विभाग को तीन खण्डों में बांट रहे हैं मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ अगर ऐसा किया जायेगा तो उनका विद्युतीकरण कैसे किया जा सकेगा?

मान्यवर, मैने पहले भी कहा था कि जब तक प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को ऊर्जीकृत नहीं किया जायेगा तब तक उत्तर प्रदेश का विकास ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। इस तरह से देश का आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास संभव नहीं है। मान्यवर, यहां की विद्युत व्यवस्था की बदहाली की वजह से प्रदेश के किसी क्षेत्र में कोई भी बाहरी निवेशक आने को तैयार नहीं है, कोई भी यहां निवेश नहीं करना चाहता है न ही उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है और न ही वितरण के क्षेत्र में आना चाहता है भले ही आपने कितनी सुविधाओं का प्रलोभन दिया लेकिन आज तक कोई भी निवेशक नहीं आया इस क्षेत्र में कोई भी टर्नअप नहीं हुआ है। जबकि दूसरे प्रदेशों में बाहरी निवेशक निवेश कर रहे हैं आप यह मानते हैं कि आज 10 से 15 परसेन्ट बिजली की अतिरिक्त मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा है यही कारण है कि आज यहां कोई निवेशक निवेश करने को तैयार नहीं हैं। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि आप उनके जान-माल की सुरक्षा का दायित्व भी नहीं पूरा कर पाते हैं। जब कि अन्य प्रदेशों में उन्हें यह सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और वह वहां निवेश करने को तैयार हो जाते हैं, आपको भी उन्हें अपने प्रदेश में यह सारी सुविधायें देने के लिए एक नीति बनानी चाहिए जिससे वह यहां निवेश कर सकें। आखिर क्यों वह यहां निवेश करने को तैयार नहीं हैं? अवश्य ही इसमें कहीं न कहीं विद्युंत की आपूर्ति की कमी एक कारण है। निवेशक यहां पर निवेश करने के लिए तैयार हो जाएं इसके लिए आपको निश्चित रूप से ऐसा वातावरण सृजित करना पड़ेगा जिसमें उन्हें एक सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके और जो अन्य सुविधाएं उन्हें दूसरे राज्यों में प्राप्त हो रही हैं वैसा ही वातावरण यहां भी आपको बनाना होगा।

मान्यवर, विद्युतीकरण के कार्यो में जो निजी क्षेत्रों से आपूर्ति की जाती है, उनकी गुणवत्ता में कमी के कारण; जो हमारे विद्युतीकृत क्षेत्र हैं जिनका विस्तार करने में लाखों-लाख रूपयों का खर्च आता है बर्वाद हो जाता है और जो राजस्व का घाटा होता है इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे जो लोग इसमें शामिल हैं, जो गलत लोग हैं, जो कंपनियां ऐसी सप्लाई करती हैं, उनको हमें ब्लैक लिस्ट करना होगा। इससे राजस्व प्राप्ति में सुधार होगा। आपके 86 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि उनमें से 20 लाख लोग कटिया द्वारा विद्युत चोरी करते हैं, यदि उनको नियमित कर दिया जाय तो निश्चित रूप से प्रदेश की राजस्व आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था और हमारे उ0प्र0 के मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में प्रतिनिधित्व किया था और विद्युत समस्याओं से अवगत कराया था। आपको निरन्तर भारत सरकार से संबंध स्थापित करना होगा। आज जो यह ग्रामीण अंचलों को ऊर्जीकृत करने का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 8-8 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता होगी यह तभी पूरा हो सकेगा जब प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से इसे पूरा करने का प्रयास करे और इसमें भारत सरकार का सहयोग प्राप्त करे अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। मान्यवर, मार्च, 2001 तक के देयों को आयकर से मुक्त बंधपत्रों में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये और जो 2 वर्षो के अवशेष है उनके लिए भी बंधपत्रों में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये, अगर भारत सरकार सहमत होगी तो जो आर्थिक कठिनाइयाँ है उनसे राहत मिल सकती है और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होगा। मान्यवर, पावर सेक्टर रिफार्मस न्यू हारीजन यह

भारत सरकार का प्रकाशन है। इसमें प्रधानमंत्री ने मुख्य मंत्रियों के बैठक में जो निर्णय लिये थे और 2005 तक प्रत्येक गाँव के विद्युतीकरण की जो योजना है और प्रदेशों की विद्युत उत्पादन बढ़ाने की जो योजना है उसके बारे में कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों की यह कोरी घोषणा है और बिजली व्यवस्था में सुधार न हो सके। सही मायने में विकास की दर बढ़ानी है औद्योगिक विकास के नये वातावरण का सृजन करना है तो दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रदेश में विद्युत उत्पादन में प्राथमिकता दें। पारेषण लाइनें बहुत पुरानी हैं इनके सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। डिस्ट्रीव्यूशन में बड़ी कमियाँ है उन्हें भी सुधारना होगा। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। प्रदेश का विकास बगैर बिजली के नहीं होगा। बिजली का बहुत भारी संकट हैं और आने वाले दिनों में यह संकट बहुत कम होने वाला नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक भी मेगावाट विद्युत उत्पादन के संयंत्र नहीं लगाये गये और 9 वीं पंचवर्षीय योजना में एक भी नया संयंत्र नहीं लगाया गया तो 10 वर्षो में कोई नयी इकाई नहीं लगायी गयी, तो विद्युत उत्पादन कैसे बढ़ेगा। विद्युत उत्पादन बढ़ाने की यह आपकी कोरी कल्पना है।

मान्यवर, सब्जबाग दिखाने का काम न करें। इससे प्रदेश की दशा में सुधार होने वाला नहीं है। पिछले साल की अपेक्षा बजट भाषण में इस साल राशि कम है जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे विद्युतीकरण होगा। हमें विश्वास नहीं है कि जो आदेश आपने किये उनको आप पूरा कर सकेगें। इसलिए इनको कुबेर का सारा खजाना दे दिया जाये, लेकिन यदि इनके पास इच्छाशक्ति नहीं होगी तो ये विद्युत संकट से प्रदेश को मुक्ति नहीं दिला सकते। धन की अपव्ययता को रोकने के लिए हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ खास तौर से डा0 अशोक बाजपेयी जी को जिन्होंने कान्सट्रेक्टिव विरोध किया, कुछ जगहों पर जानकर अंजान बने रहे, क्योंकि उनको ज्ञान बहुत ज्यादा है। माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी ने जो आरोप लगाये, मैं कहना चाहता हूँ वह सीतापुर का कौन सा विभाग है जो 3 परसेंट कमीशन लेता है। मान्यवर, बुनियादी हुसैन अंसारी जी को जानवर पालने का बड़ा शौक है। उन्हीं जानवरों के साथ आपने फोटो खिंचवायी और उस फोटो को अपने मित्रों को दिखाने लगे और बोले कि इसमें मैं कैसा लग रहा हूँ। मित्र ने कहा कि फोटो तो बहुत अच्छी है लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फोटो में आप कहां पर बैठे हैं। आप जानना चाहेंगें कि वह जानवर कौन थे, वह जानवर सुअर थे। माननीय कोकब जी ने कहा कि पी0एफ0सी0 और वर्ल्ड बैंक से जो पैसा ले रहे हैं वह ट्रांसमिशन जनरेशन और डिस्ट्रीव्यूशन के लिये ले रहे हैं। ऐसा नहीं है बर्ल्ड बैंक से पैसा ट्रांसमिशन और जनरेशन के लिये लिया है। आपने 10 हजार की आवादी पर मीटर की बात कही तो इसके बारे में लिखकर दे देगें तो दिखवा लूँगा। माननीय शाक्य जी ने कहा कि जमीन औने पौने दामों में बेच रहे हैं, कोई मानक नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। अगर वह "डाला" का जो मानक रखा गया उसको स्वीकार करते हैं तो मैं वह मानक मानने के लिये तैयार हूँ। जो विक्रय किया जाता है उसके लिये अखबारों में विज्ञापित करते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनी है जो स्क्रूटनाइज करती है और उसके बाद रिपोर्ट आती है। ऐसा नहीं है कि यह कोई घर की खेती है जो चाहे निर्णय ले लो।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपके चीफ सेक्रेटरी पर 8 लाख का बकाया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यह गलत है।

मान्यवर, हमने कहा कि अगर यह डाला और चुर्क के लिये जो मानक इन्होंने रखे थे जो इनके लिये गीता और रामायण हैं उस पर सहमत है तो हम उन मानकों को मान सकते हैं।

श्री राम औतार शाक्य-

जो भूमि अराजक तत्वों के कब्जें में है उसकी सूचना दे दीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो भूमि हमारे लिये अनुत्पादक है और जिसे आवास विकास एवं विकास प्राधिकरण लेना चाहते हैं, उसमें जिन्होंने रुचि दिखाई है उसके लिये हमने एक कमेटी बनायी है जिसमें प्रमुख सचिव नगर विकास और सचिव ऊर्जा को रखा गया है वह लोग बैठकर आपस में निगोशियेशन करके तय करें। जो डी0एम0 द्वारा निर्धारित सर्किल रेट होता है उसके हिसाब से भूमि की दर तय होती है लेकिन कहीं कहीं पर इसमें बहुत अंतर है। लोग हमारी जमीनों पर कब्जे कर रहे थे इसलिये हम आवास विकास और प्राधिकरणों को इसमें प्राथमिकता देंगें क्योंकि वह शासन के अंग हैं जिससे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सही दाम नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष चले गये हैं उन्होंने कहा था डोमेस्टिक, कामर्शियल और इंडस्ट्रियल की विद्युत खपत दरें जाननी चाही थी। मान्यवर, डोमेस्टिक दरें 34.58 हैं, कामर्शियल 8.44 हैं, पी0टी0डब्लू0 पंप सेट की 13.50 है तथा इंडस्ट्रियल की दर 24 है। पहले इंडस्ट्रियल की दर 42 प्रतिशत थी वह 24 पर आ गयी है। यह जिस तरह से घट रहा है वह हमारे लिये चिंता का विषय है हम लोग देख रहे हैं इसका कंजम्पशन न गिरे। अशोक वाजपेई जी ने कहा कि अभी तक न कोई निजी क्षेत्र में उत्पादन का प्रोजेक्ट आया न सरकारी क्षेत्र में। राजघाट 45 मेगावाट जल विद्युत योजना इसी साल खत्म हुई है उसमें उत्पादन शुरू कर दिया है। 4 मेगावाट की बक्शी जल विद्युत योजना 2 महीने में शुरू होने जा रही है। विष्णु प्रयाग पर काम शुरू हो गया है। रोजा की कोई गारण्टी नहीं थी गारण्टी पूरी यूटीलाइज हो गई। श्रीनगर विष्णु प्रयाग और रोजा परियोजना जिसमें रोजा में सिविल कार्य शुरू कर दिया है भारत सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं केन्द्रीय ऊर्जामंत्री जी के साथ दो बार बैठकें हो चुकी हैं रेल लिंकेज व पुल लिंकेज के लिए बन्द काम शुरू कर देगें ऐसी उम्मीद है। आनपारा सी प्रीस्टीजियस इकाई है। जापान ने सहायता बन्द कर दी थी लेकिन जापान सरकार की आज भी प्राथमिकता आनपारा-सी पर है। जे0 वी0 आई0 सी0 से बात हुई जापान के अम्बेस्डर से बात हुई भारत के प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर जाने वाले थे लेकिन भूकम्प जो गुजरात में आया उसकी वजह से वह यात्रा नहीं हो सकी अगर वह जाते तो सेंशन हटने की उम्मीद थी। जब सेंशन हट जाएगा तो सेंशन हटते ही जे0वी0आई0सी0 ने कहा है कि हिन्दुस्तान में वह इन्वेस्टमेंट करेगा तो आनपरा सी में करेगा।

श्री राम औतार शाक्य-

परमाणु विस्फोट के बाद सेंशन लगा हुआ था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कोजनरेशन की बात आई हमने कई सुगर मिलों को आफर दिया है कि वह जनरेशन कर व गांव को डिस्ट्रीब्यूशन करे व उसका बिल वसूलें। कोजरनेशन के लिए हमने रेट भी तय कर दिए यह 2.25 रु0 है। इसमें प्लस पॉच प्रतिशत एस्केलेशन के। कोजनरेशन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें सरकार ने निर्णय लिया था कि कोजनरेशन के जरिए जो सप्लाई होगी उसमें हमने कहा है कि लाइन का 50 प्रतिशत पावर कारपोरेशन उठाएगा 50 प्रतिशत जो जनरेशन करेगा वह उठाएगा। क्योंकि उनके ऊपर एकदम हम बोझ नहीं डाल सकते हैं। वह 132 के0वी0 पर सप्लाई लेकर पूरे प्रदेश में सप्लाई कर सकें। टांडा में पूछा गया कि किस दर से बिजली ली जा रही है। पहले यह 7 रु0 दो पैसे में बिजली ली जा रही थी 2000-2001 में यह दर पॉच रुपए 6 पैसे में थी अब यह 4.61 रुपये हो गई धीरे धीरे यह कम होती जाएगी और दो तीन साल में घटकर दो-तीन रुपये के बीच में आ जाएगी। एन0पी0सी0एल0 की बात उठी 1992 में बजट में यह बात उठी थी हमने कहा था। 1992 में तत्कालीन महामहिम ने राष्ट्रपति शासन उस समय था नोडा पावर कम्पनी के साथ अनुबन्ध किया कि नोडा क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बिजली देंगे। वह

साढ़े चार साल में जनरेशन का कार्य शुरू कर देंगे। 1993 में वह एग्रीमेंट हुआ और 1997 तक के अन्त तक एग्रीमेंट खत्म हुआ बाद में एक साल बढ़ाया गया वहां दर का विवाद था 1.66 रुपए दर तय हुई थी और 6 महीने में रिवाइज करने की बात थी। उसके बाद श्रीमन् 28.2.95 को नायर कमेटी ने 1.35 रेट स्वीकार किया जिसको तत्कालीन यूपीएसेबी ने अस्वीकृत कर दिया फिर 7.3.95 को बेग साहब चेयरमेन को रिफर किया उन्होंने 1.65 प्रति यूनिट दर तय किया फिर एनपीसी ने इसको अस्वीकृत कर दिया इसके बाद यह मामला फिर बेग कमेटी को रिफर किया गया उन्होंने रेट 1.41 रखा जिस पर दोनों पक्षों ने आपत्ति जताई तो फिर से यह बेग कमेटी को रिफर किया उन्होंने 1.35 रेट दिया इस पर एनपीसीएल उच्च न्यायालय में गया जहॉ से इसको रेगुलेटरी कमीशन भेज दिया जाय आदेश हुए रेगुलेटरी कमीशन ने इसे स्वीकार किया 93-94 में 1.39, 94-95 में 1.68, 95-96 में 1.73, 96-97 में 1.92, 97-98 में 2.2 और फिर 99-2000 में 2.56 रेट दिया इस पर पावर कार्पोरेशन को आपत्ति है और अदालत जाना चाहता है। शासन में भी यह मामला लम्बित है।

हम रेगुलेटरी कमीशन पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहते। जो भी पैसा जिस पर बकाया निकलेगा शासन ले लेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि 2.56 पैसे हम ले रहे हैं और कानपुर में जिसका हम निजीकरण करने जा रहे हैं वहाँ रिटर्न है हमारा 1.17 पैसे जबकि निजी क्षेत्र से जैसा मैने बताया 2.56 ले रहे हैं। हम अपने माध्यम से बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या रिटर्न रेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तो 1.45 तक आ रहा है। केस्को का निजीकरण के मामले में जो कम्पनी आई थी उन्होंने कहा था नियामक आयोग से जो टेरिफ तय होगा उसके बाद हम अपनी रूचि दिखायेगे। इस बीच हमने और भी लोगों को ओब्शन दिया है हमने टेण्डर फिर निकलवा दिया है अभी तीन चार दिन पहले। बीडिंग कितनी दे सकते हैं जो भी पार्टी अच्छे दाम दे सके उसे दे दिया जायगा। हम 16 पर्सेन्ट रिटर्न की गारन्टी रख रहे हैं। एक्यूडिटी पर ऐसेस की वेल्यू ज्यादा रखेंगे जैसे उड़ीसा में लिया गया तो विद्युत की दर हाई हो गई तो कोई भी आदमी इन्वेस्टमेन्ट घाटे के लिए नहीं करेगी। तो 16 प्रतिशत एक्युडिटी हमारी गारन्टी है। हम परिस्थितियॉ देखकर विद्युत के दर देखकर ऐसेस देखकर यह तय करेंगे कि लीड बैंक किसको बनाया जाय। हमने जब बीडिंग कानपुर में की तो कुछ विदेशी बैंक भी आये थे। तो इस पर हमको फाइनल डिसीजन लेना है कि किसको लीड बैंक रखें। तीन हजार करोड़ घाटे की बात आई तो कार्पोरेशन ने रेगुलेटरी कमीशन को एआईआर दिया जिसने 1682 करोड़, नियामक आयोग ने 5741 स्वीकार किया। वहीं कारपोरेशन के तमाम खर्चे स्वीकार नहीं किये, उनको काट दिया। हमारी वसूली 5,609 करोड़ रूपये की हुई। यह हम मानते हैं कि 32 करोड़ का हमको लोस हुआ है लेकिन आप देखें यू0पी0एस0ई0बी0 जब थी उस समय के लौस और इस समय के लौस में अन्तर कितना हो गया। तब ढाई हजार-तीन हजार से कम नहीं था।

डा0 अशोक बाजपेयी-

टैरिफ बढ़ने से राजस्व में फायदा हुआ है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ऐसा नहीं है कि टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। वह 8 परसेन्ट बढ़ा है। पहले वर्ष में हमने गाड़ी को पटरी पर लाकर खड़ा किया है, सकारात्मक रूप की ओर चले हैं। तीन निगमों की क्षमता देखना हमारा काम है। एक वर्ष में क्या-क्या किया यह हमने शुरूआती भाषण में कहा था। एक एक बिन्दु को स्पष्ट तौर से कहा कि यह किया है हमने, यह प्रस्ताव है, इतना पैसा यहां से मिलेगा। इस वर्ष के लिये कहा था कि इस वर्ष यह कार्य होंगें। पहली समीक्षा 14 जनवरी, 2002 के बाद होगी। जब एक वर्ष पूरा होगा तब हमारे सामने सही स्थिति आयेगी। हाई पावर कमेटी की बात कही गई। हाई पावर कमेटी जो बनी थी उसने कुछ सुझाव दिये राज्य सरकार को, कि जो सुझाव राज्य सरकार मानना चाहे माने या न माने। बहुत से सुझाव हमने माने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट जो दाखिल हुआ राज्य सरकार की तरफ से उसमें हमने दिया है कि कौन कौन से सुझाव हमको मान्य हैं और कौन कौन से सुझाव हमको अमान्य हैं। न्यायालय

द्वारा कह देने से हम सबको मान लें। सुझाव आये हैं। जस्टिस वर्मा प्रदेश विद्युत अदालत के अध्यक्ष बनाये ये हैं, उनको रैफर किये हैं वे निर्णय लें और सुझाव दें। सेलेक्शन कमेटी का प्रारूप बदल दिया। विजिलेंस रे: कराई, जिन यूनिट्स पर चोरी का शक था फिर से जांच कराई। कुछ बन्द हो गई है। हमारे जमाने की एक भी यूनिट नहीं थी। पहले की थीं। कुछ लोग भाग कर चले गये जिनके रूपये अधिक थे। ऐसा नहीं है कि हाई पावर कमेटी ने संस्तुति की थीं, न मानी गई हों। हाई पावर कमेटी उत्तर प्रदेश का मंत्रालय चलाये, यह उचित नहीं है। ऐसा नहीं हैं कि इसमें बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। यह हमारी सोच बन गई है कि जो आई0ए0एस0 हैं उनको हमने एक्सपर्ट मान लिया। जिसने पढ़लिख लिया ज्यादा उसको एक्सर्टाइज मान लिया। हम इस पक्ष के नहीं हैं "जैक आफ ऑल मास्टर आफ नन"। उन्होंने जो संस्तुति दी हैं, उनको गम्भीरता से लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो संस्तुतियां दे दीं वे रामबाण हो गयीं। हमको देखना है कि कौन सी हम लागू कर सकेंगें। सामाजिक परिस्थिति और राजनैतिक परिस्थिति दोनों को देखकर निर्णय लेना पड़ता है। आप भी मंत्री रहे हैं। इसी प्रकार से निर्णय लिये होंगें। सरकार हरदम निर्णय जनता के हित में लेती है, किसी एक के हित में नहीं। इस साल ग्रामीण विद्युतीकरण की बात आई। बड़ी खुशी है कि ई0 एम0जे0वाई0 योजना में इसको ले लिया। उत्तर प्रदेश का अंश 376.71 करोड़ इस वर्ष स्वीकृत हुआ है। इसमें पहले 5 कार्य थे, अब 6 कर दिये हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, इसमें कहा गया है कि 10 परसेन्ट तक किसी विभाग का रूपया इन्वेस्टमेन्ट कर सकते हैं और 35 प्रतिशत स्टेट गर्वनमेन्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि वह स्टेट गर्वनमेन्ट किस योजना में और पैसा देना चाहती है यह स्टेट गर्वनमेन्ट का विवेकाधीन है। स्टेट गवर्नमेंट कोई एमेन्डमेंट करे तो केन्द्र सरकार की परमीशन हो सकती है। केन्द्र के हिसाब से 37.67 बना, राज्य सरकार का हुआ 129 करोड़ हमने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि 129 करोड़ 35 परसेन्ट जो राजस्व बचा रहा है उसको ग्रामीण विद्युतीकरण में दे दिया जाए जिससे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी आए। अशोक बाजपेयी जी कह रहे थे जब से रिफार्म हुए हैं तब से ग्रामीण विद्युतीकरण में कमी आ रही है ऐसा संदेश जा रहा है। यह राज्य सरकार के साथ बैठकर तय होगा उनका 35 परसेन्ट अंश कहां जाएगा कैसे ग्रामीण विद्युतीकरण करायेंगे। अशोक जी ने कटिया कनेक्शन की बात कही, ठीक है सामाजिक रोक है हमने "आपरेशन उजाला" चलाया, ट्रांसफार्मर जो ओवर लोडेउ थे वह बन्द हो गए अण्डर लोडेड हो गए। हमने अभियान चलाया ऐसा नहीं है कटिया कनेक्शन को ऐसे ही रहने दिया। कनेक्शन 67 लाख से 86 लाख पहुँच गया है।

श्री लालजी वर्मा-

ग्रामीण क्षेत्रों में कटिया कनेक्शन लिए हैं यह कहा जाता है जबकि वहां न खम्भे हैं और न तार लगे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जो आपके हिसाब से गलत हो नाम दे दीजिएगा। अब हमारा लक्ष्य एक करोड़ का है। विश्व बैंक के दबाव की बात कही गई विभिन्न समय पर स्टेटमेंट दिए गए, सदन में कह रहा हूँ कि विश्व बैंक लोन दे लोन के अन्तर्गत जो कार्य हों वह देखे लेकिन विश्व बैंक अपने तरीके से सरकार को चलाना चाहे, ऊर्जा विभाग को चलाना चाहे या विश्व बैंक धौंसियाने की बात करे तो मुझे विश्वबैंक का लोन नहीं चाहिए, वापस ले ले अपना लोन, अभी तक 31 करोड़ खर्चा हुआ है, हम विश्व बैंक की शर्तो को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शर्तें जो जनहित में हैं वह तो ठीक है उन्होंने निजी क्षेत्र की बात कही इसको नहीं माना है। जब तक हम हैं तब तक विश्वबैंक से कोई दबाव मानने नहीं जा रहे हैं। उनकी शर्तो पर उनसे ऋण नहीं लेगें। पी0एफ0सी0 से ऋण लेंगे। उसकी शर्तो को लेकिन नहीं मानेंगे, विश्व बैंक की शर्तो के तहत काम नहीं करेंगे!

डा0 अशोक वाजपेयी-

विश्वबैंक के दबाव में तीन डिवीजन बनाए नियामक आयोग का गठन हुआ यह कह रहे हैं दबाव को नहीं मानेंगे यह विरोधाभासी बात है रिफार्म के नाम पर काम हुए हैं तीन इकाइयां विद्युत परिषद् की विभाजन करके की गईं। यह विश्वबैंक के दबाव में हुआ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ऐसा नहीं है सब विश्वबैंक के दबाव में हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा जहां काम हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि सब दबाव में कर रहे हैं। वसन्त कमेटी की रिपोर्ट आई भारत सरकार की रिपोर्ट आई रिफार्म बढ़ा है, लेकिन भारत सरकार के नार्म्स पर कार्य किया गया है। विश्व बैंक की शर्तो के तहत कार्य नहीं किए गए हैं। मान्यवर, घटिया सामान की बात कही गयी। जो भी सामान खरीदा जाता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्राविधान है। जो वर्ल्ड बैंक टेन्डर की शर्ते हैं उसमें शायद ही हिन्दुस्तान की कम्पनियाँ आती हों क्योंकि जो कम्पनियां आयेंगी वह ग्लोबल बीडिंग की होती हैं। और यह सही है कि जो भी कम्पनियां आयीं वह हिन्दुस्तान के बाहर की कम्पनियां थीं। मुझे अफसोस है कि कुछ टेन्डर ऐसे देश में चले गये जिनसे हिन्दुस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है हम मजबूर हैं। जो शर्तें पूरा करती हैं उन्हीं को मिलता हैं। वर्ल्ड बैंक में जो भी टेन्डर खुलता है उनको वर्ल्ड बैंक को भेजना पड़ता है और मानकों के अनुसार स्वीकृत होता है। लेकिन फिर भी जो बातें कही गयीं है हम उनपर विचार कर लेंगे। घटिया सामग्री न आये। एक्सपर्ट टीम में हमने सबसे अच्छे अभियंता रखे हैं। आप सब लोगों के सुझाव आये हैं और कुछ सुझाव बहुत उपयोगी हैं। हम विद्युत चोरी रोकने की कार्य योजना पर विचार कर रहे हैं, लाईन लासेस कम हो इसपर विचार कर रहे हैं, कन्ज्यूमर को कैसे राहत मिले इसपर कार्यवाही की है और समय-समय पर कार्यवाही करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन चीजों को आपके सामने रखा है इसकेबाद आप संतुष्ट हो गये होगें। मेरा अशोक जी से अनुरोध है कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। सभी के सुझाव आ गये हैं। गंभीरता से पक्ष और विपक्ष दोनों ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहता है यह दिखाना होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाजपेयी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय मंत्री जी ने हाई पावर कमेटी के संबंध में कहा। इसके गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर वर्मा ने कहा था। यह रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेट्री मिस्टर कौल की अध्यक्षता में गठित हुई थी। मेरा यह मतलब नहीं था कि जो भी उसने संस्तुतियां की थी उसको सभी को स्वीकार कर लिया जाय। मई, 99 में यह रिपोर्ट आ गयी थी उसका परीक्षण कराकर उसका संज्ञान ले लें। इसके अतिरिक्त जो भी पक्ष और विपक्ष ने विचार व्यक्त किये थे कि पॉच गॉवों के विद्युतीकरण जो 2000-2001 के हैं बजट भाषण की समाप्ति के बाद हम उन गॉवों को संसोधन देकर विद्युतीकरण की घोषणा करे। जिसको हमने स्वीकार किया या चाहे जो सरकार की विफलता है इस वर्ष जहां तक माननीय मंत्री ने कहा है बड़ी आशायें हैं। लेकिन विभाग की जो विफलता है उस पर मैंने बल दिया है और बल दे रहा हूँ जिस कारण मजबूर हूँ कटौती के प्रस्ताव पर दबाव देने के लिये।

(श्री वसीम अहमद, श्री लालजी वर्मा, श्री राम तेज यादव आदि सदस्य खड़े होकर मांग करने लगे कि मंत्री जी सदन में 5-5 गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा करें)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09, ऊर्जाविभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,70,94,40,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

*सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 4,33,72,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, यह हम सभी जानते हैं कि अपना प्रदेश आदिकाल से ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के लिए देश के अन्दर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपना महत्व रखता है और उसी धारणा के अन्तर्गत यह प्रदेश बाहरी शासकों के अन्तर्गत होते हुए भी शिक्षा में अपना उचित स्थान रखता था। कुछ विश्वविद्यालयों की आक्सफोर्ड से तुलना की जाती थी कि यह भारत के आक्सफोर्ड हैं। न जाने क्या कि स्वतंत्रता के बाद कुछ धीरे-धीरे विकृतियों ने जन्म लिया, स्वार्थ प्रमुख हुए और लक्ष्य ओझल हुए। इस भक्ति का ज्ञान अध्यात्म का है कि हर आदमी का अंश है। हर मनुष्य में अच्छाई भी है और बुराई भी है। वह इसीलिये देवआत्मा कहा जाता है और स्वार्थ की माला उस पर लिपटी कि गुण ओझल हो जाते हैं ज्ञान ओझल हो जाता है और अज्ञानता दिखती है। कुछ समाज के शिक्षा जगत से जुड़े हुए कुछ अपने स्वार्थो में लिप्त होते गये और उस उच्च शिक्षा का उच्च स्तर का ज्ञान नहीं रहा और पता चला कि उच्च शिक्षा एक तरह से औपचारिकता बन कर रंह गयी डिग्रियों की महत्ता कम हुई विशेषज्ञता कम हुई एक तरह से उत्तर प्रदेश की डिग्रियां बाहरी प्रदेशों में अपना सम्मान भी खो बैठीं विशेषज्ञता भी खोने लगी। कब परीक्षा होगी, कब प्रवेश होगा, कब परीक्षा का रिजल्ट आयेगा यह सब कुछ अनिश्चित हो गया था और पूरी शिक्षा सिमट करके इम्पार्टेन्ट क्वैश्चन ओर इम्पार्टेन्ट टापिक तक सीमित हो गयी और इस तरह से शिक्षा ने अशिक्षा का रूप ले लिया पूरा समाज उससे व्यथित हुआ। निश्चित रूप से इसमें एक कार्य पद्धति अपनाई गयी, कार्यपद्धति आम सहमति की अपनाई गयी। सभी कुलपतियों से शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से शिक्षकों से, प्रदेश की शिक्षा समस्याओं पर परामर्श करने की प्रक्रिया अपनाई गयी। जनवरी, 2000 में और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहॉ इस प्रदेश का जो ज्ञान है आत्मा, जीवात्मा, मानव के मूल्य, इच्छाइयां यह सब चेतना क्योकि ज्ञान चेतन है कुछ स्वार्थ और विकृतियां उसको घेर लेती हैं तो उसकी चेतनात्मा कुछ कम होती है लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चेतनात्मा जागी, परिणाम हुआ एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। आज उत्तर प्रदेश में जैसा लोग बताते हैं कि 1973 के बाद में यह पहला वर्ष है जिसमें सत्र नियमित हुआ है 27 साल के बाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मार्च के महीने में एक साथ परीक्षा का प्रारम्भ होना मई में समाप्त हो जाना यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई वर्षो के बाद हुआ। यह प्रगति क्यों है इसको मैं शासन की उपलब्धि नही मानता हूँ यह उपलब्धि है उस चेतनता की, समाज के दायित्व की, अपने दायित्व के बोध की, अपने ज्ञान की। जो कुलपतियों में, शिक्षकों में, छात्रों में जागृति हुई है और यह चेतनता की जाग्रति हुई है यही सही अर्थ मे उपलब्धि है और यह आशा की किरण, भविष्य के गुणात्मक सुधार के लिए एक आशा जगती है। मेरी मान्यता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आदेश से परिवर्तन नहीं हो सकता शासन की धमक और दबाव से नहीं हो सकता, शिक्षा में परिवर्तन केवल अन्त: चेतना की जागृति के बाद से ही हो सकता है। इसलिये मैं एक साल के अन्दर कह सकता हूँ कि शिक्षा में जो कुछ सुधार हुआ है उसमें कोई भी आदेश शासन के स्तर से पहले नहीं जारी हुए। कुलपतियों से वार्ता की गयी, शिक्षकों से वार्ता की गयी, छात्रों के रिएक्शन को जाना गया, समाज की प्रतिक्रिया को जाना गया उसके बाद जब जिस बिन्दु पर आम सहमति बनी उसके सम्बन्ध में दायित्व के नाते शासन ने उस पर आदेश जारी किया। यही कारण है कठोर से कठोर निर्णय होने के पश्चात समाज से लेकर कुलपति तक, शिक्षक और शिक्षक संघों का सब का समर्थन मिला और जो निर्णय हुआ उसके अनुसार कार्यान्वयन हुआ और कार्यान्वयन का परिणाम भी आया। मान्यवर, सत्र नियमित हुआ, यह निर्णय हुआ जनवरी, 2000 में मार्च के महीने में के सभी विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रारम्भ कर दी जायेगी, 31 अगस्त, 2000 तक सभी प्रवेश बन्द कर दिये जायेंगे, 30 सितम्बर के बाद कोई भी छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा वह सब ज्यों का त्यों हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, अनुशासित ढंग से हुआ और अब सभी परीक्षाएँ लगभग समाप्त हो गयी हैं और कुछ परिणाम भी आने लगे हैं अर्थात् शिक्षकों में चेतना जागी हैं समाज के दायित्व, प्रदेश के गिरते स्तर को सुधारने की और इस शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुँचाने की। यह बात सही है और सभी जानते है कि पूरी परीक्षा में स्वतंत्रता के बाद से एक प्रश्नपत्र आता था और 9 में से कोई 5 प्रश्न कीजिये, उसमें भी धीरे-धीरे यह विकृति आ गई थी कि हर लड़का सोचता था कि गुरूजी इम्पार्टेंट बतला दीजिये, वह क्यों चिन्ता करे, गुरूजी इम्पार्टेंट बतला देगें और वह पास हो जायेगा। पूरी शिक्षा इम्पार्टेंट क्वेश्चन और इम्पार्टेंट टापिक तक सीमित हो गई थी, यू कहें कि ज्ञान को अज्ञान का स्वरूप मिल गया। जैसा लोग कहते हैं, ज्ञानी अज्ञान की ओर चलता है, माया से घिरता है तो उसकी चेतनता और विवेक खत्म होता है, उस ओर यह शिक्षा चल पड़ी थी। अब यह परिवर्तन का समय आया है, इसलिये परीक्षा पद्धति में सुधार किया गया और पूरे प्रदेश में परिवर्तित प्रश्नपत्र लागू करने वाला यह पहला प्रदेश है। कहीं कुछ एक यूनिवर्सिटियों ने प्रयोग तो किया लेकिन पूरे प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटयों में प्रश्नपत्र का परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद अगर कहीं हुआ है तो इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। केवल 2-1 विश्वविद्यालयों में नहीं।

इन प्रश्नपत्रों के परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ हैं? मैने कहा कि लोग मैकाले को गाली देकर उच्च शिक्षा ज्ञानी बनते हैं लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसी मैकाले या किसी अन्य ने यह नहीं कहा था कि इस पद्धति को मत बदलों। यह हमारी गलती थी कि हम नहीं बदलते थे, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, बस 8 प्रश्नों में कोई 5 कीजिये, पिछले 50 साल यानि यह 2001 तक यह व्यवस्था चलती रही है। अनेक प्रदेशों में वही पद्धति चालू रही तो मैकाले को गाली देकर ज्ञानी बनने का जो गलत रास्ता हम चल पड़े थे, उसमें कोई परिवर्तन की सोचता नहीं था। लेकिन इस बार केवल 2 यूनिवर्सिटयों को छोड़कर, लखनऊ तथा आगरा को छोड़कर, बाकी सभी विश्वविद्यालयों में वह प्रश्नपत्र आया है जो जनवरी में निर्णय हुआ था वर्तमान प्रश्नपत्र के अनुसार हर चैप्टर में से एक प्रश्न अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ आब्जेक्टिव प्रश्न भी होगें, अब यह 3 तरह के प्रश्न आ रहे है और यह बात 6 महीने पहले बता दी गई थी और प्रदेश के अधिकांश छात्रों ने यह समझ लिया था कि बिना पढ़े अब परीक्षा पास नहीं की जा सकती, इससे उनमें पठन-पाठन का अनुशासित वातावरण बना। इस परीक्षा पद्धति के परिवर्तन से छात्र और शिक्षक दोनों में बाध्यता की परिस्थिति पैदा की गई कि आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिये बाध्य हैं और छात्र परीक्षा से पहले पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के लिये बाध्य है क्योंकि इम्पार्टेंट क्वेश्चन और इम्पार्टेंट टापिक का युग खत्म हो गया। अब हर चैप्टर से एक प्रश्न अवश्य होगा। इससे एक पठन-

पाठन का वातावरण बनाया गया, इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि छात्र अनुशासन की समाप्ति का एक कारण पेशेवर छात्र नेताओं, के ड्राथ में छात्रसंघों का होना था।

छात्रसंघों का चुनाव लोग इसलिये लड़ते थे कि छात्रों के हित के लिये नहीं, बल्कि ऐसे हितों के लिये जैसे ठेकेदारी करो, कोटेदारी करो, अपराधियों को संरक्षण दो, अपनी नेतागिरी के लिये अनावश्यक मसलों पर आन्दोलन करवाओं। ऐसे पेशेवर छात्र नेताओं के हाथों में छात्रसंघ चले जाने के कारण पूरा प्रदेश लम्बे समय तक छात्र अनुशासन से वंचित रहा। बात-बात पर आन्दोलन होते थे, लेकिन पिछले वर्ष कोई आन्दोलन नहीं हुआ और पूरे शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुई और छात्रसंघों ने इन उठाये गये कठोर कदमों का समर्थन भी किया। अब यह किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई छात्र जो 25 साल से अधिक आयु का है, एक बार फेल या ड्राप किया है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता और इसी नियम के अन्तर्गत पिछले सन् 2000 में 30 सितम्बर तक चुनाव हुये, सब जगह एक साथ हुये, बिना गोली-डंडा, लाठी के हुये, कहीं कोई आन्दोलन, झगड़ा मारपीट नहीं हुई। यह सिद्ध करता है कि पेशेवर छात्र नेताओं ने भले ही कहीं थोड़ा विरोध करना चाहा, लेकिन प्रदेश के छात्रों ने उनका समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं मान्यवर, छात्र संघों के बारे में आप जानते हैं कि 2-4 पदाधिकारी चुने जाते थे, बाकी छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था। अब केवल दो पदाधिकारी चुने जाते हैं अध्यक्ष और महामंत्री लेकिन छात्र संघ सब की प्रतिनिधि संस्था बने इसलिए नियम बनाया गया कि छात्र संघ की जो समिति होगी वह 40 से 50 लोगों की होगी। इसमें 5 मेधावी छात्र, 5 अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र, 5 महिला छात्रा और 1 खिलाड़ी प्रतिनिधि प्रिंसिपल या वाइस चांसलर द्वारा छात्र संघ में नामित होगा, अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव होगा बाकी और सदस्य जो 40-50 की समिति है वह बाकी को नामित करेगी। मान्यवर, यह व्यवस्था छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गयी है। मान्यवर, यह केवल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है छात्र संघ में आयु की सीमा और एक बार से ज्यादा फेल या ड्राप न हुआ हो। आप जानते हैं कि बहुत से छात्र नेता ऐसे थे जो 40-50 वर्ष के हो जाते थे और वे ड्राप इसलिए करते रहते थे कि जब तक चुन न जायें ड्राप करते जायेंगे, चूँकि फेल होने के बाद प्रवेश नहीं मिलता था इसलिए वह ड्राप करते थे, छात्र संघ छात्रों के हितों के लिए है पेशेवर लोगों के लिए नहीं है।

मान्यवर, एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश में रही है, मान्यवर, शासन स्वायत्तता का समर्थक है, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता होनी चाहिए, उस पर शासन का हस्तक्षेप नाम मांत्र का होना चाहिए, जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं होना चाहिए। लेकिन स्वायत्तता का दुरूपयोग भी हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ स्वायत्तता के अधिकार और स्वतंत्रता ने ध्यान नहीं दिया और परिणामत: 5-5, 7-7 साल तक पाठ्यक्रम पुनरीक्षित नहीं होते थे और हमारे छात्रों को जो अध्ययन कराया जा रहा था वह 12 साल, 8 साल पुराना था, बीच में जो परिवर्तन हुए हैं, जो खोज हुई हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि नियम है कि यूनीवर्सिटी हर साल पाठ्यक्रम संशोधित करें। यह कहा गया कि आप पाठ्यक्रम पुनरीक्षित करें और पिछले वर्ष कला संकाय में प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में पुनरीक्षित पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया और इस वर्ष अगले सत्र से कुलपतियों ने कहा, शिक्षकों ने इस बात को सहमति दिया कि विज्ञान और वाणिज्य का भी पुनरीक्षित पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाए। यानि अब तक जो शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए इसलिए इसे भी अगले सत्र जुलाई से लागू किया जायेगा। मान्यवर, समान पाठ्यक्रम की मॉग हो रही थी, पिछले वर्ष से इसे लागू किया गया केवल तीन विश्वविद्यालयों, लखनऊ, गोरखपुर और इलाहाबाद ने कहा कि हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ विषय हैं जिन्हें स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है क्योंकि हमारे यहां रिसर्च होता है, पी0एच0डी0 होती है, इसलिए यह हुआ कि ये अपने यहां मिनिमम शामिल कर लें और अगले वर्ष से वाणिज्य और विज्ञान में भी समान पुनरीक्षित पाठ्यक्रम शामिल करें। मान्यवर, अब 10 साल पुराना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जायेगा, अब तक जो खोजें हुई हैं वह सब अब पुनरीक्षित पाठ्यक्रम में पढ़ाया जायेगा। मान्यवर, अब कम्प्यूटर का युग है इसलिए विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। हमने प्राइवेट सेक्टर के जो चार

बड़ी कम्पनियाँ हैं उनसे एग्रीमेंट किया और वे इसके लिए सहमत होगये लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वह जाने के लिए सहमत नहीं हुए। इसलिए अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा सके इसलिए स्थानीय स्तर पर जो कम्प्यूटर की शिक्षा देने वाली संस्थायें हैं उनसे सम्पर्क किया जा रहा है। मान्यवर, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था हो यह व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, "नेट" की परीक्षा में यह शिकायतें आयी कि बहुत सारे छात्र स्तर ऊँचा होने के कारण से "नेट" की परीक्षा पास नहीं कर सकते। इसलिए "सेट" की परीक्षा स्टेट द्वारा करायी जायेगी। सभी प्रारुप यू0जी0सी0 को भेजा जा चुका है और शीघ्र ही "सेट" की परीक्षा हो जायेगी जिससे कि यहां के छात्र पास करके यहाँ की नौकरियों में स्थान पा सकें खासकर प्रवक्ता पद के लिए। एक-दो विषय अगले सत्र के लिए अनिवार्य रुप से लागू की जा रही है, ये विषय कौन से हैं? हम सभी इस बात से सहमत हैं कि आज जो नई पीढ़ी कालेजों में पढ़ रही है भारत का राष्ट्रीय गौरवशाली युग भी रहा है इससे परिचित नहीं है।

वह मुगलकाल और ब्रिटिश काल का जो सारा इतिहास है और 50 साल जो आज के राजनीतिज्ञों का इतिहास है यही भारत है, यह समझते हैं। जो व्यक्ति, समाज अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाता है वह निश्चित रुप से अपनी परम्पराओं से, मूल से कट जाता है। इस प्रदेश का नौजवान, पढ़ा लिखा वर्ग अपने मूल से न कटे, भारत के राष्ट्रीय गौरवशाली युग के महत्वपूर्ण जानकारियों से अपरिचित न रहे इसलिए एक विषय यह लागू किया गया है। एक कमेटी बना दी गयी है। ध्यान यह रखा गया है कि वही विषय सम्मिलित किये जॉय जो राजनीतिज्ञों के विवाद के विषय न बनें क्योंकि अच्छे काम में बड़े जल्दी हिन्दुइज्म और भगवाकरण की बात आ जाती है। भगवाकरण का विवाद खड़ा करना बड़ा आसान काम है, जो ज्ञान यहां के ऋषियों ने विश्व को दिया, दशमलव यहां के लोगों ने दिया, लोकतन्त्र यहां के लोगों का विचार है, सर्व-धर्म समभाव यहां का विचार है, विश्व बन्धुत्व यहां का विचार है। आर्य भट्ट जैसा गणितज्ञ यहां हुआ, चरक ने भारतीय चिकित्सा पद्धति दी। यह सब भारत की देन विश्व को है। जो ज्ञान भारत ने विभिन्न विषयों पर दिया। इस पाठ्यक्रम में समावेश किया जा रहा है, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए उसी को सम्मिलित करने के पक्ष में हैं जो ज्ञान भारत में जन्मा और विश्व में गया। खासकर जो नर्सरी से पढ़कर जो लड़के आ रहे हैं वह भारत के वैभवशाली इतिहास को नहीं जानते। भारत " जगत गुरू" कहलाता था तो कपोल कल्पित नहीं है, उसके तथ्य हैं। इस विषय में यह सब रखा जायेगा। दूसरे गाँव का लड़का जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और वह हाईस्कूल से लेकर डिग्री प्राप्त कर लेता है, खेती में कैसे और आमदनी कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में दो पेज भी नहीं है। आधुनिक खेती में कैसे योगदान दे सकते हैं, कौन-कौन से कार्य करें, जिससे आमदनी बढ़ा सकते हैं, नौकरी सबको मिलनी नहीं है, डिग्री लेकर घर ही वापस होना है इसलिए उसको ऐसा ज्ञान दें जिससे उसे जिस परिवेश में रहना है उसमें कुछ और आमदनी कर सके। इसलिए स्वावलम्बन अनिवार्य विषय होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय गौरव और स्वालम्बन विषय होगा। मान्यवर, इतना तो मुख्य-मुख्य बातें थी। इसके साथ ही एक बात और उपलब्धि के रुप में बतलाना चाहता हूँ। उम्र बढ़ाने की मांग को छोड़कर हमने शिक्षक संघ की शतप्रतिशत मांगों को स्वीकार कर लिया है और शिक्षक समाज इससे पूरी तरह से संतुष्ट है। अब वह अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर रहे है, हम उनके सहयोग से यह कार्य पूरा करेगे। आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। एक समय था जब आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक छात्र चुने जाते थे लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के छात्रों का चयन काफी कम हो रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है यदि हमारे यहां के छात्र इस कैडर में कम होंगे तो केन्द्र में जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें हमारी पकड़ कम होती चली जायेगी। इसके लिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अगले सत्र से यह सुनिश्चित किया है कि जितने भी महाविद्यालय है, युनिवर्सिटयाँ हैं उनमें कम से कम 180 दिन यू0जी0सी0 के मानकानुसार पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित किया गया है।

अब इसके लिए हर युनिवर्सिटी एक कलेण्डर बनायेगी जिसमें से 3-4 युनिवर्सिटियों ने यह कलेण्डर बना भी लिया है जिसके अनुसार 16 जुलाई से 25 फरवरी तक का सत्र होगा। 16 जुलाई से द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षायें शुरू कर रहे हैं तथा अगस्त से प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं। इसके अलावा आप देखते थे कि तमाम शोक छुट्टियां हो जाया करती थीं हमने उन शोक छुट्टियों को काटने की योजना

बनाई है पहले यह था कि किसी शिक्षक का कोई रिश्तेदार भी मर जाता था तो महाविद्यालय बंद कर दिया जाता था लेकिन अब हमने यह किया है कि अगर कोई कार्यरत शिक्षक या उसका कोई कर्मचारी मर जाता है तो सिर्फ उसी विभाग की छुट्टी की जायेगी और अन्य विभागों में पढ़ाई का कार्य जारी रहेगा, शाम की 4 बजे एक शोक सभा हो जायेगी जिससे पढ़ाई के कार्य में अवरोध न उत्पन्न हो। मान्यवर, इस प्रकार हमने यह सुनिश्चित किया है हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए छात्रों को 180 दिन अवश्य पढ़ायेगे जिससे कि उनके पठन-पाठन का जो कार्य है उसमें कोई अवरोध न उत्पन्न हो सके। मान्यवर, इस सभी बातों के अलावा कुछ और विकृतियों के बारे में कहना चाहता हूँ। कोचिंग कक्षाओं के बारे में कुलपतियों ने, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक संघों ने कहा है कि यह एक सामाजिक अपराध है जो उत्पीड़न कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम अगले सत्र से प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इसके कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है और शिक्षकों का सम्मान गिर रहा है इसलिए प्रतिबंध लगाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जून के अंतिम सप्ताह में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की बैठक करेंगे उनके भी नियंत्रण में दे दिया जाये उनसे भी परामर्श करके,सहमति प्राप्त करके हम सुधार करें यह तय हो चुका है कि इस सत्र से कोचिंग कक्षाएँ उत्तर प्रदेश में बंद होंगी। जैसा कि विश्वविद्यालयों के अधिनियम में प्रावधान है। कोचिंग करना आचार-संहिता का उल्लंघन है जिसका दण्ड सामान्य से लेकर सेवा समाप्ति तक हो सकता है। अधिनियम में जो यह है कड़ाई से लागू किया जायेगा।

जो अध्यापक कोचिंग चला रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाये। एक बुराई और है कि जिस तरह शिक्षा जगत में अनुशासनहीनता फैल रही है रैगिंग की इस पर प्रतिबंध लगाया जायेगा। इसका प्रारूप बनकर आ चुका है। यह इसलिए शुरू हुआ था कि पुराने छात्र और नये छात्र से उनमें परिचय हो जाये, लेकिन अब तो इसने उत्पीड़न और जातिगत विद्वेश की शक्ल ले ली है। इसका स्वरूप विकृत हो चुका है इसलिए इसका नो प्रारूप बनकर आया है सरकार विचार कर रही है। मेरा प्रयास है कि इस पर प्रतिबंध लगाकर इसको दण्डनीय किया जाये। निजीक्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये और निजीक्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय खोलने की अनुमति दी जाये, इसको इस दृष्टि से लागू किया गया था कि शिक्षा में सुधार हो, लेकिन ये स्व-वित्त पोषित संस्थाएँ अब व्यवसाय का रूप ले रही हैं और छात्रों तथा शिक्षकों के शोषण के केन्द्र बन रही है। हमने निर्णय लिया है कि इसको संयमित किया जाये और अनुशासित करेंगे। इसलिए आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी है जिसमें अन्य कुलपति भी होंगे और उच्च शिक्षा सचिव, वित्त सचिव होंगे। उनसे कहा गया है कि मई के अन्त तक अपना सुझाव दें दे कि इसमें कैपिटेशन फीस क्या होगी, एक अध्यापक का वेतन क्या होगा इन बिन्दुओं पर सुझाव मांगे गये हैं। हम वित्त पोषित संस्थाओं को प्रश्रय देना चाहेंगे, लेकिन शोषण और व्यावसायिक संस्था बनने नहीं देंगे। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ। बुन्देलखण्ड क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। निजी क्षेत्रों में वहाँ महाविद्यालय खोलने के लिए प्राभूत राशि को बहुत कम कर दिया है। एक लाख की जगह 25 हजार कर दिया है, ताकि वहाँ भी महाविद्यालय खुल सके। इस शब्दों के साथ मैं उच्च शिक्षा का बजट रखता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन इसको पारित करेंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्येश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है उसको प्रस्तुत करते समय उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बतायी जिससे उच्च शिक्षा में कुछ सुधार की बात नजर आती। आज उच्च शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हो रही है उससे जाहिर है कि माननीय मंत्री जी को उच्च शिक्षा से

ज्यादा लगाव नहीं रह गया है। मान्यवर, उच्च शिक्षा के संबंध में जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक है इसके पेज-3 पर आप देखें कि पिछले 3 वर्षों में बजट कम होता गया है। 1998-99 में 5080 लाख रुपये का बजट था और 1999-2000 में इसमें ज्यादा कमी की गयी और यह 2610.28 लाख पर आ गया। 2000-2001 में इसमें आपने फिर कटौती की है और उसके बाद 2001-2002 में केवल 2539 लाख रुपये के प्रस्ताव बजट में किये हैं। माननीय मंत्री जी अपने कार्यकाल में उच्च शिक्षा बजट में कमी करते जा रहे हैं इससे जाहिर होता है कि वह उच्च शिक्षा के बारे में पूर्णरुप से उदासीन हैं और इसकी उपेक्षा दिनों दिन होती जा रही है। आज पूरे प्रदेश की आबादी 16 करोड़ से अधिक है और डिग्री कालेजों की संख्या निरंतर गिरती जा रही है। महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में मैं दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्ष 1999-2000 में छात्रों की संख्या थी 6,62,879 और वर्ष 2000-2001 में छात्रों की संख्या है 6,27,667 एक ही वर्ष में लगभग 50,000 छात्रों की कमी हो गई। इसी प्रकार छात्राओं की संख्या वर्ष 1999-2000 में थी 3,93,478 और वर्ष 2000-2001 में छात्राओं की संख्या हैं 3,60,619 यह इस बात को जाहिर करता है कि विश्वविद्यालयों में डिग्रीकालेजों में छात्र-छात्राओं की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है। आप उच्च शिक्षा को हतोत्साहित कर रहे हैं इसी का दुष्परिणाम है कि एक ओर यह सरकार लोगों को लुभावने नारा देती है स्कूल चलो दूसरी तरफ खेत खलिहान गांव से निकले हुए बच्चे ऊँची शिक्षा पाने के काबिल न बन पाएं वह चुनौती न बन जाएं। उनको शिक्षा से वंचित कैसे किया जाए प्रजातांत्रिक व्यवस्था है सीधे तो रोक नहीं सकते इसलिए इतनी फीस मंहगी कर दी है इतनी मंहगाई कर दिया है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी जब गांव के किसान और मजदूर को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10,000, 20 हजार पचास हजार फीस नहीं होगी तो उसके बच्चे कैसे ग्रेजुएट बन पाएंगे कैसे पोस्ट ग्रेजुएट बन पाएंगे मैं केवल लखनऊ विश्वविद्यालय का एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मंत्री जी खुद एक किसान के घर से निकले हुए हैं ऐसे समाज से आए हैं जिसको उपेक्षा की नजर से देखा गया है इसलिए चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर गम्भीरता से गौर करें। पिछले वर्ष एल0एल0बी0 सेकेण्ड इयर में सेमेस्टर परीक्षा के लिए 425 रुपय जमा कराया गया अबकी बार सेकेण्ड इयर सेमेस्टर के लिए इस वर्ष 425 रुपए के अगेंस्ट 2,065 रुपए लिए गए। जो पाँच गुना से भी ज्यादा है। यह उन बच्चों से फीस तो जा रही है। थर्ड इयर में पिछले वर्ष 810 रुपए लिया गया अबकी बार 2001 में थर्ड इयर सेमेस्टर के लिए 2,087 रुपए लिया जा रहा है मैं बताना चाहता हूँ कि 810 रुपए के अगेंस्ट 2,087 रुपए ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ 425 के विरूद्ध 2065 रूपये क्यों कर दिये गये क्या यह सब इस बात को जाहिर नहीं करता है कि दबे कुचले पीड़ित समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाये। यदि सस्ती शिक्षा रहेगी तो कोई एडवोकेट प्रोफेसर बन जायगा नहीं तो जो गरीब का बच्चा है मजदूर का बच्चा है रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है छोटी छोटी दुकान करने वाले का बच्चा एमए,एलएलबी, बी ए नहीं कर पायेगा, वह आई ए एस, पी सी एस कैं कम्पटीशन में कैसे बैठेगा, वह एडवोकेट, कलक्टर, कप्तान, डिप्टी एसपी, एसपी, एडवोकेट, जज नहीं बन पायेगा। यह सब उनको आगे बढ़ने से अप्रत्यक्ष रुप से रोकने का काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी आपका ध्यान न गया हो इस ओर चूँकि आप इसके प्रति चिंतित हैं इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी अच्छी और उच्च शिक्षा ले सके। मंहगी शिक्षा होने के नाते गरीब का बेटा पढ़ने का काम नहीं कर सकेगा। जो अच्छी प्रतिभा का व्यक्ति है वह आगे नहीं बढ़ सकेगा वह भी रिक्शा चलायेगा, मजदूर बनेगा खेती करेगा। यदि माननीय मंत्री जी इस ओर चिंतित हैं तो

जो शिक्षा मंहगी कर दी गई है उसको सस्ता करने का काम करें। इसके पहले उच्च शिक्षा में मेडिकल भी जुड़ा था तकनीकी भी जुड़ा हुआ था तब उच्च शिक्षा में आता था अब बाहर है लेकिन वहाँ पर भी न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, जिसके पास दो चार छः लाख रूपया हो वही डाक्टर इंजीनियर बने। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में शिक्षा की अनिवार्यता रखी गई थी 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा इसलिए कही गई कि इस उम्र के बाद बच्चा स्वयं अपना सोचने लायक हो जाता है। अपना रास्ता स्वयं चुन लेता है। हमारे सामने नरेन्द्र कुमार सिंह गौर बैठे हैं 97 में उच्च शिक्षा मंत्री थे डलमऊ गये उस समय मैं भी खादी ग्रामोद्योग मंत्री था तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी भी गई तब इन्होंने घोषणा की कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में पाँच कक्षायें स्नातकोत्तर की चलाई जायंगी। आज चार वर्ष हो गये हैं लेकिन वहॉ कोई कक्षा स्नातकोत्तर की नहीं चलाई गई। एमए की कक्षाये नहीं चलाई गई। इसी विद्यालय के प्रिंसिपल ने उच्च शिक्षा विभाग सचिवालय को भी लिखा कि हम कक्षाये चलाने के लिए तैयार है लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई। मैंने भी लिखा कुछ नही हुआ। दो-दो तहसील में एक भी स्नातकोत्तर विद्यालय नहीं है लेकिन चार साल के बाद भी यह सरकार इतनी संवेदनहीन है कि आजतक उसके प्रति चिंता नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूँ।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

यहॉ भी आपके जितने छात्र बैठे हैं मुक्त होना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में सरकार यदि इतनी गम्भीर है और आप इसको मानते हैं तो एक दिन में एक ही बजट प्रस्तुत किया करें जिससे छात्रों को इतना इंतजार न करना पड़े।

एक माननीय सदस्य-

आप इतने विद्वान और ज्ञानी हैं कि जो आप कह रहे हैं वह हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप इतने अज्ञानी हैं इसीलिये तो आज शिक्षा का विनाश होता जा रहा है। मान्यवर, इन लोगों ने, जो हमको कहना चाहिए था, खुद ही कह दिया कि "भैंस के आगे बीन बजाओं भैंस खड़ी पगुराय" हम बात कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे सुझाव दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

भैंस पगुरा रही है या नहीं लेकिन स्वामी जी दूध देने की पूरी -पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, डंग साहब बहुत उम्रदराज हो चुके हैं। बच्चे दूध पिया करते हैं। इनको दूध की याद कहां से आ गई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इनकी अपनी कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक पत्रिका की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपने प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों मे मेडिकल एवं तकनीकी कालेज, राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रतिभावान छात्रों एवं छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। एक तरफ मान्यवर, आप घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन प्रतिभावान छात्रों एवं छात्राओं को हतोत्साहित कर रहे हैं। सन् 2000-2001 में प्रतिभावान छात्रों के लिये 51.85 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत करते हैं और 2001-2002 में जहाँ आपको इस धनराशि को बढ़ाना चाहिए था अगर आप वास्तव में प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को वाकई प्रोत्साहित करना चाहते थे। इस धनराशि को आपने घटाकर 46 लाख रूपये कर दिया जो कि इस बात को जाहिर

करता है कि यह प्रतिभावान छात्रों को हतोत्साहित कर रहे हैं। इसी तरह से मान्यवर, गाँव के मजदूर, किसान के बेटे आज शिक्षित होकर आना चाहते हैं यह उनको भी सही शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि कि मान्यवर, नेट परीक्षा यू0जी0सी0 ओर उसी नेट परीक्षा के समान रूप में आप स्टेट लेबिल इलैजिबिलिटी एग्जाम कराना चाहते हैं, प्रदेश स्तरीय दक्षता परीक्षा करवाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके नाते नेट परीक्षा में पास होने वाले शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड के बच्चों को डिग्री कालेज में और विश्वविद्यालय में उनको लेक्चरर के पद पर नियुक्ति न मिल सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के लिए यू0जी0सी0 नेट मानक तय कर दिए हैं उस मानक से अब लेक्चरार चुनेंगे। विद्यार्थी डिग्री कालेज में लेक्चरार के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं स्लैब व्यवस्था के कारण किसी-किसी जगह प्रदेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में किया जाता है जब वहां यू0जी0सी0 नेट के मानक पर पास हुए हों, प्रत्याशी नहीं मिलते हैं तो विश्वविद्यालय अपने यहां प्रदेश स्तरीय परीक्षा का आयोजन करते हैं मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ अभी-अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इलाहाबाद में अजीत कुमार भारती सच्चिदानंद राम, शैलेश कुमार कौशल, देवेन्द्र प्रसाद कौशल डिम्पल चौधरी, तारकेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, अशोक शंकर, दिनेश कुमार महेन्द्र कुमार यह लोग ईश्वर शरण छात्रावास में नेट परीक्षा पास कर चुके हैं और मान्यवर, इनका पाप क्या है डिग्री कालेज में विश्वविद्यालय में मात्र नियुक्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह दलित समाज में पैदा हुए हैं। आरक्षित सीटें हैं आप कहेंगे यू0जी0सी0 के मानक हैं यह इसका आधार है जो कह रहा हूँ मेरे पास सब कागज मौजूद हैं आप कहेंगे तो भेज दूँगा दलित समाज में पैदा होने के नाते उनके लिए सारी कानून व्यवस्था आ जाती है जबकि मान्यवर, यू0जी0सी0 दिए गए सारे के प्रमाण-पत्र साथ में ले गए थे अगर आप कहें तो एक-एक मुहैया करा दूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नियुक्ति पद पर इसलिए नहीं करते हैं कि वह जगह रिक्त रहेगी, दो-तीन बार गैप दिखाकर सामान्य से भर लेंगे लेकिन इसका अनुसरण हर जगह करें तो समझ में आता है। अभी हमारे बहोरन लाल मौर्य जी कह रहे थे कि दलित की बात कर रहे हैं अपनी बात भी करो। मौर्य जी मौर्य समाज के मंत्री बने हो गुलामी करो। स्वामी मौर्य तो सारे लोगों की बात करते हैं जिनके साथ अन्याय होता है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय मौर्य जी भी गुलामी करेंगे मगर उनकी जो इनको जमीन पर बैठाते हैं और स्वयं तथा अधिकारियों को कुर्सी पर बैठाते हैं।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बहोरन लाल मौर्य)-

मगर वहॉ इनकी आवाज नहीं निकलती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आपको दूर नहीं जाना है लखनऊ विश्वविद्यालय में 23 फरवरी, 2001 को रसायन विज्ञान के दो पद पर एक पर अनुसूचित जाति और दूसरा सामान्य श्रेणी पद के लिय चयन को कार्य हुआ। डा0 देश दीपक रसायन विभाग के रीडर पद पर नियुक्त होते हैं। जिसे दो बार लैक्चरार के पद पर अयोग्य करार दिया है, कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय श्री रोमेश भंडारी जी के पत्र दिनांक 10.5.97 द्वारा इस नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया और दूसरी बार इन्हीं डा0 देशदीपक को अंशकालिक प्रवक्ता के पद पर कुलाधिपति के सचिव द्वारा 25.8.2000 को नियुक्ति अवैध घोषित की गयी। डा0 देशदीपक की नियुक्ति एक बार

अंशकालिक प्रवक्ता के पद पर और दूसरी बार प्रवक्ता के पद पर निरस्त की जाती है और उसे रीडर नियुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है क्योंकि वह [x x x x x x x x x x]।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

उच्च शिक्षा के बजट पर इतने सुन्दर विचार, इतनी सुन्दर भाषा और इस प्रकार के सुमधुर वाक्य मुझे सुनने को नहीं मिले। लेकिन क्या करें जैसे संस्कार हैं वैसे ही तो बोलेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि कोई और सदस्य यह बात कह दें तो दूसरी बात है लेकिन एक पार्टी के नेता हैं हम इनसे यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये किसी संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें। यह उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे कार्यवाही से निकाल दें और अगर यहाँ बोलना है तो ऐसी भाषा बोलें जिससे शालीनता झलकती हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा जो उनको चोट लगे। देश दीपक के केन्डीडेचर को निरस्त क्यों किया गया? हाईस्कूल में 51 प्रतिशत, इंटर में 41 प्रतिशत बी0एस0सी0 में 47 प्रतिशत मिला।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षिप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कह रहा था।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक व्यवस्था चाही थी।

श्री अधिष्ठाता-

उतना अंश निकाल दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो यह जो भेदभाव पूर्ण मान्यवर रवैया है इस पर आप अंकुश लगायें यदि आप उच्च शिक्षा में वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो जिस भी स्तर पर यह गड़बड़ियां होती हैं उसको आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की हैसियत से उस समस्या का निवारण भी आप करें जैसा कि आपने कहा है कि हम विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के पक्षधर तो हैं लेकिन स्वायत्ता के नाम पर मनमानी नहीं होनी चाहिये। जब नियुक्ति के लिये डी0पी0सी0 हो या सेलेक्शन कमेटी बैठे हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उस कमेटी में बैठे हैं कि नहीं यह सुनिश्चित करा लें नहीं तो मनमानी बढ़ेगी ही। गर्वनमेंट डिग्री कालेज में लेक्चरर की नियुक्तियां जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है लेकिन जब वह कमेटी बैठती है वहां पर अगर एस0सी0 के लोगों का चयन होना है तो अनुसूचित जाति के किसी न किसी मेम्बर की उपस्थिति होना चाहिये यह मेरा सुझाव है इसी तरह से प्राइवेट डिग्री कालेज में आपको वही मानक तय करने चाहिये जो आप राजकीय डिग्री कालेज के लिये तय करते हैं। आप चूंकि इस विभाग के प्रति बहुत गंभीर है समय-समय पर जो आपका चिंतन है विभाग को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो आपका प्रयास है उसमें और चार चांद लग सकें इसलिए मैंने यह बातें रखी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको अमली जामा देने का काम करें उच्च शिक्षा में जो गड़बड़िया हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे जो भेदभाव मूलक व्यवस्था है उसको खत्म करना सुनिश्चित करें आपने कहा है कि दो विषय अब अनिवार्य होंगे उनका स्वागत है। लेकिन इन दोनों विषयों को अनिवार्य करने के लिये कहीं पर आप राष्ट्रीय गौरव के नाम पर वेद मंत्रों के उच्चारण का पाठ पढ़ाना शुरू न कर दें ज्योतिषि विद्या का पाठ पढ़ाना शुरू न करें लोगों को यजमान बनाना न शुरू

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर दें अगर ऐसा करेंगे तो फिर हजारों साल यह देश पीछे चला जायेगा आज विश्व के दूसरे देश चांद पर जाने की सोच रहे हैं और यह भाजपा की सरकार राष्ट्रीय गौरव के नाम पर पोंगापंथी की व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रही है। इस ओर भी मैं आगाह करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ राष्ट्रीय गौरव के नाम पर शिक्षा का बिगुल बजाने वाले कहीं [x x x] न पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, कहीं [x x x] की शिक्षा न प्रारम्भ कर दीजिएगा, [x x x] न प्रारम्भ करा दीजिएगा। आपने विश्वबंधुत्व की बात की है तो विश्व बंधुत्व की यदि इस विश्व में किसी ने संदेश दिया है तो तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, प्रजातंत्र व्यवस्था की बात आपने कही प्रजातांत्रिक व्यवस्था वेद से नहीं लागू हुई, ऋषियों से नहीं लागू हुई इसको मौर्य वंश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लागू किया था। (व्यवधान)

मान्यवर, इनके एक राज्यमंत्री बहोरन लाल मौर्य ने कुछ कहा था तो उनकी चिन्ता मुझे थी। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि जो यहाँ पर बात रखी गयी है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सुधार करने की बात करेंगे।

*श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री ने जो सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ की है विश्वविद्यालय में कुलपति और शिक्षकों के लिए जो उत्प्रेरक की उन्होंने भूमिका निभाई है सबकों साथ लेकर अपने शैक्षिक सत्र का नियमितीकरण, महाविद्यालय में शैक्षिक वातावरण सुधारने का, परीक्षा प्रणाली में प्रश्नपत्र को प्रत्येक परीक्षा में लाना, पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने का और पुनरीक्षित पाठ्यक्रम लागू करने का जो इतना काम उसमें किया है उसके लिए उन्हें जितनी बधाई दी जाय वह कम है। मान्यवर, विद्वान माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो यहाँ कहा, वास्तव में उनके लिए तो किसी के पास शब्द नहीं होगें, उनको नतमस्तक होकर मैं प्रणाम कर सकता हूँ उन्होंने कहा मंत्री जी ने कोई कारगर बात कही नहीं वास्तव में उन्होंने ठीक कहा उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कर करके दिखा दिया। साथ में उन्होंने कहा कि भैस के आगे बीन बजाये भैस खड़ी पगुराय तो मुझे यह लग रहा था, मंत्री जी कुछ कह रहे थे वह अपने लिये ही कह रहे थे तो जो मंत्री जी ने कहा वह उनके ऊपर चला गया, इसमें मैं नही कहता कि उनका कोई खोट है।

श्री लाल जी वर्मा-

जो लोग कमजोर वर्ग की वकालत करते हैं ये लोग समझते है कि उनको कुछ आता जाता नहीं और इन अभिजात्य वर्ग के लोगों को जो मौर्य जी ने कहा है उसकी बात समझ में नहीं आई।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी टोकाटाकी से व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नेट परीक्षा पास करने वालों का पहले समायोजन कर लें, तब आगे कोई परीक्षा होनी चाहिये।

श्री केशो मेहरा-

विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे एम0बी0ए0 हो, इन्फार्मेशन टेक्नालाजी हो, मास्टर आफ कम्प्यूटर एजूकेशन हो, विश्वविद्यालय से अनापत्ति के बाद शासन से संस्तुति के बाद महामहिम राज्यपाल,

---

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुलाधिपति के रूप में अनुमति देते हैं। आप महामहिम से अनुरोध कर लें ताकि शीघ्रतिशीघ्र वहॉ से अनुमति मिल जाय, क्योंकि वह लाखों रूपये खर्च करते हैं, सारे शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, भवन किराये पर लेते हैं और अधिक समय लगने के कारण कठिनाईयॉ आती हैं। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इसकी ओर ध्यान आकर्षित कर लें। मान्यवर, महाविद्यालयों के लिये पुराने अधिनियम के अनुसार कई एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, परन्तु महानगरों में चलने वाले पाठ्यक्रम इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, बी0सी0ए0 आदि के लिये केवल कुछ कमरों की आवश्यकता होती है, इसलिये अधिनियम में जहॉ आवश्यक हो, संशोधन कर लें।

मान्यवर, आगरा में आचार्य श्रीराम महाविद्यालय की स्थापना की गई है, गायत्री परिवार, जो बहुत बड़ा परिवार है, की जमीन पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ लेकिन 6 दिसम्बर, 2000 के आदेश से वहॉ सह शिक्षा घोषित की गई है। यह महिलाओं के लिये इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उसकी सह शिक्षा समाप्त कर दी जाय और इसे केवल महिलाओं के लिये ही रहने दिया जाय। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर)

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के मध्य टोकाटाकी किये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री आर्य राम शरण-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र तहसील सादाबाद में शासन का महाविद्यालय नहीं है। मेरे क्षेत्र के छात्र-छात्राए रोजना ईट भरे हुए ट्रकों और गैस सिलेण्डरों से भरे ट्रकों में बैठकर जाते हैं, पढ़ने के लिए महाविद्यालय जबकि तहसील अतरौली,खैर इगलाश, सिकन्दराउ, जलेसर सभी में हैं। मान्यवर, मैंने इस महाविद्यालय के लिए कल्याण सिंह के समय में 6 दिन की भूख हड़ताल भी की थी और उसके बाद 6 दिन की भूख हड़ताल मैंने राम प्रकाश गुप्ता के सामने महाविद्यालय के लिए की थी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि एक महाविद्यालय सादाबाद में छात्र-छात्राओं के लिए खोलने की कृपा करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे उच्च शिक्षा के बजट पर माननीय श्री मौर्य साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मान्यवर, उच्च शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है। आप जानते होंगे कि शिक्षा का स्तर दुनिया के देशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का काफी घट रहा है और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो उच्च शिक्षा के स्तर पर वैज्ञानिक बन करके हमारे लोग जाते हैं जो बहुत बड़े साहित्यकार बनकर के जाते हैं, खास करके वैज्ञानिक लोगों को वह वातावरण नही मिलता जो विदेशों में मिलता है और इसका नतीजा है कि प्रतिभा पलायन शुरू हो गया है और इससे करोड़ों रूपये की क्षति होती है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं मंत्री से गुजारिश करूँगा कि बड़े अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों ने टेलीविजन, बिजली, साइकिल, टी0वी0 की कोई खोज नहीं की और हिन्दुस्तान की जो व्यवस्था है जो यहाँ की मानने की थ्योरी है उसके आधार पर लैबोरेट्री में प्रयोग होते हैं जबकि मानने और जानने की शिक्षा में बहुत अन्तर है! मान्यवर, जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत ज्यादा पिछड़ता जा रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा और मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी विद्वत का विकास करना है, केवल किताबी ज्ञान को प्राप्त करके, डिग्री को प्राप्त करके हम शिक्षित हो गये हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद क्या वास्तव में हमारे जो छात्र निकलते हैं क्या वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस आस्पेक्ट पर हम बहुत नीचे हैं विदेशों के छात्र हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात की और गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आयीं लेकिन एक बात अपनी जगह सत्य है कि आबादी के साथ-साथ छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने एक भी शब्द

नहीं कहा कि उनकी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रवेश की समस्या को केसे हल करेंगे? विश्वविद्यालय बढ़ाये नहीं जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं उनमें कक्षाओं को बढ़ा नहीं रहे हैं और इनमें जो छात्रों की निर्धारित संख्या है उसे भी आप बढ़ा नहीं रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हम इस बजट के चलते, हम समुचित रूप से, समन्वित रूप से इस प्रदेश के रहने वाले छात्रों को प्रवेश दिला सकें और उनको शिक्षा प्रदान कर सकें। मुझे काफी अफसोस है कि इस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति और तरक्की नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी की कुछ बातों के लिए तारीफ अवश्य करूँगा, उन्होंने अनुशासन कायम करने की कोशिश की है इसलिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होनें सत्र को नियमित करने की कोशिश की है। इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन वही काफी नही है। अभी जो पाठ्यक्रम की बात हो रही थी इतिहास, सामाजिक विज्ञान और अन्य भाषाओं का क्या पाठ्यक्रम होगा, उससे हमारी राष्ट्रीय एकता भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकता मजबूत करने का जो मान्य सिद्धान्त है उससे अलग हट गये तो राष्ट्रीय एकता एकीकरण की भावना खत्म हो सकती हैं। संविधान में इस बात का विश्वास व्यक्त किया गया है कि हम धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त को अंगीगार करते हैं, सामाजिक सद्भाव को अंगीकार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस सिद्धान्त से अलग हटकर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। अधिक समय न लेकर माननीय मंत्री जी जो मेरे द्वारा सुझाव दिये गये हैं उन पर गौर करें, इन शब्दों के साथ माननीय मौर्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उच्च शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका भारी समर्थन करता हूँ। मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो शाक्य जी ने कहा है वस्तुस्थिति यह है कि गाँवों में डिग्री कालेजों की कमी झलकती है। मानक इतने ऊँचे हैं कि उसे पूरा करना बहुत कठिन है। 5 एकड़ जमीन का प्रावधान है। एक-एकड़ दो एकड़ जमीन भी हमे प्रधान नहीं दे सकते, ग्राम समाज नहीं दे सकती तो इन्स्टीट्यूटशन कहां से बन सकते है। यह बहुत कठिन है। मैं भी चाहता था कि अपने क्षेत्र में डिग्री कालेज खुले। 5 एकड़ जमीन का मिलना बहुत असम्भव हो रहा है। प्राबिडेन्ट फण्ड 4-5 लाख है। एक गॉव में एक हजार देने वाला कोई नहीं मिलता है। मेरा आप से निवेदन है कि इसको शिथिल करते हुये कैसे ज्यादा से ज्यादा डिग्री कालेज खुल सके और गॉव के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा से ही बालक में ज्ञान की पराकाष्ठा बनी रहती है, जब बालक आगे बढ़ता है तो वह डाक्टर, अध्यापक, अधिवक्ता, समाजसेवी व ऋषि-मुनि बनता है। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने राष्ट्रीय गौरव के इतिहास को पढ़ाने की बात है यह बहुत अच्छी बात है। आज सारा संसार भौतिकवाद में लिप्त है, हमारे ऋषि-मुनियों, महर्षि गौतम, वशिष्ट, भगवान राम, कृष्ण, यमुना, गंगा, कृष्णा,कावेरी, सिन्धु घाटी की सम्यता, मोहनजोदड़ो क्या है, के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अतीत काल में भारत जगत गुरू कहा जाता था। मान्यवर, उच्च शिक्षा यह सिखाती है कि-

जाना तूने जननी, जनक और भाई बन्धु,
खाना पीना जाना और आना जाना, जाना है,
सुख जाना, दु:ख जाना, अपना पराया जाना,
कुटुम्व कवीला सब, धीरे-धीरे जाना है,
लोभ जाना मोह जाना, ईर्ष्या और द्वेष जाना,
अपने अहं को तूने खूब पहिचाना है।
सब कुछ जाना पर खाक नहीं जाना,
यदि वाको न जाना, अब जाके पास जाना है।

मान्यवर, उच्च शिक्षा ही परमतत्व पर पहुँचाती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं इन्द्रिया शिथिल हो जाती है तो न कोई आई0ए0एस0, न नेता, न प्रधानमंत्री, न डाक्टर, वह केवल आत्मतत्व को पहिचान चाहता है। इसलिए कहा गया है कि-

तात मिले पुनि मातु मिल सुख भ्रात मिले युवती सुखदा
राज मिले, गज वाजि मिले, सब साजि मिले मन वांछित पाई,
लोक मिले, परलोक मिले, स्वर लोक मिले वैकुण्ठ को जाई,
सुन्दर भाग मिले सबहीं पर संत समागम दुर्लभ भाई।।

मान्यवर, उच्च शिक्षा को सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। हम विश्वबन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं वे लोग जो बड़े-बड़े पदों पर आसीन हैं उनमें जब तक भ्रष्टाचार और अहंकार नहीं जायेगा तब तक वह दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित नहीं कर पायेगे। इसलिए उच्च शिक्षा के ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस बज़ट का समर्थन करता हूँ।

श्री भगवती प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उच्च शिक्षा विभाग के बजट पर माननीय मौर्या जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने पर अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वजट प्रस्तुत किया है उससे यह प्रदर्शित होता है कि उच्च शिक्षा में बदलाव की उनके दिन में बड़ी इच्छा है। उन्होंने इसके लिए जो प्रयास किये हैं वास्तव में वह सराहनीय हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कुछ बिन्दुओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मान्यवर, इस देश में उच्च शिक्षा में सुधार क्यो संभव नहीं हैं क्यों कि इस देश में व्यक्ति बाद है उसकी जाति पहले चलती है। इस देश में जाति के कारण ही तमाम योग्य लोगों को अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। मान्यवर, जितने भी डिग्रीकालेज हैं उनमें हमारे दलित समाज और पिछड़े वर्गो के शिक्षकों की संख्या नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है।मैं माननीय मंत्री जी का ध्या आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन महापुरूषों ने सेवा, समता, न्याय पर आधरित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयास किया उनके नाम के पाठ्य जुड़वाने का कष्ट करें जैसे महात्मा फूले छत्रपति साहू जी महाराज, डा0 भीमराव अम्बेदकर, स्वामी अकूनानन्द सन्त रविदास, सन्त कबीर, सन्त गाडगे ने समाज में समता और बन्धुता फैलाने का प्रयास किया था, हमारा देश और प्रदेश किसी चीज में कम नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि डिग्रीकालेजों में जो आरक्षण का कोटा निर्धारित है उसके अनुसार कहीं भी दलितों और पिछड़ी जातियों को उनमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसे लागू कराकर पूरा कराने का प्रयास करें।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कानपुर नगर से रसूलाबाद तहसील मुख्यालय लगभग 80 किलोमीटर दूर है और बिल्हौर मुख्यालय लगभग 60 किलोमीटर दूर है। गरीबी के कारण किसान और मजदूर के बच्चे कानपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आ पाते। रसूलाबाद तहसील मुख्यालय और बिल्हौर तहसील मुख्यालय दोनों तहसीलों में कोई डिग्री कालेज नहीं है। मान्यवर, राजकीय डिग्री कालेज दोनों तहसीलों में खोलने के लिए प्रयास किया जाये। मान्यवर, इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं माननीय मौर्या जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री वसीम अहमद-

अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मौर्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं खड़ा हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रयास की बात की है, शिक्षा सत्र को नियमित किया है उसके लिए स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मौर्या जी ने जो कहा कि फीस को बढ़ाकर किसान के बेटे को और मजदूर के बेटे को रोकने का काम किया गया है, ताकि उच्च शिक्षा न मिल सके। डिग्री कालेज में टीचर्स बढ़ाये नहीं जा रहे हैं छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्लासेज बढ़ाये नहीं जा रहे हैं और कहा जा

रहा है कि कम से कम छात्र पढ़ने पाये। इसलिए जितने टीचर्स है उसी के हिसाब से शिक्षक दिया जायें। मान्यवर, पूर्वाचल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक शिवली कालेज आजमगढ़ में है। वहां इवनिंग क्लास के नाम पर 800 रूपये की जगह 2000 रूपये पढ़ाने की फीस थी। इक्स्ट्रा क्लास चलाकर टीचर को पैसा देकर पढ़ाने का काम किया जा रहा था, सब कुछ समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, आज नौजवान पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार रोकने का काम करती है और जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आज अनुशासन की बात हो रही है। अनुशासन किस तरह से होता है मेरे जैसे एक खिलाड़ी का सुझाव है और खिलाड़ी होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि खेल जगत से शिक्षा को जोड़ दिया जाये। जो सरकारें नहीं सोच रही है। मैं एक बात बीच में रखना चाहता हूँ कि सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि जो 82 से पहले शारीरिक शिक्षक रखे जाते थे, डिग्री कालेजों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए,लेकिन 82 के बाद लेक्चरर ग्रेड खत्म कर दिया गया। क्वालिफिकेशन एम0पी0एड0 कर दी गई। मान्यवर मेरे जैसा एक एम0पी0एड0 को प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी से वंचित रहा मानक न बनने के कारण आज तक मानक नही रहा। मान्यवर आज एम0पी0 एड0 करके बच्चे सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं और ऐसी दशा में उनको सुधारने का प्रयास करें और उन बच्चों को खेल से जोड़ दिया जाये जो खिलाड़ी हैं। उनमें अनुशासन पैदा होगा। इसी के साथ जो आपने नेट और सेट की बात कही है। प्रदेश में नेट की परीक्षा जल्द से जल्द करायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रयास का समर्थन करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उच्च शिक्षा के बजट पर अपने विचार रखने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूँ। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है। शिक्षा का मतलब मात्र किताबी शिक्षा नहीं है। वही व्यक्ति शिक्षित कहा जायगा जो सामाजिक परिस्थितियों में समाज के व्यक्तियों में समता के आधार पर व्यवहार करे और मानव-मानव को बराबर समझे और समता के आधार पर जीवन यापन करे। आज जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है वह अपने को समाज में प्रतिष्ठित करना है न कि दूसरों की सेवा करना। इंसान से इंसान का भाईचारा रखने के लिये शिक्षा की आवश्यकता है लेकिन आज हम शिक्षा के असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। हमारे भगवती साहब ने अभी अपनी बात रखी आज समाज में समरसता होनी चाहिये। जिस आधार पर सामाजिक आधार पर बराबर की भागीदारी होनी चाहिये वह नहीं हुयी है और कुछ लोग अपने को योग्य समझकर दूसरों के शोषण का कार्य कर रहे हैं। समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिये और ऐसा पाठ्यक्रम लाना चाहिये जिससे लोग इंसान को इसांन समझ सकें। जातीय आधार पर जो लोगों को शिक्षा से बंचित करने का काम किया गया है वह दूर किया जाना चाहिये। इसी तरह से नारी को तमाम किताबों में शिक्षा से अलग करने की बात कही गयी है।

मैं धन्य मानता हूँ सावित्री वाई फुले को जिन्होंने अपमानित होकर भी नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और नारी शिक्षा को उत्थान दिया। मान्यवर, सावित्री वाई फुले के नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया जाय और प्रतियोगिता के जरिये किसी मेधावी छात्रा को यह पुरस्कार दिया जाय। मान्यवर, शिक्षा का जो बजट है, दुर्भाग्य की बात है कि जबसे माननीय राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ओम प्रकाश सिंह जी के विभागों के बजटों में कटौतीकर दी है। यह आपस की प्रतिद्वंदिता है। पी0डब्लू0डी0, सिंचाई, उच्च शिक्षा के बजट में कटौती की गयी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश सिंह जी के बजट में कटौती करने का काम न करें बल्कि इसको बढ़ाने का काम किया जाना चाहिये।

आज प्रदेश में जनसंख्या बृद्धि हो रही है हमें महाविद्यालयों की आवश्यकता है हमें विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है इसको बढ़ाए जाने की दिशा में कार्य होना चाहिए लेकिन एक भी महाविद्यालय की स्थापना का इस बजट पुस्तिका में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं जहॉ पर इसके लिए शिक्षा के प्रसार के लिए व्यवस्था नहीं है ऐसे क्षेत्रों में नए महाविद्यालय खोलने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ टांडा अम्बेडकर नगर में एक महाविद्यालय लड़कियों के

लिए स्थापित करने की मांग करता हूँ। राजकीय महाविद्यालय की मांग करता हूँ। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महाविद्यालय निजी क्षेत्र में खोले जायगे इसके लिए प्राभूत राशि में कमी करने का काम किया है।

पदेश में पिछले साल प्राभूत राशि कला संकाय के लिए ढाई लाख रूपए थी उसको बढ़ाकर 4 लाख रूपए कर दिया केवल बुन्देलखण्ड को 4 लाख से मुक्ति देकर ढाई लाख किया। पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र पूर्वांचल है वहां के लोगों को कोई राहत देने का काम मंत्री जी ने नहीं किया है पूर्वांचल के लोगों का क्या पाप है। उन्होंने क्या गलत काम किया है। आपने बुन्देलखण्ड में नए महाविद्यालय खोलने का अवसर दिया है प्राभूत राशि को घटाने का काम किया है वही स्थिति पूर्वांचल के लोगों की है अत: मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्वांचल में निजी क्षेत्र में जो महाविद्यालय स्थापित हों उसमे प्राभूत राशि ढाई लाख रूपए रखी जाए। मैं इसके लिए मंत्री जी की सराहना जरूर करूँगा कि उन्होने छात्रसंघों के चुनाव पर कुछ अंकुश लगाने का काम किया हे मैं यह भी मांग करना चाहता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया जाए। छात्रों को विद्यालयों में मॉ-बाप पढ़ने के लिए भेजता है कोई राजनीति सीखने के लिए नहीं भेजता है इसी तरह से मैं चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए बजट में और अधिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समाज को शिक्षित बनाने का काम हो सके। राष्ट्रीय गौरव के नाम पर हम केवल ढपोर शंखी शिक्षा सिखाने का काम न करे। सामाजिक जीवन में एकरूपता लाने के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था हो तो बड़ा सुखद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उच्च शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस सदन का यह परम सौभाग्य है कि उच्च शिक्षा पर जिस व्यक्ति ने आज बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है यही नहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन के काम का भी वर्षो का अनुभव रहा है। दूसरी तरफ कटौती का प्रस्ताव रखने वाले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अत्यन्त विद्वान और गुणी सदस्य हैं। दर्शन शास्त्र की बातें दोनो तरफ से हुई। मंत्री जी बहुत बड़े दार्शनिक है, व मौर्य जी भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं। मंत्री जी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, यह पूरा प्रदेश जानता है। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। वर्मा जी ने पूर्वांचल में कोई महाविद्यालय नहीं खोलने की बात कही श्री वर्मा जी अपना भूगोल ठीक कर लें चुनार जनपद मिर्जापुर म आता है वह पूर्वांचल क्षेत्र में ही है।

मान्यवर, चेरिटी बिगिन्स एट होम। यहॉ चैतन्य की बात की गई, जातिवादी की बात की गई। हमारे भारत की संस्कृति कहती है विद्या वह है जो मुक्त करती है पर मुझे लगता है उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी मुक्त नहीं बद्ध हो रहे हैं! हर बात में लोगों की जातिवाद की बू आती है। अभी उच्च शिक्षा के पदों के चयन के लिए एक सुझाव मौर्या जी ने दिया कि वहॉ वर्ग विशेष का व्यक्ति भी चयन समिति में होना चाहिए लेकिन मै उनसे भी एक कदम आगे जाना चाहता हूँ अल्पसंख्यक भी होने चाहिए उसमें फिर ईसाई, एक बौद्ध एक मुस्लिम, एक सिख होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति में एक चमार, एक सोनकर यानी सारी जातियॉ होनी चाहिए। यह बद्ध लोग बोल रहे हैं शिक्षा तो मुक्त करती है। शिक्षा तो शिक्षा होनी चाहिए जनक की सभा में अष्टावक्र मुनि द्वारा कहा गया कि तुम सभी वही हो जो नहीं होने चाहिए क्योंकि तुम्हारी नजर चमड़े तक है। यह सारे लोग देश को रसातल में ले जाने वाले है जिनकी सारी नीति, राजनीति जातिवाद पर टिकी है और उच्च शिक्षा की बात करते हैं। यह शर्म की बात है।

मान्यवर, किसी को शिकायत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि माननीय उच्च शिक्षा मत्री जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें भी चिंता होगी। मेरा कहना है कि जिस देश में योग्यता का अपमान होगा, पुरुषार्थ का

अपमान हो पराक्रम का अपमान होगा वह देश वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकेगा जहॉ जिन देशों में योग्यता, शिक्षा, पराक्रम, पुरूषार्थ का सम्मान होता है वे देश आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस कटघरे से बाहर आये। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सत्रों का विनियमितीकरण हुआ यह कहने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। नकल की प्रवृत्ति घटी है नकल पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई गई है इसको स्वीकार करना चाहिए। मगर एक बात अतिश्योक्ति की हो गई। मैं अभी देखकर आया हूँ आज कि गैस पेपर बिक्री पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातक स्तर पर खुलेआम हो रही है। थर्टी क्विश्चन्स ऐट-ए ग्लांस खुले आम बिकता हुआ देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगे अध्यापक कोचिंग क्लासेज चला रहे हैं जिस प्रकार से चिकित्सको पर प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाई नहीं जा सकी। मैं उच्च शिक्षा मंत्री से आग्रह करूँगा कि इस क्षेत्र में कठोर कदम उठाये जाने चाहिए जिससे इस प्रवृत्ति पर रोक लग सके। बहुत से विद्यालय और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शुरू हो गये हैं लेकिन कई विश्व विद्यालय और महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के लालच में धन कमाने के लिए कई प्रकार के कोर्सेज खोल रहे हैं। मैं झांसी का उदाहरण देना चाहता हूँ, वहाँ विश्वविद्यालय में उपाधियॉ बॉटी जा रही है पैसा लेकर जिनका एक भी कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है। छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है। शिक्षको के लिए जो रिक्त स्थान हैं विश्वविद्यालयों की बात हो रही थी केवल स्नातकोत्तर और महाविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ शिक्षको के स्थान आज भी रिक्त पड़े हैं। आप स्वयं सोचे कि इन विषयो की पढ़ाई में क्या ज्ञान मिलता होगा छात्रों को यह तो ईश्वर ही जाने। इसी तरह से अंशकालिक और एडहाक शिक्षकों का बहुत बड़ा वर्ग है और स्थान रिक्त हैं। यहाँ पर इन्होंने धरना दिया और मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार को थोड़ा अधिक सम्वेदनशील होना चाहिए था। यह लोग वर्षो से काम कर रहे थे, काम करने का अच्छा अनुभव था इनको। आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उनकी अर्हता, योग्यता वही है जिन लोगों को आप दोबारा रख रहे हैं। मान्यवर, स्वायत्तता की बात आई। स्वायत्तता का अर्थ है दैन-दिन के कार्यो में कोई अड़चन न डाले। इसका अर्थ स्वच्छता नहीं है। स्वच्छन्दता पर रोक लगनी चाहिये। मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां कुलपतियों ने अपने बाप की जागीर समझ रखा है और उसी प्रकार से चला रहे हैं लेकिन वहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि कृपा करके जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, केवल त्याग और दर्शन की बात न करें। सब मनुष्य एक जैसे हैं, एक तत्व हैं, ऐसी बात न करें। जरूर इसको अपने आचरण में भी उतारने की चेष्टा करें और मैं अपने मित्रों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जरा जातिवाद और वर्गवाद का चश्मा उतारकर देखें। शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो उसको सार्थक करते हुए मनुष्य को मनुष्य समझने की चेष्टा करें। (श्री लाल जी वर्मा के कुछ कहने पर) मैं आपकी व्यथा को समझ रहा हूँ वर्मा जी। यदि आप इस विषय को बार बार विधान सभा में नहीं कहेगें तो आपका हलुवा और माड़ा बन्द हो जायेगा। अपनी पार्टी से आपको निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान) मान्यवर, कितनी बड़ी ऋंखला है इस देश में महापुरूषों की। महात्मा बुद्ध भी प्रात: स्मरणीय आदर्श रहे हैं। ये महात्मा बुद्ध की चर्चा करते हैं। राम की चर्चा नहीं करते, कृष्ण की चर्चा नहीं करते, नानक की चर्चा नही करते, ईसा मसीह की चर्चा नहीं करते, मोहम्मद साहब की चर्चा नहीं करते, जीभ जल जायेगी इनकी. . .

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x]

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय मौर्या जी, अपना इतिहास दुरूस्त कर लें। राम जन्मभूमि अयोध्या में है। गलत तरीके से आक्रमण करके कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था लेकिन राम के उपासकों ने उस विवादित स्थल को जमीन के बराकर करके बताया। इनको राम का आदर्श नहीं पता है।

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री वसीम अहमद और डा0 वकार अहमद शाह सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। जिस तरह की बात कही गई है वह गलत है, इसको कार्यवाही से निकाला जाय। यह गलत बात यहां पर कही गई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई आपत्तिजनक बात करने की जरूरत नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

डंग साहब ने जो कुछ कहा शालीनता के साथ कहा, राजनीतिक सोच के साथ कहा। इन लोगों ने आपा खो दिया है, किसी बात को सहन करने की शक्ति नहीं है, इनको जरा समझाइये।

श्री अधिष्ठाता-

वसीम जी कृपया स्थान ग्रहण करें।

(सदस्यगण अपने स्थान पर चले गये)

शालीनतापूर्वक कोई आलोचना हो तो उसको करने में कोई बात नहीं है।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिवप्रताप शुक्ल)-

अभी तक कह रहे थे खेल के भाव से लीजिए, खिलाड़ी के भाव से लीजिए इतने पर ही खेल खिलाड़ी समाप्त हो गया।

श्री वसीम अहमद-

अभी हम लोग विधान सभा की कार्यवाहियों के लिए नासमझ हैं। हम इस तरह की बात करें यह समझा जा सकता है लेकिन इतने दिनों से यह विधान सभा की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं वह इस तरह की बात कहेंगे तो हम जैसे छोटे और नये लोग जो अभी आए हैं वह कैसे इसको समझने का काम करेंगे?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

मा0 सामान्य रुप से मेरे स्वभाव में नहीं है किसी बात के बीच में बोलना, लेकिन आज सहनशक्ति से बाहर हो गया, हम यहां बैठकर सुनें कि [x x x] यह करोड़ो लोगों की भावना उनकी आत्मा से जुड़ा बिन्दु है इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें। इसे सहन करने की शक्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

[x x x] यह डाक्टर तो हैं नहीं, दूसरी चीज इनको खीर दिखाई दी इन्होंने जो कहा, कि [x x x] इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

(व्यवधान)

निश्चित रुप से इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

श्री लाल जी वर्मा-

[x x x] इसको फिर दोहरा रहा हूँ। यह कल्पना पर आधारित है। कल्पना के रास्ते पर चलना है, इसलिए इनसे वरदाश्त नहीं हुआ।

(व्यवधान)

हम दलित समाज को, पिछड़े समाज को जो हजारों साल से शोषित करने का काम किया गया।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

[x x x] इस बात को कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

कार्यवाही को आप दिखवा लीजिएगा।

श्री रामऔतार शाक्य-

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी स्थान ग्रहण करें।

श्री लालजी वर्मा-

आपका कोई विचार हो सकता है लेकिन हमारा भी एक विचार है।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

सदन में आपस की बातचीत करने में ध्यान रखना पड़ा है। आपस में बातचीत करते समय विचार रखते समय, पक्ष और विपक्ष परस्पर एक दूसरे से बात कहते हैं। कभी असावधानीवश ऐसी चीजें निकलती हैं जो करोड़ो लोगों की भावना को आहत करती हैं। [x x x] यह प्रश्न नहीं है, शोध करने का विषय नहीं है, इसके तथ्य, सत्य प्रमाणित हो चुके हैं कि श्री राम अयोध्या में जन्मे थे। यह तथ्य सत्य हैं। मैं मौर्या जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से आपत्ति करने से तथ्य और सत्य का अपमान होता है।

(व्यवधान)

करोड़ों आत्माएं आहत होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह कहना उचित नहीं होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसको दिखवा लूँगा। अगर इसमें आक्षेपात्मक अंश होंगे तो उसको निकलवा दूँगा।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य कार्यवाही चली)

आप लोग कृपया शांत रहें और सदन का समय जाया न करें। स्वयं व्यवस्था बनाये रखें। पीठ को आदेशित न करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 अरविन्द कुमार जैन)-

मान्यवर, अब क्या रह गया है इनको बोलने के लिए।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया शांत रहें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कोई भी हो चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो उसे पूर्वाग्रह या दुराग्रह न हो। भगवान राम का नाम लिया गया था। नेता बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य-

इनके नेता के नाम के आगे राम लगा हुआ है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

बात यहीं से प्रारम्भ हुई कि मैंने भगवान राम का नाम लिया।

(शोर शराबा से व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x]

यह बात मैं नहीं बाल्मिकि रामायण कहती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी आप कृपया शांत रहे और माननीय सदस्य भी कृपया शांत रहे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x]

डा0 सरजीत सिंह डंग-

भगवान राम की कृपा से मान्यवर इनका गला बढ़िया है। इनके जो सर्वोच्च नेता हैं उनके नाम के आगे राम लिखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी आप इतने अनुभवी हैं इतने विद्वान हैं सदन को व्यवस्थित रखने में कृपया सहयोग दें। कोई इस तरह का भाषण, कोई इस तरह की बात न करें जिससे वातावरण उत्तेजनात्मक बने जिससे सदन अव्यवस्थित हो यह मैं सभी वरिष्ठ सदस्यों और दलों के माननीय नेताओं से अनुरोध कर रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उधर से भी अपेक्षा रखिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दलों के नेताओं से और सदस्यों से यह कहना चाहता हूँ कि सदन के भीतर इस तरह की कोई बात, हो सकती है, वह संसदीय भाषा हो, लेकिन उत्तेजनात्मक परिस्थिति में कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाये। जितने अच्छे माहौल में सदन चल रहा था उसी खुशी और प्रसन्नता के माहौल में सदन के आगे के कार्यकलापों को सम्पादित करने में आप सबका सहयोग होना चाहिये।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं समाप्त तो कर दूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

क्या माननीय डंग जी के लिये दूसरा समय है और दूसरे सदस्यों के लिए दूसरा समय है? क्या यह छूट दे रखी है कि चाहे जितना समय चाहें बोल लें?

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राम तेज जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ' मै उनको भी नियंत्रित कर रहा हूँ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में और इस सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूव कार्य किया है और भविष्य की योजनायें दी हैं वह सबके सामने रख दी। जितनी कमियां नजर आयी हैं और सुझाव हैं वह मैंने मान्यवर निवेदित कर दिये हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पिछले 2 वर्षो से मैं विधि की स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए हमारे यहां दो स्नातकोत्तर विद्यालय हैं हम प्रयत्न कर रहे हैं मिर्जापुर नगर में स्थित दोनों महाविद्यालयों में किसी में विधि की स्नातक की पढ़ाई कृपया प्रारम्भ कराने का कष्ट करें। मान्यवर, आज मुझे कष्ट हो रहा है कि विद्वान लोग भी कभी-कभी भावनाओं में आ जाते हैं। लेकिन जो भी यहां बैठे हैं अधिकांश राम का नाम है वह संसार से विदा लेते समय वह सत्य के साथ विदा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, जो यह स्नातक स्तर पर तीन साल का कोर्स चल रहा है इसे खत्म किया जाये, पूर्व व्यवस्था लागू हो। जो बी0ए0बी0एस0सी0 गरीब छात्र करते है उनको तीन साल का कोर्स करना पड़ता है। जो आज अनुशासन की बात कही गयी है। उच्च शिक्षा में अनुशासन की बात लागू होनी चाहिए माननीय डंग साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं बहुत सी बाते कहीं उन्हें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मौर्य जी आप अपनी बात कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को यह सुझाव देते हुए कि चूँकि आपकी मंशा उच्च शिक्षा में सुधार करने की है, प्रयासरत भी है, आपने अनुशासन की बात की, सत्र को नियमित करने की बात की वह स्वागत योग्य है। इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि संविधान में तो निशुल्क शिक्षा की मंशा जाहिर की गयी है लेकिन अगर हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिससे कि कमजोर घर के बच्चे भी पढ़ सके। फीस इतनी सस्ती होनी चाहिए कि आम आदमी भी शिक्षा ग्रहण कर सके इसी के साथ-साथ नीयत अगर साफ हैं तो हमें अपनी प्रतिभा पर भरोसा है हम कहीं पीछे नहीं रहेगें। मान्यवर, चूँकि समायोजन करने वालों की नीयत में कही खोट रहा है इसलिए संविधान में भी आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी और वहाँ जो संविधान बनाने वाले लोग थे वह बड़े विद्वान लोग थे उनमें डा0 राजेन्द्र प्रसाद थे, डॉ0 अम्बेडकर भी थे और उसी तरीके से उसमें बहुतेरे विद्वान थे, उनकी मंशा से यह प्रावीजन किया गया था। इसलिये मैं चाहूँगा कि उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, राजकीय डिग्री कालेजों में मान्यताप्राप्त डिग्रीकालेजों में जो भी लेक्चरर, रीडर के पद होते हैं, प्रोफेसर के पद होते हैं इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था इसलिये किया जाना चाहिए क्योंकि समायोजन करने वालों की नीयत में खोट है।

इसलिये संविधान की व्यवस्था के अनुसार उनको यह अधिकार मुहैया कराना चाहिए। इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह 16 करोड़ की आवादी पार कर गया लेकिन उसके अनुपात में विश्वविद्यालयों की संख्या, डिग्रीकालेजों की संख्या नहीं बढ़ी। छोटा सा प्रदेश है तमिलनाडु और वहाँ लगभग 24 विश्वविद्यालय हैं और हमारा उस तमिलनाडु का चार गुना बड़ा प्रदेश है यहाँ पर लगभग

30 विश्वविद्यालय है तो मैं चाहूँगा कि यदि शिक्षायुक्त इस प्रदेश को बनाना चाहते हैं आप वाकई में शिक्षित वर्ग को तैयार करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालयों की वृद्धि करें, डिग्रीकालेजों की वृद्धि करें और साथ ही साथ मान्यवर, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार किया जाय।

मान्यवर, उच्च शिक्षा में यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो पहले उच्च शिक्षा के स्तर पर रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिससे बेरोजगारों की संख्या न बढ़ सके। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसलिये डिग्री कालेजों में विश्वविद्यालयों में यह प्रयास किया जाय कि उनकी उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिये, जिससे वह परीक्षा में बैठने लायक हो सकें। इसी तरह से, आपने रैगिंग पर रोक लगाने की बात कही, मैं उसका स्वागत करता हूँ। छात्रों से जब हम अनुशासन की अपेक्षा करते हैं तो वहीं पर प्राध्यापक वर्ग ने जो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में कर दिया है, उस पर भी अंकुश लगाने का कष्ट करें। इसी तरह से परीक्षा प्रणाली में वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त आन्तरिक परीक्षा का भी प्राविधान करें, जैसे छोटी कक्षाओं में हाफ ईयरली इक्जाम होता है, उसी प्रकार आन्तरिक परीक्षा हो, उसके भी 40 फीसदी मार्क्स कम से कम वार्षिक परीक्षा में जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

इसी तरह से जैसा कि छात्र और अध्यापक में जो रेशियों होना चाहिये, बच्चों की संख्या अध्यापक की संख्या जो होनी चाहिये, प्रयास किया जाय कि उसमें भी सुधार हो जाय। इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि बीच-बीच में कुछ अंतराल देते हुये जो अध्यापक हैं, उनकी क्षमता का आंकलन भी करते रहना चाहिये, जिससे कि शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता न हो, क्योंकि वह बीच में कोई दूसरा धंधा करने लग जाते हैं। इसी तरह से माननीय मंत्री जी आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रयास होना चाहिये कि प्रत्येक अध्यापक की एक अपनी लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी स्थापित करने के लिये सरकार को अनुदान का सहयोग करना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह-

यदि आप कहीं संयोग से प्रोफेसर होते तो यह बात निश्चित है कि उस क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

एक मेरा सुझाव और है कि विभागों के जो विभागाध्यक्ष होते हैं, उनके पद का सृजन चक्रानुसार होना चाहिये। केवल सीनियरिटी के आधार पर कर दिया जाता है, अगर हेड आफ डिपार्टमेंट ठीक नहीं हुआ तो वह 20 साल तक जबरदस्ती चलता रहता है। इसलिये 3 साल 4 साल अवधि के लिये हेड आफ डिपार्टमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूँ, यद्यपि आपने अपने बजट भाषण में उस मंशा को जाहिर किया है कि डिग्री कालेज और महाविद्यालयों में अध्यापकों को कोचिंग नहीं करने दिया जायेगा, आप इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाइये। इसके साथ ही साथ, जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा होती है उसमें प्राध्यापक जानबूझकर कम नं0 किसी को दे देते हैं, किसी को ज्यादा दे देते हैं। इसलिये आप ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित कीजिये कि कुछ पर्टीकुलर मार्क्स हों, उससे ज्यादा देने का अधिकार अध्यापक को न हो। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में किया गया है। इसी तरह से माननीय डंग साहब ने उपाधियॉ बॉटे जाने की बात कही, यह बड़ा गंभीर मामला है, इस पर भी गौर करते हुये ध्यान दे लें। उपाधियॉ लेने वाले लोग कौन हैं, जो सरसब्ज लोग हैं, हर प्रकार से सम्पन्न लोग हैं, वाकई में यह बीमारी है, उस पर अंकुश लगाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये उम्मीद करता हूँ कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी उच्च शिक्षा में सुधार के लिये कुछ कारगर कदम उठायेगें। इसके साथ ही साथ मैं अपने

तमाम साथियों, चाहे वह सत्ता पक्ष से हों, चाहे विपक्ष के हों, कटौती प्रस्ताव पर बल दिये हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्वागत किया उच्च शिक्षा के बजट का उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कटौती के प्रस्ताव पर ही बल दिया है। इसलिए उन सभी लोगों को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ चूंकि उच्च शिक्षा के मामले में सभी माननीय सदस्य के जैसे विचार हैं इसलिए शिक्षा के नामपर केवल डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे गम्भीरता से करना चाहिए और जब तक वैज्ञानिक शोध नहीं होंगे तब तक दकियानूसी विचारों से देश का कल्याण होने वाला नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं सभी उन सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने भाग लेकर चर्चा में या उपस्थित होकर के अपने सुझाव दिए हैं या सुझावों को समर्थन दिया है; उन सबकेप्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मौर्य जी के प्रति विशेष रूप से कि उन्होंने चर्चा को काफी सरस बनाया और एक समय तो ऐसा लगा मान्यवर, और एक पुरानी घटना की याद आ गयी कि विद्योतमा और कालीदास की चर्चा कैसी रही होगी? उसका कुछ आभास हुआ। हम चले थे ज्ञान की चर्चा करने, बड़ी ऊँची बातें करने लेकिन कहीं न कहीं हम अज्ञानता में उलझ गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी क्या अपने को विद्योतत्मा साबित करना चाहते हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, चाहे वह राम हों या ईसा हों, बुद्ध या महाबीर हों, मुहम्मद साहब हों या कोई हों, आज हमने पढ़ा है किसी ने देखा नहीं है। आध्यात्मिक विषय विश्वास का है, आस्था का है, तन्त्र का नहीं है यदि उससे हम धार्मिक विषयों की पुष्टि कर लेंगे तो उसे हम सिद्ध भी नहीं कर पायेंगे कि जो कुछ कहा गया है, जो मुहम्मद साहब ने कहा, जो ईसा ने कहा, जो महाबीर ने कहा और जो शास्त्रों ने कहा कि कहीं-कहीं हम दूसरों को पीड़ा पहुँचाते हैं और भावनात्मक कष्ट पहुँचाना भी हिंसा है, किसी भी भावना को ठेस पहुँचाना हिंसा है। वैज्ञानिक तर्कों पर उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईसा के अस्तित्व को वैज्ञानिक आधार पर तर्क नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि ईसा का जन्म कैसे हुआ, इसलिए यह विश्वास का प्रश्न है। यदि हम इसको विवाद का विषय बनाये कि राम, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, और कहें कि भारत और भरत हुए कि नहीं हुए और कल लोग कहेंगे कि बुद्ध हुए कि नहीं हुए, आध्यात्म का यह विषय विश्वास से प्रतिपादित होता है। इसलिए अलग-अलग विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं। बड़े महापुरुषों का स्मरण हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान दिया है और उन्होंने हमें समर्थ बनाया है।यह हम सब की शिक्षा की सार्थकता है। मान्यवर, बहुत सी बातें कहीं गयीं लेकिन कुछ बातों का जवाब जरूरी है लेकिन बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होना उचित है, समय लगेगा, सबको मिल करके परिवर्तन करना पड़ेगा। आविष्कार विदेशों में हुए, माननीय शाक्य जी ने कहा, हम आविष्कार उस महाभारत को मानें जो अविष्कार उस समय था, संजय जो बहुत दूर बैठकर सारी घटना का बयान कर रहे थे, यह ऐसा अविष्कार है जो विदेशों में नहीं हुआ। दुर्भाग्य से यह ज्ञानी गुरु देश जब गुलाम था विकृतियों में जकड़ा हुआ था, सदियों तक हम गुलाम थे, विज्ञान हमारा अवरुद्ध हो गया था। महाभारत में लुप्त हो गया उसे फिर विकसित करना चाहिए। उच्च शिक्षा को विकसित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में खेलकूद की बात कही गयी, हम सुधार कर रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों में खेल के मैदान है परन्तु खेल नहीं होता। जब हम छठवीं कक्षा में पढ़ते थे तो कालेज के प्रिंसिपल भी 6.00 बजे विद्यालय में खेलने के लिए आ जाते थे, अब न कोई खेलता है न ही मैदान पर जाता है क्योंकि हर व्यक्ति ऊपर से नीचे तक राजनीति के खेल में लगा हुआ है, चाहे शिक्षक हों या राजनीतिज्ञ हों, चाहे जातिवाद के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर हो। मान्यवर, एक बात कही गई कि छात्र संघ अगर रहा है तो संगठन नहीं कर रहा है। पठन पाठन को उच्चस्तरीय बनाने के लिए

कुछ नियम बनाये गये जिससे डिग्री केवल कागजी न हो, ज्ञानयुक्त हो इसलिए यह सब चीजें हो रही हैं। उच्च शिक्षा हतोत्साहित नहीं हो रही है। आरक्षण की बात आयी।

मान्यवर, आरक्षण लागू हैं। गरीबों, वंचितों, अनुसूचित जातियों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा है, फीस वृद्धि से 13 करोड़ रूपया केवल उच्च शिक्षा विभाग से स्कालरशिप के रुप में गरीबों, अनुसूचित जातियों, पीड़ितों को दिया जाता हैं तो ऐसे वर्गो को आर्थिक कारण से कोई कठिनाई नहीं है। जितने विश्वविद्यालय हैं वह सब स्वायत्तशासी हैं वह अपनी फीस निर्धारित करते हैं, हर विश्वविद्यालय का फीस अलग-अलग है। शासन की तरफ से जो 11 से 15 रुपये स्वतन्त्रता के पहले से है वही आज तक है। क्या यह भी आर्थिक नीति के अनुसार तर्कसंगत मानेंगें। तीसरी पीढ़ी जो फीस देकर पढ़ी थी वही फीस देकर वर्तमान पीढ़ी पढ़ रही है। फीस के कारण ये लोग शिक्षा से वंचित हो, ऐसा नहीं है, समाज कल्याण विभाग भी बहुत कुछ देता है। यह कहा गया कि फीस के कारण से सबको उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है यह तथ्यपरक नहीं है। जहॉ तक विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या और बढ़ती आबादी की बात है, एक खुला विश्वविद्यालय इसी सरकार ने इलाहाबाद में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नाम से स्थापित किया है जो कोई डिग्री चाहता है, नाम लिखा ले, पत्राचार के द्वारा पढ़ाई कर सकता है। उसकी फीस भी ज्यादा नहीं है।

मान्यवर, यह सिद्ध करती है कि इस सरकार की मंशा सबको शिक्षा देने की है, उच्च शिक्षा देने की है। मैं कहना चाहूँगा कि इस ओर संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है उसमें जितने लोग एडमीशन लेना चाहते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है। यह व्यवस्था इस सरकार ने की है इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। जिनको विश्वविद्यालयों/डिग्री कालेजों में जगह नहीं मिल पा रही थी वह वहां एडमीशन लेकर डिग्री ले लें। उसका समान महत्व है। स्नातकोत्तर कक्षाओं की बात की गयी। 12 महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं की स्वीकृति दी गयी और निजी क्षेत्र में जो भी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करके मॉग रहा है सबको दिया जा रहा है। सम्बद्धता की पत्रावलियां उच्च प्राथमिकता से निस्तारित की जा रही हैं। जून अन्तिम तिथि है कोई भी पत्रावली सम्बद्धता की शासन में नहीं रहेगी, ज्यों ही आवश्यकता पूर्ण हो रही है दे दी जा रही है। "नेट" और "सेट" की बात की गयी। "नेट" राष्ट्रीय परीक्षा है और उसके पेपर सेट बाहर के हैं। दिल्ली के हैं, हमारे लड़कों की शिक्षा कम हुई है लेकिन उनका भाषा ज्ञान इतना नहीं कि वह चयन आयोग का कम्पटीशन कम्पटीट कर सकें इसलिए वह कम्पटीट नहीं कर पाते हैं। चयन आयोग के सामने यह समस्या है कि उत्तर प्रदेश के छात्र कैसे प्रवक्ता नियुक्त हो सकें। इस वर्ष दिसम्बर से पहले यह परीक्षा अवश्य करा ली जायेगी जिससे उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के ही छात्र प्रवक्ता नियुक्त हो सकें। माननीय मौर्या जी ने अभी बताया है कि आरक्षण सीटों पर आरक्षित वर्ग से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं तो बताना चाहता हूँ कि आरक्षित सीटें आरक्षण के कोटे से ही भरी जा रही हैं। चयन आयोग के द्वारा इस पर पुर्नर्विचार किया जा रहा है जो मेरिटोरियस छात्र हैं वह कम्पटीट नहीं कर पा रहें हैं इसलिए हमने एक समित बनाने का निर्णय लिया है, कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय इस पर विचार करेगें।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो मानदेय शिक्षक हैं उनको आमंत्रित किया गया है और उनको 5 परसेन्ट की छूट दी गयी है, हो सकता हैं कि कुछ मानदेय शिक्षक छूट गये हो, एक बात आपने और कहीं है डा0 देशदीपक की रीडर के पद पर नियुक्ति के बारे में कहा गया है। चयन के लिए इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर आए थे उन्होंने कहा कि देशदीपक का शोध पत्र इतना उच्चकोटि का है कि योग्यताओं को शिथिल करते हुए रीडर पद पर नियुक्त कर लिया जाय, लेकिन शासन इससे संतुष्ट नहीं हुआ इस पर दूसरे सदन में चर्चा भी हुई। इसे कुलाधिपति को हमने इसको सन्दर्भित कर दिया है वहीं निर्णय लेंगे क्योंकि अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उन्ही का है। आपने एक बात कही कि राष्ट्रीय गौरव के नाम पर विकृति न आये। मैं

कहना चाहता हूँ कि हम इसमें ऐसा विषय डालने वाले नहीं हैं जिसपर रंचमात्र विवाद हो सके। पूर्णरूप से अविवादित विषय इसमें रखे जायेंगे और फिर जैसे सुझाव आयेंगे उनके अनुसार इसमें जोड़ा जायेगा आप सहमत होंगे कि प्राचीन गौरवपूर्ण ज्ञान को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन वह ज्ञान जो विवादित है उसको इसमें शामिल नहीं किया जायेगा। मौर्यजी ने विश्वबन्धुत्व में बुद्ध की बात की और कहा कि यह वहीं से शुरू हुआ, यह उससे पहले भी था। ब्रिटेन जो लोकतंत्र का जन्मदाता है वहां की महिलाओं को क्लबों में जाने और वोट देने का अधिकार नहीं था।

मान्यवर, इस देश में नारी का जो सम्मान था वह दुनिया में किसी समाज में नहीं था। स्वयंबर रचाने की प्रक्रिया यहां थी जिसमें पुरूष जाता था और अपनी योग्यता का परिचय देता था, राजकुमारी जो कन्या है वह जाती थी और चुनाव करती थी। अपना पति चुनती थी। उस समय दहेज की परम्परा नहीं थी, स्त्रियों को जलाने की परम्परा नहीं थी यही एक देश ऐसा था जिसमें नारी को सम्मान दिया जाता है। यहां शक्ति, धन और ज्ञान में नारी को देवी के रूप में स्वीकार किया जाता है लेकिन बीच के पलों में यह विकृतियों से घिर गया इसलिए लोकतंत्र में ग्राम राज्य की बात सोची गयी उस समय ग्राम पूरी तरह से स्वायत्तशासी थे। जब दुनिया लोकतंत्र नहीं जानती थी अधिनायकवाद था तब हमारे यहां विश्व बन्धुत्व था। राम का नाम आता है उन्होंने एक अन्यायी के विरूद्ध कार्य किया लेकिन लंका को अयोध्या में नहीं मिलाया। यहां की परम्परा रही है, संस्कृति रही है उसी के अनुसार अवतार हुए। जब यह समाज दिग्भ्रमित होने लगा, पथभ्रष्ट होने लगा तो महापुरूषों ने जन्म लिया। सभी महापुरूष सर्वमान्य हैं इसलिए मैं स्पष्ट करते हुए इस बात को समाप्त करूँगा कि राष्ट्रीय गौरव के प्रश्न पर कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यह राष्ट्रीय हित का और वर्तमान हित का प्रश्न है इस पर किसी प्रकार के विवाद का सवाल नहीं उठता। मैं सभी को पुन: धन्यवाद देते हुए आग्रह करता हूँ कि कटौती के प्रस्ताव को माननीय मौर्या जी वापस ले लें और इस बजट को पास होने दें।

श्री अधिष्ठाता-

क्या माननीय मौर्या जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बहुत अच्छी बात कही है और मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेता लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी ने बजट में पहले की अपेक्षा खुद ही कटौती कर दिया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 4,33,72,72,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 22 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुयी :-

पहली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है, जो जनपद लखनऊ के ग्राम जमालनगर थाना काकोरी में खाद के गढ्ढों के लिए सुरक्षित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने संबंध में हैं वक्तव्य हेतु

स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है, जो बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी में यात्रियों की पूरी सुरक्षा व सुविधायें प्रदान करने हेतु मंदिर एवं गर्भ गृह के अन्दर होने वाली सभी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज करने एवं सुरक्षा की दृष्टि से क्लोज सर्किट टी0वी0 लगाये जाने संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री अरविन्द गिरी की है, जो जनपद लखीमपुर खीरी से निघासन थानान्तर्गत ग्राम मिर्जागंज में पुलिस संरक्षण में अल्पसंख्यकों की लूट एवं अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना श्री रूप चौधरी की है, जो प्रदेश में पुलिस से मिलीभगत करके कुख्यात अपराधियों के हिरासत से फरार होने के संबंध में हैं वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवी सूचना श्री लालजी वर्मा की है जो जनपद अम्बेडकर नगर में टाण्डा विद्युत केन्द्र से मुबारकपुर फीडर को विद्युत आपूर्ति हेतु 8 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफारमर लगाये जाने के संबंध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है जो प्रदेश के शस्त्र व्यवसायियों को बिक्री हेतु समुचित मात्रा में कारतूसों की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। सातवीं सूचना श्री रामकुमार एडवोकेट की है, जो उन्नाव में बैंक आफ बड़ौदा में दिन-दहाड़े हुयी डकैती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। आठवीं सूचना श्री हरपाल सिंह की है जो जनपद बुलन्दशहर के ग्राम-रामपुर बि[illegible]खण्ड-पहासु में काली नदी के तट पर पुल निर्माण के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। नौवीं सूचना डा0 पूर्णमासी पंकज की है, जो जनपद संत रविदास नगर भदोही में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन मार्ग पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है, जो जनपद बांदा में ग्राम जमालपुर के लेखपाल व कानूनगों द्वारा भू-माफियाओं से सांठ-गांठ कर गरीबों के घर गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। ग्यारहवीं सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है जो जनपद संत रविदास नगर भदोही विद्युत उपकेन्द्र कोइरौना (नारेपार) को चलाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। बारहवीं सूची श्री उदयराज यादव की है, जो प्रदेश में समूह "ग" की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो की नियुक्तियों में आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लघंन किये जाने के संबंध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तेरहवीं सूचना की ओकार सिंह की है, जो जनपद बदांयू में भूमि विकास बैंक सहसवान द्वारा किसानों को ऋण वितरण में धांधली कर उत्पीड़ित किये जाने के संबध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौदहवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है, जो प्रदेश में पूर्वाचल व बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा संचालित विकास योजनाओं को स्वीकृत किये जाने में विधान परिषद् व विधान सभा के माननीय सदस्यों को समान रूप से धन मात्राकृत किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पन्द्रहवीं सूचना श्री कैलाश यादव की है जो जनपद गाजीपुर के जमानियाँ क्षेत्रान्तर्गत गंगा की कटान से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। सोलहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है, जो सचिवालय प्रशासन द्वारा बाहरी कर्मचारियों को सचिवालय के स्थायी पास जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। सत्रहवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की है, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी मऊ द्वारा लेखा लिपिकों एवं कार्यकत्रियों व सहायिकाओं की नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। अठारहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है, जो जनपद आजमगढ़ के ब्लाक-तहवरपुर अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज की

स्थापना के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। उन्नीसवीं सूचना श्री छोटे लाल गंगवार की है, जो जनपद बरेली में नवागंज, दलेल नगर क्योलड़िया मार्ग के चौड़ीकरण व मरम्मत के संबंध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। बीसवीं सूचना श्री सीताराम निषाद की है, जो जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील जलालपुर के ग्राम कुठमाराजेपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जेदार के संबंध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई उनके नाम-

1.श्री राम औतार शाक्य 2.श्री प्रदीप कुमार 3.श्री आर्य रामसरन 4.श्री काशीनाथ 5.श्री अरविन्द गिरि 6.डा0 धर्मज्ञ मिश्र तथा 7.श्री सुधाकर सिंह, है।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0 10 और 11 पर निर्धारित वक्तव्य पढ़े हुये माने जाते हैं।

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर थानान्तर्गत सड़क दुर्घटना में 20 लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद, द्वारा दि0 14-5-2001 को दी गई सूचना नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद चित्रकूट के थाना मानिकपुर क्षेत्र कालीघाटा में दिनांक 2-5-2001 तथा दिनांक 11-5-2001 को हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवार जनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट एवं जिलाधिकारी, चित्रकूट से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नाकित है:-

दिनांक 2-5-2001 को ग्राम कुसियापुर थाना राजापुर, चित्रकूट के श्री खेलावन पुत्र सुन्दर की बारात ग्राम हरिजनपुर थाना मानिकपुर से टैक्टर सं0-यू0पी0 90-8752 की ट्रानी में बैठकर वापस जा रही थी। रास्ते में मानिकपुर पुलिस चौकी सरैया के मध्य में कालीघाट में ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाने के कारण वह असंतुलित हो गया और ट्राली पलट गयी। इस दुर्घटना में सर्वश्री (1) सुन्दर पुत्र बलदेव (2) विनोद पुत्र बृजमोहन (3) रामलाल पुत्र रामनाथ (4) बाउर उर्फ भैरव पुत्र बचना (5) अन्तू उर्फ शम्मी पुत्र शिवभवन निवासीगण ग्राम कुसियापुरवा, थाना-राजापुर (6) चुनकावन पुत्र नत्थू (7) केदार पुत्र बच्चू (8) रामचन्द्र पुत्र भोली (9) रामसजीवन उर्फ फगुहार पुत्र बद्दा (10) बड़कउना पुत्र बद्री की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी।

उक्त दुर्घटना में घायल कुल 19 व्यक्तियों को, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित थे, प्रारम्भिक उपचार हेतु प्रा0 स्वा0 केन्द्र मानिकपुर/सामु0 स्वा0 केन्द्र, कर्बी पर ले जाया गया। अति गम्भीर घायलों को स्वरुपरानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस/प्रशासनिक अधिकारीगण तथा फायर सर्विस के अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा मौके पर पहुँचकर बचाव कार्य किया गया। इन घायलों में से सर्वश्री (1) आल्हा पुत्र सुन्दर (2) रतनवा पुत्र बलदेव (3) मुन्नीलाल पुत्र केशन (4) प्रेम चन्द्र पुत्र शीतल की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इस प्रकार इस घटना में मृतकों की संख्या कुल 14 हो गयी।

इसी प्रकार दिनांक 11-5-2001 को ग्राम सिंगवा थाना मानिकपुर से विवाह के उपरान्त 12 व्यक्ति, जिनमें महिलायें भी थीं, ट्रैक्टर संख्या-यू0पी0-90-2619 की ट्राली में बैठकर ग्राम बाबूपुर थाना पहाड़ी जा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहे थे। रास्ते में मानिकपुर के पास कालीघाटी पर उक्त ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाने के कारण ट्रैक्टर पलट गया जिससे 4 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मृतकों का विवरण निम्नांकित है :-

(1) श्रीमती पियरिया देवी पत्नी श्री जगदम्बिका प्रसाद (2) श्रीमती शान्ती पत्नी श्री बद्री प्रसाद (3) श्रीमती लखपतिया पत्नी श्री शिवनरेश (4) श्रीमती बेलपति पत्नी श्री देवशरन।

इस दुर्घटना में दो व्यक्ति (1) श्री पुरुषोत्तम उर्फ प्रकाश पुत्र श्री बद्री प्रसाद तथा (2) श्री शिव प्रताप पुत्र श्री राम भरोसे घायल हो गये थे जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्बी में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान गम्भीर रुप से घायल श्री पुरुषोत्तम उर्फ प्रकाश की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार इस दुर्घटना में कुल चार महिलायें व एक पुरुष (कुल पाँच) की मृत्यु हो गयी।

उपर्युक्त दिनांक 2-5-2001 व दिनांक 11-5-2001 की दोनों दुर्घटनाओं में कुल 19 (15 पुरुष व 4 महिलायें) की मृत्यु हुई हैं। मृतकों के परिवार जनों को आर्थिक सहायता हेतु दिनांक 2-5-2001 को घटित दुर्घटना में परिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को रु0 10,000/- मात्र उपलब्ध कराये जाने की पात्रता में कुल 7 व्यक्ति सर्वश्री (1) रामलाल (2) बाउर उर्फ भैरव (3) आल्हा (4) रतनवा (5) चुनकावन (6) रामसजीवन व (7) बड़कउना पात्र पाये गये हैं। दिनांक 11-5-2001 को घटित घटना में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मात्र एक मृतक श्री पुरुषोत्तम ही आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए पात्र पाया गया है। इन पात्र मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद मिर्जापुर में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 सरजीत सिंह डंग द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)-

[मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गई है कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर स्थित बरौधा कचार से रोडवेज बस स्टेशन तक नाली एवं सड़क निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लगभग 28 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह भी सूचित किया गया है कि इस सड़क को बरौधा कचार से बिननानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय तक जाने वाला राष्ट्रीय राज मार्ग है। विभाग की चूक के कारण यह धनराशि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर को न जाकर राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड को निर्गत कर दिया गया और उनके द्वारा जिस भाग का प्राक्कलन एवं स्वीकृति उपलब्ध कराई गई थी, उसका निर्माण न करके राष्ट्रीय राज मार्ग के हिस्से का भी निर्माण कर दिया है।

2- डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद मिर्जापुर के राष्ट्रीय मार्ग संख्या-7 वाराणसी-कन्या कुमारी मार्ग की लम्बाई 2.76 किमी0 का प्रस्ताव/आगणन प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त होने पर मार्ग की लागत रू0 66.51 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 दिनांक 31.3.99 द्वारा निर्गत की गई थी। उक्त मार्ग राष्ट्रीय मार्ग की श्रेणी में आता है जो जनपद मिर्जापुर का शहरी भाग है और स्वीकृत कार्य का निर्माण मार्च, 2000 तक पूर्ण कराया जा चुका है। स्वीकृत धनराशि प्रमुख अभियन्ता द्वारा राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-2 वाराणसी को आवंटित की गई थी, न कि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर का और इसका व्यय भी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-2 वाराणसी द्वारा ही किया गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3- मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना में मिर्जापुर स्थित बरौंधा कचार से रोडवेज बस स्टेशन तक नाली एवं सड़क निर्माण के कार्य को स्वीकृत किये जाने की बात भी कही गई है। इस मार्ग की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है और यह मार्ग स्वीकृत मार्ग से भिन्न मार्ग है।

4- राष्ट्रीय राज मार्ग के शहरी भाग का चयन डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना में करना त्रुटिपूर्ण था। इस त्रुटिपूर्ण चयन के लिय कतिपय अधिकारियों के स्पष्टीकरण शासन में प्राप्त हो गये है, जिनका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है।]

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राज मार्ग के शहरी भाग का चयन डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना में करना त्रुटिपूर्ण था। आज स्थिति यह है कि बनारस से आने वाले, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाले जहां पर आते हैं, स्थान जहां पर शहर प्रारम्भ होता है वहां की यह सड़क है। इसके बारे में शासन ने गलत निर्णय लिया के मेरा भय है कि इसके लिये जे0ई0 तथा ए0ई0 को दंडित किया जायगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसको बनवाया जायगा?

लोक निर्माण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, अगर नियम में बांधा नहीं पहुंचायेंगे तो हम बनवा देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पर निर्धारित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

प्रदेश में सी0बी0एस0ई0 की प्री डेन्टल / प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं से लाखों छात्र/ छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 14-5-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत प्रदेश में सी0बी0एस0ई0 की प्री-डेन्टल/प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के चलते लाखों छात्र/छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय होने के सम्बन्ध में जानकारी चाही है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रवेश परीक्षा सी0बी0एस0ई0 द्वारा संचालित करायी जाती है। इस परीक्षा में प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्र आउट होने तथा इस अनियमितता में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-एस0एम0-96/11.3.2001-ए0क्य0 18/2001 दिनांक 18 मई, 2001 द्वारा चेयरमैन, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से यह अनुरोध किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण पर अपने स्तर से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये और कृत कार्यवाही से प्रदेश शासन को भी अवगत कराये।

इस सम्बन्ध में यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गिरफ्तार किये गये थे जिसके सम्बन्ध में प्रमुख सचिव गृह को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद की नगर पालिका, रूदौली तथा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से बीमार पशुओं के मांस की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आचार्य राम देव वैश्य द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[श्री आचार्य राम देव वैश्य, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 14-5-2001 में जनपद फैजाबाद के नगर पालिका परिषद रूदौली तथा आस-पास के ग्रामों तथा भेलसर, नरौली, बरौली आदि में खुलेआम बिना लाइसेन्स नियम विरूद्ध पशु चिकित्सक द्वारा पशु बीमार है या नहीं, बिना इसकी जांच किये काटे जा रहे बीमार पशुओं, खुली मांस की बिक्री और जिससे बीमारी फैल रही है तथा जनता में आक्रोश व्याप्त है, की ओर ध्यान दिलाते हुये इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य की मांग की गई है।

2- जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में उनके पत्र संख्या-1180/एल0बी0सी0-1-वि0स0नि0-51, दिनांक 21-5-2001 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद, रूदौली में पशुधन शाला स्थापित है उसी में पशुओं का वध किया जाता है। पशुबध से पूर्व पशु चिकित्साधिकारी, रूदौली से बध हेतु पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है एवं इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी करने हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा पुन: निर्देश दे दिये गये हैं।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फैजाबाद ने अवगत कराया है कि बीमार पशुओं के मांस बिकने या उससे बीमारी फैलने एवं जनाक्रोश फैलने का कोई प्रकरण नहीं है।

क्षेत्राधिकारी, रूदौली ने भी यह अवगत कराया है कि कस्बा रूदौली तथा ग्राम भेलसर, नरौली, बरौली में स्वयं उनके द्वारा तथा समय-समय पर थानाध्यक्षों द्वारा एवं उप निरीक्षकगण के द्वारा आकस्मिक चेकिंग की जाती है और किसी भी खुले स्थान पर मांस की बिक्री बीमार पशुओं के बध करने एवं खुले मैदान में पशुओं का बध करने की कोई सूचना नहीं पायी गयी।][1]

शारदा सहायक खण्ड-28 हैदरगढ़ वाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जॉच व कार्यवाही के सम्बन्ध में दि0 14-05-01 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[सूचना में सिंचाई खण्ड 28 का उल्लेख किया गया है परन्तु यह सही नाम शारदा सहायक खण्ड-28, हैदरगढ़, बाराबंकी है। इसके साथ ही सूचना में व्यापक अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं, जिनके विस्तृत जॉच की आव्यकता है, जो निश्चित रूप से समय साध्य होगी। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि इन शिकायतों की जॉच मुख्यालय स्तर से दो अधीक्षण अभियन्ताओं की एक समिति गठित करके करायी जाय,जो अभिलेखों, स्थल निरीक्षण एवं सामान्य जनता के बयान के आधार पर अपनी जॉच पूरी करके अपनी आख्या शासन को 15 दिन अवश्य उपलब्ध करायेगी। समिति को यह भी आदेश दिये गये हैं कि वह जॉच के दौरान माननीय शिकायतकर्ता विधायक जी से मौके पर उपस्थित रहने का निवेदन भी करे और यदि यह सुविधाजनक न हो तो माननीय विधायक जी से यह भी निवेदन करे, कि वे शिकयतों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों के साथ अपने किसी प्रतिनिधि को भी जॉच में सहयोग के लिए भेज सकते हैं।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समिति की जॉच आख्या प्राप्त होने के पश्चात ही इस मामले में किसी भी प्रकार भी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद-जालौन में वर्ष 1999-2000 में बाढ़ के कारण बांधों के टूटे तटबन्धों एवं ध्वस्त सड़कों की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री श्रीराम पाल, द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद-जालौन में माह सितम्बर, 1999 में यमुना नदी की बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण कालपी तहसील के ग्राम काशीरामपुर के पास सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बन्धी लम्बाई 950 मीटर राठ साइड की ओर एक किनारे पर लगभग 35 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस बन्धी से केवल ग्राम-इटौरा, काशीखेड़ा, मसगाया में ही सिंचाई होती है। विगत वर्षो में बन्धी से प्रतिवर्ष औसतन सींच 31 हैक्टेयर हुयी है। इस बन्धी का कैचमेन्ट क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र क्रमश: 870 व 34 हेक्टेयर है।

2-सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित ग्राम-काशीरामपुर के पास उपर्युक्त बन्धी के फट जाने से उसके ऊपर निर्मित कालपी-राठ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुलिया बनाकर मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चालू है। इसी प्रकार यमुना नदी की बाढ़ से कालपी-मैनूपुर-देवकली मार्ग भी 200 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत कराकर मार्ग पर यातायात चालू कर दिया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चालू है।

3-लोगों द्वारा अगली वर्षा काल में बाढ़ के खतरे से भयभीत होकर दूसरे ग्रामों में पलायन करने पर अमादा होने तथा जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में जाकर आन्दोलन करने की न तो कोई स्थिति है और न ही कोई सूचना है।]

कासगंज क्षेत्रान्तर्गत 33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन बिलराम को चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नेतराम सिंह, द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद एटा के बिलराम में 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के द्वितीय प्रणाली के कार्यक्रम में सम्मिलित है। 33 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता 1x3 एम0वी0ए0 होगी। इस उपकेन्द्र के लिये डाग कन्डक्टर पर 8.00 कि0मी0 लाइन का निर्माण कराया जायेगा। उपकेन्द्र तथा सम्बन्धित 33 के0वी0 लाइन पर लगभग 76.59 लाख रूपये का व्यय होगा।

उपकेन्द्र के निर्माण के लिये जनपदीय कार्य लगभग 85% पूर्ण हो गये हैं। इस उपकेन्द्र के जनपदीय कार्य पर अब तक लगभग 4.14 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।

इस उपकेन्द्र के लिये 33 के0वी0 लाइन का निर्माण विद्युत वितरण खण्ड, कासगंज द्वारा कराया जा रहा है। लाइन के लिये निर्माणार्थ अब तक लगभग 16.00 लाख रूपये के सामान का प्रबन्ध कर लिया गया है।

उपकेन्द्र का शीघ्र निर्माण कराने के लिये महा प्रबन्ध (वितरण) आगरा क्षेत्र तथा महा प्रबन्ध (वितरण) मेरठ क्षेत्र को निर्देश दिये जा रहे हैं।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस उपकेन्द्र के निर्माण से बिलराम के निकटवर्ती क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था और अच्छी हो जायेगी। वोल्टेज में सुधार होगा। लाइन तथा उपकरणों की क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में कमी आने के कारण विद्युत आपूर्ति की अवधि भी बढ़ेगी।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के टाउन एरिया में भदोही रेलवे फीडर मार्ग की नाली ऊँची करने तथा दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी पंकज द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदस्य विधान सभा डा0 पूर्णमासी पंकज द्वारा जनपद संत रविदास नगर भदोही के टाउन एरिया में भदोही रेलवे फीडर मार्ग की नाली ऊँचा करना व मरम्मत करने का कार्य, दोनों ओर 1.00 कि0मी0 नाली निर्माण कार्य पूर्ण न होने की सूचना देते हुए यथाशीघ्र मानक के अनुरूप मार्ग, नाली पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया है।

2-जनपद सन्त रविदासनगर भदोही के अन्तर्गत टाउन एरिया भदोही में भदोही रेलवे फीडर मार्ग को नाली को ऊँचा व मरम्मत करने का कार्य तथा दोनों ओर 1.00 कि0मी0 नाली निर्माण की स्वीकृति पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत मण्डलायुक्त विध्याचल मण्डल, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 5-7-99 द्वारा धनराशि रू0 5.014 लाख की स्वीकृति दी गई थी तथा उक्त धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में उपलब्ध कराई गई थी किन्तु पूर्व में ही उक्त कार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरी मार्ग सुधार योजना में स्वीकृत हो जाने के कारण पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 5.014 लाख के उपयोग पर पुन: विचार हेतु मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर से अनुरोध किया गया था, जिस पर मण्डलायुक्त के आदेश दिनांक 23.8.2000 में प्राप्त सहमति के अनुसार भदोही नगर में नाली को ऊँचा करने व मरम्मत कराने का कार्य तथा दोनों ओर 1.00 कि0मी0 लम्बाई नाली निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया गया है।

3-जनपद सन्त रविदासनगर भदोही के अनतर्गत टाउन एरिया भदोही में भदोही रेलवे फीडर मार्ग की नाली को ऊँचा करना व मरम्मत करने का कार्य तथा दोनों ओर 1.00 कि0मी0 नाली मार्ग की नाली को ऊँचा करना व मरम्मत करने का कार्य तथा दोनों ओर 1.00 कि0मी0 नाली निर्माण का कार्य डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 1999 द्वारा स्वीकृति कियागया था, जिसके क्रम में रेलवे फीडर मार्ग के 2 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण तथा हाटमिक्स प्लांट से बी0एम0/एस0डी0सी0 कार्य एवं नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति लागत रू0 75.26 लाख के सापेक्ष स्वीकृत आवंटन रू0 50.01 लाख के अनुसार कार्य कराया जा चुका है। शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1985 1985 से 2000 तक जिला योजना न्तर्गत स्वीकृत सड़कों पर लेपन कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दिनांक 14.5.2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदस्य विधान सभा, श्री राम विशुन आजाद, द्वारा जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1985 से 2000-2001 तक जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों पर लेपन कार्य पूर्ण न कराये

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मानागया।

जाने के कारण, पत्थर उखड़ जाने, पटरियां क्षतिग्रस्त होने की सूचना देते हुए ऐसी कोई योजना चलाये जाने का अनुरोध किया है, जिससे सड़कों का पूर्ण रूप से लेपन हो सके।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1985 से 2000-2001 तक जिला योजना में स्वीकृत सड़कों में से 24 सड़कें ऐसी है, जिनपर लेपन का कार्य सीमिति वित्तीय संसाधनों के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका है। उक्त स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सड़कों का लेपन कार्य कराया जायेगा अपूर्ण कार्यो की योजना बनाकर पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता पर निर्भर है।]

डा0 प्रमोद कुमार तिवारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ की विशेष परिस्थितियों में मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 14-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनारंजन एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदस्य द्वारा डा0 प्रमोद कुमार तिवारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के इलाज में के0जी0 मेडिकल कालेज के चिकित्साधिकारी द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने और डा0 माम चन्द्रा से अनुरोध करने पर भी उनके द्वारा मरीज न देखने और इस कारण दिनांक 9.5.2001 को डा0 तिवारी मृत्यु हो जाने का बिन्दु उठाया गया है। मा0 सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि यदि डा0 चन्द्रा समय से इलाज कर देते तो डा0 तिवारी की मृत्यु नहीं होती। अत: इस के लिए डा0 चन्द्रा को दण्डित किया जाय और डा0 तिवारी के परिवार को इस क्षति की पूर्ति हेतु रू050.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। मॉ0 सदस्य द्वारा मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से इस विषय वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2-इस संबंध में वक्तव्य है कि डा0 पी0के0 तिवारी को दिनांक 8.5.2001 को लगभग 12.30 बजे गम्भीर अवस्था में गांधी वार्ड में लाया गया था, जहॉ उनके परिजनों के अनुरोध पर प्रोफेसर माम चन्द्रा ने उनका निरीक्षण किया और उपचार की सारी व्यवस्था एवं आदेश दिए। डा0 तिवारी को मेडिकल वार्ड-3 पलंग संख्या-13 ए पर भर्ती किया गया। वहॉ उस समय प्रोफेसर सिद्धार्थ कुमार दास की डयूटी थी जिन्होंने दिन व रात में भी लगभग 8 बजे तक उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की। डा0 तिवारी हैपेटिक इन सिफिलोपैथी काज क्रोनिक लीवर डीसिज से ग्रसित थे। उनका इलाज पूरी तत्परता एवं सावधानी से किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रो0 माम चन्द्रा ने मानवता के आधार पर डयूटी न होने पर भी डा0 तिवारी का परीक्षण किया जिससे डा0 तिवारी के परिजनों में यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि डा0 माम चन्द्रा डयूटी पर थे और मरीज देखने नहीं आये। जबकि ऐसा नहीं हैं, डा0 सिद्धार्थ दास ड्यूटि पर थे और उनके द्वारा समुचित उचार किया गया एवं मात्र 16 घण्टे के अन्दर 3 बार परीक्षण किया गया। इस प्रकार डा0 तिवारी के उपचार एवं देख रेख में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी है।]

प्रदेश में बिजली देयों के दस मुख्य बकायेदारों से धनराशि की वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम- 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चर्चा आरम्भ करने के लिये अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

(श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

चूँकि डा0 बाजपेयी अनुपस्थित हैं इसलिये इसको निरस्त किया जाता है।

अब हम उठते हैं,कल 11 बजे बैठेंगें।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक - 22 मई, 2001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ --- 2 - पर।)

विवरण

1- शासनादेश संख्या-01 जी0आई0/छ:- सानिप्र-99-2000 (13)98 दिनांक 07 जनवरी, 1999

2- शासनादेश संख्या-938 के/सानिप्र/2000 दिनांक 20 जून, 2000

अति आवश्यक / गोपनीय

संख्या-01 जी0 आई0/6-सानिप्र-99-2000 (13) 98

प्रेषक,

श्री नरेश दयाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग लखनऊ : दिनांक- 07 जनवरी, 1999

विषय : साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने एवं साम्प्रदायिक दंगों / तनावों की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

साम्प्रदायिक समस्याओं तथा साम्प्रदायिक तनाव/दंगों की रोक-थाम के विषय पर अनेक शासनादेश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं। प्रदेश में यद्यपि वर्तमान में सामान्य रूप से साम्प्रदायिक शान्ति बनी हुई है, परन्तु जिला प्रशासन, जिसके कन्धों पर शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने का उत्तरदायित्व है, उनकी यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित कर लें कि प्रदेश में साम्प्रदायिक शान्ति बनी रहे तथा किसी भी दशा में साम्प्रदायिक तनाव अथवा दंगा न होने पाये। इसके लिए अधिक से अधिक सतर्कता की नितान्त आवश्यकता है। जिन कारणों से साम्प्रदायिक उपद्रव उत्पन्न होते हैं उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है और घटनाओं के घटने के पूर्व ही जो भी आवश्यक कदम हो, उठाये जाने चाहिये। आप अवगत ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सामाजिक समरसता प्रतिस्थापित करना मुख्य उद्देश्यों में एक है और राज्य सरकार इसको करने के लिए हर स्तर से कटिबद्ध है। अत: इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. साम्प्रदायिक तनाव/दंगों के बदलते स्वरुप और विशेष रूप से दंगाइयों द्वारा अवैध घातक हथियारों के प्रयोग के कारण साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने की वर्तमान पद्धति का पूनर्मूल्यांकन कर व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप सहमत होगें कि किसी साम्प्रदायिक दंगे को रोकना, किसी आवेग को रोकने से अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है। अत: प्रशासन के लिये घटनाक्रमों का पूर्वानुमान लगाना तथा उन्हें रोकने के लिए तुरन्त तैयारियां करना आवश्यक होगा। इसके लिये सूचना तंत्र को और सुदृढ़ एवं क्रियाशील बनाये रखने की अति आवश्यकता है। आसूचना के संगठनात्मक पहलू की प्रत्येक स्तर पर तथा संवेदनशील तथा अति संवेदनशील क्षेत्रों के रुप में पहचानशुदा कस्बों/क्षेत्रों में इसकी पर्याप्तता, कार्यक्षेत्र तथा कार्य कुशलता के विशेष संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर व्यापक रूप से पुनरीक्षा की जाय।

3. यह भी आवश्यक है कि तनाव व झगड़े की तैयारी के संबंध में सही व समय से अभिसूचना प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सतर्कता बरतने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाय। आसूचना के लिए केवल स्थानीय सूचना इकाई पर ही निर्भर न होकर स्वतंत्र स्त्रोत भी

विकसित किये जायं। आसूचना यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर विभिन्न थानों, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किये जाने की व्यवस्था की जाय।

4. साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने तथा जिले में शान्ति कायम रखने के लिये उचित कदम उठाने हेतु सभी स्तरों पर, साम्प्रदायिक स्थिति की आवधिक पुनरीक्षा करना आवश्यक है। अत: आप कृपया मासिक आधार पर जिले में साम्प्रदायिक स्थिति की समीक्षा के लिये आवधिक (त्रैमासिक के बजाय मासिक) बैठक आयोजित करें तथा पुनरीक्षा की रिर्पोट शासन को भेजी जाय।

5. साम्प्रदायिक सद्भाव सुदृढ़ करने की दिशा में जिला एकीकरण समिति के कार्य संचालन को क्रियाशील बनाया जाय और उनके कार्य संचालन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

6. संकट के लक्षण दिखायी देने पर धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले तत्वों को अलग-थलग करने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी दृढ़ इच्छा का प्रदर्शन किया जाना जरूरी होता है, ताकि अप्रिय घटनायें घटित न हो सकें। साम्प्रदायिक कटुता को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (क), 153 (ख), 295 से 298 तथा 505 के उपबन्धों एवं किसी अन्य कानून का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. साम्प्रदायिक संकट को बढ़ावा देने वाले साम्प्रदायिक संगठनों की गति विधियों पर आसूचना/पुलिस प्राधिकारी द्वारा कड़ी नजर रखी जानी चाहिये। गड़बड़ी का प्रथम लक्षण दिखाई देने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। साम्प्रदायिक दंगों का एक प्रमुख कारण जुलूस रहा है। धार्मिक अवसरों पर साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा के रूप में जुलूस निकालने की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक संगठनों में पनप गई है। जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे किसी जुलूसों, जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में शासन की सामान्य नीति यह रही है कि इसमें कोई नवीन प्रथा न अपनाई जाय। विभिन्न सम्प्रदायों के नेताओं के परामर्श से उनके त्योहारों को मनाये जाने के लिए एक समान आचरण संहिता तैयार की जानी चाहिए। यह संहिता प्रत्येक त्योहार तथा समारोह अवसर के लिए होनी चाहिए। इस बारे में अग्रिम चेतावनी दी जानी चाहिए कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी जो त्योहारों को मनाते समय उचित आचरण के मानदण्डों का उल्लंघन करेगें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि त्योहार मैत्रीपूर्ण वातावरण में मनाये जायें और अन्य व्यक्तियों को कोई कष्ट न हो।

8. भीड़ या व्यक्तियों के समूह में भावना भड़काने के लिए लाउडस्पीकर बहुत प्रभावकारी उपकरण है। लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते समय पुलिस अधिनियम अथवा इसी प्रकार के स्थानीय कानूनों का प्रभावशाली तरीके का प्रयोग किया जाय। सामान्यतया इस संबंध में सावधानी बरती जाय कि रात को 11.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाय।

9. धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाये रखने और इनके राजनैतिक, अपराधिक, विद्रोही अथवा साम्प्रदायिक कार्यों के दुर्पयोग को रोकने के लिये धार्मिक संस्थायें (दुर्पयोग रोकना) अधिनियम, 1988 के उपबन्धों का कड़ाई से प्रयोग किया जाय। किसी धार्मिक पन्थ या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल अथवा किसी धार्मिक पन्थ के किसी भी वर्ग के किसी पूजा स्थल को उसी धार्मिक पन्थ के किसी अन्य वर्ग द्वारा परिवर्तन करना विधिक दृष्टि से निषेध है। इस संबंध में पूजा स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991 जिसमें यह प्राविधान भी है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा कि वह उस दिन था, का कड़ाई से प्रयोग किया जाय।

10. साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए उत्तेजक व आपत्तिजनक सामग्री के लिए लेखकों और प्रकाशकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

11. दंगा होने वाले क्षेत्रों में साम्प्रदायिक रुप से संवेदनशील स्थलों का पता लगाया जाय ताकि आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्ध किये जा सके। साम्प्रदायिक झगड़े होने के बारे में मामूली सी खबरे मिलते ही बिना किसी हिचकिचाहट के आकस्मिक योजनाओं को लागू किया जाय। जैसे ही कोई साम्प्रदायिक घटना घटित होती है उसके तुरन्त बाद शासन को उससे संबंधित रिपोर्ट भेजी जाय।

12. जिला प्रशासन की छवि बनाने में पुलिस की भूमिका प्रमुख होती है। पुलिस बल को उचित नेतृत्व और उपर्युक्त प्रेरणा प्रदान करने पर अत्यधिक सावधानी और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे उनका मनोबल ऊँचा बना रहे। पुलिस बलों के दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष व साम्प्रदायिक सौहार्द्र उन्मुख बनाने की दृष्टि से उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाय। होमगार्डो की उपलब्धता एवं सामर्थ्य का पूर्ण सद्पयोग किया जाय।

13. दंगों के दौरान हुए अपराधों का पंजीकरण और जांच की जानी चाहिए तथा अपराधियों की पहचान और उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों पर त्वरित विचार और निपटान के लिए "दि डिस्टर्बड एरियाज" (स्पेशल कोर्ट) एक्ट 1976 के अनुसार विशेष न्यायालयों के गठन की कार्यवाही के संबंध में जहां आवश्यक समझे इसके उपयोग के संबंध में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

14. प्रत्येक साम्प्रदायिक दंगे के समाप्त होने के बाद सूचना संबंधी सुविस्तृत दस्तावेज (डाकूमेंटेशन) बनाने का कार्य न्यूनतम अवधि में पूरा किया जाय।

15. साम्प्रदायिक हिंसा पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत के रुप में अनुग्रह राशि का भुगतान न किये जाने के कारण नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक है। अत: शासनादेश सं0-एकए-2-367/दस-92-100 (30) डी/92 दिनांक 21.12.92 में निर्धारित मानकों के अनुसार राहत शीघ्र बांटने के लिए शासन को पात्रता निर्धारित करते हुए नियमानुसार प्रस्ताव तत्काल भेजा जाया करें।

16. इस बात पर पुन: बल दिया जाता है कि जिले की कानून एवं व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने का पूर्ण दायित्व जिला मजि0/जिला पुलिस अधीक्षक का है। अत: उपर्युक्त जिन सुझावों का उल्लेख किया गया है वे केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी दृष्टि से सर्वांगपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि आपके जनपद में कुछ अन्य जटिल समस्यायें हों, जिनका निराकरण स्थिति के आधार पर आप अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश में सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण बना रहे।

भवदीय,
नरेश दयाल,
प्रमुख सचिव, गृह।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना/सुरक्षा/कानून-व्यवस्था/रेलवेज, उ0प्र0,लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।

अतिआवश्यक
संख्या-938 के/सानिप्र0-2000

प्रेषक,

श्री योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/डी0आई0जी0रेंज,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2000

विषय :- साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वार्ता।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि सामाजिक समरसता प्रतिस्थापित करना राज्य सरकार के मुख्य उद्देश्यों में एक है और राज्य सरकार इसको करने के लिए हर स्तर से कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि वर्तमान में साम्प्रदायिक शान्ति बनी हुई है किन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध/उत्पीड़न की कार्यवाही की कतिपय घटनाएं हुई हैं जिसके दृष्टिगत जहां एक ओर उत्पीड़न में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही तत्परता से की जाने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित किसी भी विवाद के बड़ा रूप लेने के पूर्व ही आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाये जाना भी समीचीन होगा। इस हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर बातचीत मण्डल एवं जिला स्तर पर की जाये व ऐसी बैठकें तीन माह में न्यूनतम एक बार अवश्यक हों जिनमें मण्डल/जिला स्तर के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी भाग लें।

भवदीय,

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

उर्दू राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के नाम

प्राइमरी सेक्शन

1. बे0अ0रीडर-1
2. बे0अ0रीडर-2
3. बे0उ0रीडर-3
4. बे0उ0रीडर-4
5. बे0उ0रीडर-5
6. बे0 हिसाब-2
7. बे0हिसाब-3
8. बे0हिसाब-4
9. बे0 हिसाब-5
10. साइन्स आओ तजुर्बे से सीखें-1
11. सा0आ0तजुर्बे से सीखें-2
12. साइन्स आओ तजुर्बे से सीखें-3
13. हमारी दुनिया हमारा समाज-1
14. हमारी दुनिया हमारा समाज-2
15. हमारी दुनिया हमारा समाज-3

जूनियर सेक्शन

1. हमारी जुबान भाग-1, 2, 3 = 3 पुस्तक
2. अर्थमेटिक भाग-1, 2, 3 = 3 पुस्तक
3. बीजगणित व रेखागणित = 3 पुस्तक
4. हमारी मुरदें जमीन-1, 2, 3 = 3 पुस्तक
5. हमारी तरबियात और इल्म तमद्दुन-1, 2, 3 = 3 पुस्तक
6. इब्तियें सार्दस-1, 2, 3 = 3 पुस्तक

18 पुस्तक

प्राइमरी पुस्तकों की संख्या-15
जूनियर पुस्तकों की संख्या-18

कुल उर्दू की पुस्तकों की संख्या-33

पी0एस0यू0पी0-एल0 353 विधान सभा (595)-24-1-2004-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसैट)।